# मध्यप्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची
## जुलाई, 2015 सत्र

### गुरूवार, दिनाँक 30 जुलाई 2015

**स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर**

**(वर्ग 4 : लोक निर्माण, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, वन)**

<u>जोलाई से कजलास रोड निर्माण की स्वीकृति</u>

**1. ( क्र. 141 ) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम जोलाई तहसील सोनकच्छ जिला देवास से कजलास तक का रोड स्वीकृत हैं? **(ख)** यदि स्वीकृत हैं, तो कब तक इसका निर्माण कार्य शुरू होगा? यदि स्वीकृत नहीं है तो क्या विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? **(ग)** यदि कार्यवाही प्रचलित है तो जानकारी देवें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। जी नहीं। **(ग)** जी नहीं।

<u>लकुमडी से मुरावर रोड निर्माण की स्वीकृति</u>

**2. ( क्र. 142 ) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तहसील सोनकच्छ जिला देवास के ग्राम लकुमडी से मुरावर तक का रोड स्वीकृत है? **(ख)** यदि स्वीकृत है तो कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? यदि स्वीकृत नहीं है तो क्या विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? **(ग)** यदि कार्यवाही प्रचलित है तो जानकारी देवें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के तारतम्य में निर्माण कार्य शुरू करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। कार्यवाही संभाग स्तर पर प्रचलन में है। **(ग)** कार्यपालन यंत्री द्वारा मार्ग का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

<u>बायो मेडिकल वास्ट ट्रीटमेंट प्लांट बड़खेरा से हटाए जाने बाबत्</u>

**3. ( क्र. 160 ) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के वि.ख. उचेहरा के ग्राम बड़खेरा के (अमरपाटन रोड में) इण्डोवाटर मेनेजमेंट पाल्यूशन कार्पोरेशन इन्सीनरेटर कामन बायो मेडिकल वास्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी प्लांट कब लगाया गया तथा उक्त प्लांट शासकीय भूमि पर या प्राईवेट भूमि पर है, विवरण दें तथा प्रदूषण विभाग द्वारा उक्त

ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने हेतु कब मंजूरी दी गई, मंजूरी देने वाले अधिकारी का नाम बताएं। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्लांट में अस्पतालों, नर्सिंग होम्स से निकाले वेस्ट एवं अवैध भ्रूण, गंदगी निकलने से ग्रामवासियों, नागरिकों, छात्रों तथा स्कूल के बच्चों को भारी परेशानी होने के कारण जन प्रतिनिधियों द्वारा जिलाध्यक्ष एवं शासन प्रशासन को शिकायतें की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में उक्त ट्रीटमेंट प्लांट की NOC एवं अनुमति को कब निरस्त किया जावेगा अब तक निरस्त न करने के लिये कौन दोषी है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** मे. इन्डोवाटर मैनेजमेंट एण्ड पॉल्यूशन कंट्रोल कॉर्पोरेशन द्वारा कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी वर्ष 2009 में निजी भूमि खसरा नं. 206, पटवारी हल्का नं.0 22, जिला-सतना कुल रकबा 0.416 हेक्टेयर पर लगाया गया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दिनाँक 12/11/2007 को प्रदान की गई। डॉ. एस.पी. गौतम, तत्कालीन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति का अनुमोदन किया गया। **(ख)** दिनाँक 25/2/2015, 11/2/2015, 2/3/2015 एवं दिनाँक 11/4/2015 को कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुई। **(ग)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में दिनाँक 16/7/2015 को बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी का निरीक्षण किया गया। संस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई व्यवस्थाएं संतोषजनक है साथ ही समय-समय पर की जाती रही मॉनिटरिंग रिपोर्ट में गैसो एवं धूल के कणों का उत्सर्जन सामान्यतः निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## अखाड़े की कृषि भूमि की नीलामी/व्यवस्थापन

**4. ( क्र. 166 ) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या सतना जिले के नागौद तहसील के अन्तर्गत श्री जानकी रमण मंदिर बरकोनिया एवं सेवादास अखाड़ा की कुल कितनी भूमि है और उसे व्यवस्थापन के लिये किसको सौंपी गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की भूमि का किन वर्षों से किन कारणों से नीलामी/व्यवस्थापन क्यों नहीं किया गया? किसके आदेश से रोका गया है? क्या मंदिर की भूमि से मंदिर के विकास कार्य एवं भोग, प्रसाद तथा पुजारी को दिये जाने वाले मानदेय हेतु आमदनी होती थी, उससे उक्त कार्य किये जाते थे? क्या नीलामी रूक जाने से उक्त कार्य विगत दो वर्षों से रूके होने से उक्त भूमि पड़ती हो गई, जिसके लिये कौन उत्तरदायी है? उक्त भूमि की नीलामी कब तक करा दी जायेगी? **(ग)** प्रश्नांश की भूमि पर किसके द्वारा बरमेन्द्र पुस्तकलाय के बगल में दुकान नीचे एवं दूसरी मंजिल में ऊपर बनवाकर अतिक्रमण किया गया है? सीमांकन कराकर उनका नाम बताएं तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये अवैध निर्माण को कब हटाया जायेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## आरक्षित वर्ग अथवा कम आय वाले वर्ग को भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना

**5. ( क्र. 246 ) श्री मेव राजकुमार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक कार्य हेतु कालोनियों का निर्माण किया जाता है, उसमें अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग अथवा कम आय वाले वर्ग के लिए कितना-कितना आरक्षण निर्धारित किया जाता है? नियम सहित, गाईड लाईन उपलब्ध कराई

जावे? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में इंदौर नगर निगम/इंदौर विकास प्राधिकरण/नगरीय निकायों एवं इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस नाम से कितनी आवसीय एवं गैर आवासीय कालोनियाँ विकसित की गई है एवं वर्तमान में कितनी कालोनियों विकसित हो रही है? **(ग)** प्रश्न **(ख)** के संदर्भ में जो कालोनियाँ विकसित की गई हैं एवं विकसित हो रही हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अथवा कम आय वाले हेतु कितने प्लाट/भवन/ फ्लेट अथवा व्यवसायिक कार्य हेतु आरक्षित किये गये है? आरक्षण के अनुपात में कितने अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग को प्लाट/भवन/फ्लेट उपलब्ध कराये गये है? कितने शेष है? **(घ)** इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक किस-किस नाम से आवासीय/व्यवसायिक कालोनियों का निर्माण किया गया है या किया जा रहा है उनमें नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं कम आय वाले आरक्षित वर्ग को कितने प्लाट/भवन/फ्लेट एवं व्यवसायिक भूखण्ड अथवा दुकाने उपलब्ध कराई गई एवं कितने प्लाट/भवन/फ्लेट/व्यवसायिक भूखण्ड अथवा दुकान आवंटित किये जाने शेष है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनाँक 12.08.2008 में एच.आई.जी/एम.आई.जी/एल.आई.जी/ई.डब्ल्यू एस. आवासों के प्रकरणों में आरक्षण प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख है। नियम/गाईड लाईन की छायाप्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक इन्दौर विकास प्राधिकरण एंव नगर निगम इन्दौर के द्वारा कोई आवासीय एंव गैर आवासीय कालोनियाँ विकसित नहीं की है। इन्दौर संभाग के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों की जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** उत्तराशं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक निर्मित की जाने वाली कॉलोनियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

<u>लेबड-नयागांव रोड पर दुर्घटनायें</u>

**6. ( क्र. 261 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लेबड़ नया गांव फोरलेन पर टोल प्रारंभ होने के पश्चात सड़क पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु कितने घायल हुए? वर्षवार, जिलेवार सिर्फ संख्या बतायें। **(ख)** लेबड़ नयागांव फोरलेन पर विभिन्न टोल पर टोल प्रारंभ होने के पश्चात किस-किस टोल पर कितनी-कितनी राशि वसूली गई? सिर्फ वर्षवार टोलवार जानकारी प्रश्नांश दिनाँक की देवें। **(ग)** 1 जनवरी 2010 के पश्चात किस-किस विधायक ने लेबड़ नयागांव टोल के लिये कितने सुझाव व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से दिये व उनमें से कितनों पर अमल किया गया? कितनों पर कार्य पूर्ण करना बाकी है? इस संबंध में विभाग एवं मा. विधायकों की बैठक कब-कब आयोजित की गई, उससे क्या-क्या निर्णय लिये गये?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बिल्डरों एवं भूमाफियाओं हेतु ठोस नीति</u>

**7. ( क्र. 262 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग बिल्डरों एवं भूमाफिया द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों एवं मनमानियों से फ्लेट एवं मकान खरीदने वालो को राहत देने हेतु कोई ठोस कानून बनाने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो कब

तक अब तक इस संदर्भ में की गई कार्यवाही से अवगत करावें? **(ख)** क्या राज्य में बिल्डर्स बिना फ्लेट्स, मकान बनाये ही एडवांस बुकिंग कर रहे है? यदि हाँ, तो क्यों तथा किन नियमों के तहत क्या विभाग इन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार रखता है? **(ग)** क्या रिहायशी अपार्टमेंट में दी जाने वाली सुविधाओं के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं होने से बिल्डर्स नाजायज फायदा उठाते हैं? यदि हाँ, तो मनमानी से आमजन को राहत पहुंचाने हेतु विभाग क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार कर रहा है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1956, नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं इसके अंतर्गत लागू मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा **शर्तें**) नियम, 1998, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं इसके अंतर्गत लागू म.प्र. भूमि विकास अधिनियम, 2012 में समुचित प्रावधान होने से नये नियम बनाने की आवश्यकता नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं है। संज्ञान में आने पर वैधानिक प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है। **(ग)** जी नहीं। उत्तरांश "क" में उल्लेखित अधिनियम एवं नियम में यथोचित प्रावधान होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>पांढुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु परसोडी जलाशय का निर्माण</u>

**8. ( क्र. 297 ) श्री जतन उईके :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पांढुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु ग्राम परसोड़ी में जलाशय निर्माण करने की योजना शासन द्वारा निर्धारित की गई है? इसके लिए कोई सर्वे किय गया है? **(ख)** क्या इसके लिए राशि स्वीकृत की गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा तथा जलाशय का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? पांढुर्णा शहर के शहरवासियों को कब तक पीने हेतु पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** निविदा प्रक्रिया आदि पूर्ण की जाकर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। कार्यादेश जारी होने के एक वर्ष में कार्य पूर्ण करवाये जाने का लक्ष्य है। यह कार्य पूर्ण होने पर पांढुर्णा शहरवासियों को पेयजल उपलब्ध हो जायेगा।

## <u>सड़कों का रख रखाव एवं डामरीकरण</u>

**9. ( क्र. 344 ) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत तीन वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कितनी सड़कों एवं इन मार्गों पर कितने पुल पुलियों का निर्माण कार्य किया गया? स्थानवार एवं सड़कवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण से प्रश्न दिनाँक तक के रख रखाव में कितनी बार डामरीकरण एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में अन्य रिपेरिंग कार्यों को किया गया? नहीं तो क्यों कारण सहित जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित सड़क मार्ग व पुल पुलियों के निर्माणाधीन के समय से रख रखाव की जिम्मेदारी किस समयावधि तक किस-किस की थी और क्या घटिया सामग्रियों के उपयोग होने के उपरांत सबंधित अधिकारियों ने जाँच की? हां तो बतायें नहीं तो क्यों? इस संबंध में कितनी-कितनी शिकायत प्राप्त हुई और उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले पांच

वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है :- (1) मण्डलेश्वर-कसरावद-खरगोन:- उक्त मार्ग एम.पी.एस.आर.एस.पी.-2 योजना के अंतर्गत दिनाँक 05.04.2010 को पूर्ण की गई थी। मार्ग में निर्मित पुल पुलियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (2) खलघाट-कसरावद मार्ग :- यह सड़क भी एम.पी.एस.आर.एस.पी.-2 योजना पैकेज-4 के अंतर्गत दिनाँक 15.12.2009 को पूर्ण की गई थी, मार्ग में निर्मित पुल पुलिया की स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (3) बामखलफाटा:- दोगावां-व्हाया बोरावां-सरवरदेवला मार्ग :- यह सड़क बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य दिनाँक 01.07.2014 को पूर्ण किया गया जो 15 वर्ष की अवधि हेतु कन्शेसनायर को दिया गया है। मार्ग पर बनी पुल पुलियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के सरल क्रमांक एक एवं दो को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर वार्षिक मरम्मत का कार्य कराया जाता रहा है। वर्तमान में दोनों मार्गों की स्थिति ठीक है, एवं सरल क्रमांक-3 जो की वर्ष 2014 में निर्मित होकर अच्छी स्थित में है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(ग)** सड़क मार्ग व पुलिया के रख रखाव की जिम्मेदारी परफारमेंस ग्यारंटी अवधि तक संबंधित ठेकेदार की होती है उसके उपरांत रख रखाव विभागीय रूप से कराया जाता है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः संबंधित अधिकारियों की जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता।

## घटिया / अवैध सड़क का निर्माण

**10. ( क्र. 410 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** भिण्ड जिला व्यापार उद्योग केन्द्र में लहार भिण्ड रोड से बम्बा तक सड़क का निर्माण किया गया उसकी ऊंचाई मोटाई चौड़ाई लंबाई डिवाइडर का माप क्या था? किससे अनुबंध किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित मार्ग को जल संसाधन विभाग का बम्बा सोनी चरथर हीरालाल का पुरा तोड़कर मार्ग का निर्माण किया गया है यदि हाँ, तो क्यों? क्या बम्बा समाप्त करने के लिए विचार किया जा रहा? यदि नहीं, तो बम्बा पर सड़क मार्ग का निर्माण किसकी अनुमति से हुआ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित मार्ग पर तकनीकी प्रतिवेदनानुसार निर्माण न करने के कारण कौन दोषी है? प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई निर्माण की कुल लागत क्या है? अभी तक कितना भुगतान किया गया कितने वृक्षों को काटा गया कितने वृक्षों को लगाया गया प्रश्नांश दिनाँक तक कितने वृक्ष जीवित है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित मार्ग लघु उद्योग निगम मध्यप्रदेश शासन की शर्तों के अनुसार मार्ग निर्माण न होने के कारण अनुबंधकर्ता ओर अनुबंधग्रहीता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई वर्णित मार्ग का निरीक्षण अवलोकन किन अधिकारियों ने कब किया क्या निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** सड़क की लंबाई 1940 मीटर, चौड़ाई 10.95 व 8.00 मीटर तथा मोटाई 48 से.मी. है। डिवाईडर का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया के उपरांत ठेकेदार श्री राकेश दीक्षित से अनुबंध किया गया। **(ख)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** निर्माण कार्य तकनीकि प्रतिवेदनानुसार पूर्ण कराया गया। लागत रूपये 368 लाख के विरूद्ध रूपये 354.31 लाख का भुगतान किया गया। शेष प्रश्न

उपस्थित नहीं होता। **(घ)** शर्तों के अनुसार मार्ग का निर्माण कराया गया है, अत शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मार्ग का निरीक्षण अवलोकन उपयंत्री, सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री द्वारा समय-समय पर किया गया।

<u>**अ.जा. के हितग्राहियों को आवंटित आवासों को पट्टा प्रदाय न किया जाना**</u>

**11. ( क्र. 451 ) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के नगर पालिक निगम के अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग सतना द्वारा म.प्र. गृह निर्माण मंडल सतना से भरहुत नगर कॉलोनी में EWS-1 से लेकर EWS-30 तक क्रय कर अनुसूचित जाति के हितग्राहियों आवंटित किये गये थें? यदि हाँ, तो कब, किस वर्ष में क्रय किये गये थे? **(ख)** क्या उक्त क्वाटरों (आवास) की जो कीमतें निर्धारित की गई थी, समयावधि में संबंधित हितग्राहियों द्वारा भुगतान की जा चुकी है, हितग्राहीवार सूची बताएं? **(ग)** क्या सम्बंधित हितग्राहियों द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के बाद इनके नाम रजिस्ट्री की गई या नहीं, पूर्ण विवरण सहित ब्यौरा देवें? विभाग द्वारा इन क्वाटर मालिकों के नाम रजिस्ट्री अभी तक न कराने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई जायेगी? **(घ)** क्या वर्ष 1986 में आवंटित क्वाटरों की रजिस्ट्री कराई जायेगी, यदि हाँ, तो कितने दिनों में करा दी जायेगी, समय-सीमा बताएं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। मण्डल द्वारा प्रश्नाधीन कालोनी में 30 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर दिनाँक 03.06.1985 को आवंटन किया गया है। **(ख)** जी हाँ, समयावधि में संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। आवंटियों द्वारा जमा की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । (ग)** प्रश्नाधीन भवनों का हितग्राहियों के पक्ष में रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि आदिमजाति कल्याण विभाग, सतना को वर्ष 1985 में ये भवन भाड़ाक्रय आधार पर आवंटित किये गये थे। उक्त विभाग द्वारा ये भवन हितग्राहियों को भाड़ा खरीद करार पर आवंटित किये हैं। भवनों के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही मण्डल द्वारा नहीं की जाना है। अतः मण्डल के किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** आवंटित भवनों की रजिस्ट्री आदिमजाति कल्याण विभाग सतना द्वारा कराई जाना है।

<u>**परिशिष्ट - ''एक''**</u>

<u>**मार्ग निर्माण के संबंध में**</u>

**12. ( क्र. 576 ) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 (क्रमांक-1229) दिनाँक 03.03.2015 के प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में स्वीकार किया गया हैं, कि चन्द्रपुरा से तलावड़ा मार्ग की दशा अत्यंत खराब हैं इस कारण इस मार्ग का उन्नतिकरण आवश्यक है तथा प्रश्नांश **(घ)** के उत्तर में बताया गया हैं, कि उक्त प्रचलित सड़क की एस.ओ.आर. के अनुरूप डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं, तो ग्रामीणों को हो रही कठिनाई एवं उनके द्वारा की जा रही मांग तथा उन्नतिकरण कार्य की आवश्यकता के मद्देनजर क्या शासन उक्त मार्ग की डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रियाधीन कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करके चालू वित्तीय वर्ष के ही अनुपूरक बजट में इसे शामिल कर डी.पी.आर. को स्वीकृति प्रदान करेगा

यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** इस संबंध में जनवरी से जून 2015 के मध्य मंत्री जी को प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ, जी हाँ। डी.पी.आर. तैयार करायी जा रही है। उक्त मार्ग वर्तमान में न तो स्वीकृत है और न ही प्रस्तावित है। **(ख)** मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। डी.पी.आर. तैयार करायी जा रही है।

<u>**शहरी सीमा में शामिल 29 गांवों में पेयजल व ड्रेनेज की व्यवस्था**</u>

**13. ( क्र. 636 ) श्री राजेश सोनकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में इन्दौर शहर सीमा में शामिल किये गये ग्रामों में पेयजल एवं ड्रेनेज आपूर्ति की क्या व्यवस्था नगर पालिका निगम द्वारा की जायेगी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या नगर पालिक निगम इन्दौर की योजना इन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था एवं ड्रेनेज व्यवस्था हेतु प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो बायपास के चारों ओर व वार्ड निपानिया, लसुडिया, रेवती, बरदरी, भंवरासला एवं कनाड़िया व सुपर कारिडोर पर किन-किन संसाधनों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था एवं ड्रेनेज व्यवस्था की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक इन क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था की जायेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में क्या उक्त क्षेत्रों में भू-जल स्तर गिरने से पेयजल समस्या की शिकायतें आम नागरिकों/टाउनशिपों द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो समस्या निदान के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं? क्या उक्त वार्डों में पानी की टंकी का निर्माण कराया जायेगा व ड्रेनेज समस्या निदान हेतु सिवरेज लाईने डाली जायेंगी? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में पानी की टंकियों का निर्माण कब तक प्रारंभ किया जायेगा व सिवरेज लाईने कब तक डाली जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में शहर सीमा में शामिल किये गये ग्रामों में ड्रेनेज एवं पेयजल व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। बायपास के चारों ओर से व वार्ड निपानिया लसुडिया, रेवती बरदरी, भंवरासला एवं कनाडिया व सुपर कॉरिडोर पर सर्वे कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम सीमा में सम्मिलित 29 गांवों में जल प्रदाय एवं सीवरेज की व्यवस्था हेतु सर्वे कार्य, डिजाईन ड्राईंग एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कन्सल्टेंट के चयन हेतु निविदा जारी की जा रही हैं। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर गिरने से पेयजल की आंशिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की गई। पानी टंकी, ड्रेनेज समस्या के निदान हेतु सर्वे कार्य कराये जाने के उपरांत सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यकतानुसार सीवरेज लाईने डालने की कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** उत्तरांश **(ख)** अनुसार। समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

<u>**नगरीय क्षेत्र नलखेड़ा में संचालित टोल नाके के स्थानान्तरण**</u>

**14. ( क्र. 720 ) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नगरीय क्षेत्र नलखेड़ा में स्थापित टोल नाका किस पुलिया के लिए संचालित हैं? पुलिया का निर्माण कब किया गया? पुलिया निर्माण संबंधी स्वीकृति आदेश एवं टोल नाके की स्थापना संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति कृपया उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित टोल एक से अधिक पुलियाओं के लिए संयुक्त रूप से संचालित हैं? यदि हाँ, तो टोल नाके की नलखेड़ा नगरीय क्षेत्र में किस प्रयोजन से चलाया जा रहा हैं? **(ग)** उक्त टोल नाके के स्थान

परिवर्तन या टोल नाके को बंद करने के संबंध में कोई शिकायत या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई कृपया विवरण देवें एवं कब तक पूर्ण होगी? **(घ)** यदि नहीं, तो क्या स्थानीय समस्या के निराकरण हेतु टोल नाके को नगरीय क्षेत्र नलखेड़ा से बाहर किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** नलखेड़ा क्षेत्र में नलखेड़ा छापीहेडा मार्ग का स्थिति टोल नाका तीन पुलों क्रमश: बगावत नाला, भाटन नदी एवं कालीसिंध के लिए संचालित है। उक्त तीनों पुलों का निर्माण वर्ष 2002 में किया गया। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ एवं ब अनुसार। (ख)** जी हाँ। विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार चलाया जा रहा है। **(ग)** जी हाँ। टोल नाका बंद करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** प्रकरण विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## नगर पालिका डबरा आय जल आवर्धन राशि का दुरूपयोग

**15. ( क्र. 753 ) श्रीमती इमरती देवी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला ग्वालियर अंतर्गत नगर पालिका डबरा को वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक जल आवर्धन योजना अंतर्गत केन्द्र शासन एवं म.प्र. शासन से वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से डबरा शहर में कितने मीटर बड़ी पाईप लाईन बिछाई गई तथा कितने मीटर पाईप लाईन बिछाई जाना शेष है? बिछाई गई बड़ी पाईप लाईन पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई एवं इसके अतिरिक्त जल आवर्धन योजना कि राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये, जिन्हें पूर्ण करने कि अवधि क्या है? प्रत्येक कार्य पर प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि व्यय की गई, कार्य पूर्ण / अपूर्ण का कारण सहित बतावे? **(ख)** क्या डबरा शहर में बिछाई गई मेन पाईप लाईन चालू करते ही गत वर्ष एवं माह जून 2015 में चालू करते ही कई स्थानों पर पाईप लाईन टूट-फूट गई जिससे अभी तक डबरा शहर को पानी सप्लाई नहीं किया जा सका है, जिसके लिये गुणवत्ता विहीन कार्य होने से ठेकेदार / मूल्यांकनकर्ता अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो कब तक की जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। डबरा शहर में 11154 मी. पाईप लाईन बिछाई गयी है तथा 750 मी. पाईप लाईन बिछाई जाना शेष है। बिछाई गई पाईप लाईन (जी.आर.पी. राईजिंग लाईन) पर प्रश्न दिनाँक तक राशि रू. 4,88,83,768.04 व्यय की जा चुकी है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। जी नहीं, डबरा शहर में बिछाई गई मेन राईजिंग पाईप लाईन की टेस्टिंग कर अप्रैल, 2015 से जोन क्रं. 01 में जलप्रदाय प्रांरभ किया जा चुका है तथा जोन क्रं. 02 में टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है। योजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**परिशिष्ट – "दो"**

## छिन्दवाड़ा जिले में शाला भवनों का भुगतान

**16. ( क्र. 826 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले में परियोजना क्रियान्वयन इकाई - 12 द्वारा जिन शाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करके शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरण किये जा चुके है उन भवनों की अनुमानित लागत से अधिक लागत लगने पर भुगतान की क्या प्रक्रिया है? अधिक लागत वाले भवनों का भुगतान कब

तक कर दिया जायेगा? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले में परियोजना क्रियान्वयन इकाई-12 द्वारा जिन शाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करके शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरण हो गये है उनके फाईनल बिल का भुगतान हो चुका है क्या? नहीं तो कब तक हो जायेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** पूर्ण एवं हस्तांतरित किये गये शाला भवनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार**, अनुमानित लागत से अधिक लागत आने पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित विभाग से प्राप्त की जाकर आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। **(ख)** शाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण फाईनल बिल का भुगतान शेष बाबत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

## जावरा शहर रेल्वे फाटक पर फ्लाई ओवर/अंडरब्रिज हेतु बजट प्रावधान

**17. ( क्र. 870 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा शहर के मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर फ्लाई ओवर/अंडर ब्रिज निर्माण किये जाने हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी तथा मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कार्य किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या शासन/विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्य योजना पूर्ण की जाकर बजट/अनुपूरक बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है? **(ग)** यदि ना, तो जावरा शहर को दो भागों में विभक्त करने वाले रेल्वे फाटक से होने वाली जनहानि, धनहानि, आवागमन में अत्यधिक अवरोध एवं शैक्षणिक व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए क्या उक्त ब्रिज निर्माण को बजट में सम्मिलित किया जा रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो उक्त स्थान के अत्यधिक जन उपयोगी ब्रिज निर्माण की स्वीकृति की जाकर इसे बजट में कब तक सम्मिलित कर लिया जाएगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** कार्यवाही प्रगति पर है। **(ग)** कार्यवाही प्रगति पर है, वर्तमान में न तो स्वीकृत है और ना ही प्रस्तावित है। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के उत्तर अनुसार। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

## निवाडी पृथ्वीपुर मार्ग का हस्तांतरण

**18. ( क्र. 975 ) श्री अनिल जैन :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निवाड़ी से पृथ्वीपुर मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा एम.पी.आर.डी.सी. को हस्तांतरित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो एम.पी.आर.डी.सी. के द्वारा इस सड़क के पुनर्निर्माण हेतु हस्तांतरण दिनाँक से अब तक क्या कोई प्रयास किये गये हैं? **(ख)** क्या एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा इस कार्य के लिये निविदायें स्वीकृत कर ली गई हैं या नहीं? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक प्रारंभ किया जा कर कब तक पूर्ण किया जायेगा? समयावधि सहित कार्य की लागत राशि भी बताई जावे और यदि नहीं, तो कारण बताया जावें? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(क)** का उत्तर नहीं में है तो विभाग के द्वारा इस मार्ग के पुनर्निर्माण के लिये क्या कोई कार्ययोजना बनाई गयी है? और यदि नहीं, तो इसके कारण बताया जावे?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ, किन्तु भौतिक रूप से हस्तांतरित नहीं हुआ है। एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा सड़क के पुर्ननिर्माण हेतु ए.डी.बी. परियोजना अंतर्गत डी.पी.आर. बनाकर निविदा आमंत्रित की गई थी। तकनीकी परीक्षण में कोई भी ठेकेदार उपयुक्त न पाये जाने पर पुन:

निविदा आमंत्रित की गई है। **(ख)** जी नहीं। निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** मार्ग के पुर्ननिर्माण हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

**बान्द्राभान सांगाखेड़ा मार्ग पूर्ण किया जाना**

**19. ( क्र. 1003 ) श्री विजयपाल सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम द्वारा बान्द्राभान एवं सांगाखेड़ा कलां के मध्य तवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में विभाग को पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हाँ, तो कब-कब तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उक्त एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार है? अधिकारी एवं ठेकेदार का नाम बताते हुये क्या विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ, तो क्या तथा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। पुल दिनाँक 19.12.2008 को पूर्ण, एक और पहुंच मार्ग का कार्य मई 2013 को पूर्ण शेष पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर। **(ख)** जून-2009 एवं अप्रैल 2010 में। कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "तीन"

**सबलगढ़ मुरैना पर सिकरौदा, नैपरी पर पुल का निर्माण**

**20. ( क्र. 1039 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना-सबलगढ़ रोड पर सिकरौदा, नैपरी नदियों पर पुल स्वीकृत हुए है, टेण्डर कब हुए किस-किस कंपनी का ठेका हुआ कितनी लागत है? अलग-अलग पुलों की समय-सीमा की जानकारी दी जावे? **(ख)** क्या सिकरौदा ग्राम की नदी पर पुल निर्माण की गति अत्यंत धीमी है, जो वर्तमान में बंद है? नैपरी पुल का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, निर्माण में गति लाने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये है, पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ग)** क्या पुल निर्माता कंपनी द्वारा वर्तमान गति से काम किया तो, इसमें अत्यधिक समय लगेगा? इस हेतु निर्माता कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। टेण्डर सन् 2012 में मेसर्स कॉनकास्ट इन्फ्राटेक नई दिल्ली को मिला था। कार्य की लागत 145.00 करोड़ थी दोनों पुलों का निर्माण का ठेका अलग-अलग न होकर मुरैना-सबलगढ़ मार्ग निर्माण कार्य में ही सम्मिलित था। कार्य दिनाँक 25.08.2015 तक पूर्ण होना था। **(ख)** जी हाँ। नैपरी पुल का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। निर्माण में गति लाने हेतु समय-समय पर निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखे गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है एवं मुख्यालय भोपाल में भी आयोजित बैठकों में निर्देशित किया गया। **(ग)** जी

हाँ। इन्हीं परिस्थितियों पर विचार करते हुये विभाग ने दिनाँक 09.04.2015 को निर्माण एजेन्सी का ठेका निरस्त करते हुये दिनाँक 09.04.2015 को पुनः निविदा आमंत्रित की है, ताकि उक्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कराया जा सकें।

## मुरैना-सबलगढ़ रोड के बन्द कार्य को चालू किया जाना

**21. ( क्र. 1040 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना-सबलगढ़ सड़क के चौड़ीकरण का कार्य काफी समय से बन्द है? कार्य ठेका किस कम्पनी को दिया था? निर्माण की राशि कितनी थी? समय अवधि क्या थी, कार्य कब से बन्द है? **(ख)** क्या सड़क का एक किनारा काफी गहरा खुदा होने के कारण कई दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो चुकी है? कई घायल हुए हैं? क्या इन घटनाओं के प्रति ठेकेदार को जिम्मेदार बनाया जावेगा? **(ग)** उक्त मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब से जिले में चलने वाले वाहनों को, जनता को भारी परेशानी हो रही है? शासन द्वारा निर्माण हेतु क्या प्रयास किये गये है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। मेसर्स कॉनकास्ट इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड नई दिल्ली। लागत राशि रू. 145 करोड़। दिनाँक 25.08.2015 तक, विगत छः माह से। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ, वर्तमान में रोड के किनारे कटे भाग को भरवा दिया गया है। निवेशकर्ता का ठेका निरस्त कर दिया गया है। **(ग)** जी नहीं। वर्तमान में मार्ग मोटरेबल बना दिया गया है। निर्माण एजेन्सी का ठेका दिनाँक 09.04.2015 को निरस्त कर उसी दिन पुनः निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

## जबलपुर पश्चिम स्थित गौड़वाना कालीन तालाबों का पर्यटन के रूप में विकास

**22. ( क्र. 1092 ) श्री तरूण भनोत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौड़वाना कालीन महानद्दा तालाब के पूर्ण विकास एवं पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित है? क्या विकास प्राधिकरण जबलपुर द्वारा पूर्व में उक्त तालाब के विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की थी? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक कार्य क्यों नहीं किया गया? **(ख)** क्या महानद्दा तालाब में मिलने वाले गंदे पानी को नगर निगम जबलपुर द्वारा बंद कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जावेगा? **(ग)** वर्णित **(क)** की विधानसभा में स्थित गौड़वाना कालीन गुलौआ तालाब के संवर्द्धन एवं पर्यटन के रूप में विकसित हेतु कोई प्रस्ताव है? क्या विकास प्राधिकरण जबलपुर द्वारा उक्त तालाब के उन्नयन, संवर्द्धन एवं पर्यटन स्थल के रूप में D.P.R तैयार की गई थी? यदि की गई थी तो उस पर अमली जामा कब तक किया जावेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता **(ख)** उत्तराशं 'क' अनुसार **(ग)** जी नहीं। जी हाँ। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में डी.पी.आर. तैयार कर म.प्र. झील सरंक्षण प्राधिकरण भोपाल के माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। भारत सरकार के पत्र दिनाँक 14.12.2010 द्वारा सूचित किया गया कि, गुलोआ तालाब योजना के चयन मापदण्ड को पूर्ण नहीं करता। मंत्रालय द्वारा दिये गये सुझाव को सम्मिलित करते हुये राष्ट्रीय झील सरंक्षण ने पुनः योजना प्रेषित की, जिस पर स्वीकृती अपेक्षित है। अतः समय दिया जाना संभव नहीं है।

## राजगढ़ विधान सभा में सड़क एवं पुलिया निर्माण

**23. ( क्र. 1221 ) श्री अमर सिंह यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग द्वारा राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में जिला मुख्यालय राजगढ़ से राजस्थान राज्य की सीमा को जोड़ने वाला 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्राम धनवास कलां तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण कब किया गया है? **(ख)** क्या सड़क निर्माण के समय राजगढ़ से धनवासकलां के मध्य ग्राम कराडि़या की अजनार नदी पर निर्मित रपटा जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या बारिश के मौसम में उक्त मार्ग का आवागमन बन्द हो जाता है, जिससे राजस्थान एवं अन्य आसपास के 30-35 ग्रामों के ग्रामीणजन एवं 35-40 स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को आने जाने में असुविधा होती है, तथा कई स्कूल कई दिनों तक बन्द रहते हैं? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या को देखते हुये उक्त रपटे पर नवीन पुलिया का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समयावधि बतावें।

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** मार्ग निर्माण वर्ष 2010 में एवं रपटे का निर्माण वर्ष 1996 में। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। **(घ)** न तो स्वीकृत है न ही बजट में सम्मिलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

## गाडा घाट पुल निर्माण के संबंध में

**24. ( क्र. 1311 ) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सैलवारा से कछारगांव सिलौण्डी मार्ग जिसकी लंबाई 18 कि.मी. है। इस मार्ग की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? कितने पुल पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? कितनों का निर्माण किया जा चुका है? कितने बनाया जाना शेष है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार गाडा घाट पुल बनाया जाना शेष है? निर्माण की राशि कम होने के कारण ऐजेन्सियों द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा। निर्माण की राशि वर्तमान लागत मूल्य पर करते हुये कब तक पुल निर्माण करा दिया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** मार्ग की लंबाई 18.00 कि.मी. नहीं अपितु 20.00 कि.मी. है। शेष **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। पूर्व ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चार''

## सहकारी विभाग का नियंत्रण एवं निगरानी

**25. ( क्र. 1400 ) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा 15 मई 1998 को जारी आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल के द्वारा घोषित शुद्ध लाभ की राशि में से ग्रामीण विकास एवं वन विकास की पूरी राशि प्रश्नांकित दिनाँक तक भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो 15 मई 1998 के आदेशानुसार मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ ने वर्ष 2014-15 तक किस वर्ष में लघु वनोपज का कितना शुद्ध लाभ होना घोषित किया उसमें से ग्रामीण विकास एवं वन विकास की कितनी राशि प्रश्नांकित दिनाँक तक भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध नहीं करवाई गई वर्षवार बतावें।

**(ग)** लघु वनोपज के शुद्ध लाभ की राशि में से ग्रामीण विकास एवं वन विकास की राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध न करवाएं जाने का क्या-क्या कारण रहा है? राज्य के सहकारिता विभाग ने ग्रामीण विकास एवं वन विकास की पूरी राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाएं जाने के संबंध में कब और क्या कार्यवाही की? **(घ)** ग्रामीण विकास एवं वन विकास की शेष राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाएं जाने के संबंध में सहकारिता विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक शेष राशि समितियों को उपलब्ध करवा दी जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** शासनादेश के अधीन ग्रामीण विकास एवं वन विकास की राशि क्रमशः मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ तथा वन विभाग की देख रेख में उपयोग की जाती है। जिला यूनियनों से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उनका परीक्षण एवं स्वीकृत होने के उपरांत राशि प्रदाय की जाती है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश के पत्र दिनाँक 16.09.2014 में आधिक्य का विभाजन शासन के नियमानुसार किये जाने का लेख किया गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है अतः समय-सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पांच''

## मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को प्राप्त कोयला

**26. ( क्र. 1404 ) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को गत दो वर्षों में किस-किस कोयला कम्पनी से कितने कोयले का आवंटन प्राप्त हुआ, इस कोयले के बदले निगम के द्वारा अपने किस बैंक खाते से कितनी राशि किस दिनाँक को कोयला कम्पनी के पास जमा करवाई माहवार बतावें? **(ख)** निगम ने किसकी अनुंशसा पर कितना कोयला किस उद्योग को उपलब्ध करवाया, उस कोयले के बदले किस उद्योग ने निगम में किस दिनाँक को कितनी राशि जमा करवाई? **(ग)** निगम ने कोयला खदानों से कोयला प्राप्त करने और उसे उद्योगों को उपलब्ध करवाए जाने के लिए किस आदेश क्रमांक दिनाँक से किस-किस को अधिकृत किया इस कार्य के बदले अधिकृत व्यक्ति को निगम ने गत दो वर्षों में कितनी राशि का भुगतान किया दिनाँकवार बतावें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स, द अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ,फ अनुसार** है। अधिकृत व्यक्तियों को भुगतान लघु उद्योग निगम के द्वारा नहीं किया जाता है।

## उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप)

**27. ( क्र. 1405 ) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सेडमेप का गठन/पंजीयन किस कानून के तहत किस दिनाँक को किसके द्वारा किया गया सेडमेप की पंजीकृत उपविधि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र सहित बतावें? **(ख)** सेडमेप के संबंध में एवं उसके किस-किस अधिकारी के संबंध में लोकायुक्त एवं ए्इ.ओ.डब्ल्यू. किस-किस विषय पर किसी शिकायत पर वर्तमान में जाँच कर रहा है? सेडमेप के संबंध में गत दो वर्षों में माननीय उच्च न्यायालय ने किसी

चायिका पर किस दिनाँक को क्या आदेश दिए है? **(ग)** सेडमेप को वर्ष 2006-07 से वर्ष 2014-15 तक राज्य शासन ने कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए या किस-किस कार्य के बदले किन नियमों एवं किस अनुबंध के तहत उपलब्ध करवाई हैं? **(घ)** सेडमेप के संचालक मंडल में कौन-कौन वर्तमान में सदस्य है वह किस हैसियत से सेडमेप के संचालक मंडल के सदस्य है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**बैंको द्वारा रोजगार योजना की राशि का वितरण**

**28. ( क्र. 1432 ) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र के बैंको में प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए चालू सत्र में कितना बजट आया है? **(ख)** चालू सत्र में विधान सभा क्षेत्र की कितनी बैंको ने प्राप्त बजट में से कितना-कितना लोन स्वीकृत किया है? शेष कितना बजट बचा है? **(ग)** क्या चालू सत्र में विधान सभा क्षेत्र की बैंको में मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के कितने प्रस्ताव आए, कितने प्रस्ताव पास हुए? कितने निरस्त हुए व कितने प्रस्ताव लंबित है? बजट होने पर भी बैंक द्वारा लोन नहीं देने पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक को बजट आवंटन नहीं दिया जाता है, अपितु बैंक शाखाएं स्वीकृत ऋण अनुसार हितग्राहियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि क्लेम सेटलमेन्ट प्रक्रिया अन्तर्गत नोडल बैंको के माध्यम से प्राप्त करते है। नोडल बैंकों में क्लेम सेटलमेन्ट हेतु आवश्यकता अनुसार राशि समय-समय पर मांग अनुसार आवंटित की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बैंक शाखाओं को 176 प्रकरण प्रेषित किये गये हैं, जिसके विरूद्ध 09 प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। शेष 167 प्रकरण बैंकों में लंबित हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बैंक शाखाओं को 03 प्रकरण प्रेषित किये गये हैं, जो बैकों में लंबित हैं। प्रश्न **(क)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**वन विभाग गुना में की जा रही अनियमितताओं की जाँच**

**29. ( क्र. 1503 ) श्रीमती ममता मीना :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गुना जिले में वन भूमि का कुल कितना रकवा उपलब्ध है तथा कितने रकवे पर अतिक्रिमण किया हुआ है? अतिक्रमित भूमि का रकवा प्रतिवर्ष गुना अनुविभाग में क्यों बढ़ रहा है? दोषी अनुविभागीय अधिकारी वन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** गुना जिले में पिछले वर्ष फसल बोनी हेतु कितनी मात्रा में बीज क्रय किया गया तथा कितन बोया गया? अंकुरण प्रतिशत क्या रहा? गुना जिले में हरियाली महोत्सव अंतर्गत कितने पौधे बोये गये तथा कितने पौधे आज दिनाँक की स्थिति में जीवित हैं? **(ग)** लोक सेवा अंतर्गत काष्ठ के परिवहन हेतु वर्ष 2013 से अनुविभाग गुना में जारी किये गये अभिवहन पासों की संख्या एवं म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निहित निर्देशों के अनुसार उपयोग उपरांत कितने अभिवहन पासों के प्रतिपर्णों के लेखों को वापिस प्राप्त किया गया?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** प्रश्नांकित जिले में 221466.299 हेक्टेयर वन भूमि हैं, जिसमें से 30630.009 हेक्टेयर रकबे पर अतिक्रमण हुआ है। यह सही नहीं है कि गुना अनुविभाग

में प्रतिवर्ष अतिक्रमित भूमि का रकबा बढ़ रहा है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वन विभाग द्वारा फसल बोनी नहीं की जाती है। अतः बीज क्रय एवं अंकुरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांकित जिले में हरियाली महोत्सव के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 3, 79, 093 पौधे रोपित किये गये जिनमें से 2, 92, 511 पौधे जीवित हैं। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

**परिशिष्ट - "छः"**

## गंदी बस्ती सुधार

**30. ( क्र. 1527 ) श्री मुकेश नायक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में गंदी बस्तियों में सुधार की सरकार की क्या योजना है और उन पर क्या कार्य हो रहे हैं? **(ख)** राज्य के नगर निगम क्षेत्र वाले बड़े नगरों में वर्तमान में कौन-कौन सी गंदी बस्तियां है, उनके नाम दीजिए तथा इन बस्तियों के सुधार के कार्यक्रमों की जानकारी दीजिए? **(ग)** क्या शासन ने नगरों को गंदी बस्ती मुक्त बनाने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है, यदि हाँ, तो उसकी जानकारी दीजिए?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** प्रधानमंत्री आवास योजना "सबके लिए आवास 2022" से आवास उपलब्ध कराने की योजना है। **(ख)** बड़े नगर निगम, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर की गंदी बस्तियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। सुधार कार्यक्रम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। उत्तरांश "क" की योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

## भोपाल नगर निगम का अंतर्गत नियम

**31. ( क्र. 1531 ) श्री मुकेश नायक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम भोपाल की सीमा के अंतर्गत 3 वर्षों में कौन-कौन सी कॉलोनी के लायसेंस प्रचलित हैं उनको दी गई अनुमति की प्रति बताएं? **(ख)** उक्त कौन-कौन सी कॉलोनी का निरीक्षण निगम द्वारा किया गया और अनुपति दी गई शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य, नहीं पाया गया तथा आवश्यक अनुमतियां अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाये गये? **(ग)** निगम द्वारा जो निरीक्षण किये गये, उनकी प्रति बताएं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। विकास अनुमत की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ख)** कॉलोनियों की विकास अनुमति की समय-सीमा अवधि हेतु म.प्र. नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण र्निधन तथा **शर्तें**) नियम 1998 के अंतर्गत तीन वर्ष निर्धारित है। कॉलोनाईजर का विकास कार्य पूर्ण होने पर ही स्थल निरीक्षण किया जाता है अथवा शिकायत प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण किया जाता है। किसी कॉलोनाईजर द्वारा विकास पूर्ण न होने से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। **(ग)** उत्तरांश "ख" अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## सागर नगर का मास्टर प्लान

**32. ( क्र. 1614 ) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर नगर का मास्टर प्लान कब तक प्रभावशील था? **(ख)** नवीन मास्टर प्लान की क्या स्थिति है? कब

तक तैयार होकर लागू हो जायेगा? **(ग)** जब तक नवीन मास्टर प्लान लागू नहीं हो जाता, उस समय तक भवन एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति किन नियमों के तहत की जाती है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सागर विकास योजना विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-3-57-99-32 दिनाँक18.02.2000 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनाँक 03.03.2000 प्रभावशील की गई है। विकास योजना वर्ष 2011 के लिये तैयार की गई थी, जिसके प्रस्ताव वर्तमान में भी प्रभावशील है। **(ख)** सागर विकास योजना (प्रारूप) 2031 का प्रकाशन दिनाँक 28.02.2014 को किया गया। विकास योजना धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जब तक नवीन विकास योजना लागू नहीं हो जाती तब तक विकास अनुज्ञायें विकास योजना 2011 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है।

**<u>सागर नगर में अनियंत्रित मास मछली विक्रय दुकानों के स्थानांतरण</u>**

**33. ( क्र. 1615 ) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन ने मास मछली एवं संबंधित अन्य उत्पादों के विक्रय करने के संबंध में कोई नियम/नीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सागर नगर निगम क्षेत्र में इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? **(ख)** क्या सागर नगरीय क्षेत्र में स्थापित कंपोजिट फिश एवं मीट मार्केट तैयार हो चुका हैं? यदि हाँ, तो सागर नगर की अनियंत्रित फिश एवं मीट विक्रय की दुकानें कब तक उसमें स्थानांतरित कर दी जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। म.प्र. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 255 में पशु, मॉस आदि का विक्रय करने के संबंध में नियम/नीति दी गई है। जिसका पालन निगम क्षेत्र में किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। अपितु ग्राम तिलि क्षेत्र में राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा स्वीकृत योजना अंतर्गत थोक मत्स्य विपणन केन्द्र तैयार किया गया है। जिसमें विद्युत संयोजन का कार्य प्रक्रियाधीन है, कार्य पूर्ण होने पर स्थानांतरित किया जायेगा।

**<u>अनुबंधित अवधि में मार्गों का निर्माण न होना</u>**

**34. ( क्र. 1621 ) श्री मोती कश्यप :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में वि.स.क्षे. बड़वारा के किन मार्गों की किनकी निविदायें कब स्वीकृत की गई हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के अनुबंध किनके द्वारा कब किये गये हैं और किन मार्गों के निर्माण अनुबंध अवधि में अथवा उसके बाद पूर्ण किये गये हैं? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क) (ख)** के किसी मार्ग की निविदायें एक से अनेक बार जारी की गई हैं और किनसे कब अनुबंध किये गये हैं? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** से **(ख)** के कौड़िया हीरापुर से छहरी मार्ग का भूमि पूजन कब और किसके द्वारा किया गया है और आज दिनाँक तक उसके निर्माण की स्थिति क्या है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'' अनुसार** है। **(घ)** कौड़िया हीरापुर से छहरी मार्ग के कि.मी. 1 से 6 डब्ल्यू.बी.एम. नवीनीकरण एवं न्यू बी.टी. कार्य

हेतु भूमि पूजन दिनाँक 14.02.2013 को माननीय विधायक श्री मोती कश्यप विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के द्वारा किया गया था। कार्य पूर्ण हो चुका है।

<u>बड़वारा क्षेत्र में स्टेडियम व खेल मैदान</u>

**35. ( क्र. 1622 ) श्री मोती कश्यप :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या विभागीय किसी आदेश द्वारा वर्ष 2014-15 में किसी योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में एक स्टेडियम निर्माण सुनिश्चित किया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के निर्माण हेतु ग्राम/कस्बा/नगर की कोई न्यूनतम आबादी का मापदण्ड निर्धारित किया गया है? **(ग)** क्या जिला खेल अधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया है कि वि.स.क्षे. बड़वारा के किन ग्रामों/स्थानों के मैदानों में क्रिकेट, हॉकी, व्हालीबॉल, कबड्डी आदि की विभागीय योजनाओं के अंतर्गत अथवा स्वतंत्र रूप से प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ख)** ग्रामों में किसी योजना के अंतर्गत खेल मैदानों के विकास की योजना बनायी गई है? **(ड.)** क्या ग्रामों में बिखरी युवा प्रतिभा के खेल विकास के लिये कोई योजना बनायी गई है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ड.)** से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गाडरवारा तहसील में वृक्षारोपण कराये जाने</u>

**36. ( क्र. 1673 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की कोई योजना हेतु राशि स्वीकृत की गई है? **(ख)** विगत दो वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा किन-किन कार्यों में राशि खर्च की गई? **(ग)** चालू वित्तीय वर्ष में विभाग वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा हेतु कोई कार्य योजना बनाकर वृक्षारोपण का कार्य कराया जाएगा?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ।

<u>परिशिष्ट - "सात"</u>

<u>गाडरवारा नगर की कालोनी लक्ष्मी टाउनशिप में अनियमितता</u>

**37. ( क्र. 1675 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर में लक्ष्मी टाउनशिप के नाम से कॉलोनी का निर्माण किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो कॉलोनी की अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत की जाँच किस अधिकारी द्वारा की गई? उसमें कौन-कौन दोषी पाए गये, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं, अपितु विधानसभा आश्वासन के संदर्भ में शिकायत की जाँच श्री एल.एस. बघेल, अधीक्षण यंत्री एवं श्री राघवेन्द्र सिंह, सहायक यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल द्वारा की गई थी। जाँच प्रतिवेदन उपरांत स्थल का सीमांकन कराकर कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर ने पत्र क्रं. 483, दिनाँक 18.12.14 द्वारा

प्रतिवेदन प्रेषित किया है, जिसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## बिगड़े वन का सुधार हेतु कार्यवाही

**38. ( क्र. 1691 ) श्री रामलाल रौतेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में कुल कितने वन समितियां है? समिति का नाम, पदाधिकारी का विवरण देवें? वन समितियों के माध्यम से अब तक क्या-क्या गतिविधियां संचालित किए जा रहे है? **(ख)** जिले में बिगड़े वन सुधार नवीन वृक्षारोपण हेतु इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उक्त राशि का उपयोग अभी तक कहाँ-कहाँ किया गया है? **(ग)** विश्व पर्यावरण के दिवस पर विभाग ने अनूपपुर जिले में क्या गतिविधियां संचालित किया है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। वन समितियों द्वारा मुख्यतः वनों की सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ समितियों द्वारा स्वयं की अर्जित आय राशि से ग्राम विकास एवं वन विकास के कार्य कराये जा रहे हैं। **(ख)** प्रश्नाधीन जिले में बिगड़े वनों के सुधार हेतु इस वित्तीय वर्ष में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

## समय-सीमा पर सड़क निर्माण न करने पर कार्यवाही

**39. ( क्र. 1692 ) श्री रामलाल रौतेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सड़क निर्माणाधीन है? निर्माणाधीन सड़क की प्रशासकीय स्वीकृत कब प्राप्त हुई थी तथा कितनी लागत की सड़क है? अब तक कितनी राशि खर्च हुई है? कार्य प्रगति न होने का कारण क्या है? वर्णित सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार का नाम, जमा प्रतिभूति राशि कार्य अवधि का उल्लेख करें? **(ख)** क्या समय-सीमा पर सड़क निर्माण न करने पर विभागीय अधिकारी पर जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ-12 में दर्शाये अनुसार** निर्माण कार्य समय-सीमा में नहीं होने के लिये विभागीय अधिकारी तथा ठेकेदार दोनों ही दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट - "आठ"

## मेलघाट टाईगर रिजर्व क्षेत्र में वनपरिक्षेत्र खकनार के प्रभावित वन भूमि एवं ग्राम

**40. ( क्र. 1711 ) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महाराष्ट्र राज्य के मेलघाट टाईगर रिजर्व क्षेत्र में मध्यप्रदेश के वनपरिक्षेत्र खकनार, जिला बुरहानपुर के कौन-कौन से कम्पार्टमेंट की कितने-कितने हेक्टेयर वनभूमि, कितने वनग्राम, कितने राजस्व ग्राम प्रभावित हो रहे हैं? **(ख)** प्रभावित वनभूमि में कितने अतिक्रमणकारी काबिज है?

इनमें कितने पूर्व पट्टेधारी है, कितने अतिक्रमणकारियों के दावों को मान्य किया गया है? कितने विचाराधीन है? **(ग)** प्रभावित भूमि में आज दिनाँक तक विभाग द्वारा कौन-कौन से वानिकी कार्य एवं विकास कार्य कितनी-कितनी लागत से संपादित किये गये है? **(घ)** प्रभावित भूमि में रहने वाले, ग्रामीणजनों के पुनर्वास एवं इनकी पट्टे की जमीनों का मुआवजा हेतु शासन स्तर पर क्या नीति निर्धारण किया गया है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** प्रश्नांकित टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश के प्रश्नांकित क्षेत्र नहीं है। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**विधायक क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत हाल निर्माण को पूर्ण किया जाना**</u>

**41. ( क्र. 1722 ) श्री गिरीश गौतम :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जून-जुलाई 2014 सत्र में दिनाँक 17 जुलाई 2014 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 2842) के जवाब में स्वीकार किया गया था कि वर्ष 2008 के विधायक क्षेत्र विकास निधि से शा. हा. सेकेण्डरी स्कूल मनगवां प्रांगण में एक हाल के निर्माण हेतु राशि दस लाख दी गयी थी? जिस राशि को लोक निर्माण विभाग द्वारा आहरित भी कर ली गयी थी तथा माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उसी राशि में निर्माण कार्य को पूर्ण किया जायेगा? तो क्या उक्त हाल निर्माण किया गया या नहीं? **(ख)** यदि निर्माण नहीं किया गया तो क्यों कारण बताए तथा इसके लिए कौन जिम्मेवार है निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा समय-सीमा बताये?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। **(ख)** कार्य स्थल में 11000 के.व्ही. विद्युत लाईन होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सका, कोई नहीं, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

<u>**खसरा नं. 153-154 में अनियमितता**</u>

**42. ( क्र. 1726 ) श्री अंचल सोनकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिका निगम जबलपुर की सीमा में खसरा नंबर 153-154 में ई.डब्ल्यू.एस. के द्वारा जाँच की गई एवं जाँच उपरांत 36 प्लाटो को निरस्त कर दिया था? यदि हाँ, तो ई.डब्ल्यू.एस. की जाँच में निरस्त किये गये 36 प्लाटों को पुन: अन्य हितग्राही को आवंटित किये गये? ई.डब्ल्यू.एस. के द्वारा जिन आवंटियों के प्लाट निरस्त किये गये थे वर्तमान में वही काबिज है अथवा भूमि रिक्त है? निरस्त 36 प्लाटों के आवंटियों/पट्टाधारी की सूची देवें? **(ख)** क्या ई.डब्ल्यू.एस. जाँच में ख.नं. 153-154 के 36 निरस्त किये गये प्लाटो के नक्शे विभाग द्वारा पास किये गये है? यदि हाँ, तो क्या नगर पालिका निगम ई.डब्ल्यू.एस. की जाँच को नहीं मानती एवं निरस्त प्लाटो के नक्शे स्वीकृत/पास कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत विभाग द्वारा नक्शे स्वीकृत किये गये स्वीकृत नक्शों की सूची स्वीकृत/पास करने वाले अधिकारियों के नाम सहित उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या ख.नं. 153-154 में एक ही परिवार के 08 सदस्यों को प्लाटो का आवंटन नियम विरूद्ध कर दिया है? क्या ऐसे नियम है कि एक ही परिवारों को एक से अधिक प्लाटों का आवंटन किया जा सकता है? नियम बतावें अथवा नियमों को दर किनार कर एक ही परिवार को उपकृत किया गया है? यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा

एवं ख.नं.153-154 में की किये गये नियम विरूद्ध कार्य की जाँच उच्च स्तरीय समिति से करावेगा तो कब तक?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं, खसरा नं; 153-54 में ई.डब्ल्यू.एस. के द्वारा नहीं बल्कि ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा जाँच की जा रही है। ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा किसी भी प्लाट को निरस्त नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में नक्शों की स्वीकृति मध्यप्रदेश के नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 294 एवं भूमि विकास नियम 2012 के अधीन दी गई। **(ग)** जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही परिवार के कितने सदस्यों को प्लाट आवंटन किया जाए। प्रकरण में ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा जाँच प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## नगर निगम जबलपुर द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन

**43. ( क्र. 1727 ) श्री अंचल सोनकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जाता है? यदि हाँ, तो वर्तमान जबलपुर क्षेत्र में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के क्या मापदण्ड हैं एक वार्ड में कितने स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जा सकता है? **(ख)** प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पूर्व जबलपुर में नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा कितने स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किन-किन वार्डों में किया जा रहा है? वार्डवार स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ डॉक्टर, कम्पाउंडर एवं कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या यह सही है कि शासन द्वारा गंदी बस्तियों के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अनिवार्य करने के आदेश प्रसारित किये गये है? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी गंदी बस्तियां है एवं उन बस्तियों में कितने स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जा रहा है? क्या पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन हो रहा है? आम गरीब जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है? **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण गंदी बस्तियों में बीमारियों की रोकथाम नहीं हो पा रही है? गरीब जनता को अधिक दूरी तय कर अपने इलाज को जाना पड़ता है? क्या नगर निगम जलबपुर द्वारा क्षेत्र की जनसंख्या एंव गंदी बस्तियों की गणना कर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही शासन स्तर पर की है तो कब यदि नहीं, तो क्या नगर निगम क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत नहीं है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। वर्तमान में कुल 4 स्वास्थ्य केन्द्र नगर निगम जबलपुर द्वारा संचालित है। 1980 के पहले आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर औषधालय खोले गये थे। 4-5 वार्डों को मिलकर एक औषधालय खोला गया था। **(ख)** पूर्व विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा 1 होम्योपैथिक औषधालय का संचालन द्वारका नगर वार्ड काँचघर में किया जा रहा है। **जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी नहीं। स्वास्थ्य समस्या संबंधी कार्यवाही जिला अस्पताल के द्वारा की जाती है।

**परिशिष्ट – ''नौ''**

## काक्स डिस्लरी द्वारा शराब उत्पादन

**44. ( क्र. 1742 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला छतरपुर स्थित मुन्नालाल एण्ड संस को काक्स डिस्लरी नौगांव के माध्यम से शराब का उत्पादन करने की अनुमति एवं लीज कब एवं किन शर्तों के तहत प्रदाय की गई? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार उक्त फर्म के उस समय कितने साझेदार/शेयर होल्डर थे? इनकी कितनी प्रतिशत साझेदारी थी? नाम एवं प्रतिशत बताएं? **(ग)** वर्तमान में शराब उत्पादन करखाना काक्स डिस्लरी नौगांव का संचालन एवं लीज का उपयोग किस फर्म के द्वारा किया जा रहा है? इस फर्म में कितने साझेदार हैं? उनकी कितने प्रतिशत साझेदारी हैं?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** मुन्नालाल एण्ड सन्स कॉक्स डिस्टलरी नौगांव को स्थाई लीज दिनाँक 07.04.1956 को तत्कालीन विन्ध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर में 99वें वर्षों के लिए निहित शर्तों के तहत दी थी। कॉक्स डिस्टलरी, नौगांव को जिला उद्योग कार्यालय छतरपुर के पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक 14/003/ (1) /69/3536-38, दिनाँक 26.12.1969 द्वारा शराब उत्पादन हेतु पंजीकृत किया गया था। उक्त अभिलेखों के प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-एक के अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'ख' के संबंध में चाही गई जानकारी अत्यधिक पुरानी होने के कारण कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। **(ग)** मान. उच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा कंपनी याचिका क्रमांक 108/2014 में पारित आदेश दिनाँक 12.05.2015 के अनुपालन में कॉक्स इंडिया लिमिटेड एवं जैगपिन बेवरीज लिमिटेड के बीच स्कीम ऑफ अमलगेशन संपन्न होने से कॉक्स इंडिया लिमिटेड दिनाँक 14.08.2014 को विघटित घोषित कर जैगपिन बेबरीज लिमिटेड में विलय कर दिया गया है। वर्तमान में लीज का उपयोग मेसर्स जैगपिन बेवरीज लिमिटेड नौगांव जिला छतरपुर द्वारा किया जा रहा है, इस कंपनी के संचालकों एवं शेयर होल्डर्स की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 पर** है।

## नरसिंहगढ क्षेत्र के अभ्यारण में चल रहे निर्माण कार्य

**45. ( क्र. 1769 ) श्री गिरीश भंडारी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अभ्यारण में कौन-कौन से निर्माण कार्य कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि के चल रहे हैं? वहां- कौन-कौन सी एजेंसी कार्य कर रही हैं? नाम सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्न का कंडिका **(क)** की उपलब्ध जानकारी अनुसार जो निर्माण कार्य चल रहे हैं? उनकी निविदा निकाली गई थी क्या? अगर निविदा निकाली नहीं गई तो क्यों नहीं निकाली गई? क्या उक्त प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन किया गया है? हां या नहीं? **(ग)** प्रश्न कंडिका **(ख)** की उपलब्ध जानकारी अनुसार अगर शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया है तो संबंधित के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(ग)** प्रश्नांकित अभ्यारण्य में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहे हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## लो.नि.वि. जबलपुर के द्वारा पनागर विधान सभा के अंतर्गत सड़क निर्माण

**46. ( क्र. 1778 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में पनागर विधानसभा में कौन-कौन सी सड़क/पुल/पुलिया के निर्माण कार्य स्वीकृत हुये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की अद्यतन स्थिति क्या है?

**(ग)** क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर में ऐसी सड़कें है जहाँ बारिश के समय लगभग 6 माह तक आसपास के गांवों का सड़क सम्पर्क टूट जाता है? क्या ऐसी अतिआवश्यक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से कराने के लिए क्या मापदण्ड है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

## <u>अवैध दुकान निर्माण पर कार्यवाही</u>

**47. ( क्र. 1806 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या 98 (क्र. 2807) दिनाँक 3 मार्च 2015 में अवैध दुकानों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में उत्तर में आयुक्त नगरपालिका निगम सागर से आदेश पालन न करने के कारण एवं जाँच उपरांत दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध 15 दिवस में जानकारी चाहे जाने बावत् तथा कार्यवाही करने बावत् जानकारी दी गयी थी? तो बतावें कि प्रकरण में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अब तक कब-कब और क्या कार्यवाही की गयी है? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों? कारण बतावें? **(ख)** क्या प्रश्न के उत्तर के साथ **संलग्न प्रपत्र-ब** में उल्लेखित 16 दुकानों के निर्माण के अतिरिक्त, सागर से प्रकाशित एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार उसी जगह पर और कितनी दुकानों का निर्माण अवैध तरीके से निगम के अधिकारियों के संरक्षण के चलते करा दिया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो वर्तमान निगम आयुक्त नगर पालिक निगम सागर द्वारा इस प्रकरण में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही एवं इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की? कारण बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शोकाज नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण लिये गये तथा एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गई तथा एक कर्मचारी को बाजार विभाग से हटाकर अन्य विभाग में स्थानांतरण की कार्यवाही की गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्न में उल्लेखित 16 दुकानों के निर्माण के अतिरिक्त कोई और दुकान का निर्माण उस स्थान पर नहीं हुआ है। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त निर्माण कार्य न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## <u>उसैथघाट पुल व अम्बाह से पुल तक सड़क निर्माण</u>

**48. ( क्र. 1817 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अम्बाह विधानसभान्तर्गत उसैथघाट पुल व अम्बाह से पुल तक सड़क निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था तथा शर्त के मुताबित कब तक कार्य पूर्ण होना था? उक्त कार्य में अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत पुल व सड़क का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? **(ग)** क्या वर्तमान में प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत का कार्य बंद पड़ा है यदि हाँ, तो कब से बंद है? बंद होने का कारण क्या है? कार्य बंद होने में दोषी कौन है? ठेकेदार या अधिकारी? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा उक्त कार्य कब से पुनः प्रारंभ होकर निर्मित करा दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** उसैद घाट पुल का निर्माण कार्य हेतु घड़ियाल क्षेत्र में सम्पादन की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साधिकार समिति से अपेक्षित है, एवं सड़क निर्माण का कार्य दिनाँक 29.12.2012 को प्रारंभ हुआ था सड़क निर्माण कार्य दिनाँक 28.12.2014 तक पूर्ण होना था। सड़क निर्माण कार्य बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजनांतर्गत है अत: शासन द्वारा निर्माण कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। **(ख)** पुल निर्माण कार्य उत्तरांश 'क' अनुसार। मार्ग का 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। **(ग)** जी हाँ। विगत 6 माह से। निवेशकर्ता की अपनी आंतरिक समस्याओं एवं अव्यवस्थाओं के कारण। दोषी निवेशकर्ता है। दोषी निवेशकर्ता के निर्माण कार्य का ठेका दिनाँक 09.04.15 को निरस्त किया जाकर पुन: दिनाँक 22.04.2015 को लगा दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष बचे कार्य नवीन एजेन्सी नियुक्त होने पर प्रारंभ किए जा सकेगें। अभी समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## अम्बाह, पोरसा की नगर पालिकाओं द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा

**49. ( क्र. 1818 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अम्बाह विधानसभा अन्तर्गत अम्बाह एवं पोरसा की नगर पालिकाओं को किस-किस मद में, कहाँ-कहाँ से (शासन से तथा स्थानीय आय) से कितनी आय हुई 01.04.2014 से 31.03.2015 की स्थिति में मदवाइज, वर्षवाइज, आमदनी की जानकारी दी जावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत आय में से किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया? 01.04.14 से 31.03.15 तक की जानकारी मदवाईज/वर्षवार दी जावें? **(ग)** अम्बाह एवं पोरसा की नगर पालिकाओं द्वारा 01.04.14 से 31.03.15 तक कराये गये समस्त कार्यों के टेन्डरों, वर्क आर्डरो, एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी उपलब्ध कराई जावें? **(घ)** क्या अम्बाह नगर पालिका द्वारा अनेको स्थानों पर मिट्टी भराव का केवल व्यय डाला गया है एवं जहाँ-जहाँ मिट्टी भराव के लाखों रूपयों के बिल डाले गये है वहां मिट्टी भराव की आवश्यकता ही नहीं थी, यदि हाँ, तो इसके लिये दोषी कौन है, क्या शासन अपने स्तर से जाँच समिति गठित करेगा, यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" पर** है। **(घ)** जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिषद स्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" पर** है।

## खेतिया बोकराटा-पाटी एवं पलसूद-मटली मार्ग का निर्माण

**50. ( क्र. 1830 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले के तहत खेतिया-बोकराटा-पाटी एवं पलसूद मटली मार्ग के निर्माण की क्या स्थिति है? क्या उक्त दोनों मार्गों की DPR तैयार होकर शासन स्तर पर लंबित है? यदि लंबित है, तो क्या कारण है? **(ख)** क्या उक्त दोनों मार्ग बड़वानी जिले के लिए अति आवश्यक है? यदि हाँ, तो फिर इनके निर्माण में लापरवाही किस स्तर पर हो रही है? **(ग)** क्या उक्त मार्गों के निर्माण हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब? उक्त मार्गों को कब तक स्वीकृत कर निर्माण प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** खेतिया-बोकराटा-पाटी मार्ग के अंतर्गत बोकराटा-पाटी बावन गजा मार्ग का निर्माण एन्युटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में पूर्ण हो चुका है। खेतिया से बोकराटा मार्ग की लंबाई लगभग 31 कि.मी. की डी.पी.आर. तैयार कर ली गई तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, एवं मसलूद-मटली मार्ग बजट में शामिल नहीं है। जी नहीं, शेष प्रश्न का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। चूंकि दोनों मार्ग बजट में शामिल नहीं है इसलिए लापरवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। माननीय क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रश्न क्रमांक 1241 बैठक दिनाँक 03.07.2014 के माध्यम से उक्त मार्ग की निर्माण की मांग की गई थी। क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा दिनाँक 14.01.14, 22.07.2014 एवं दिनाँक 24.04.2015 द्वारा उक्त मार्गों के निर्माण के संबंध में पत्र लिखा गया है। चूंकि दोनों मार्ग बजट में शामिल नहीं है। अतः स्वीकृति तथा निर्माण प्रारंभ करने की तिथि बताना संभव नहीं है।

## खेतिया नगर के बाय पास मार्ग का निर्माण

**51. ( क्र. 1831 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सेंधवा खेतिया राजमार्ग के निर्माण में शहरों में किस प्रकार के मार्ग की योजना शासन के पास है? क्या खेतिया शहर में से होकर राजमार्ग का निर्माण होगा? यदि हाँ, तो चौड़ाई क्या होगी? **(ख)** क्या यह नगर अत्यंत पुराना होकर मुख्य सड़क के दोनों ओर स्थाई पदाधिकारियों के मकान हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त शहर से बाहर-बाहर कोई मार्ग का निर्माण करेगा, जिससे भारी वाहन की आसानी से आवाजाही कर सके? **(ग)** शहर के मध्य से सड़क निर्माण होने पर शासन को कितना मुआवजा वितरण करना पड़ेगा एवं शहर के बाहर से सड़क निकाली जाती है, तो कितना मुआवजा देना पड़ेगा? अलग-अलग जानकारी प्रदाय करें? क्या जनहित में शासन उक्त शहर से बाय पास स्वीकृत करेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** सेंधवा-खेतिया राज्यमार्ग क्र. 36 के निर्माण में शहर से डामरीकरण का मार्ग तैयार किया जावेगा। जी हाँ, खेतिया शहर से यह राजमार्ग का निर्माण होगा, जिसकी चौड़ाई 10 मी. रहेगी। **(ख)** सेंधवा-खेतिया राज्यमार्ग क्र. 36 में वर्तमान में कोई बायपास का प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है। **(ग)** कोई मुआवजा वितरण नहीं किया जाना है। उक्त मार्ग शहर से ही निकाला जा रहा है। उक्त मार्ग का निर्माण आर.ओ.डब्ल्यू. में ही किया जावेगा, जिससे कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया जावेगा। वर्तमान में कोई बायपास प्रस्तावित नहीं है।

## इंदरगढ कामद मार्ग की मरम्मत

**52. ( क्र. 1841 ) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदरगढ़ कामद मार्ग में इंदरगढ़ से ऊंचिया तिराहे तक लगभग 10 कि.मी. मार्ग क्या चलने योग्य है, यदि नहीं, तो इसके लिये विभाग द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है, जबकि इस मार्ग पर 10 से ज्यादा गांव आते हैं? **(ख)** कई बार टेण्डर होने के बाद भी क्या कारण है कि उक्त मार्ग के दुरूस्तीकरण का कार्य नहीं किया जा सका कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें? **(ग)** क्या इस मार्ग को PWD से परिवर्तित कर MPRDC में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे इस मार्ग का सरलतापूर्वक निर्माण किया जा सके? **(घ)** उक्त मार्ग को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, समय-सीमा बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। विभाग द्वारा पूर्व के ठेकेदार की रिस्क एण्ड कास्ट पर छोड़े गये कार्य की निविदा 9 बार आमंत्रित की गई, 10वीं बार निविदा आमंत्रण दिनाँक 12.08.2015 को खोली जावेगी। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** निविदा प्रक्रियाधीन, वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>झाबुआ जिले में परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में</u>

**53. ( क्र. 1853 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के माध्यम से झाबुआ जिला अंतर्गत वर्ष 2012 से 2015 तक कितने भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है या निर्माण किये जा रहे है? उनकी स्वीकृति दिनाँक, स्थान और उसकी कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है? **(ख)** क्या उक्त निर्माण कार्य समय-सीमा में प्रारंभ किये जाकर समय-सीमा में पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने कार्य है? जो वर्तमान में लंबित है और उनके लंबित रहने का क्या कारण है? **(ग)** समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने वाले संबंधित ठेकेदार/अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई झाबुआ में वर्ष 2012 से 2015 जून की अवधि में मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के कुल 38 कार्य स्वीकृत हुये है, इनमें से 17 कार्य पूर्ण, 20 कार्य प्रगतिरत एवं 01 कार्य अप्रारंभ है। कार्यों की स्वीकृति दिनाँक, स्थान एवं कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने वाले संबंधित ठेकेदार/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, शेष उत्तरांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>वनों की कटाई</u>

**54. ( क्र. 1859 ) श्री नथनशाह कवरेती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत वन परिपेक्ष तामिया में वन विभाग द्वारा कितने पेड़ काटे गये हैं क्या इसकी विधिवत वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विभाग एवं संबंधित विभागों से अनुमति ली गई है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? **(ख)** क्या यह भी सही है कि पीर, हमूआ, जामई, देलाखारी, झिरपा के वन परिक्षेत्र में भी अवैध रूप से कटाई की जा रही है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में विगत दो वर्ष में 500 पेड़ ठेकेदार द्वारा काटे गये है और अनुमति सिर्फ 60 पेड़ों की ली गई है? यदि हाँ, तो इसकी कमेटी बनाकर जाँच करायी जायेगी और संबंधित डी.एफ.ओ. एवं ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से काटे गये पेड़ों की जिम्मेदारी नियुक्त कर इनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** दमुआ, जामई, देलाखारी एवं झिरपा वन परिक्षेत्रों में निस्तार अवैध कटाई के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें नियमानुसार कार्यवाही की गई है। **"पीर नाम का कोई वन परिक्षेत्र नहीं है" (ग)** बैतूल-सारणी-टेकाढ़ाना-जामई राजमार्ग क्रमांक-43 के निर्माण हेतु कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/02/अ-62/2013-14 दिनाँक 23.08.2014 द्वारा राजस्व एवं निजी भूमियों

पर खड़े कुल 667 वृक्षों को काटने की अनुमति परियोजना संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम को दी गई है। इनमें से अभी तक 478 वृक्षों का पातन कर काष्ठ वन विभाग के शासकीय डिपो में परिवहन कराया गया है कोई वृक्ष बिना अनुमति के नहीं काटे गये हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "ग्यारह"

## जर-जर मार्ग पर पथकर वसूली करने के संबंध में

**55. ( क्र. 1888 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या होशंगाबाद-नरसिंहपुर एस.एच. 22 के नगर पिपरिया से किमी क्र. 187 से घटते क्रम में किमी की मार्ग बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण किया गया हैं तथा इस मार्ग के कॉन्ट्रेक्टर एम.एस. के इंटरप्राईसेस हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित रोड के किमी. 187 से घटते क्रम में नरसिंहपुर तरफ की रोड जीर्ण क्षीर्ण हो गई हैं जिसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा नहीं की जा रही हैं तथा वाहनों से पथकर वसूल किया जा रहा है? **(ग)** क्या टोल प्लाजा से 20 किमी. तक के ग्रामों से आने वाले वाहनों को पथकर से मुक्त रखा गया है? इस संबंध में कॉन्ट्रेक्टर द्वारा शासन से अनुबंध भी किया है, यदि हाँ, तो? **(घ)** निर्माण ऐजेंसी द्वारा शर्तो के अधीन प्रश्नांश **(क)** में वर्णित मार्ग की मरम्मत अनिवार्य रूप से की जाना चाहिये, जीर्णक्षीर्ण मार्ग होने के बाद भी पथकर वसूले जाने का क्या औचित्य है? बतायें तथा जीर्णक्षीर्ण मार्ग पर पथकर वसूलने के लिये कौन उत्तरदायी हैं? क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा बतायें? प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित छूट होने के बाद भी कॉन्ट्रेक्टर द्वारा ऐसे वाहनों से अवैध रूप से जो वसूली की गई हैं क्या शासन उन्हें वापस करायेगा नहीं तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी नहीं। इस मार्ग के कन्सेशनायर मेसर्स ताप्ती प्री-स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट लि. पुणे है। **(ख)** जी नहीं। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार पथकर लिया जा रहा है, एवं आंशिक रूप से मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। **(ग)** जी नहीं। जी नहीं। कन्सेशन अनुबंध में इस तरह की कोई शर्त नहीं है। **(घ)** जी नहीं। पथकर अनुबंध के अनुसार लिया जा रहा है। कन्सेशनायर द्वारा मार्ग की मरम्मत एवं समुचित रख रखाव न किये जाने के फलस्वरूप कन्सेशनायर का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुबंध की शर्तो के अनुसार रू. 3.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## मार्गों की स्वीकृति के संबंध में

**56. ( क्र. 1889 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा, वि.स.क्षे. पिपरिया वि.स.क्षे. होशंगाबाद, वि.स.क्षे. सोहागपुर में कितने कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये? विधान सभा वार, कार्यवार लागत मूल्य के साथ जानकारी देवें? **(ख)** क्या यह सही है कि मान. मंत्री जी एवं प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. संभाग क्रमांक 01 होशंगाबाद अनुविभागीय अधिकारी (स/भ) पिपरिया को पत्र क्र. 23 दि. 07.01.14, पत्र क्र. 157 दि. 10.02.14 पत्र क्र. आर/88 दि. 20.10.14, पत्र क्र. 307/आर दि. 30.08.14, पत्र क्र. 309/आर दि. 30.03.14 द्वारा विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में ईशरपुर से गोंदलवाड़ा मार्ग 04 किमी., वनबारी से तरौनकलॉ, उमरिया, डोकरीखेड़ा, मार्ग, पिपरिया

लिंक रोड की पुलिया एवं मार्ग चौड़ीकरण, बनखेड़ी लिंक रोड चौड़ीकरण, उमरिया से भाट पिपरिया मार्ग, पिपरिया बनखेड़ी मार्ग से खिड़िया, पौसेरा, गुरारी, तथा धनाश्री, पचुआ, ढाड़िया, बुधनी मार्ग, पीपरपानी, खरसली, जुन्हेटा, नगवाड़ा, फतेहपुर, झिरपा मार्ग, बनखेड़ी उमरधा रोड से पौसेरा मार्ग, विश्राम गृह पिपरिया में उन्नयन कार्य, कामती से मुर्गीढ़ाना मार्ग स्वीकृत हेतु पत्र लिखे गये थे? यदि हाँ, तो इन मार्गों में से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये बताये? **(ग)** क्या यह सही हैं कि पिपरिया होशंगाबाद मुख्य मार्ग से कुम्हाबड मार्ग के संरक्षण में आंशिक परिवर्तन हेतु शासन के पत्र क्र. एफ-43/01/2013/19/यो/2117 दिनाँक 01.04.2013 में संरक्षण हेतु आंशिक परिवर्तन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मंत्री महोदय को पत्र क्र. 568/आर दिनाँक 19.12.14 जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख अभियंता लोनिवि एवं कार्यपालन यंत्री होशंगाबाद को प्रेषित की गई पर क्या कार्यवाही हुई बताये?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, अ-1 एवं अ-2 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। वर्तमान में कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। **(ग)** जी हाँ, प्रस्ताव विचाराधीन है।

<u>सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वैध एवं अवैध कॉलोनियां</u>

**57. ( क्र. 1909 ) श्री वेलसिंह भूरिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में कुल कितनी कॉलोनियाँ है? इनमें से कितनी कॉलोनियाँ वैध एवं कितनी कॉलोनियाँ अवैध है? ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितनी कॉलोनियाँ वैध एवं कितनी अवैध है? इन अवैध कॉलोनियों के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? **(ग)** जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की समय-सीमा बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** सरदारपुर क्षेत्र में 09 कॉलोनी वैध एवं 12 कॉलोनी अवैध है, कॉलोनाईजर/भूमिस्वामियों को सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहे गए है, वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। कार्यवाही प्रचलित होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "बारह"</u>

<u>धार जिले के नगर पंचायत राजगढ़ में बस स्टेण्ड एवं सी.सी. रोड का निर्माण</u>

**58. ( क्र. 1912 ) श्री वेलसिंह भूरिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले के नगर पंचायत राजगढ़ बस स्टेण्ड में सी.सी. रोड का निर्माण कब किया गया? इसकी लागत एवं कार्य एजेंसी का नाम देवें? **(ख)** क्या उक्त कार्य की गुणवत्ता स्तरहीन होने के कारण जिलाधीश ने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए थे? **(ग)** यदि हाँ, तो कार्य एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** वर्ष 2013 में प्रश्नाधीन कार्य किया गया। कार्य स्वीकार नहीं करने के कारण इसकी लागत बताया जाना संभव नहीं है। कार्य श्री कनकमल समीरमल जैन ठेकेदार द्वारा किया गया। **(ख)** जी नहीं। कलेक्टर धार ने जनशिकायत विभाग से प्राप्त

शिकायत के कारण जाँच के निर्देश दिये थे। **(ग)** तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीसंतराम चौहान को कलेक्टर ने आदेश क्रमांक/1159/इूडा/2013 धार दिनाँक 15-11-2013 द्वारा निलंबित किया। जाँच उपरांत तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री संतराम चौहान के विरूद्ध संभागीय आयुक्त, इंदौर के पत्र क्रं./414/2/स्थापना/इंदौर दिनाँक 18-03-2014 द्वारा दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई। निर्माण कार्य को अमान्य करते हुए मूल्यांकन एवं भुगतान नहीं करने के निर्देश आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर ने दिए तद्नुसार कार्य का न तो मूल्यांकन किया गया न ही भुगतान किया गया।

## उद्योग हेतु आवंटित लीज भूमि का उपयोग

**59. ( क्र. 1918 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** धार जिला मुख्यालय पर उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक उद्योगों हेतु कुल कितनी भूमि, कितने उद्योगपतियों को आवंटित की है? कृपया भूमि का रकबा एवं उद्योग की संख्या बतावें? **(ख)** उपरोक्त भूमि कितने-कितने वर्षों की लीज पर दी गई है तथा क्या सभी से लीज रेट प्राप्त हो रहा है या बाकी है? **(ग)** क्या प्रश्न दिनाँक तक और भी भूमि के लिये आवेदन प्राप्त हुए है? उनकी संख्या तथा उनका क्या निराकरण किया जा रहा है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अन्तर्गत क्या भूमि में से कुछ भूखण्ड अभी भी खाली पड़े है, जिन पर कोई उद्योग नहीं डाला गया है तथा क्या कुछ प्लांट पर रहवासी मकान बनाकर या शेड डालकर उक्त भूखण्ड पर निर्मित संरचना को किराये पर दिया गया है, इस बाबत शिकायत भी की गई है? उस पर से इनके विरूद्ध विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक किसी भी इकाई को भूमि आवंटित नहीं की गयी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कोई भी आवेदन पत्र लंबित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान सभी इकाईयों का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण दौरान यदि इकाईयों द्वारा लीजडीड का उल्लघंन पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

## कूनो पालपुर विस्थापित द्वारा मुआवजा प्राप्त किए जाने हेतु दिए गए आवेदन

**60. ( क्र. 1962 ) श्री रामनिवास रावत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले के कूनो पालपुर अभ्यारण्य से विस्थापितों लोगों द्वारा वर्ष 2003 के बाद से मुआवजे की मांग को लेकर शासन व वन विभाग के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालयों में कहाँ-कहाँ के व्यक्तियों द्वारा कितनी याचिकायें लगाई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की याचिकाओं में मान. उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में किस-किस गांव के कितने-कितने लोगों द्वारा मुआवजा दिलाये जाने हेतु किस-किस के समक्ष आवेदन किए गए व कितने लोगों को नोटिस दिए? कृपया विवरण दें। **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के संदर्भ में मुआवजा निर्धारण व अर्जी निपटाने के लिए समितियों का गठन किया गया? यदि हाँ, तो समिति में कौन-कौन लोग थे व समिति की मीटिंग कब-कब बुलाई गई व समिति द्वारा क्या-क्या निराकरण किया? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** की समिति द्वारा आवेदकों को बिना मेडिकल आफिसर के परीक्षण व बिना किसी आधार के प्रभावित व्यक्तियों की उम्र कम बताकर मुआवजा प्राप्त करने से सभी को अपात्र घोषित कर दिया? यदि हाँ, तो इन तथ्यों की किसी वरिष्ठ

राजस्व, वन, मेडिकल आफिसर की टीम गठित कर परीक्षण करवाकर निराकरण कराने के आदेश देंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ख)** पाँच याचिकायें दायर की गईं। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मुआवजा हेतु आवेदन कलेक्टर, श्योपुर को प्रस्तुत किये गये। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा परिशिष्ट में उल्लेखितों को नोटिस जारी किये गये हैं। **(ग)** एवं **(घ)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के संदर्भ में किसी समिति का गठन नहीं हुआ है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेरह"

## लोक निर्माण विभाग संभाग श्योपुर में निर्माण कार्यों की जाँच

**61. ( क्र. 1963 ) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 174 दिनाँक 17 जुलाई 2014 के प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के उत्तरानुसार जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा शेष कार्यों की जाँच पूर्ण कर ली गई है? **(ख)** क्या जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा 1. सैमई-विजयपुर मार्ग का कार्य (अनुबंध क्रं. 41/13-14) 2. विजयपुर मोहाना मार्ग का कार्य (अनुबंध क्रं. 42/13-14) 3. टेंटरा विजयपुर मार्ग का कार्य (अनुबंध क्रं.10/13-14) एवं कराहर-सरारी-बरगंवा मार्ग के कि.मी. 1 से 3, किमी 10 से 15 एवं कि.मी. 26/6 डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य (अनुबंध क्रमांक 142/2012-13) की जाँच में तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त निलंबन अधिकारी कहाँ-कहाँ किस-किस पद पर पदस्थ हैं? बतावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित कार्यों का भुगतान तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के अनुमोदन उपरांत किया गया है?यदि हाँ, तो क्या कार्यपालन यंत्री भी इन अनियमितताओं के लिए दोषी हैं? यदि हाँ, तो तत्समय पदस्थ कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या शासन बिना कार्य कराए माप पुस्तिका पर दर्ज किए कार्यों, प्राक्कलन अनुसार कार्य न होने एवं अन्य अनियमितताओं के बावजूद भुगतान करने वाले तत्कालीन कार्यपालन यंत्रियों को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में उक्त कार्यपालन कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** **(ख)** एवं **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में क्या जाँच प्रतिवेदन अनुसार बिना कार्य कराए माप पुस्तिका पर दर्ज कर भुगतान, प्राक्कलन अनुसार कार्य न किया जाना पाया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों में कितना-कितना अधिक भुगतान व किन-किन कार्यों में क्या-क्या कार्य प्राक्कलन अनुसार न होना पाया गया है? क्या नियम विरूद्ध अधिक भुगतान करने वाले अधिकारियों व अधिक भुगतान पाने वाले ठेकेदार से राशि वसूली की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## पुल निर्माण के संबंध में

**62. ( क्र. 1977 ) कुँवर हजारीलाल दांगी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सेमली से रामगढ़ रोड व्हाया भुबुन्दपुरा बटेड़िया का निर्माण कब कराया गया था, व उक्त मार्ग पर बटेड़िया के पास छापी नदी पर पुल का निर्माण होना था? **(ख)** क्या उक्त पुल का सर्वे

विभाग द्वारा पुल निगम के माध्यम से कराया गया है, इसके बाद भी अभी तक विभाग द्वारा पुल निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई है, क्या माननीय मंत्री महोदय उक्त पुलिया की स्वीकृति जारी कराकर कार्य प्रारम्भ कब तक करावेंगे?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** दिनाँक 10.03.2008 को पूर्ण किया गया। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ, वर्तमान में न तो स्वीकृत है और न ही प्रस्तावित है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

## जावरा शुगर मिल, जावरा के औद्योगिक एवं रोजगार प्रयोजन के संबंध में

**63. ( क्र. 1997 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या जावरा शुगर मिल जावरा विगत कई वर्षों से बंद होकर मिल, मिल परिसर में बड़े-बड़े कार्यालय भवन अधिकारी-कर्मचारी आवास एंव सैकड़ों बीघा भूमि रिक्त पड़ी होकर वीरान स्थिति में है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या शुगर मिल से लगे रेल्वे स्टेशन तक रेल्वे लाईन भी बिछी हुई है? साथ ही सहकारिता विभाग ने समिति का परिसमापना करते हुए मिल उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शुगर मिल, मिल परिसर में स्थित बड़े-बड़े कार्यालय भवन, अधिकारी-कर्मचारी आवास एंव रिक्त संलग्न परिसर की भूमि का हस्तांतरण पश्चात कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्यों न हस्तांतरण पश्चात उक्त स्थान के जनहित एवं विकासोन्मुख कार्यों हेतु फूड पार्क की स्थापना एवं जिला रोजगार कार्यालय रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि कार्यों को दिये जाने हेतु कार्य योजना बनाई जाकर उपयोग किया जाए?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## फोरलेन स्थित रतलामी नाका से अरनिया पीथा मण्डी तक सौंदर्यीकरण के संबंध में

**64. ( क्र. 1998 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बरगढ़ से नयागांव फोरलेन स्थित रतलामी नाका से लेकर अरनिया पीथा मण्डी तक व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं आवासीय क्षेत्र होकर आसपास के एवं नगर के हजारों लोगों का आवागमन लगातार बना रहता है? यदि हाँ, तो **(ख)** क्या उक्त उल्लेखित स्थान अत्यंत जनउपयोगी होकर संपूर्ण क्षेत्र का एकमात्र जीवंत एवं प्रमुख स्थान है? यदि हाँ, तो **(ग)** क्या उपरोक्त स्थान के उन्नयन, सौंदर्यीकरण, सुरक्षात्मक उपाय, नयनाभिराम प्रकाश व्यवस्था तथा पर्यावरण संबंधी कार्य किये जाने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हाँ, तो **(घ)** क्या शासन/विभाग द्वारा उक्त स्थान स्थित रतलामी नाका से लेकर अरनिया पीथा मण्डी तक के उपरोक्त कार्य किये जाने हेतु नगरपालिका परिषद जावरा से कार्ययोजना प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## राधावल्लभ एवं सीतावल्लभ मार्केट में हो रही अनिमियतता

**65. ( क्र. 2016 ) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिला मुख्यालय में निर्मित/निर्माणाधीन राधावल्लभ मार्केट, मनीष मार्केट एवं सीतावल्लभ मार्केट को शासन से किन शर्तों पर निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई है? क्या इन शर्तों का

पालन किया जा रहा है? **(ख)** उक्त निर्माणों के विरूद्ध कोई जाँच प्रक्रियाधीन है? उक्त निर्माणों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? इन शिकायतों की स्थिति क्या है? निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध कितनी पेनाल्टी लगाई गई है? कितनी पेनाल्टी वसूल गई है? कितनी पेनाल्टी बाकी है? **(ग)** उक्त निर्माणों के निरीक्षण की जानकारी देवे तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा क्या अनियमितताएं दर्ज कराई गई? **(घ)** उक्त निर्माणों की वर्तमान स्थिति क्या है? इन निर्माणों में कितना अवैध निर्माण हुआ है? क्या अवैध निर्माण तोड़ा गया है? कब तक तोड़ा जावेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** शासन से प्रश्नाधीन मार्केट के निर्माण हेतु अनुमति दिेये जाने का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (नगर पालिका परिषद खरगौन द्वारा निर्माण कर्ताओं से राशि रू. 40.06 लाख की पेनाल्टी लगाई जाकर वसूल की गई है। कोई पेनाल्टी राशि शेष नहीं है। ) **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** राधावल्लभ मार्केट एवं सीतावल्लभ मार्केट का कार्य प्रगतिरत है। मनीष मार्केट का कार्य बंद है। मनीष मार्केट का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "चौदह"</u>

## <u>उज्जैन-आगर रोड SH 27 के संबंध में</u>

**66. ( क्र. 2032 ) श्री सतीश मालवीय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा उज्जैन से आगर रोड SH 27 निर्माण का ठेका किस कम्पनी द्वारा किन-किन शर्तो के अंतर्गत दिया गया है? उक्त सड़क का टोल प्लाजा का ठेका कितने वर्षों हेतु अनुबंधित किया गया है? **(ख)** क्या यह सही है कि उज्जैन - आगर रोड पर प्रतिदिन रोड रिपेयर न होने, सड़क के किनारों की पटरी भराई एवं पेंच वर्क न करने से दुर्घटनाऐं हो रही है? निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा समय-समय पर सड़क का रिपेयर नहीं करने के बाद भी किस आधार पर टोल वसूली की जा रही है? **(ग)** क्या शासन उक्त ऐजेन्सी पर अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण टोल प्लाजा बंद करेगा या टोल कम्पनी से राशि वसूल कर रोड कार्य पूर्ण करावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा उज्जैन-आगर-झालाबाड़ रोड राजमार्ग-27 निर्माण का ठेका निवेकशर्ता कम्पनी मेसर्स अग्रोह इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा. लि. महू को बॉण्ड-बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत दिया है। शर्तो के संबंध में कन्सेशन अनुबंध की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। टोल प्लाजा का ठेका 15 वर्ष अनुबंधित है जिसमें 2 वर्ष मार्ग निर्माण अवधि सम्मिलित है। **(ख)** जी नहीं। निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा सड़क का रख-रखाव किया जाता है। यह सही नहीं है कि निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा समय-समय पर सड़क रिपेयर नहीं किया जाता है। टोल वसूली कन्सेशन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः टोल प्लाजा बन्द करने अथवा टोल कम्पनी से राशि वसूली का प्रश्न नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "पंद्रह"</u>

## <u>सिंहस्थ 2016 की व्यवस्था के संबंध में</u>

**67. ( क्र. 2035 ) श्री सतीश मालवीय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2016 हेतु आवंटित राशि में से विभागवार कार्यों की विस्तृत सूची, पूर्ण हो चुके निर्माण कार्य, शेष निर्माण कार्य एवं ऐसे कौन-कौन से कार्य है जो प्रश्न दिनाँक तक आरंभ ही नहीं हुए हैं? क्या उक्त कार्य जनवरी 2016 तक पूर्ण हो जावेंगे? **(ख)** सिंहस्थ 2016 में शाही स्नान के अवसर पर लगभग 3 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं की समुचित व्यवस्था, क्राउड मेनेजमेंट हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों/पुलिसकर्मियों की पदस्थापना एवं पर्याप्त ट्रेनिंग जिसमें श्रद्धालुओं के साथ सदभावनापूर्ण व्यवहार आदि, व्ही.आय.पी. की श्रेणी तय करने एवं व्ही.आय.पी. आगमन में सिंहस्थ में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो इस हेतु कार्य योजना आदि पर अब तक की गई तैयारियों का समग्र विवरण उपलब्ध करावे? **(ग)** विगत सिंहस्थ 2004 सफल रहा किन्तु उक्त सिंहस्थ में पुलिस एवं प्रशासन दोनों के मध्य सामंजस्य की कमी पाई गई थी? क्या सिंहस्थ 2004 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्यानुभव का लाभ लेने हेतु सिंहस्थ 2016 में पदस्थ किया जावेगा? प्रश्न दिनाँक तक सिंहस्थ क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय समिति का गठन क्यों नहीं किया गया? स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के क्या कारण है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>आश्वासन अनुरूप मार्गों की स्वीकृति</u>

**68. ( क्र. 2056 ) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1187 दिनाँक 24 फरवरी 2015 के उत्तर में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा सदन में हुई चर्चा में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम सेमलापार से ग्राम सिंधौड़ा मार्ग निर्माण हेतु आश्वासन दिया गया था कि उक्त मार्ग को प्राथमिकता पर स्वीकृत करने का कार्यक्रम बताऐंगे? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन अनुरूप उक्त मार्ग की स्वीकृत प्रदान करते हुये प्रथम अनुपूरक बजट में सम्मिलित कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन उक्त मार्ग जो कि चार जिलों की सीमाओं को जोड़ता है तथा 7-8 करोड़ की लागत से पावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल के आगे स्थित होकर लगभग 15-20 ग्रामों के आवगमन का एक मात्र साधन है? ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग की स्वीकृति प्राथमिकता पर प्रथम अनुपूरक बजट में प्रदान करेगा? **(घ)** क्या इसी प्रकार एन.एच.-12 आंदलहेड़ा से ग्राम आगर-आगरी मार्ग एवं पावती ब्रिज से ग्राम कानरखेड़ी मार्ग निर्माण की स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग राजगढ़ द्वारा डी.पी.आर शासन को प्रेषित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्गों की स्वीकृति भी इसी अनुपूरक बजट में प्रदान की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। जिले में पर्याप्त योजना सीमा एवं वित्तीय आवंटन उपलब्ध होने पर प्राथमिकतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>मा. मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों पर कार्यवाही</u>

**69. ( क्र. 2057 ) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक 26, दिनाँक 21 जुलाई, 2014 में

मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से दिये गये निर्देशों के पालन एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/17/शा.-3 **(ग)** /2014/15334 भोपाल दिनाँक 13.10.2014 के परिप्रेक्ष्य में नगर परिषद् सुठालिया द्वारा सर्वसुविधा युक्त सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु राशि रूपये 26.98 लाख का प्राक्कलनमय तकनीकी स्वीकृति सहित दिनाँक 31.10.2014 को विभाग को प्रेषित किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा आदेश दिनाँक 11.05.2015 से नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत परलापुरा की भूमि सर्वे नंबर 246/2 रकबा 7.323 हेक्टेयर में से 0.125 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद सुठालिया को आवंटित कर दी गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो नगर सुठालिया में सर्वसुविधा युक्त सामुदायिक भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उपरोक्तानुसार क्या मा. मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन में तत्काल आवश्यक राशि नगर परिषद सुठालिया को उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** एवं **(ग)** जी नहीं। नगर परिषद द्वारा भूमि आवंटन संबंधित जानकारी दिनाँक 04.07.2015 को प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। **(घ)** जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

<u>मेघनगर में स्थापित प्लांटों के संबंध में</u>

**70. ( क्र. 2090 ) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** झाबुआ जिले के मेघनगर के फूट तालाब में स्थापित प्लांटों के रजिस्ट्रेशन में किस-किस वस्तु के उत्पादन और निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई? रजिस्टर्ड कंपनी के मालिकों के वर्तमान निवास मूल निवास प्रान्त व जिले के नाम सहित जानकारी देवें। **(ख)** झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में कितने केमिकल प्लांट स्थापित हैं? नाम सहित बतावें। **(ग)** स्थापित केमिकल प्लांटों से निकलने वाले वेस्ट के ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था की गई है? प्लांटवार अलग-अलग बातवें। **(घ)** औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्रियों से हानिकारक केमिकल वेस्टेज नाले में बहाया जाने से पशु हानि, भूमिगत जल प्रदूषण एवं इस कारण फसलों का नुकसान एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव जो हो रहा है उसके कितने मामले विगत दो वर्षों में दर्ज किये गए है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** विभाग द्वारा किसी भी औद्योगिक इकाई को किसी वस्तु के उत्पादन एवं निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाती है, अपितु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राईजेस अधिनियम 2006 के तहत इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अभिस्वीकृति जारी की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में जारी अभिस्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में 16 केमीकल प्लांट स्थापित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** वेस्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा समय-समय पर की गई भूमिगत जलगुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के अनुसार अधिकांश प्रचालक प्राय: भारतीय मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। कृषि विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर के उद्योगों

से किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा है एवं कोई भी प्रकरण विगत दो वर्षों में दर्ज नहीं हुआ है।

## आवासहीनों को पट्टे के संबंध में

**71. ( क्र. 2091 ) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगरीय क्षेत्र में गरीबों हेतु कौन-कौन सी आवासीय योजनाऐं चलाई जा रही है? **(ख)** विगत 06 सालों में नगरीय क्षेत्रों में किस योजना के तहत आवास बनाऐ गऐ है? **(ग)** ग्रामीण क्षेत्रों की तरह इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास संबंधी भविष्य में कौन सी योजनाएं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा बनाई गई है? **(घ)** दो वर्ष पूर्व नगरीय क्षेत्रों में कई सालों से निवासरत आवासहीन गरीबों को आवास हेतु पट्टे दिये गए थे उनमें से वंचित शहरी आवासहीन गरीबों को आवासीय पट्टे देने के संबंध में कार्यवाही कब तक की जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास 2022। **(ख)** जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत (बीएसयूपी/आईएचएसडीपी), राजीव आवास योजना एवं अटल आश्रय योजना। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** प्रावधान है। **(घ)** मध्यप्रदेश नगरी क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना। ) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत वर्ष 2012 में शहरी गरीबों को पट्टा दिए गए है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित ना होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

## स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण

**72. ( क्र. 2106 ) श्री प्रताप सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले की नगर पंचायत तेंदूखेड़ा में विगत वर्ष में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कुल कितने शौचालय स्वीकृत किये गये हैं, इनकी कुल लागत क्या है? क्या शौचालय बनवाने के लिए हितग्ाहियों द्वारा अनुदान की राशि नगर पंचायत में जमा की है, यदि हाँ, तो कितनी-कितनी? **(ख)** क्या स्वीकृत शौचालयों की कुल लागत राशि में से निर्माण के पूर्व नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार को 70-80 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान की गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि ठेकेदार को अग्रिम बतोर किसके आदेश से भुगतान की गई है? नगर पंचायत के प्रचलित नियमों के अंतर्गत क्या टेण्डर आमंत्रित किये गये थे, यदि नहीं, किये गये थे, तो किन नियमों के तहत सीधे ठेकेदार को शौचालय बनाने का ठेका दे दिया गया? क्या ठेका 5 प्रतिशत अधिक में प्रज्ञा जनहित संस्था भोपाल को दिया गया है, यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत दिया गया है? प्रश्न दिनाँक तक कितने शौचालय बनाये जा चुके हैं, जिसकी सूची ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत में जमा की गई है? **(ग)** क्या कतिपय हितग्ाहियों के घर में शौचालय निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार निर्माण सामग्री सीधे देकर उन्हें शौचालय बनाने के लिए कहा गया है, ऐसे शौचालय आज भी अपूर्ण पड़े हुए हैं? **(घ)** क्या घटिया निर्माण की शिकायतें मिलने पर एसडीएम तेंदुखेड़ा द्वारा कितने शौचालय निर्माण पर रोक लगायी गयी थी, उनका निराकरण किया गया है अथवा नहीं? क्या बटियागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत घुराटा के बीपीएल 250 हितग्राहियों की 22 लाख 50 हजार रूपये की राशि शौचालय निर्माण हेतु सचिव द्वारा निकाल लिये जाने के बावजूद भी शौचालय नहीं बनाये जाने संबंधी शिकायत जिला

पंचायत सीईओ से की गई थी? जिला सीईओ द्वारा स्थल की जाँच करायी गई थी? यदि हाँ, तो क्या परिणाम रहा? क्या शासन प्रश्न में उल्लेखित मामलों की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** 430 शौचालय स्वीकृति किये गये है, लागत 58.48 लाख रूपयें। जी हाँ रू. 6.45 लाख **(ख)** जी नहीं, अपितु 22.25 प्रतिशत अर्थात 13.00 लाख रू. ठेकेदार को बतौर अग्रिम अध्यक्ष, के आदेश से भुगतान किया गया है। जी नहीं। सीधे ठेकेदार को शौचालय निर्माण कार्य दिये जाने के प्रावधान नहीं है। जी नहीं, अपितु 4.99 प्रतिशत SOR पर कार्य दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। दिनाँक तक 410 शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं निराकरण किया गया है। जी नहीं, अपितु समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर जनपद स्तरीय जाँच दल से जाँच कराई गई है, कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## दमोह जिलान्तर्गत पहुंच मार्ग का निर्माण

**73. ( क्र. 2112 ) श्री प्रताप सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह जिले के ग्राक-सगरा-कुसमी-सगोनी पहुंच मार्ग का निर्माण राहत कार्य के दौरान लगभग 30-40 वर्ष पूर्व किया गया था? **(ख)** क्या आज से 5-6 वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मार्ग पर बंधी बांध का निर्माण कर दिये जाने से पूर्व निर्मित मार्ग का लगभग 1 कि.मी से अधिक हिस्सा बंधी बांध की डूब में आ जाने से संचालित यातायात वैकल्पिक रूप से बंधी बांध की पार पर से हो रहा था? क्या जल संसाधन विभाग द्वारा बांध के निर्माण के पूर्व कोई सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग से नहीं लिया गया था और न ही मुआवजा ही विभाग को भुगतान किया गया था? **(ग)** बंधी बांध की पार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा डब्ल्यू.बी.एम कराया गया था, हां अथवा नहीं? यदि हाँ, तो मार्ग की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति किसके द्वारा किन शर्तों के तहत दी गई थी? मार्ग निर्माण के पूर्व क्या जल संसाधन विभाग से अनापत्ति अथवा सहमति ली गई थी, यदि नहीं, तो क्यों यदि ली गई थी तो उसका विवरण उपलब्ध करावें? **(घ)** बंधी बांध की पार पर से संचालित आवागमन हेतु यात्री वाहन एवं भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा किन अधिकारों/प्रचलित नियमों के तहत निर्णय लेकर रोक लगायी गई थी? क्या बंधी बांध की पार जलसंसाधन के आधिपत्य की है, फिर किन परिस्थितियोंवश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा तत्परता से एक पक्षीय निर्णय लेकर सार्वजनिक यातायात को नजर अंदाज करते हुए एक संचालित बस की स्थायी अनुज्ञा को निरस्त किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिख गया? **(ड.)** क्या शासन संबंधित अधिकारी द्वारा पद/अधिकारों के दुरूपयोंग की जाँच करवाकर सिद्ध दोष पाये जाने पर दण्डित करेगा? दमोह जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित ऐसे कितने मार्ग हैं, जो तालाब की पार के ऊपर निर्मित हैं तथा उन पर से यात्री वाहन एवं अन्य भारी वाहनों की आवाजाही निरंतर हो रही है? ऐसे मार्गों पर कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई रोक लगायी हो, तो बतलावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता लो.नि.वि. सागर द्वारा एवं प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन लो.नि.वि. भोपाल द्वारा बिना कोई शर्त पर जारी। जी हाँ, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं, रोक नहीं लगायी गई थी। कोई अप्रिय दुर्घटना न हो इस आशय हेतु अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन विभाग दमोह को पत्र लिखा गया था। **(ड.)** जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। एक मार्ग, जी हाँ। जी नहीं।

## कॉलोनियों की नियम विरूद्ध अनुमति दिये जाने के संबंध में

**74. ( क्र. 2161 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिला के नगरपालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विगत 20 वर्षों में कितनी कॉलोनी का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं निर्माणाधीन है एवं पूर्ण हुई कॉलोनियों में कॉलोनाईजर्स द्वारा सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था पूर्ण की गयी या नहीं? यदि नहीं, तो अवैध कॉलोनियों पर अभी तक कार्यवही क्यों नहीं की गयी? कितनी वैध कितनी अवैध है, कॉलोनी का नाम एवं कॉलोनाईजर का नाम बताये? **(ख)** क्या मे. अरिहन्त मेगा स्ट्राक्चर प्रा. लिमि. की नर्मदा वेली मण्डला के कॉलोनाईजरों द्वारा निर्माण से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति एवं ग्राम एवं नगर निवेश विभाग द्वारा नक्शा पास कराया गया था? यदि हाँ, तो क्या बिना मौके पर मुआयना किये बगैर ही अनुमति प्रदाय कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि कॉलोनाईजरों द्वारा नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना की नहर पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी गयी? **(ग)** क्या शहर एवं ग्राम निवेश विभाग के द्वारा प्रश्न **(ख)** के कॉलोनाईजर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में नहर प्रदर्शित होते हुये एवं प्रवेश व्दार 7.5 मीटर का दर्शाये जाने के बाद भी नक्शा स्वीकृत किया जाना नियमानुसार है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? क्या 400 से 500 परिवारों के लिये घनत्वता के आधार पर एक मात्र प्रवेश द्वार 7.5 मीटर का नियमानुसार है? क्या कॉलोनी की सड़क स्वीकृत मानचित्र के अनुसार मुख्य व्दार की सड़क 30 फीट एवं अंदर की सड़क 25 फीट बनाई गयी या नहीं? नियमानुसार नहीं बनाई गयी तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक? क्या ग्रीन बेल्ट की भूमि को भी मद परिवर्तन कर अनुमति दी गयी है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत बताये? **(घ)** सम्पूर्ण कॉलोनियों में भूमि क्रय पश्चात् परिवर्तित अवधि संबंधी क्या नियम है? बतायें? सम्पूर्ण कॉलोनियों में गार्डन, स्लम्स् ऐरिया, पार्किंग एरिया विकसित किया गया? नहीं तो कॉलोनी का नियमितीकरण कैसे किया गया?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।

## जर्जर मार्गों के निर्माण की स्वीकृति

**75. ( क्र. 2162 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिले के मण्डला डिन्डौरी मार्ग से बिनैका जंतीपुर तक मार्ग जर्जर एवं खस्ता हाल है? इसके निर्माण के लिये ग्राम वासियों द्वारा आन्दोलन भी किया गया जिसे सक्षम अधिकारियों ने इसी सत्र में स्वीकृत का आश्वासन दिया था? क्या उक्त मार्ग का डी.पी.आर तैयार कर शासन को भेज दिया गया है तो कब और कितनी राशि का डी.पी.आर के संबंध में तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति की गई पूर्ण जानकारी दें? **(ख)** मण्डला बम्हनी मुख्य मार्ग

से सिलगी ककैया अंजनिया मार्ग पर बंजर नदी में नव निर्मित पुल तक लगभग 1 कि.मी कच्चा एवं ऊबड़-खाबड़ मार्ग है। इस मार्ग से अनको ग्राम के छात्र/छात्रायें, शासकीय कर्मचारी, कृषक एवं जन सामान्य का आना जाना होता है जिसके निर्माण की लंबे समय से जनमांग है? क्या डी.पी.आर तैयार कर शासन को भेज दिया गया? यदि हाँ, तो डी.पी.आर कब भेजा गया? **(ग)** मण्डला से पिण्डरई मार्ग जो कि लगभग 30 कि.मी लंबा है स्वीकृत होकर कार्य प्रांरभ हो गया था क्या कारण है कि सड़क निर्माण कार्य बंद हो गया? इस मार्ग लंबाई, चौड़ाई, स्वीकृत राशि तथा निर्माण संबंधी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये तथा बताये कि कब तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करा कर पूर्ण कर दिया जायेगा? **(घ)** उक्त तीनों मार्ग विधानसभा क्षेत्र मण्डला के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, इनकी स्वीकृति कब तक होकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। तकनीकी स्वीकृति 526.36 लाख प्रदाय की गई तथा वित्तीय स्वीकृति अप्राप्त है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** मण्डला से पिण्डरई मार्ग की स्वीकृति लंबाई 33.15 कि.मी. का कार्य बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजना के अंतर्गत दिनाँक 21.06.2012 को प्रारंभ किया गया था, परन्तु कंसेशनर द्वारा धीमी गति से एवं समय पर पूर्ण न करने के फलस्वरूप दिनाँक 19.03.2015 को अनुबंध निरस्त किया गया है। मार्ग के संबंध में विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ। प्रश्नाधीन मार्गों में से मण्डला से पिण्डरई मार्ग के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु म.प्र. शासन के दिनाँक 09.06.2015 को नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है, एवं निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है, तथा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जावेगा। निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

## मंडला जिलान्तर्गत वृक्षारोपण

**76. ( क्र. 2163 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिले में पौध रोपण (वृक्षा रोपण) के लिये वर्ष 2012-13 से 2014-2015 की अवधि में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से तथा अन्य मद से कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा जिले में कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण किया गया ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, रकबा खसरा नं. तथा पौधों की संख्या सहित विकासखण्डवार, वर्षवार बतायें? **(ख)** क्या उक्त वृक्षारोपण की जीवितता बनाये रखने के लिये देखरेख के लिये कितनी राशि का प्रावधान रहता है और विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? प्रश्न **(क)** की अवधि में कितनी राशि व्यय की गयी विकासखण्डवार, वर्षवार बतायें? **(ग)** वर्तमान समय में उक्त पौध रोपण की क्या स्थिति है? कितने जीवित हैं, कितने नष्ट हो गये? नष्ट होने के क्या कारण हैं? **(घ)** क्या जहाँ पर पौध रोपण किया गया था, वहां वर्तमान में 10 प्रतिशत ही जीवित है? म.प्र. शासन की महत्वाकांक्षी योजना में रोपित पौधों की जीवितता बनाये रखने के लिये कुशल एवं तकनीकी रूप से सक्षम जिला अधिकारियों के द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? उससे पौध रोपण कार्यक्रम को क्या लाभ मिला यदि नहीं, तो ऐसे तकनीकी रूप से सक्षम एवं कुशल अधिकारियों के लिये उन्मुखीकरण एवं रिफ्रेशर कोर्स करायेगा या शासन की इतनी बड़ी राशि की क्षति पहुंचाने वाले पर विभागीय जाँच कर दण्डित करेगा?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बीना में ओवर ब्रिज एवं सड़क निर्माण कार्य की स्वकृति</u>

**77. ( क्र. 2172 ) श्री महेश राय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बीना में कितने ओवर ब्रिज स्वीकृत हुये है एवं किस-किस रेलवे गेट पर? **(ख)** स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी है एवं इनके टेण्डर कब तक होगे समय-सीमा से अवगत करावें? **(ग)** बीना में ओवर ब्रिज के निर्माण की समय-सीमा क्या है, आम-नागरिक को इस सुविधा का लाभ कब से मिलना संभव है, अवगत करावें? **(घ)** निर्तला भापसौन मंडीवामोरा मार्ग स्वीकृत है जिसके निवेदिता प्रक्रिया कब पूर्ण होगी एवं निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा कृपया समय-सीमा निश्चित कर अवगत करावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** सेतु निर्माण परिक्षेत्र के अंतर्गत एक ओव्हर ब्रिज समपार क्र. 307 बी पर। **(ख)** रू. 3712.28 लाख। निविदा कार्यवाही प्रगति पर है, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। **(ग)** निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। **(घ)** प्राप्त निविदा दर अधिक होने के कारण अस्वीकार कर दी गई। पुन: निविदा आमंत्रित की जा रही है। एजेन्सी चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कार्य प्रारंभ कराया जावेगा। कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना अभी संभव नहीं है।

<u>सडक निर्माण बाबत् (विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3313 दिनाँक 17 जुलाई 2014 )</u>

**78. ( क्र. 2173 ) श्री महेश राय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परि.अता.प्र.स. 76 (क्र.3313) दिनाँक 17.7.14 में बीना से कंजिया (वाया आगासोद) मार्ग पूर्णत: जर्जर हालत में है इस संबंध में आपने विधानसभा के उत्तर में अवगत कराया था कि उक्त सड़क मार्ग सी.आर.एफ योजना में शामिल करने हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन बताया था, तो उक्त संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई? सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? **(ख)** संदर्भित प्रश्न के प्रश्नांश **(घ)** भाग में कंजिया से भानगढ़ की सड़क निर्माण के उत्तर में निर्माण हेतु निविदा दिनाँक 20/07/2014 को जारी होने का बताया गया था लेकिन उक्त संबंध में अभी तक कोई निविदा जारी नहीं कही गयी है न ही मरम्मत का कार्य किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** का कार्य कब तक पूर्ण होगा एवं लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। प्रश्नांश मार्ग सी.आर.एफ. योजना की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है। अत: कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ। चतुर्थ बार निविदा दिनाँक 16.07.2015 को आमंत्रित की गई है। जी हाँ। **(ग)** स्वीकृति के बाद कार्य पूर्ण होगा, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला खेल केन्द्र की व्यवस्था एवं योजना</u>

**79. ( क्र. 2183 ) डॉ. कैलाश जाटव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला नरसिंहपुर में संचालित जिला खेल केन्द्र द्वारा विगत 02 वर्षों में आयोजित कराये गये खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** इस केन्द्र द्वारा विगत 02 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को कितनी खेल सामग्री वितरित की गई है? खेलवार सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या इस केन्द्र में विभिन्न खेलों हेतु प्रशिक्षक नियुक्त है? यदि हाँ, तो इनके द्वारा अब तक कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया हैं एवं कितनी प्रतियोगिताओं में मेडल

प्राप्त किये गये हैं? **(घ)** क्या इस संस्था का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? यदि हाँ, तो पिछले 05 वर्षों में कब-कब किया गया?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में जिला खेल केन्द्र संचालित नहीं है परन्तु विभाग द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में निम्न आयोजन किये गये है- 1. वर्ष 2013-14 में दिनाँक 02 दिसम्बर 2013 को गोटेगांव के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर विकासखण्ड स्तरीय स्वामी विवेकानन्द ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स एवं हैण्डबाल की प्रतियोगिता आयोजित की गई। 2. वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर में दिनाँक 26-11-2014 से 27-11-2014 तक राजीव गांधी खेल अभियान योजनांतर्गत विकास खण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएँ गोटेगांव की उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान पर आयोजित की गई। जिसमें कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स एवं बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। **(ख)** विभाग द्वारा किसी खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से खेल सामग्री वितरित करने का प्रावधान नहीं है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** नहीं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उक्त विधानसभा क्षेत्र में जिला खेल केन्द्र संचालित न होने से निरीक्षण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>खंडवा जिले में फोरलेन निर्माण में अनियमितता</u>

**80. ( क्र. 2194 ) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा जिला मुख्यालय से देढतलाई मार्ग एवं खंडवा से हरदा मार्ग पर नगर के किस क्षेत्र से कहाँ तक फोरलेन मार्ग स्वीकृत हुआ था? स्वीकृत मार्ग की चौड़ाई कितने मीटर थी? क्या इसमें सेंट्रल लाईटिंग का भी प्रावधान था? **(ख)** क्या विभाग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बिना परामर्श/सुझाव के फोरलेन सड़क को दो-लेन में परिवर्तित कर नगर के विकास को अवरूद्ध किया है? **(ग)** यदि हाँ, तो सड़क मार्ग की चौड़ाई कम करने, सेंट्रल लाईटिंग कार्य नहीं करने तथा सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन होने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? **(घ)** उक्त दोनों मार्गों पर स्वीकृति अनुसार कार्य कब तक पूर्ण होगा? दोषी अधिकारियों प अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जाएगी? **(ड.)** क्या इन मार्गों पर टोल नाके सड़क निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात आरंभ हुए या अधूरा निर्माण होने पर ही वाहनों से टोल वसूला जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** खंडवा जिला मुख्यालय से देड़तलाई मार्ग पर इंदिरा चैक चैनेज-0 से चैनेज 3+760 तक फोरलेन मार्ग निर्माण का अनुबंध में प्रावधान है, जिसकी चौड़ाई 19.50 मीटर (मिडियन 1.5 मीटर+टू-लेन केरेज वे दोनों ओर 7.50 मीटर+फूटपाथ दोनों ओर 1.50x2 मीटर) है। खण्डवा जिला मुख्यालय से हरदा मार्ग पर इंदिरा चैक चैनेज 0 से टोल प्लाजा चैनेज 10.00 तक विद्यमान मार्ग 5.5 मी. के दोनों ओर 2.75 मी. में चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। कुल चौड़ाई 11.00 मी. कैरिजवे एवं 10 कि.मी. लंबाई में कार्य किया गया है। जी नहीं। **(ख)** खण्डवा-डेड़तलाई मार्ग जनप्रतिनिधियों से परामर्श/ सुझाव का प्रावधान कन्सेशन अनुबंध में नहीं है। खण्डवा-डेड़तलाई मार्ग का फोरलेन कार्य मौके पर उपलब्ध सड़क चौड़ाई (आर.ओ.डब्ल्यू) अनुसार बनाया गया है। बनाये गये मार्ग की चौड़ाई (आर.ओ.डब्ल्यू) :- चै. 0+00 से चै. 0+250 तक 10 मीटर, चै. 0+250 से चै. 1+200 तक औसत 15 मीटर, चै. 1+200 से 3+760 तक 20 मीटर। हरदा खण्डवा मार्ग के किमी 0 से 10 में स्वीकृति अनुसार मार्ग के दोनों ओर 2.75 मीटर में चौड़ीकरण किया गया है। **(ग)**

सड़क मार्ग की चौड़ाई सुक्ता पाईप लाईन, स्थल पर मकान, मंदिर आदि होने से कम हुई है। सेन्ट्रल लाईटिंग कार्य का अनुबंध में प्रावधान नहीं हैं। सड़क का निर्माण मानको अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की देख-रेख में किया जा रहा है। गुणवत्ताहीन निर्माण जैसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें किसी अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जा सकें। **(घ)** खण्डवा-डेड़तलाई-बुरहानपुर मार्ग का प्रथम सेक्सन खण्डवा से देड़तलाई तक लंबाई 60.50 किमी दिनाँक 27.06.2014 को पूर्ण हो चुका है, द्वितीय सेक्सन देड़तलाई से बुरहानपुर तक लंबाई 67 किमी दिनाँक 31.03.2016 तक पूर्ण होने की संभावना है। खण्डवा-हरदा मार्ग के किमी 0 से 10 तक चौड़ीकरणका कार्य माह मई 2015 में पूर्ण किया गया है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। **(ड.)** खण्डवा-डेड़तलाई-बुरहानपुर मार्ग का प्रथम सेक्सन का निर्माण कार्य पूर्ण होने से टोल नाका प्रारम्भ किया गया है। खण्डवा-हरदा मार्ग के इस भाग पर कोई नवीन टोल नहीं है। कि.मी. 10 में पूर्व से विद्यमान टोल है। टोल वसूली कंसेशन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार होने से किसी अधिकारी की जिम्मेदारी जैसी स्थिति नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

<u>वन्य प्राणी बंदर द्वारा नुकसान किये जाने पर वन विभाग द्वारा मुआवजा का निर्धारण विषयक</u>

**81. ( क्र. 2223 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य वन्य प्राणी जैसे जंगली सुअर, हिरण, नील गाय इत्यादि वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को यदि नुकसान पहुँचाया जाता है तो वन विभाग द्वारा उन फसलों को मुआवजा देने के प्रावधान हैं उसी तरह बंदर जो कि एक वन्य प्राणी है उसके द्वारा जो नुकसान पहुँचाया जाता है क्या शासन उस नुकसान का मुआवजा देगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) :** बंदरों द्वारा जनहानि, जनघायल अथवा पशुहानि करने पर प्रभावित व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान है। वन्यप्राणियों द्वारा वन सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में फसल हानि की जाने पर राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है।

<u>बांस तथा काष्ठ के निस्तार में कोटे का निर्धारण</u>

**82. ( क्र. 2224 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निस्तार हेतु दिये जाने वाले बांस तथा काष्ठ (जलाऊ लकड़ी) का कोटा क्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है? **(ख)** जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद कोटे का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं बढ़ाया गया? जनसंख्या के आधार पर कोटा निर्धारण करने के मापदण्ड क्या है? **(ग)** जनसंख्या के आधार पर निस्तारी बांस तथा जलाऊ लकड़ी का कोटा कब तक तय कर दिया जाएगा, समय-सीमा बताएं?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) से (ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>वन मण्डल शिवपुरी में नवंबर 2013 से कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना</u>

**83. ( क्र. 2237 ) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले के वनमण्डल शिवपुरी में नवंबर 2013 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना परिवर्तन/ड्यूटी के आदेश एवं निर्देश जारी किये गये हैं? **(ख)** क्या शासन द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये बनाई गई पॉलिसी में स्थानांतरण/पदस्थापना

परिवर्तन/ड्यूटी के लिये मा. प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमति प्राप्त कर आदेश जारी करने का नियम है? यदि हाँ, तो डी.एफ.ओ. शिवपुरी द्वारा नवंबर 2013 प्रश्न दिनाँक तक किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रस्ताव भेजकर अनुमति प्राप्त कर आदेश जारी किये थे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में किस-किस कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन किये बिना कितने-कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण/पदस्थापना परिवर्तन/ड्यूटी लगाई गई थी? शासन द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी मुख्यालय परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आती है तथा इसके कारण संबंधित कर्मचारी को यात्रा देयकों के भुगतान से कितनी अतिरिक्त राशि का वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)**, **(ख)**, **(ग)** अनुसार उक्त आदेश जारी करने के पूर्व मा. प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमति ली गई थी? यदि नहीं, तो स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुये स्थानांतरण/पदस्थापना परिवर्तन/ड्यूटी आदेश जारी करने के लिये तथा निर्धारित समय-सीमा में प्रथम अपील का निराकरण नहीं करने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (1), (2) एवं (3) अनुसार** है। स्थानांतरण नीति में अपील एवं निराकरण हेतु समय-सीमा का कोई प्रावधान न होने से किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** दूरी निर्धारित नहीं हैं। मुख्यालय से 8 कि.मी. से अधिक यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होता है।

## भैरोंघाट पुल के दोनों ओर एप्रोच मार्ग का निर्माण

**84. ( क्र. 2251 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हिरन नदी पर बने भैरोघाट पुल एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कब एवं कितनी-कितनी राशि से कराया गया था? **(ख)** क्या उक्त भैरोंघाट पुल के दोनों ओर एप्रोच मार्ग नियमानुसार नहीं बनाए जाने के कारण एप्रोच मार्ग के दोनों ओर की मिट्टी में कटाव होने से आवागमन अवरूद्ध हो गया है? उपरोक्त एप्रोच मार्ग का विधिवत निर्माण कब तक कराया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** दिनाँक 30.6.2012 को। पुल कार्य राशि रू. 109.99 लाख, पहुंच मार्ग की राशि रू. 2.73 लाख। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## गुणवत्ताहीन सड़कों का निर्माण

**85. ( क्र. 2252 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मनकेड़ी-कुसली-नवीन चरगवां-डमलिया-18 मार्ग एवं पिपरिया-भैंरोघाट मार्ग निर्माण की कब एवं कितनी-कितनी राशि से कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी? उक्त सड़कों के निर्माण की अवधि क्या थी? उपरोक्त दोनों सड़कों का कितना-कितना निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हुआ है? कितना-कितना शेष है? कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु आयटमवार, कार्यवार ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान अब तक किया गया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** की उपरोक्त दोनों सड़कें गुणवत्ताहीन कार्य के कारण जर्जर हो गयी है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन से अधि. दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? जर्जर उक्त सड़कों का सुधार कब तक कराया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** विस्तृत **जानकारी संलग्न 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट - "अठारह"**

**दमोह-हटा-गैसाबाद मार्ग के नाली निर्माण में अनियमितता**

**86. ( क्र. 2265 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह-हटा-गैसावाद मार्ग MPRDC द्वारा कब कितनी राशि से स्वीकृत किया गया था कार्य एजेंसी के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें? **(ख)** प्रश्नकर्ता के क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत यह देखा गया कि हटा नगर 4 लेन, गैसावाद ग्राम, वनगांव एवं लुहारी में जो सी.सी. मार्ग बना नालियां गुणवत्ताहीन बनायी जा रही है, जिसमें हटा 4 लेन सड़क में नालियां बिल्कुल गुणवत्ताहीन बनायी जा रही है? यदि हाँ, तो समिति बनाकर जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, हटा एवं गैसाबाद में बनाई जा रही नालियां गुणवत्तापूर्ण है। ग्राम वनगांव एवं लुहारी में नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है। जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**परिशिष्ट - "उन्नीस"**

**एचईजी द्वारा प्रदूषण फैलाने के उपरांत भी कार्रवाई न होना**

**87. ( क्र. 2315 ) श्री विश्वास सारंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एचईजी द्वारा फैलाये जा रहे वायु, जल प्रदूषण को लेकर प्रश्न दिनाँक तक शासन/जिला/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या-क्या कार्रवाई की है? यदि नहीं, की है तो क्यों? कारण दें? नियम बतायें? क्या उक्त प्रदूषण से क्षेत्र में मानक स्तर से ज्यादा वायु प्रदूषण हो गया है जिससे पक्षियों का जीवन संकट में तथा क्षेत्र के लोगों तथा एचईजी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत विगत तीन वर्ष में उक्त उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की शासन/जिला/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्या-क्या और कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ अन्य ने उक्त उद्योग का किस-किस दिनाँक को निरीक्षण किया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई? क्या उद्योग से निकलने वाले कचरे के निपटान के पर्याप्त व सभी उपकरण लगे हुये हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से नहीं हैं? जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** व **(ग)** के तहत उक्त उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को लेकर किन-किन ने कब-कब नोटिस जारी किए? यदि जारी नहीं किए तो क्यों? क्या अब कोई कार्रवाई की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''स'' अनुसार** है। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अंतर्गत दूषित जल उपचार संयंत्र तथा डस्ट कलेक्टर, बैग फिल्टर, वेक्यूम सिस्टम, इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिरेटर स्थापित है। यह उद्योग पुरानी तकनीक पर आधारित है एवं ट्रांसफर पाइंट्स पर पार्टिकुलेट मैटर के फिजीटिव्ह उत्सर्जन संभावित होता है। उद्योग से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट भंडारण हेतु यार्ड एवं खतरनाक अपशिष्ट भंडारण हेतु कव्हर्ड

स्टोरेज व्यवस्था की है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनाँक 31/5/2012, 14/12/2012 एवं 20/8/2014 को नोटिस/निर्देश जारी किये गये है। उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अनुपालन में कमी पाये जाने के कारण माननीय न्यायालय, जिला रायसेन में दिनाँक 15/7/2015 को वाद दायर किया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट – "बीस"**

**नगर निगम भोपाल द्वारा बिना बजट के व्यय किया जाना**

**88. ( क्र. 2316 ) श्री विश्वास सारंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर निगम भोपाल में हर आय और व्यय को बिना बजट के खर्च किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? **(ख)** नगर निगम भोपाल ने वर्ष 2014-15 व 2015-16 में आश्रय शुल्क के व्यय हेतु बजट में किस कार्य हेतु प्रावधान किया? वर्षवार, बजट में प्रावधान कार्यवार, राशिवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या भोपाल नगर निगम के कमिश्नर ने गरीबों के मकान बनाने वाली योजना बीएसयूपी में आश्रय शुल्क का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी? यदि हाँ, तो फिर तत्कालीन वित्त अधिकारी ने इस शुल्क का दूसरी जगह इस्तेमाल क्यों किया? क्या उक्त वित्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** बजट में आश्रय शुल्क हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में व्यय हेतु प्रावधान नहीं है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं की गति अवरूद्ध न हो इसलिये शासन आदेश के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं हेतु इस राशि का उपयोग रिवाल्विंग फण्ड के रूप में हुडको ऋण/हितग्राही अंश प्राप्त होने की प्रत्याशा में निगम अंश की पूर्ति हेतु उपयोग किया गया है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनसुार**, जो कि ऋण प्राप्त होने पर आश्रय निधि मद में वापस कर दिया जावेगा, वर्ष 2014-15 व 2015-16 में निगम अंश की प्रावधान राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर** है। **(ग)** जी हाँ, भोपाल नगर निगम कमिश्नर ने गरीबों के मकान बनाने वाली योजना बी.एस.यू.पी. में आश्रय शुल्क का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। तत्कालीन वित्त अधिकारी ने इस शुल्क का इस्तेमाल निगम कमिश्नर की स्वीकृति उपरांत ही किया है। इस शुल्क का दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए उक्त वित्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**नवीन पुल निर्माण की स्वीकृति**

**89. ( क्र. 2330 ) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नयागाँव तथा ग्राम शाहपुरा के मध्य से गुजर रही गहरी व बारहमासी सीप नदी के दायी और कराहल तहसील के तथा बाई श्योपुर तहसील के कई दर्जन ग्राम विद्यमान हैं? **(ख)** क्या उक्त स्थान पर पुल का अभाव होने के कारण श्योपुर तहसील के नागरिकों को कराहल तहसील के, तथा कराहल तहसील के नागरिकों को श्योपुर तहसील के ग्रामों में आने-जाने हेतु वर्तमान तक 30 से 50 कि.मी. की दूरी तय करना पड़ती है? इस कारण क्षेत्रीय नागरिकों को कई प्रकार की कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता हैं क्या ग्राम नया गाँव के समीप नवीन पुल का निर्माण करा दिया जावे तो दोनों तहसील के क्षेत्रीय नागरिकों को सीधे

आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी? **(ग)** यदि हाँ, तो क्षेत्रीय नागरिकों को उक्त कठिनाई से निजात दिलाने हेतु क्या शासन प्रश्नांश **(क)** में वर्णित ग्रामों के मध्य नवीन पुल निर्माण कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक/आगामी वर्ष के वार्षिक बजट में शामिल करेगा व प्राक्कलन तैयार कराकर स्वीकृति प्रदान करेगा यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। **(ग)** पुल न तो स्वीकृत है और न ही प्रस्तावित है।

## बागड़ नदी के रपटे पर नवीन पुल का निर्माण

**90. ( क्र. 2331 ) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तलावदा-आवनी मार्ग पर स्थित बागड़ नदी का रपटा बहुत नीचा होने के कारण वर्षाकाल में चम्बल नदी में बाढ़ आ जाने की स्थिति में रपटे पर कई-कई फिट पानी कई-कई दिनों तक बहता ही रहता हैं मार्ग के दोनों और विद्यमान कई ग्रामों का कई-कई दिनों तक सम्पर्क टूट जाता है तथा क्षेत्रीय नागरिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो जनहित एवं पुल निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्या शासन उक्त पुल के निर्माण कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक/वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में शामिल करेगा एवं सेतु निर्माण निगम से प्राक्कलन तैयार करवाकर उसे स्वीकृति प्रदान करेगा यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## सिवनी नगर की जलवर्धन योजनाऍं

**91. ( क्र. 2348 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में सिवनी नगर हेतु 45 करोड़ रूपये की जलवर्धन योजना प्रारंभ की जा रही है, क्या नहीं? **(ख)** यदि प्रारंभ की जा रही है तो 45 करोड़ के टेंडर पर 62½ करोड़ रूपये का वर्क ऑर्डर नगरपालिका सिवनी द्वारा कैसे प्रदान किया? **(ग)** यदि वर्क ऑर्डर प्रदान किया गया है तो क्या यह टेंडर प्रक्रिया सही है? यदि सही नहीं है तो क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** वर्तमान में इस जलवर्धन योजना सिवनी की जनता को 25 वर्षों तक पेयजल की समस्या से निदान हो पायेगा की नहीं यह बताएं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ, राशि रू. 4735.80 लाख की योजना स्वीकृत है। **(ख)** योजना की मूल लागत राशि रू. 4735.80 लाख है निविदा प्रक्रिया उपरांत 5 वर्ष के संचालन-संधारण (विद्युत देयक छोड़कर) सहित प्राप्त न्यूनतम दर राशि रू. 6255.00 लाख (लम्प-सम आधार पर) की स्वीकृति होने पर नगर पालिका द्वारा कार्यादेश दिया गया है। **(ग)** जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ।

## सिवनी जिले में स्वीकृत सड़कों के अपूर्ण निर्माणों की जाँच

**92. ( क्र. 2349 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सिवनी के सिवनी विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कितने मार्गों की निविदायें

स्वीकृत हुई हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में से किन ठेकेदारों ने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया और अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? **(ग)** क्या किन्हीं प्रश्नागत मार्गों की पुन: निविदायें आमंत्रित, स्वीकृत और अनुबंधित कर कार्योदेश जारी हुये है और जनवरी, 2015 तक किनका कितना निर्माण पूर्ण हो गया है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** से **(ग)** के किन्हीं ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और किनके द्वारा उसी स्थान के ठेकेदार के रूप में ठेका लिया गया है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किये गये है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(घ) संलग्न प्रपत्र में दर्शित** ठेकेदारों में से किसी को भी ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

**<u>परिशिष्ट - ''इक्कीस''</u>**

**टीकमगढ जिले के ग्राम मुहारा के मंदिर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने बाबत्**

**93. ( क्र. 2382 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या ग्राम मुहारा के मंदिर की भूमि खसरा क्रं. 1398/1रकवा, 0, 113 हेक्ट. भूमि श्री रामचन्द्र जी महाराज के स्वामित्व की भूमि है और उक्त मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़ है? **(ख)** क्या खसरा क्रं. 1398/1 रकवा 0.113 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम मुहारा के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति निवासियों ने अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य भी कर लिया गया है? **(ग)** क्या उक्त भूमि के प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आज दिनाँक तक अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही प्रशासन के किसी अधिकारी केा आदेशित नहीं किया गया? क्या अवैध कब्जा करने वाले के अवैध निर्माण कार्यों को हटाकर उक्त मंदिर की भूमि सुरक्षित करायेगें? यदि हाँ, तो कब तक अवैध कब्जा हटा देंगे? समयावधि बतायें? **(घ)** यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें, तथा दोषी अतिक्रमण कार्यों के करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? क्या उक्त मंदिर की भूमि सुरक्षित करायेगें? यदि नहीं, तो कारण बतावें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**रोजगार योजना अनुदान वर्ष 2014-15 में प्राप्त राशि के विरूद्ध देय अनुदान की जाँच**

**94. ( क्र. 2389 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या टीकमगढ़ जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक-1739 टीकमगढ़ दिनाँक 22.05.15 को जारी पत्र जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण शाखा में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाहर बिखरे हुये बी.पी.एल. धारक आदिवासियों का रोजगार स्थापना अंतर्गत उद्योग स्थापित किये जाने हेतु अनुदान वितरण किया गया है? स्वरोज़गार की चयन प्रक्रिया क्या है? **(ख)** क्या किराना की दुकान स्थापित किये जाने हेतु जिला उद्योग अधिकारी टीकमगढ़ एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मात्र एक ही किराना दुकान गृहस्थी किराना स्टोर टीकमगढ़ से ही समान हितग्राहियों को क्यों दिया गया क्या उक्त गृहस्थी किराना स्टोर ही मात्र शासन द्वारा रजिस्टर्ड है, बाकी जिले में कोई भी किराना दुकान हितग्राहियों को सामान देने के लिये अधिकृत नहीं है? **(ग)** क्या आदिवासियों को जिला उद्योग अधिकारी एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग टीकमगढ़ द्वारा कम रूपयों का सामान देकर एवं फर्जी बिल शामिल कर भारी

व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है? क्या रोजगार योजना अनुदान हेतु वर्ष 2014-15 के में प्राप्त राशि के विरूद्ध दिये गये अनुदान की जाँच करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** जी हाँ। चयन प्रक्रिया संबंधी कलेक्टर का पत्र दिनाँक 23.01.2014 **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** टीकमगढ़ जिले में किराना दुकान स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त कोटेशन में से टीकमगढ़ स्थित गृहस्थी किराना स्टोर (गिरी ग्रुप ऑफ कम्पनीज, टीकमगढ़ृ) की दर न्यूनतम होने के कारण उसके पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया गया। जिलें में अन्य किराना स्टोर भी रजिस्टर्ड है परन्तु, उनके कोटेशन प्राप्त न होने के कारण उनके संबंध में निर्णय नहीं लिया गया। **(ग)** जी, नहीं। चयनित हितग्राहियों को बिल अनुरूप पूरा सामान दिया गया जिसके संबंध में हितग्राहियों से संतुष्टि प्रमाण-पत्र भी लिये गये है। उक्त राशि वर्ष 2013-14 में कार्यालय कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण शाखा टीकमगढ़ द्वारा प्रदाय की गई थी। जिसका वितरण भी किया गया है।

**<u>परिशिष्ट - ''बाईस''</u>**

## <u>वन परिक्षेत्र ढीमरखेड़ा के कार्यों की जाँच</u>

**95. ( क्र. 2413 ) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के सामान्य वन मण्डल के ढीमरखेड़ा परिक्षेत्र में कटनी नदी शिल्ट सफाई, झिन्ना पिपरिया से दियागढ़ मार्ग, ठिर्री से सारंगपुर, सैलापुर से पिपरिया नवलिया मार्ग निर्माण में भारी अनियमितताएं की गई है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1136 दिनाँक 17.06.2015 से मुख्य सचिव म.प्र. शासन को किया है, उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई बताएं? **(ख)** कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कौड़िया गांव में फर्म डी.एस. एग्रोटेक कंपनी द्वारा कब से प्लांटेशन का कार्य कितनी भूमि पर कितनी लागत से किया जा रहा है उक्त प्लांटेशन कार्य हेतु फर्म द्वारा कितने लेवर लगाए जाकर श्रम विभाग से पंजीयन कराया गया है? कंपनी द्वारा श्रम विभाग से कराए गए पंजीयन का क्रमांक/दिनाँक बताएं? **(ग)** क्या उक्त कंपनी द्वारा मजूदरों की मजदूरी का भुगतान न किए जाने के संबंध में विभाग को एवं श्रम विभाग को मजदूरों द्वारा कोई शिकायतें प्राप्त हुई है, यदि हाँ, तो शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें तथा मजदूरों को किस गाइड लाईन से किस दर से भुगतान किया गया है, कितना भुगतान किया गया है, कितना भुगतान किया जाना शेष है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** शिकायत जाँच हेतु मुख्य वन संरक्षक जबलपुर को भेजी गई है। **(ख)** निजी कंपनी द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण की जानकारी वन विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। फर्म ने प्लांटेशन कार्य में 50 श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन प्राप्त किया है, जिसका पंजीयन क्रमांक-107 KTN/CL/2015 दिनाँक 24.02.2015 है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>पत्रों पर कार्यवाही बाबत्</u>

**96. ( क्र. 2414 ) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा आयुक्त नगर-निगम कटनी को कार्यालय पत्र क्र. 433 दिनाँक 20.03.2015 लिखकर जानकारी चाही थी तथा स्मरण पत्र 702 दिनाँक 11.05.2015 एवं पत्र क्रमांक

1201 दिनाँक 18.06.2015 दिया था एवं एक अन्य पत्र क्रमांक K-437 दिनाँक 20.03.2015 लिखकर परिषद एवं एम.आई.सी. के बैठक की कार्यवाही की प्रति भी उपलब्ध कराने हेतु लिखा था? पत्र क्रमांक 1200 दिनाँक 18.06.2015 से विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4801 दिनाँक 16.03.2015 के उत्तर की प्रति भी चाही थी, जो प्रश्न दिनाँक तक अप्राप्त है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के पत्रों की जानकारी प्रश्न दिनाँक तक उपलब्ध न कराने के लिये कौन उत्तरदायी है? शासन उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा तथा चाही गई जानकारी कब-तक उपलब्ध कराई जावेगी? **(ग)** क्या आकाश पहरिया ठेकेदार को पत्र क्रमांक 3135, 3136, 3137 दिनाँक 22.10.2009 से कार्य आदेश दिया गया था, उक्त कार्य कब पूर्ण हुआ था, तथा उक्त कार्य में कुल कितनी राशि व्यय हुई थी, यह भी बताएं? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के चौड़ीकरण को क्या गुणवत्ताविहीन होने के कारण पुनः उखाड़ा जाकर पी.एस. कंस्ट्रक्शन द्वारा पुनः चौड़ीकरण किया गया है? यदि हाँ, तो निगम को हुई क्षति के लिये ठेकेदार और कार्य कराने वाले तकनीकी अमले के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? **(ड.)** क्या चाका से बिलहरी मोड़ तक जो रोड का निर्माण हो रहा है, वह गुणवत्ताविहीन है जगह-जगह रोड धस गई है? स्टीमेट एवं डी.पी.आर. के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो रहे है? इस संबंध में किस-किस द्वारा कब-कब शिकायतें की गई शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। निकाय के पत्र क्रं. 2279 दिनाँक 10.07.2015 द्वारा विधान सभा प्रश्न क्रमांक 4801 के उत्तर की प्रति उपलब्ध कराई गई है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" पर** है। **(घ)** जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** जी नहीं। स्टीमेट एवं डी.पी.आर के अनुसार कार्य हो रहा है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" पर** है।

<u>परिशिष्ट - ''तेईस''</u>

## <u>राजस्थान सीमा से पार्वती पुल तक रूठियाई से धरनावद तक रोड निर्माण</u>

**97. ( क्र. 2429 ) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजस्थान सीमा से पार्वती पुल तक रूठियाई से धरनावदा तक रोड बना वह शासकीय भूमि पर बना है? **(ख)** यदि नहीं, बना तो जिन-जिन लोगों की जमीन रोड बनाने में गई है उनको अभी तक मुआवजा मिला है या नहीं? **(ग)** यदि मुआवजा नहीं मिला है तो शासन द्वारा उनको मुआवजा वितरण की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। राजस्थान सीमा (पार्वती पुल) से धरनावदा रूठियाई मार्ग शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार की भूमि पर बना है। **(ख)** जी नहीं। मुआवजा वितरण नहीं हुआ है। **(ग)** भू-अर्जन प्रस्ताव तैयार कर कार्यपालन यंत्री संभाग गुना के पत्र क्रमांक 7247 दिनाँक 28.11.85 एवं पत्र क्रमांक 5007 दिनाँक 29.08.91 से भू-अर्जन अधिकारी गुना को भेजे गये। मुआवजा वितरण की तिथि बताना संभव नहीं है।

## <u>नीलगाय अभ्यारण की व्यवस्था</u>

**98. ( क्र. 2440 ) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 **(क)** के खण्ड **(ख)** के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नीलगायों को मारने के लिए कितने आदेश जारी किये है, सन

2008 के जनवरी माह से दिसम्बर 2014 तक की जानकारी दें? **(ख)** उक्त आदेशेों के तहत कितनी नीलगाय मारी गई हैं, क्षेत्रवार विवरण देवें? **(ग)** नीलगाय अभ्यारण हेतु शासन ने क्या नीति बनाई है और अब तक इसमें कौन-कौन की प्रक्रिया अपनाई गई? **(घ)** नीलगाय अभ्यारण हेतु शासन ने क्या समय-सीमा निर्धारित की है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ख)** प्रश्नाधीन जिले में प्रश्नाधीन अवधि में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नीलगायों को मारने के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ)** नीलगाय अभयारण्य हेतु वर्तमान में कोई नीति विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>ग्वालियर नगर पालिक निगम में निर्वाचित पार्षद के पत्र पर आयुक्त/महापौर द्वारा कार्यवाही</u>

**99. ( क्र. 2454 ) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पत्र क्र./पार्क/2015-16/09 दिनाँक 8.4.2015 श्रीमान आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम ग्वालियर विषय छत्री पार्क (लेडीज़ पार्क) में खण्डहर हो रहे अच्युदानंद व्यायाम शाला को सम्मलित कर पार्क का विस्तार करने बाबत् एवं पत्र क्र./पार्क/2015-16/37 दिनाँक 24.04.2015 श्रीमान आयुक्त महोदय एवं प्रतिलिपि श्रीमान महापौर महोदय नगर पालिक निगम ग्वालियर विषय वार्ड क्र. 41 छत्री पार्क (लेडीज़ पार्क) में हो रही अव्यवस्थाओं एवं स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण कराने बाबत् पत्र क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती उपासना संजयसिंह यादव द्वारा संबंधित आयुक्त/महापौर ग्वालियर को उक्त दिनांकों में दिये गये थे, इन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें? **(ख)** ग्वालियर नगर पालिका निगम में कौन-कौन अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, उनका नाम, मूल विभाग का नाम, किस दिनाँक से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है अब उनको ग्वालियर निगम में कब तक प्रतिनियुक्ति पर और रखा जावेगा यह भी स्पष्ट करें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार।**

**<u>परिशिष्ट – ''चौबीस</u>''**

## <u>भिण्ड जिले में गृह निर्माण मंडल द्वारा भूमि के विक्रय में अनियमितता</u>

**100. ( क्र. 2472 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा सत्र जून जुलाई 2014 तारांकित प्रश्न क्रमांक 1125 दिनाँक 10.07.2014 में निर्मित आश्वासन क्रमांक 448 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल का पत्र क्रमांक 972 दिनाँक 26.03.2015 श्री एस.के. मेहर अपर आयुक्त को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा भूमि विक्रय में हुई अनियमितता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भिण्ड के द्वारा विगत 5 वर्षो में कोई कार्यवाही/निर्माण/कॉलोनी निर्माण व विकास नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो वहां पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जा रहा है, उनको प्रतिमाह कितना भुगतान किया जा रहा है? जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत भिण्ड जिले के

अंतर्गत गृह निर्माण मण्डल अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल था तो भूमि क्रय करके क्यों विक्रय की गई? शासन को कितनी क्षति हुई? जानकारी दें। **(घ)** भिण्ड जिले में गृह निर्माण मण्डल का कब कार्यालय खोलने की अनुमति मिली? क्या उस समय किराये के भवन संचालित हो रहा था? उस समय कौन-कौन से पद स्वीकृत थे? प्रश्नांश दिनाँक को कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? क्या पद समाप्त किए गए हैं? यदि नहीं, तो मण्डल की गतिविधियां कमजोर किस कारण से हुई? गतिविधियां विस्तृत करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं, जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। **(ख)** भूमि प्राप्त नहीं होने के कारण विगत पांच वर्षों में कोई निर्माण गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई। भिण्ड में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का संधारण एवं प्रबंधन का कार्य किया जाता है। वेतन भत्तों पर रू. 1, 21, 824/- का व्यय प्रतिमाह होता है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में मण्डल द्वारा कोई भी निर्माण गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई है, क्योंकि मण्डल को जिले में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। क्रय की गई भूमि पर ऑफिस सह गेस्ट हाउस को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विक्रय की कार्यवाही की गई है। अतः मण्डल/शासन का कोई क्षति नहीं हुई है। **(घ)** उपसंभागीय कार्यालय भिण्ड मुख्यालय के आदेश क्रमांक जी-530 दिनाँक 17.06.1982 के परिपालन में खोला गया, पूर्व एवं वर्तमान में उपसंभागीय कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है। उपसंभाग में स्वीकृत सेटअप (जो कि नियमित उपसंभाग का सेटअप है) के अनुसार पद स्वीकृत है। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में निम्न पद पर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं :-

| **क्रमांक** | **पदनाम** | **कार्यरत** |
|---|---|---|
| 1. | सहायक यंत्री | 01 |
| 2. | सहायक | 01 |
| 3. | चैकीदार | 01 |
| 4. | दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी | 01 |

पूर्व वर्षों में मण्डल की नवीन योजनाओं हेतु भूमि प्राप्त न होने के कारण मण्डल की गतिविधियां आरम्भ नहीं हो सकी है। वर्तमान में मण्डल की गतिविधियों को विस्तृत करने हेतु नवीन भूमि अटल आश्रय आवासीय योजना एवं मण्डल आवासीय योजना हेतु चयन किया जा रहा है।

## उद्योग के लिये आरक्षित भूमि पर नियम विरूद्ध व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन

**101. ( क्र. 2500 ) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रदेश में उद्योगों के आरक्षित भूमि, उद्योग स्थापित करने के लिये ही आवंटन करने के प्रावधान है एवं उद्योग के लिये आवंटित भूमि का उपयोग गैर औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर उक्त भूमि पर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने के भी प्रावधान है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल में उद्योग के लिये आवंटित भूमि का व्यवसायिक उपयोग करने पर 36 औद्योगिक इकाईयों के भूमि आवंटन आदेश निरस्त किए गए थे, उनमें से किन-किन इकाईयों द्वारा भूमि आवंटन निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील किस-किस स्तर पर कब-कब की गई उन इकाईयों की अपील के विरूद्ध महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भोपाल द्वारा अपना पक्ष रखकर अपील निरस्त नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या उद्योग के लिये आवंटित भूमि का व्यवसायिक

उपयोग किए जाने पर उनका आवंटन निरस्तीकरण किए जाने के पश्चात इकाई की अपील पर व्यवसायिक उपयोग की अनुमति, व्यवसायिक दर से भू-भाटक भुगतान करने की शर्त के साथ करने के प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त किन-किन इकाईयों की अपील सशर्त स्वीकार कर व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दी जाकर व्यवसायिक दर से भू-भाटक कितना-कितना कब-कब जमा कराया गया? **(घ)** यदि उद्योग के लिये आरक्षित भूमि पर व्यवसायिक उपयोग की अनुमति के प्रावधान नहीं है, तो उक्त 36 इकाईयों में से किन-किन को नियम विरूद्ध व्यवसायिक उपयोग की अनुमति प्रदान की गई? **(ड.)** क्या उपरोक्त इकाईयों का भूमि आवंटन आदेश दिनाँक 05.08.1989 से लेकर 2013 तक निरस्तीकरण के विरूद्ध इकाईयों द्वारा की गई अपीलें विभाग के अधिकारी एवं औद्योगिक इकाईयों से मिलीभगत होने के कारण निराकरण नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जाँच करार्इ जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार**</u>

**102. ( क्र. 2504 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने शासकीय मंदिर है? क्या धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के समक्ष कलेक्टर/कमिश्नर उज्जैन द्वारा कोई प्रस्ताव बनाकर भेजा है? **(ख)** क्या आगामी वर्ष में सिंहस्थ पर्व होने एवं नागदा, मुंबई दिल्ली का सेन्टर पाईंट होने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी साथ ही मंदिरों में अन्य राज्यों के दर्शनार्थी भी दर्शन करने आयेंगे? **(ग)** यदि हाँ, तो इन मंदिरों के जीर्णोद्धार की शासन की क्या योजनाएं हैं? उन योजनाओं को कब तक अमल में लाया जायेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**सामुदायिक संगठणों के नियमितिकरण के संबंध में**</u>

**103. ( क्र. 2506 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 1990-92 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत 2000/- के निश्चित मानदेय पर 220 सामुदायिक संगठनों की नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरूद्ध की गई थी। वर्तमान में उन्हें 5000/- रू. का मानदेय दिया जा रहा है। **(ख)** चुकी वर्तमान में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा केबिनेट के निर्णय अनुसार दिनाँक 27.02.14 से नगरीय निकायों में नवीन सेटअप स्वीकृत कर सामुदायिक संगठनों के नियमित पदों का भी सृजन किया गया है। **(ग)** स्वीकृत पदों की पूर्ति इन कर्मचारियों से करने पर शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। **(घ)** क्या पूर्व से कार्यरत इन्हीं कर्मचारियों को उक्त पदों पर सेटअप किया जावेगा? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। 01 दिसम्बर 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू हुई है। वर्तमान में 263 सामुदायिक संगठक कार्यरत है। दिनाँक 01-04-2015 से रूपये 6, 500/- प्रतिमाह मानदेय नियत किया गया है। **(ख)** जी हाँ। अपितु सामुदायिक विकास संगठक एवं सहायक सामुदायिक विकास संगठक के नियमति पद प्रावधानित किये गये हैं। **(ग)** जी नहीं। अपितु निकायों पर वित्तीय भार पड़ेगा। **(घ)** वर्तमान में उक्त विषय विचाराधीन है।

<u>**बिना नक्शा पास कराये अवैध निर्माण किया जाना**</u>

**104. ( क्र. 2537 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना नगर पालिक निगम के क्षेत्रान्तर्गत बिड़ला कारपोरेशन लिमिटेड के सतना सीमेंट वर्क्स में स्थित बिड़ला विकास स्कूल की पीछे बनी नई बिल्डिंग, ए-टाईप, बी-टाईप एवं सी टाईप के नये बने 8-8 फ्लैट, डब्ल्यू एच आर एस प्लांट, गैसीफायर प्लांट के निर्माण की अनुमति कब-कब जारी की गई? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित उक्त निर्माण कार्यों में ना तो नक्शा पास कराया गया और ना ही भूमियों का लैंड यूज़ चेंज कराया गया है? अगर नहीं, तो किस-किस प्रकार की भूमियों पर क्या-क्या निर्माण कार्य कब-कब, किस जारी आदेशों (नगर पालिक निगम सतना में) से कराये गये? **(ग)** राज्य शासन उक्त अवैध निर्माण कार्यों को तोड़े जाने हेतु कब व क्या कार्यवाही करेगा? अगर नहीं तो क्यों? नियम बतायें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सतना नगर निगम के क्षेत्रांतर्गत प्रश्नाधीन भवन निर्माण की अनुमतियां निगम कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई है। **(ख)** जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत नगर निगम द्वारा प्रश्नांश "क" में उल्लेखित अवैध निर्माण के संबंध में बिरला लिमिटेड (सतना सीमेंट वर्क्स) को नोटिस जारी की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

<u>अवैध निर्माण साबित होने के बाद भी तोड़ा नहीं जाना</u>

**105. ( क्र. 2538 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल हबीबगंज स्टेशन के पास स्थित मानसरोवर कांपलेक्स के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत अभी तक अवैध निर्माण को न तोड़कर विभाग बिल्डर को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहा है? क्या नगरीय प्रशासन विभाग यह मान चुका है कि उक्त मानसरोवर कांपलेक्स में न सिर्फ अवैध निर्माण किया है एवं पार्किंग की भूमि पर भी भवन का निर्माण किया गया है? **(ग)** प्रश्न **(क)** के तहत उक्त कांपलेक्स के अवैध निर्माण को कब तक तोड़ दिया जायेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(ग)** जी नहीं। भोपाल हबीबगंज स्टेशन के पास स्थित मानसरोवर काम्पलेक्स की भवन अनुमति क्रं. 6379 दिनाँक 29.05.2002 को जारी की गई। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में लेख किया गया था कि नगर निगम द्वारा अनुमति देते समय नगर एवं ग्राम निवेश के निर्देश एवं नियमों का ध्यान नहीं रख गया है। इस संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिमत चाहा गया था। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा पत्र क्रं. क्यू1/जी-50/नग्रानि/जि.का./भोपाल दिनाँक 13.07.2015 प्राप्त हुआ है। पत्र के परिप्रेक्ष्य में भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 299 **(क)** के अंतर्गत जारी की गई भवन अनुज्ञा को रद्ध करने के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>नपा में क्रय सामग्री व निर्माण व्यय की जानकारी</u>

**106. ( क्र. 2556 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिला अंतर्गत नगर पालिका बिजुरी में फर्जी व अवैध खरीदी तथा अन्य अनियमितता

की शिकायत भाजपा मण्डल अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री से जनवरी-फरवरी 2014 में किया था, जिस पर प्रभारी मंत्री ने आयुक्त, शहडोल संभाग को समय-सीमा में जाँच व कार्यवाही का लिखित आदेश दिया है? **(ख)** क्या आयुक्त (राजस्व) शहडोल संभाग ने फरवरी 2014 में जाँच अधिकारी नियुक्त कर जाँच करायी है? यदि हाँ, तो शिकायत के बिंदुवार तथ्य तथा जाँच व भौतिक सत्यापनकर्ता का नाम, पद, जाँच तिथि व जाँच का पूर्ण विवरण देवें? **(ग)** नगर पालिका बिजुरी द्वारा 01 जनवरी 2012 से 31 मई 2015 तक समस्त क्रय सामग्री का नाम, क्रय दर, सप्लायर का नाम, भुगतान राशि, निविदा प्रकाशन तिथि, चेक क्रमांक, सी.एम.ओ. का नाम, क्रय सामग्री किन-किन दिनाँक को स्टोर से निकासी कर उपयोग किया गया बतावें? **(घ)** उक्त निकाय में विद्युतीकरण के एक ही प्रकृति का कार्य जिसकी लागत कई लाख होने पर उसे पार्ट-पार्ट में दस लाख रूपये के अंदर विभाजित कर स्थानीय आधार पर निविदा आमंत्रित किया गया है? यदि हाँ, तो समस्त कार्यों की पृथक-पृथक लागत निविदा दिनाँक प्राप्त निविदाकारों की दर तथा कार्य आदेश व भुगतान की पूर्ण जानकारी देवें तथा उक्त अवधि में निर्माण कार्यों व जल प्रदाय परिवहन तथा जलप्रदाय सामग्री में किन-किन कार्यों के लिये कितनी राशि व्यय किया गया?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** आयुक्त (राजस्व) शहडोल संभाग द्वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जाँच के निष्कर्ष, विवरण की जानकारी दी जायेगी। **(ग)** एवं **(घ)** संभागीय उप संचालक रीवा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका बिजुरी, जिला अनूपपुर को जानकारी भेजने के लिये निर्देश दिये गये हैं। प्राप्त होने पर जानकारी दी जायेगी।

## <u>निर्माण कार्य व सामग्री की सप्लाई</u>

**107. ( क्र. 2557 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी अंतर्गत 01 फरवरी 2013 से 15 जून 2015 तक शासन के विभिन्न मद से प्राप्त राशि की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की अवधि में प्रत्येक निर्माण कार्य के नाम, लागत, भुगतान राशि, भुगतान तिथि, निविदा सूचना की छायाप्रति, संविदाकार का नाम व प्रत्येक निविदा में कार्य अनुसार निविदा दर की तुलनात्मक जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में संपूर्ण क्रय सामग्री का नाम, क्रय आदेश, सामग्री की कीमत, सप्लायर का नाम, भुगतान राशि, भुगतान तिथि, निविदा किस समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई? उसकी प्रति तथा प्रत्येक क्रय कार्यवाही में प्राप्त निविदा का तुलनात्मक पत्रक सहित जानकारी देवें? **(घ)** क्या निर्माण कार्य के निविदा आमंत्रण में प्रथम निविदा प्रक्रिया में सिंगल निविदा प्राप्त होने पर भी स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य का नाम, लागत, निविदाकार का नाम, निविदा दर, भुगतान राशि व तिथि सहित परिषद से अनुमोदन तिथि, कार्य आदेश तिथि की जानकारी देवें तथा अध्यक्ष से निविदाकार का क्या पारिवारिक रिश्ता है पूर्ण जानकारी देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' पर** है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' पर** है। **(ग)** विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ग'' पर** है। **(घ)** जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''घ'' पर** है।

## <u>सड़क निर्माण में अनियमितता एवं समय पर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना</u>

**108. ( क्र. 2612 ) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चौरई से चांद सड़क निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गयी? लागत राशि क्या है? निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है? एजेंसी कौन है? क्या एजेंसी के द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है? सड़क निर्माण की प्रगति क्या होनी चाहिए थी वर्तमान में क्या है? **(ख)** क्या चौरई-चॉद सड़क को चौरई बायपास के पास से औढ़ा नाला से आगे खूटपिपरिया के पास तक सड़क को एक वर्ष पूर्व से खोदकर छोड़ दिया गया है जिससे सड़क पर गिट्टियां उखड़ कर फैल गयी है जिसके चलते आवागमन में बेहद कठिनाई हो रही है और आये दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? यदि हाँ, तो विभाग के द्वारा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करते हुए प्रश्रय दिये जाने का क्या कारण है? **(ग)** क्या उक्त सड़क का गुणवत्ताहीन निर्माण, समयबद्ध निर्माण नहीं करने, सड़क को खोदकर छोड़ देने के कारण प्रश्नकर्ता ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाने की मांग व सड़क का शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निवेदन किया गया है? यदि हाँ, तो इस पत्र पर अब तक किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, की गयी है तो क्यों? **(घ)** क्या शासन चौरई-चॉद सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही, सड़क खोदकर छोड़ देने, निर्माण नहीं कराने की बात को संज्ञान में लेकर प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाने का आदेश देगा तथा जिम्मेदारी नियत कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त डामर सतह को खोदकर अलग किया गया। जी नहीं विभाग द्वारा सतह को मेनटेन किया जा रहा है। दुर्घटना की संभावना नहीं है। ठेकेदार द्वारा ठीक कार्य नहीं किये जाने के कारण दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर ठेका निरस्त किया गया है। **(ग)** प्रश्नांश में उल्लेखित माननीय विधायक जी द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>विधानसभा क्षेत्र चौरई में विधायक की प्राथमिकता वाली सड़कों का निर्माण</u>

**109. ( क्र. 2613 ) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने सड़क निर्माण के स्वीकृति और निर्माण में लेटलतीफी को दृष्टिगत रखते हुए छिन्दवाड़ा जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र चौरई में सड़कों के निर्माण की प्राथमिकता तय कर कुल 5 सड़कों के निर्माण हेतु पत्र क्रमांक 799 दिनाँक 30.05.2015 माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पत्र क्रमांक 800 दिनाँक 30.05.2015 माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया है? **(ख)** क्या चौरई से चॉद विछुआ होते हुए खमारपानी एवं धनेगांव तक तथा बोरगांव से लोधीखेड़ा होते हुए रंगारी गोठी तक केन्द्रीय सड़क निधी (सी.आर.एफ.) फंड से स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने हेतु पत्र क्रमांक 1782 दिनाँक 31.08.2014 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** का यदि हाँ, है तो उक्त पत्रों में उल्लेखित तथा प्रश्नकर्ता के प्राथमिकता में शामिल सड़कों के नामों का उल्लेख करते हुए यह बतावें कि इन सड़कों के स्वीकृति एवं निर्माण की दिशा में अब तक किस स्तर से क्या पहल की गयी है? पत्रों में उल्लेखित सड़कवार जानकारी दें?

**(घ)** क्या शासन प्रश्नकर्ता के प्राथमिकता में शामिल उक्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है। **(घ)** वर्तमान में न तो स्वीकृत है और न ही बजट में सम्मिलित है।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

## उज्जैन को आंशिक पवित्र क्षेत्र के संबंध में

**110. ( क्र. 2651 ) डॉ. मोहन यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के कार्यकाल में उज्जैन शहर को आंशिक पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हाँ, है तो क्या उक्त घोषणा के अंतर्गत सिंहस्थ क्षेत्र के समीप तथा प्राचीन शहर में स्थित मदिरा एवं मांस विक्रय के ठेके एवं विक्रय नहीं किया जावेगा? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित आदेश अभि भी अस्तित्व में है? उक्त आदेश के पश्चात और क्या-क्या परिवर्तन या संशोधन उक्त आदेश में हुए है उनकी प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या उक्त घोषणा के नियमों का पालन नहीं करते हुये उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में अभी भी मांस एवं शराब का विक्रय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत? यदि आदेश के विपरीत उक्त विक्रय कियाजा रहा है तो उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, उपर वर्णित स्थानों के 100 मीटर के दायरे में मांस विक्रय प्रतिबंधित है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ है। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## उज्जैन को पवित्र आंशिक नगरी की घोषणा

**111. ( क्र. 2659 ) डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के कार्यकाल में उज्जैन शहर को आंशिक पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुये संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करें? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हां है, तो क्या उक्त घोषणा के अंतर्गत सिंहस्थ क्षेत्र के समीप तथा प्राचीन शहर में स्थित मदिरा एवं मांस विक्रय के ठेके एवं विक्रय नहीं किया जावेगा? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित आदेश अभी भी अस्तित्व में है? उक्त आदेश के पश्चात् और क्या-क्या परिवर्तन या संशोधन उक्त आदेश में हुए हैं, उनकी प्रति उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या उक्त घोषणा के नियमों का पालन नहीं करते हुये उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में अभी भी मांस एवं शराब का विक्रय किया जा रहा है? यदि है तो किस आदेश के तहत? यदि आदेश के विपरीत उक्त विक्रय किया जा रहा है, तो उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## जिला शाजापुर अंतर्गत सड़क निर्माण

**112. ( क्र. 2688 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला शाजापुर, तहसील शुजालपुर अंतर्गत फरवरी, 2012 में दुग्धा-लाहारखेड़ा (अजनाई)

पर बहने वाले नाले पर पुल निर्माण हेतु घोषणा की गई थी? **(ख)** क्या उक्त हेतु वर्ष 2012 में सप्लीमेन्ट्री बजट में प्रावधान भी किया गया था? यदि हाँ, तो कितना? **(ग)** उक्त प्रस्ताव, वर्तमान में किस स्तर पर किन कारणों से लंबित है? **(घ)** उक्त कार्य हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करा लिया जायेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। रूपये 189.00 लाख। **(ग)** विजन-2018 के डक्यूमेंट के प्रस्ताव अनुसार राज्यमार्गों व मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के कारण प्राथमिकता क्रम में न आने के कारण लंबित। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**सीहोर जिला अंतर्गत आने वाले टोल-नाके**</u>

**113. ( क्र. 2690 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीहोर जिले की सीमा अंतर्गत आने वाले किन मार्गों पर कहाँ-कहाँ टोल-टैक्स के माध्यम से वाहनों से शुल्क लिया जाता हैं? विधानसभा क्षेत्रवार ब्यौरा देवें? किस प्रकार के वाहनों से कितना-कितना शुल्क टोल टैक्स वार लिया जाता है? पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** क्या बुधनी विधानसभा अंतर्गत गुजरने वाले मार्गों पर स्थापित टोल नाकों द्वारा एल.एम.वी. वाहनों से शुल्क नहीं वसूला जाता है? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत यह छूट टोल-टैक्स द्वारा एल.एम.वी. वाहनों को प्रदाय की गई? **(ग)** क्या यह छूट इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोनाझिर पर स्थापित टोल-टैक्स बूथ द्वारा प्रदान की जाती हैं? यदि नहीं, तो इस असमानता/विषमता का क्या कारण हैं? **(घ)** क्या टोल-टैक्स बूथ की 20 कि.मी. परिधि में रहने वाले नागरिकों के वाहनों को टोल-टैक्स शुल्क अदायगी से राहत दी जाएगी? किन-किन स्थानों पर म.प्र. सरकार टोल-टैक्स को समाप्त करने जा रही हैं?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख)** जी हाँ। ओ.एम.टी. योजना में यात्री वाहन म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 01/09/2007 द्वारा एल.एम.वी. वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है। **(ग)** जी नहीं। इच्छावर विधान सभा क्षेत्र में सीहोर-इच्छावर-कोसमी मार्ग का निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+ एन्युटी) योजनांतर्गत कराया गया है। जिसके अनुबंधानुसार एल.एम.वी. वाहनों से टोल शुल्क लिया जाना है। **(घ) संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - ''छब्बीस''**</u>

<u>**आवासहीनों को लीज पर दिए गए पट्टों के संदर्भ में**</u>

**114. ( क्र. 2694 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. में नगरीय निकाय क्षेत्र में आवासहीन निर्धन हितग्राहियों को आवासीय पट्टे दिए गए थे? यदि हाँ, तो कब? **(ख)** पट्टे देते समय क्या कोई शर्त रखी थी एवं इन पट्टों के नवीनीकरण हेतु क्या नियम बताए गए? **(ग)** क्या इन पट्टों का नवीनीकरण शासन द्वारा कर दिया गया? यदि नहीं, तो शासन कब तक इन पट्टों का नवीनीकरण कर देगा? सीहोर जिले की भी स्थिति स्पष्ट करें? **(घ)** नवीनीकरण हेतु शासन ने क्या योजना बनाई है? शासन आवासीय पट्टे/लीज की कौन सी जमीन को फ्री-होल्ड घोषित करने जा रहे हैं? क्या शहरी क्षेत्र में आवासीय शुल्क जमा कर इन पट्टेधारियों

को भू-स्वामित्व का लाभ शासन देगा? अभी तक सिहोर जिले में कितने हितग्राहियों को फायदा पहुंचाया गया?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। वर्ष 1984, 1998, 2003, 2008 एवं 2013 में दिये गये थे। **(ख)** जी हाँ। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम 2008 के नियम 7 के अंतर्गत प्रारूप "ख" की शर्त क्रं. 6 एवं प्रारूप "ग" की शर्त क्रं. 4 अनुसार नवीनीकरण प्रावधानित है। **(ग)** मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम 2008 के नियम 7 के अंतर्गत प्रारूप "ख" की शर्त क्रं. 6 अनुसार पट्टेदार के निवेदन पर नवीनीकरण प्रावधानित है। सीहोर जिले में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुये है। **(घ)** नवीनीकरण की कोई योजना नहीं बनाई गई है। पट्टे/लीज की जमीन को फ्री-होल्ड करने संबंधी विषय विचाराधीन है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## सीहोर जिले में उद्योगों की स्थापना

**115. ( क्र. 2696 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम तकीपुर (विधानसभा इच्छावर) में दौलतराम एण्ड संस कंपनी के कारखाने निर्माण हेतु कब और किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया था? प्रश्न दिनाँक तक निर्माण कार्य की क्या स्थिति है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** कारखाना कब तक स्थापित होगा? निर्माण कार्य में देरी के कारण स्पष्ट करें? **(ग)** सीहोर जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु विगत तीन वर्ष से किन-किन कंपनियों एवं सरकार के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए? उक्त उद्योग कहाँ-कहाँ स्थापित होंगे? उद्योगों की स्थापना हेतु किन-किन हल्का नंबरों के किन-किन खसरा नंबरों की कितनी जमीन आवंटित की गई? **(घ)** निर्मित होने वाले उद्योगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा? उक्त कारखानों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार मुहैया कराने के क्या प्रावधान हैं? कितने प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को उक्त उद्योगों में रोजगार मिलेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** मेसर्स दौलतराम इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा ग्राम तकीपुर, शेरपुर, जिला सीहोर में रेल इंजन के कारखाने के निर्माण हेतु भूमि पूजन दिनाँक 27 अक्टूबर, 2012 को मान. मुख्यमंत्रीजी एवं अन्य अतिथिगण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। निजी उद्योगों के निर्माण संबंधी जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** उद्योग निजी उद्योग है अतः जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ग)** सीहोर जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में से मेसर्स सांई ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज ग्राम तालपुरा बुधनी में निजी भूमि पर तथा मेसर्स रामाश्री वैफर्स प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र पचामा, सीहोर में स्थापित हो गये हैं। **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2** में उल्लेखित उद्योग मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर उनको आवंटित भूमि पर स्थापित होना प्रस्तावित है। शेष एम.ओ.यू.कर्ता कंपनियों के भूमि आवंटन के विधिवत आवेदन नहीं हैं। अतः यह उद्योग कहाँ-कहाँ स्थापित होगें बताया जाना संभव नहीं है। एम.ओ.यू. कर्ता उद्योगों को आवंटित भूमि के हल्का नंबरों एवं खसरा नंबरों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर** है। (घ) निर्मित होने वाले उद्योगों से लगभग 1560 रोजगार सृजित होने की संभावना है। एम.ओ.यू. अनुसार कुल रोजगार में प्रदेश के 50 प्रतिशत निवासियों को रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है।

**परिशिष्ट - "सत्ताईस"**

## नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी

**116. ( क्र. 2697 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछले 10 वर्षों में म.प्र. में कितनी नगर पंचायतें अस्तित्व में आई और कौन-कौन सी? जिलेवार जानकारी देवे? **(ख)** उक्त नगर पंचायतों के गठन के पहले जो कर्मचारी ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे थें इनका संविलियन किन-किन पदों पर किया गया? संविलियन के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए? **(ग)** पंचायत सचिवों/चौकीदारों का किस पद पर संविलियन किया गया? संविलियन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर थी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) संलग्न परिशिष्ट के कामल 5 पर** दी गई है। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के उपनियम 8 में दिये गये प्रावधान एवं सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम 1967 के उपनियम 8 में दिये गये प्रावधान एवं मापदंड अनुसार जिला चयन समिति के माध्यम से पात्र कर्मचारियों का संविलियन किया जाता है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 6 पर** दी गई है। संविलियन मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम 1967 के उपनियम 8 अनुसार किया जाता है। कार्यवाही संयुक्त रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल तथा जिला चयन समिति द्वारा की जाती है।

<u>परिशिष्ट – "अट्ठाईस"</u>

## पुल का निर्माण

**117. ( क्र. 2720 ) श्री संजय शाह मकड़ाई :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हरदा जिले में छिपानेर हरदा मार्ग पर ग्राम अवगांव से स्वीकृत पुल कब पूर्ण हुआ, उसकी मियाद कितनी थी? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच की गई? यदि हाँ, तो दिनाँकवार विवरण देवें? **(ख)** क्या हरदा जिले के ग्राम अवगांव में स्वीकृत पुल टूट गया है? यदि हाँ, तो जनहानि हुई है जिससे शासन को कितना नुकसान हुआ है इसकी जवाबदारी किसकी है? संबंधित पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताये? **(ग)** उक्त पुल टूटने पर संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? कारण बताये? क्या उक्त पुल गुणवत्ताविहीन था? निर्माणाधीन पुल का किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था? उसकी रिपोर्ट दिनाँकवार उपलब्ध कराये?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** हरदा जिले में छीपानेर हरदा मार्ग पर ग्राम अवगांव के समीप सुकनी नदी पर पुल दिनाँक 31.12.2010 को पूर्ण हुआ। अनुबंध के अनुसार इसकी मियाद (परफारमेंस अवधि) तीन वर्ष अर्थात दिनाँक 31.12.2010 तक थी। जी हाँ। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र भोपाल द्वारा दिनाँक 05.08.2014 को निरीक्षण किया गया। **(ख)** हरदा जिले के ग्राम अवगांव में निर्मित पुल की एप्रोच की रिटेनिंगवाल विगत वर्ष टूट गई थी। उसके मरम्मत का कार्य निवेशकर्ता द्वारा किया जा रहा है। मरम्मत कार्य किये जाने के दौरान दिनाँक 27.06.2015 को ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसमें शासन का नुकसान नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं, उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश 'क' अनुसार।

<u>देव स्थानों के जीर्णोद्धार की स्वीकृत राशि</u>

**118. ( क्र. 2734 ) श्री अरूण भीमावद :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय सत्र 2014-15 में देव स्थानों के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? **(ख)** यदि की गई थी, तो श्रीराम मंदिर ग्राम चौसला कुल्मी रू. 16,40,000/- (2) श्री शिव मंदिर ग्राम चौसला कुल्मी रू. 16,40,000/- (3) श्री जमेश्वर महादेव मंदिर नगर, शाजपुर 14,50,000/- की स्वीकृत राशि अभी तक मंदिर निर्माण हेतु प्राप्त क्यों नहीं हुई? **(ग)** वित्तीय स्वीकृति के बाद राशि कब तक प्राप्त हो जाती है? **(घ)** उक्त देव स्थानों की निर्माण राशि कब तक प्राप्त होगी?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>किसानों की भूमि पर नाली, खाईयां खोदने से रोकने बाबत्</u>

**119. ( क्र. 2741 ) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्वालियर जिले के घाटीगांव तहसील के करही, पाटई, पटवारी हल्के के ग्रामों मानपुर, भर्करा, भर्करी, पाटई, करही आदि ग्रामों के किसानों की भूमि पर वन विभाग के कर्मचारी नाली एवं खाईयां खोद रहे हैं एवं बबूल के बीज बो रहे हैं? क्या इसे रोका जावेगा? **(ख)** यदि नहीं, तो वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त सीमांकन कब तक कराया जावेगा? सीमांकन कराके वन विभाग के सुनारे कब तक हटाये जावेंगे, ताकि किसानों को नयाय मिल सके, उनकी निजी भूमि से वन विभाग को बेदखल किया जा सके?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वन राजस्व सीमा विवाद के निराकरण अंतर्गत जनवरी 2008 में सीमा निश्चित होने के बाद ही मुनारों का निर्माण कराया गया है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रतापगढ़ - गोरखपुर मार्ग का निर्माण</u>

**120. ( क्र. 2758 ) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले के अंतर्गत प्रतापगढ़-गोरखपुर मार्ग निर्माण हेतु कितनी राशि कितने किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी? प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रति दें। **(ख)** उक्त मार्ग पर कितने किलोमीटर में क्या-क्या कार्य करवाया गया तथा कितनी राशि व्यय हुई? उक्त कार्य का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किसने किया? क्या उक्त मार्ग वर्तमान में आवागमन योग्य है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या उक्त मार्ग का कार्य अपूर्ण है तथा स्वीकृत राशि व्यय कर दी गई? यदि हाँ, तो क्यों? उक्त मार्ग का कार्य क्यों पूर्ण नहीं करवाया जा रहा है? **(घ)** उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण करवाने हेतु मान. मंत्रीजी तथा विभाग को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** स्वीकृत राशि रूपये 687.50 लाख एवं स्वीकृत लंबाई 22.60 कि.मी.। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'अनुसार** है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। जी नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

<u>अपूर्ण भवन तथा सड़कों का निर्माण कार्य</u>

**121. ( क्र. 2759 ) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले में किन-किन सड़कों तथा भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों सड़कवार, भवनवार कारण बतायें? उक्त कार्य समयावधि में पूर्ण हों, इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की। **(ख)** रायसेन जिले में किन-किन सड़कों का निर्माण परफारमेंस गारंटी में किया गया है तथा गारंटी अवधि में ठेकेदार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत तथा सुधार कार्य क्यों नहीं करवाया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** उक्त पत्रों के जवाब संबंधित सांसद/विधायकों को कब-कब दिये तथा यदि नहीं, तो क्यों? कब तक बिन्दुवार जवाब देंगे?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(घ)** दिनाँक 20.02.2015। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

<u>कान्हा एवं बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान को म.प्र.शासन/केन्द्र सरकार द्वारा धनावंटन के उपयोग</u>

**122. ( क्र. 2764 ) श्री संजय शाह मकड़ाई :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में म.प्र. शासन एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014, 2014-15 में कितनी राशि आवंटित हुई थी? इस राशि का क्या उपयोग किया गया है? पिछ्ले एक वर्ष में आई राशि का किन-किन मदों में उपयोग किया गया? व्यय मदवार विवरण देवें। **(ख)** कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफारी हेतु टिकिट के लिये व्ही.आई.पी. कोटा का प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ, तो व्ही.आई.पी. श्रेणी की पदवार सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(ग)** क्या कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में विधायकों/सांसदों व उच्च श्रेणी अधिकारियों को सफारी हेतु विशेष सुविधा का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं। धारण क्षमता के 10 प्रतिशत तक वाहनों की प्रवेश अनुमति क्षेत्र संचालक द्वारा स्वविवेक अनुसार देने का प्रावधान है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा पूर्ण एवं अपूर्ण सडकों के संबंध में</u>

**123. ( क्र. 2768 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा कितनी सड़कें बन चुकी है व कितनी अपूर्ण हैं व कितनी प्रस्तावित है? सड़कों के नाम, दूरी तथा वर्तमान स्थिति बतायें। **(ख)** मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन की कितनी पूरी हुई व अधूरी सड़कों पर नियमानुसार वृक्षारोपण हुआ है तथा कितने पेड़ सड़क निर्माण में प्रत्येक सड़क पर काटना पड़ा व उसके बजाय कितने पेड़ लगाने का प्रावधान है? **(ग)** नयागांव लेबड़ फोरलेन रोड पर कितनी-कितनी व क्या-क्या शिकायतें, किसके द्वारा पिछ्ले 5 वर्ष में मिली? उनका विवरण देते हुए प्राक्कलन समिति, मध्यप्रदेश विधानसभा के लिये सुझावों व विधायकों की बनी समिति के दौरे व उसमें की शिकायतों का विवरण देते हुये बतायें

कि शासन ने क्या कार्यवाही की? **(घ)** नयागांव लेबड़ फोरलेन पर कितना खर्च हुआ व टोल टेक्स के जरिये कितनी धनराशि जनता से पिछले माह तक मिली व जब तक पूरे वृक्ष न लग जाये, शासन किसी अन्य एजेन्सी से पेड़ लगवाकर यह राशि टोल टेक्स से वसूलने पर विचार करेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। अधूरी सड़कों पर वृक्षारोपण प्रगतिरत् है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' एवं ''अ'' अनुसार** है। **(घ)** जावरा-लेबड़ फोरलेन पर लेबड़ से जावरा तक कुल राशि रू. 605.45 करोड़ स्वीक्रत की गई एवं निवेशकर्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार टोल टेक्स के द्वारा राशि रू. 500.33 करोड़ धनराशि जून-2015 तक प्राप्त हुई। जावरा से नयागाँव तक फोरलेन निर्माण में कुल राशि रू. 450.47 करोड़ स्वीकृत की गई एवं निवेशकर्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार टोल टेक्स के द्वारा राशि रू. 496.83 करोड़ धनराशि जून-2015 तक प्राप्त हुई। अनुबन्धानुसार पौधों का रोपण किया जा चुका है एवं मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण नियमित प्रक्रिया के तहत् किया जा रहा है अतः अन्य एजेन्सी से पेड़ लगवाकर राशि टोल टेक्स से वसूलने पर विचार नहीं है।

## जिला शहडोल क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं का विवरण/बाई-पास सड़क निर्माण

**124. ( क्र. 2802 ) श्री रामपाल सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शहडोल जिले के जयसिंहनगर कस्बे के बीचों-बीच शहडोल-अमरकंटक राजमार्ग जो बस्ती के अंदर अत्यंत संकरा है और बंधा साप्ताहिक बाजार के पास सदैव सड़क दुर्घटना होती रहती है, यदि हाँ, तो विगत 08 वर्षों में उक्त स्थल पर कितनी दुर्घटनाएं हुई? **(ख)** क्या वर्ष 1984-85 या उसके बाद या पूर्व लोक निर्माण द्वारा जनकपुर रोड से अखडार नदी तक बाई पास सड़क निर्माण के लिये मिट्टी का कार्य किया गया था, उसके बाद वर्ष 2005 में चूंदी नदी से जनकपुर रोड तक बाई पास सड़क के लिये मिट्टी मुरम का कार्य किया गया है, तथा विभाग द्वारा बाई पास के पक्की सड़क हेतु प्राक्कलन भेजा गया है? यदि हाँ, तो कब और नहीं तो 30 वर्ष पूर्व महसूस की गई बाई पास सड़क निर्माण कार्य को कब तक पूरा किया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी नहीं, बंधा साप्ताहिक बाजार के पास विगत 8 वर्षों में कुल 58 दुर्घटनायें हुई है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, दिनाँक 15.09.14 को, कार्य स्वीकृत नहीं होने से, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## वन परिक्षेत्राधिकारी जय सिंह नगर द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत

**125. ( क्र. 2805 ) श्री रामपाल सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वनमंडल उत्तर शहडोल के वन परिक्षेत्राधिकारी जयसिंहनगर के गंभीर अनियमितताओं की शिकायत सी.एम. हेल्पलाईन 578480 दिनाँक 28.12.2014 को प्रस्तुत की गई है यदि हाँ, तो उपरोक्त शिकायत का निराकरण हो चुका है? यदि हुआ है तो क्या और नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या उपरोक्त खण्ड **(क)** के शिकायत की जाँच पूर्व में उप वनमंडलाधिकारी जयसिंहनगर द्वारा की जाकर प्रतिवेदन क्रमांक 1329 दिनाँक 17.11.2014 प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई? पुनः इसी स्तर के अधिकारी को वन संरक्षण वृत्त शहडोल के पत्र क्र. 8886 दिनाँक 11.12.2014 के द्वारा श्री मान सिंह मरावी, उप प्रबंध संचालक उत्तर शहडोल को लेख किया

गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त संबंध में कार्यवाही हुई? **(ग)** क्या वन मंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत की गई अनियमितता की शिकायत के जाँच हेतु वन वृत्त शहडोल द्वारा पत्र क्र/शिका./2014/8554 दिनाँक 28.11.2014, क्र./शिका./2013/6648 दिनाँक 07.10.2013 क्र./स्टेनों/7645 दिनाँक 23.11.2013, क्र./शिका./2013/4163 दिनाँक 18.09.2013, क्र./शिका./2014/4145 दिनाँक 24.06.2014, क्र./शिका./2014/2865 दिनाँक 05.05.2014 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्र./शि.रा./1/2013/8582 दिनाँक 20.09.2013 तथा पत्र क्र./शि.रा./1/2013/1061 दिनाँक 24.02.2014 का पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या लघु वनोपज, सहकारी संघ द्वारा तेंदू पत्ता श्रमिकों के बच्चों के लिये वर्ष 2010 में एकलव्य शिक्षा योजना लागू की गई थी? यदि हाँ, तो योजना प्रारंभ दिनाँक से कितने लोगों को किस प्रकार का लाभ वन मंडल उत्तर एवं दक्षिण शहडोल में पहुंचाया गया है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। शिकायत का स्वरूप वृहद होने के कारण जाँच वर्तमान में प्रचलित है। **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। इन पत्रों से प्राप्त शिकायतों की जाँच उपवनमण्डलाधिकारी, जयसिंहनगर, उपवनमण्डलाधिकारी, ब्यौहारी तथा श्री मान सिंह मरावी, उपप्रबंध संचालक, उत्तर शहडोल को दी गई है। उपवनमण्डलाधिकारी, जयसिंहनगर तथा उपवनमण्डलाधिकारी, ब्यौहारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। श्री मान सिंह मरावी, उपप्रबंध संचालक, उत्तर शहडोल द्वारा की जा रही जाँच अभी प्रचलित है। **(घ)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

## जिला सीहोर-नगर के एक मात्र ओवर ब्रिज निर्माण विषयक विवरण

**126. ( क्र. 2831 ) श्री सुदेश राय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सीहोर के नगर सीहोर में एक मात्र ओवर ब्रिज निर्माण कार्य किस ऐजेंसी द्वारा किया जा रहा है, इसकी कुल लागत कितनी है? **(ख)** ब्रिज के दोनों छोर पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? मात्र बीच का हिस्सा बचा है, जो अपूर्ण हैं, इसके अपूर्ण रहने का क्या कारण है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?। **(ग)** ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में विलंब होने के क्या कारण हैं? **(घ)** अभी तक हुये निर्माण पर कुल कितना व्यय हो चुका है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** ठेकेदार मेसर्स पुनीत चडढा भोपाल ज्वाईन्ट वेंचर मेसर्स वनखण्डेश्वर भिण्ड द्वारा किया जा रहा है, कार्य की लागत राशि रू. 1551.60 लाख है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ, बीच के हिस्से में रेल्वे पोर्सन का कार्य रेल्वे विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। अतः रेल्वे विभाग का कार्य कब तक पूर्ण होगा वर्तमान में बताना संभव नहीं है। **(ग)** रेल्वे विभाग द्वारा कार्य न किया जाने के कारण रेल्वे सीमा में निर्माण कार्य नहीं हुआ है। **(घ)** जून-2015 तक निर्माण में कुल रू. 1475.63 लाख का व्यय हो चुका है।

## जिला-अनूपपुर, कोतमा नगर की केवई नदी के रपटे का निर्माण

**127. ( क्र. 2895 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला अनूपपुर के कोतमा शहर के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 के निकट बहने वाली

केवई नदी में बने हुये रपटे का निर्माण कब किया गया था? क्या वह रपटा क्षतिग्रस्त है, यदि हाँ, तो क्या इसकी मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है? **(ख)** विगत वर्षों में बाढ़ में रपटे को पार करते हुए बाढ़ में बह जाने से अनेक लोगों की मृत्यु हुई, ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विभाग क्षतिग्रस्त रपटे पर मरम्मत का कार्य कब तक करवा देगा? **(ग)** क्या केवई नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव भी विभाग के पास में विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा? **(घ)** क्या यह पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं? **(ड.)** कोतमा विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने शासकीय भवनों का निर्माण विभाग द्वारा किया गया, उनमें से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? पूर्ण विवरण दें? पूर्ण भवनों को कब तक संबंधित विभाग को सौंपा जायेगा, अपूर्ण भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** वर्ष 1983-84 में। वर्तमान में यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन होने से प्रश्नाधीन रपटा इस विभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत नहीं है अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नाधीन योजना विभाग में प्रचलन में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है।

<u>नगर पालिका/नगर निगम मुरैना द्वारा विकास/निर्माण कार्य</u>

**128. ( क्र. 2907 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगरपालिका एवं नगरपालिका निगम मुरैना द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किस योजना अन्तर्गत कौन से निर्माण कार्य किन एजेन्सियों/फर्मों से कितनी राशि के कराये गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में रूपये 2.00 लाख की लागत राशि से कम राशि के कितने विकास एवं निर्माण कार्य कराये गये? उक्त कार्य किस फर्म/एजेन्सी से कराये गये? क्या उक्त कार्य कराये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में नगरपालिक निगम द्वारा रूपये 2.00 लाख की लागत राशि से कम राशि के विकास एवं निर्माण कार्य कराये जाने हेतु किन-किन समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराया गया?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** राशि रू. 2.00 लाख की लागत से कम के कार्य नहीं कराये गए है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** राशि रू. 2.00 लाख की लागत से कम के कार्य की निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है।

<u>शहडोल पंडरिया एवं डिण्डौरी बिछिया मार्ग निर्माण</u>

**129. ( क्र. 2918 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल पंडरिया एवं बिछिया डिण्डौरी मार्ग में कितनी घनमीटर मुरम लगी है तथा कितनी घनमीटर 40mm गिट्टी, 20mm गिट्टी, 10mm गिट्टी, लगी है? मात्रा बतावें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार मुरुम और गिट्टी कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुआ है? जमीन का रकवा, जमीन का खसरा, प.ह.न. तहसील का नाम बतावें? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** अनुसार जमीनों से खुदाई की अनुमति हेतु कब

आवेदन दिया गया एवं खुदाई करने के लिए अनुमति कब दिया गया? अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद सहित जानकारी बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** शहडोल पडरिया मार्ग में उल्लेखित सामग्री का संयुक्त रूप से उपयोग हुआ है। अत: उक्त सामग्री की अलग-अलग से मात्रा बताना संभव नहीं है। बिछिया-डिण्डोरी मार्ग के निर्माण में 49165 घनमीटर मुरूम लगी है। साईज 40 एम.एम., 20 एम.एम., 10 एम.एम. का उपयोग अलग-अलग नहीं किया जाता है। उक्त साईज की गिट्टी की मात्रा अलग-अलग बताना संभव नहीं है। कुल 43503 घनमीटर गिट्टी का उपयोग हुआ है। **(ख)** शहडोल पडरिया मार्ग निर्माण हेतु निवेशकर्ता/अनुबंधकों द्वारा सामग्री के लाने के क्षेत्र का विवरण नहीं, वरन् गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रावधानित है। बिछिया-डिण्डोरी मार्ग हेतु प्रश्नानुसार जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है। ठेकेदार से पूर्ण कार्य का अनुबंध कराया जाता है। विभाग द्वारा रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही या आवश्यक रायल्टी काटकर ही भुगतान किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

**वर्ष 2012-13 में युवाओं हेतु रोजगार योजनाओं की जानकारी**

**130. ( क्र. 2921 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2012 एव 2013 में कौन-कौन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिये सहायता दी जाती थी, कृपया योजना का नाम, योजना प्रारंभ वर्ष वर्गवार योजना से दी जाने वाली सहायता का प्रकार अधिकतम छूट राशि न्यूनतम छूट राशि योजनावार बतावें? **(ख)** वर्तमान में युवाओं की रोजगार हेतु संचालित योजना का नाम, प्रारंभ वर्ष, वर्गवार अनुदान (छूट) की प्रकार योजनावार बतावें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

**परिशिष्ट - "तीस"**

**सीधी तथा सिंगरौली जिलों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा जल/वायु प्रदूषण**

**131. ( क्र. 2948 ) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिंगरौली सीधी जिलों में स्थित उद्योग इकाईयां जल और वायु प्रदूषण फैला रही है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? **(ख)** प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची एवं प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी दें? **(ग)** पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योगों के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कौन सी अनुमतियां ली जाना जरूरी है? क्या इन अनुमतियों की जरूरी शर्तों का पालन किया जा रहा है? जो उद्योग इन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और प्रदूषण के निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर रहे है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जिन उद्योगों से खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होते है उन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 के तहत प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। इन

जिलों में स्थापित उद्योगों द्वारा प्राधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जा रहा है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग 78 का फोरलेन का अपूर्ण कार्य/विलम्ब

**132. ( क्र. 2949 ) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ठेकेदार एवं शासन की उदासीनता के कारण यह राष्ट्रीय राजमार्ग 78 का फोरलेन का कार्य अधूरा पढ़ा हुआ है? विलंब का कारण एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 का 3 वर्ष पूर्व सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक मुख्यालय में मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया गया था? **(ग)** क्या फोरलेन के खनाई एवं खुदाई के कारण मुख्य राजमार्ग भी जर्जर हो गया है तथा मुख्य राजमार्ग के नज़दीक रह रहे रहवासी प्रदूषण के कारण दमा रोग से ग्रसित होते जा रहे है? यदि हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 78 की पूर्ण होने की समय-सीमा एवं व्यय की गई राशि की जानकारी बतायें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं। सड़क (एन.एच.-75) निर्माणाधीन है सड़क वन क्षेत्र से गुजर रही है। वन क्षेत्र में निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त हो चुकी है। निवेशक एवं बैंक के मध्य वित्तीय प्रबंधन में देरी से विलम्ब हुआ। विभाग विलंब हेतु दोषी नहीं है अतएव कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। दिनाँक 01.12.2012 को भूमि पूजन सपन्न हुआ। **(ग)** जी नहीं। निवेशक द्वारा रहवासी क्षेत्रों से गुजरने वाले भागों मे पानी छिड़काव किया जा रहा है। निवेशक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित प्रोग्राम अनुसार दिसम्बर 2016 तक सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-75 विस्तार पूर्ण होने की संभावना है एवं अभी तक निवेशक द्वारा 234.45 करोड़ रूपये व्यय किये है।

## शोभापुर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण

**133. ( क्र. 2959 ) श्री अशोक रोहाणी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 जबलपुर के द्वारा शोभापुर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण संबंधी कार्यादेश किस दिनाँक को जारी किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में कार्यादेश एवं अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के द्वारा किस दिनाँक तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है? निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण न होने के कारण स्पष्ट करें? **(ग)** उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं स्वीकृत राशि में से कितनी राशि का उपयोग कर लिया गया है? **(घ)** उपरोक्त निर्माण कार्य किस दिनाँक तक पूर्ण होगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** शोभापुर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का कार्यादेश दिनाँक 19.02.2015 को जारी किया। **(ख)** अनुबंधानुसार दिनाँक 18.08.2016। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** स्वीकृत राशि रू. 2224.16 लाख एवं व्यय रू. 1370.39 लाख। **(घ)** अनुबंधानुसार दिनाँक 18.08.2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

## सिंध जल आवर्धन योजना का निर्माण

**134. ( क्र. 2964 ) श्री रामसिंह यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी नगर में पेयजल हेतु निर्माणाधीन सिंह जल आवर्धन योजना का कार्य निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो उक्त योजना कब स्वीकृत की गई? **(ख)** क्या उक्त योजना की स्वीकृति हेतु वर्ष 2006 से वर्ष 2008 तक स्थानीय माननीय सांसद एवं माननीय विधायक तथा प्रदेश व केन्द्र सरकार के बीच

पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो किए गए पत्राचार की जानकारी दें? **(ग)** उक्त योजना का अनुबंध कब एवं किन-किन के बीच संपादित हुआ? अनुबंध अवधि में कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? अनुबंध अवधि कब-कब बढ़ाई गई एवं अनुबंध से पूर्व क्या योजना में उपयोग किए जाने वाले पाईपों का डिजाइन आदि परिवर्तन किया गया? यदि हाँ, तो निविदा में कौन से पाईप चाहे गए थे? अनुबंध से पूर्व कौन से पाईप अनुबंधित किए गए? **(घ)** क्या उक्त योजना में कार्य से अधिक का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो किस कार्य का कितना अधिक भुगतान दोशियान कम्पनी को किसके द्वारा किसके आदेश से कब किया गया है? उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर जल प्रदाय कर दिया जावेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ, दिनाँक 31-03-2008 को योजना स्वीकृत हुई है। **(ख)** कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार माननीय सांसद तथा माननीय विधायक के पत्र उपलब्ध नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उक्त योजना का अनुबंध 26-09-2009 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं दोशियान कंपनी, अहमदाबाद के मध्य संपादित हुआ है। मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी द्वारा पाईप लाईन डालने की अनुमति पत्र क्रं./माचि/13/1070 दिनाँक 19-04-2013 थी एवं मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी द्वारा पाईप लाईन डालने की अनुमति पत्र क्रं. 1524 दिनाँक 11-06-2013 से निरस्त की गई है इसलिये तय समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ। परिषद के ठहराव क्रं. 1132 दिनाँक 30-12-2013 एवं 291 दिनाँक 28-05-2014 द्वारा दो बार जल आवर्धन योजना की समयावृद्धि की गई। जी नहीं। निविदा में जी.आर.पी. पाईप का प्रपोजल किया गया था। अनुबंध भी जी.आर.पी. पाईप का हुआ। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पुन: माधव नेशनल पार्क में बिछाई जाने वाली पाईप लाईन की अनुमति मिलने के 06 माह पश्चात् कार्य पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

<u>शिवपुरी जिले के खतौरा से विजरौनी मार्ग पर जीर्ण-शीर्ण पुलियों का निर्माण</u>

**135. ( क्र. 2965 ) श्री रामसिंह यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 3153, उत्तर दिनाँक 17 जुलाई 2014 में सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बदरवास विकासखण्ड के अंतर्गत खतौरा से विजरौनी मार्ग पर चार पुलियों ह्यूम पाईप एवं पुलियों की फेंसवाले जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, उन्हें मार्च 2015 तक सही करा दिया जावेगा की घोषणा सदन में की थी? यदि हाँ, तो? **(ख)** उक्त चार पुलियों का वर्णित कार्य कब पूर्ण कराया गया? कार्य पूर्ण की तिथि बताने का कष्ट करें? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित कार्य आज दिनाँक तक पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य वास्तविक रूप से कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? कार्य पूर्ण कराने की पुन: सही तिथि बताने का कष्ट करें? **(घ)** प्रश्नाधीन वर्णित कार्य पूर्ण न कराने के लिए एवं माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा अनुसार निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण न कराने के लिए कौन दोषी है? शासन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। अत: पूर्ण की तिथि बताना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर अनुसार। **(घ)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर अनुसार कोई दोषी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## रा. राजमार्ग-7 में सड़क निर्माण

**136. ( क्र. 2981 ) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रा.रा. मार्ग क्रं. 7 मऊगंज से जमुई ब्रम्हागढ़, कैलाशपुर घोघम होते हुए स्टेट हाईवे हनुमना बहरी रोड को सम्पर्क करने वाली प्रतापगंज पर मिलती है? इसी प्रकार स्टेट हाईवे बहरी हनुमना के गांव मुरैठा से प्रारंभ होकर नाउन, मझिगवां, अल्हवा, लासा, गोंड़ार लोढी, हाटा, गदहखुई (घाट) से जड़कुड़ होते हुए मनगढ़ा उ.प. सम्पर्क मार्ग मिर्जापुर को जोड़ने वाले मार्ग को एम.डी.आर. योजना में सम्मिलित किया जावेगा? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में यदि हाँ, तो उसका सर्वे डी.पी.आर. आदि की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी? समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, पूर्ण की जावेगी, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ, मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है अतः एम.डी.आर. योजनांतर्गत सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

## मऊगंज हनुमना रोड की मरम्मत

**137. ( क्र. 2982 ) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या एन.एच. 7 रीवा हनुमना फोरलेन निर्माण के अनुबंध में क्लाज 12.2 के तहत मऊगंज हनुमना शहर के रोड का मरम्मत करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी. संभाग क्रं. 2 रीवा द्वारा परियोजना निदेशक एवं टीम लीडर स्तंत्र इंजीनियर कंपनी को पत्र एवं स्मरण पत्र क्या दिये गये हैं? **(ख)** क्या प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप बिल्डिकॉन लि. द्वारा संभागीय प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क क्रियान्वयन इकाई क्रं. 2 रीवा को पत्र लिखकर सड़कों के रख रखाव की शर्त के साथ सड़क उपयोग की अनुमति भी मांगी गई थी? **(ग)** क्या कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा. सड़क विकास प्रा. परियोजना क्रियान्वयन इकाई मऊगंज जिला रीवा द्वारा संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम रीवा को पत्र लिखकर सड़क निर्माण कम्पनी द्वारा व्यावसायिक उपयोग की गई सड़क के मरम्मत का पत्र लिखा है? **(घ)** कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा का पत्र क्रमांक 4/बी/12/मूल/2011-12/रीवा, दिनाँक 25.06.11 द्वारा बड़े पैमाने पर सड़कों को क्षतिग्रस्त करने का क्या पत्र लिखा गया था एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वा. या. विभाग रीवा की 6 नल जल योजनायें एवं हैण्डपंम्पों को भी पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया है? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** से **(घ)** के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कराई जावेगी तो कब तक?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** इस विभाग से संबंधित नहीं। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** इस विभाग से संबंधित नहीं है। एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा निर्माण के दौरान बाधित हैण्ड पम्पों एवं नल जल योजना को विस्थापित किये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार कार्यवाही निरंतर है। **(ड.)** प्रश्न 'क' के तहत निवेशक द्वारा मऊगंज/हनुमना शहर में डामरीकरण किया गया व मार्ग को मोटरेबल रखने हेतु अनुबंध के प्रावधान के अनुसार रख रखाव निरंतर है। प्रश्न 'ख' से 'ग' तक कार्यवाही इस विभाग से संबंधित नहीं होने से जानकारी निरंक है। प्रश्न 'घ' में विस्थापन की कार्यवाही जारी है।

## अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

**138. ( क्र. 2989 ) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने माह अप्रैल 2015 को भोपाल नगर निगम के आयुक्त, अपर आयुक्त, नगर यंत्री की मिलीभगत से शासन की राशि का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अनाधिकृत रूप से खरीदारियां करने वालों के विरूद्ध जाँच कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री मध्यप्रदेश शासन, माननीय महापौर भोपाल नगर निगम, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन और आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया था? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित यह अवगत करावें कि ऐसे गम्भीर मामले में लापरवाही करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं और शासन लापरवाह लोगों के विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही करेगा? **(ग)** क्या शासन स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए पत्राचार पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु शासन द्वारा नीति निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता को अवगत कराया? यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। मान. सदस्य का पत्र क्रमांक 4805, दिनाँक 17-04-2015 प्राप्त हुआ है। **(ख)** पत्र प्राप्त होने पर विभाग के पत्र क्रमांक 841 दिनाँक 03-06-2015 द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को शिकायती पत्र के संबंध में प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया है तथा संचालनालय के पत्र क्रमांक 8488, दिनाँक 16-06-2015 द्वारा प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को जाँच के निर्देश दिए गए हैं तथा पत्र क्रमांक 9853 दिनाँक 15-07-2015 द्वारा आयुक्त, नगर निगम भोपाल से बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रमुख अभियंता से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नकर्ता को प्रश्नांश ख के उत्तर में उल्लेखित पत्र के संदर्भ में पृष्ठांकन द्वारा अवगत करा दिया गया है।

## संकल्प पारित कर होर्डिंग्स मालिकों से समझौता

**139. ( क्र. 2990 ) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिक निगम परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 2013-14 में कोई संकल्प पारित कर होर्डिंग्स मालिकों से समझौता किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया संकल्प का नम्बर एवं दिनाँक सहित बतावें? **(ख)** वर्ष 2013-14 में निगम परिषद से पास संकल्प के संबंध में बताएं कि क्या यह प्रस्ताव परिषद में एम.आई.सी. द्वारा पारित करके भेजा गया था? यदि हाँ, तो किस दिनाँक एवं संकल्प क्रमांक के साथ बतावें? **(ग)** परिषद से पारित संकल्प के बाद होर्डिंग्स संचालकों द्वारा कितनी राशि निगम में जमा की गई व किस-किस कम्पनी/संचालक द्वारा? **(घ)** निगम की होर्डिंग्स संचालकों से कितनी राशि वसूलना थी व किस दर से? संकल्प पारित होने के बाद कितनी राशि वसूल हुई व किस दर से?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। नगरपालिक निगम परिषद द्वारा संकल्प क्रमांक 13 दिनाँक 02-12-2014 को स्थगित सम्मेलन दिनाँक 04-12-2014 को प्रस्ताव पारित किया गया था। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** परिषद प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। राशि जमा नहीं कराई गई। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अमरकंटक अंतर्गत जलेश्‍वरधाम मंदिर उद्गम जुहिला कुंआ का सीमा विवाद</u>

**140. ( क्र. 3020 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पवित्र नगरी अमरकंटक अंतर्गत जलेश्‍वरधाम मंदिर, उद्गम जुहिला कुंआ का सीमा विवाद का निराकरण छत्तीसगढ़ और म.प्र. के किन-किन विभागों की संयुक्त कार्यवाही में संपन्न किया गया? क्या विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण किया जा चुका है? **(ख)** जलेश्‍वरधाम मंदिर जुहिला उद्गम कुंआ वर्तमान में किस प्रदेश की सीमा क्षेत्र में स्थित है, जिसे अमरकंटक नगर पंचायत के नक्शे में दर्शाया गया है? यदि नहीं, तो कारण बतायें? यदि हाँ, तो किस दिनाँक एवं वर्ष में किस प्राधिकारी के द्वारा अंकित किया गया है? **(ग)** क्या इस विवाद को सुलझाने की दृष्टि से अन्य कोई विवाद का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो इस मामले को कब तक सुलझा लिया जायेगा ताकि सीमा संबंधी विवाद का पटाक्षेप हो? कब तक इस मामले का निराकरण कर लिया जायेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान )** : **(क)** प्रश्नांश में उल्लेखित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद की संयुक्त कार्यवाही में निराकरण होना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। **(ख)** जालेश्‍वर धाम मन्दिर उद्गम कुआं आदि म.प्र. के सीमा क्षेत्र के अन्दर स्थित है, यह पूर्व से ग्राम जालेश्‍वर, तहसील पुष्पराजगढ़ के बन्दोबस्त की नक्शा, भारतीय सर्वे विभाग के टोपोशीट 1930 व 1976 रीवा राज्य गजेटियर 1907, रीवा राज्य गजट 1940 आदि अभिलेखों में दर्ज है, जो वर्तमान तक मध्यप्रदेश के अभिलेखों में दर्ज होता आ रहा है। उक्त के संबंध में विधानसभा जाँच समिति के निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नगर पंचायत करैरा एवं नरवर को आवंटित राशि</u>

**141. ( क्र. 3051 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत करैरा एवं नरवर में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक किस नगर पंचायत को किस-किस मद की कितनी राशि प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार प्राप्त राशि में से कौन से कार्य किस निर्माण एजेंसी को कितनी समयावधि में कार्य पूर्ण करने के लिये कार्य आदेश जारी किये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार कितने कार्य पूर्ण है कितने अपूर्ण हैं? **(घ)** उपरोक्त कार्यों की गुणवत्ता एवं अन्य विषयों पर किसी के द्वारा कोई शिकायत की गई है शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान )** : **(क)** एवं **(ख)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** 53 कार्य पूर्ण हैं। 3 कार्य अपूर्ण हैं। **(घ)** जी हाँ। उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर द्वारा जाँच की जा रही है।

<u>केवलारी विधानसभा अन्तर्गत पुल निर्माण</u>

**142. ( क्र. 3074 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी नदी में पुल निर्माण का कार्य जारी है? कितने वर्षों से जारी है? उक्त निर्माण कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? साथ ही इनकी लागत राशि भी बतावे? **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा विगत कुछ वर्षों से ग्राम गुवरिया से नैनपुर मार्ग के मध्य थावर नदी पर पुल निर्माण किये जाने की मांग की जा रही है? क्या उक्त पुल निर्माण हेतु विभाग के पास कोई योजना विचाराधीन है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। जी नहीं।

**परिशिष्ट – ''इकतीस''**

**वन मण्डलाधिकारी कटनी द्वारा गलत जानकारी दिये जाना**

**143. ( क्र. 3086 ) श्री अजय सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 22 क्र. (969) दिनाँक 24 फरवरी 2010 की कण्डिका **(क)**, **(ग)** एवं **(घ)** के उत्तर से उद्भूत निष्कर्ष के फलस्वरूप मण्डलाधिकारी कटनी द्वारा ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम परसेल के खसरा क्रमांक 185 पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र कब जारी किया गया? यदि नहीं, किया गया तो जारी ना किये जाने के कारण क्या है? **(ख)** क्या वनमण्डलाधिकारी कटनी के द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने वाले अधिकारी या कर्मचारी का दायित्व निर्धारित कर दण्डित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** अनापत्ति प्रमाण-पत्र वनमंडलाधिकारी कटनी द्वारा जारी नहीं किया गया। आवेदित क्षेत्र के कुछ भाग पर वृक्ष होने तथा उक्त खसरे से लगे हुये निजी एवं राजस्व खसरों के भी वृक्ष आच्छादित होने के कारण पर्यावरण क्षति की संभावना होने से अनापत्ति नहीं दी गयी। **(ख)** जी हाँ। दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने की कार्यवाही दिनाँक 22.07.2015 को प्रारम्भ की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**सिहोरा सिलौड़ी मार्ग निर्माण**

**144. ( क्र. 3087 ) श्री अजय सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिला अंतर्गत सिहोरा तहसील के सिलौड़ी मार्ग केन्द्रीय सड़क निधि से कब बनाया गया था? **(ख)** कण्डिका **(क)** का सिहोरा सिलौड़ी मार्ग बी.ओ.टी. (Built Operate and transfer) योजनांतर्गत कब स्वीकृत किया गया इसकी अनुमानित लागत क्या है? इस सड़क को बी.ओ.टी. में बनाए जाने की मांग किन-किन जन प्रतिनिधियों के द्वारा की गई? **(ग)** इस सड़क के निर्माण हेतु टेंडर कब बुलाए गए थे तथा कितने टेंडर म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए थे? **(घ)** निर्माण एजेंसी के साथ शासन ने किन-किन शर्तों के अधीन इस सड़क को बनाने का कार्य सौंपा है? **(ड.)** क्या नरसिंह मंदिर के पास हिरन नदी के पुल के पास से बायपास बनाने हेतु खितौला के नागरिकों ने शांतिप्रिय प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** वर्ष 2003-04 में। **(ख)** बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी) योजना के अंतर्गत दिनाँक 04.10.2011 को। रूपये 92.65 करोड़। मार्ग का प्रशासकीय अनुमोदन माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। **(ग)** दिनाँक 06.04.2012 को, 13 कंपनियों ने आर.एफ.क्यू. पेपर जमा किये थे सभी कंपनियों को आर.एफ.पी. हेतु क्वालीफाई किया था। उनमें से तीन कंपनियों ने आर.एफ.पी. जमा किया था। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** जी हाँ। नागरिकों की मांग के अनुरूप हिरण नदी के पुल के पास बायपास का निर्माण कंशेसनायर द्वारा कर दिया गया है।

**परिशिष्ट – ''बतीस''**

**कुरबाई से मल्हारगढ़ मार्ग का निर्माण**

**145. ( क्र. 3112 ) श्री वीरसिंह पंवार** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विदिशा और अशोकनगर जिले एवं कुरबाई और मुगांवली तहसील को जोड़ने वाला कम दूरी का मार्ग कुरबाई से मल्हारगढ़ तक जिला विदिशा में आता है? क्या इसकी हालत बहुत खराब है तथा कई वर्षों से इसके निर्माण की मांग की जा रही है? शासन द्वारा इस मार्ग को जल्दी बनवाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ख)** पिछले वर्ष इस 24 कि.मी. मार्ग को बनाने का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है? क्या उसका कार्य ठीक नहीं है? इसके निर्माण की समय-सीमा और लागत क्या है? **(ग)** ठेकेदार द्वारा अभी तक कितना काम किया गया है? निर्माण में लापरवाही क्यों है? क्या इसके मटैरियल की जाँच बराबर की जा रही है? **(घ)** इस मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। प्रश्नाधीन मार्ग की कुल लंबाई 20.60 कि.मी. है जो विदिशा जिले में आती है, एवं शेष मार्ग अशोकनगर जिले में आता है। मार्ग का कुछ भाग खराब हालत में है, जी हाँ। इस मार्ग के 8.40 कि.मी. के भाग में कार्य प्रगतिरत है शेष भाग की अभी स्वीकृति नहीं है। **(ख)** मार्ग के विदिशा जिले के 20.60 कि.मी. में से 8.40 कि.मी. लंबाई का ठेका संविदाकार श्री सत्यनारायण अग्रवाल गंजबासौदा से अनुबंधित किया गया है। जी नहीं। समय-सीमा 10 माह एवं लागत रू. 423.95 लाख है। **(ग)** लगभग 20 प्रतिशत। ठेकेदार को कार्य में विलंब के लिये चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जी हाँ। **(घ)** 31.03.2016 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

<u>भौरासा से बासौदा मार्ग का निर्माण</u>

**146. ( क्र. 3113 ) श्री वीरसिंह पंवार** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के ज्ञान में है कि भौरासा से पीकलोन किरवाया होकर बासौदा तक के नवीन मार्ग की अवधि 13.11.2014 तक थी लेकिन यह मार्ग अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, क्यों? **(ख)** मार्ग का निर्माण समय पर पूरा नहीं होने पर ठेकेदार और अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? निर्माण में देरी होने से क्या इसकी लागत नहीं बढ़ जायेगी? उसका जिम्मेदार कौन है? **(ग)** क्या इस मार्ग के नहीं बनने से जनता काफी परेशान है? क्या इसका निर्माण काफी दिनों से बंद है, यदि हाँ, तो इसको शुरू कराने में कितना समय लगेगा? क्या ठेकेदार को ज्यादा पैमेन्ट कर दिया गया है? **(घ)** इस मार्ग का कितना काम बाकी रह गया है और कब तक पूर्ण हो सकेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। ठेकेदार द्वारा विलंब किया गया। **(ख)** विलंब के फलस्वरूप ठेकेदार की राशि रोकी गई है, तथा अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं मार्ग पर यातायात जारी है। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, जी नहीं। **(घ)** लगभग 30 प्रतिशत। 31.03.2016 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य रख गया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

<u>वारासिवनी नगर पालिका अंतर्गत यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजनांतर्गत किए गए</u>

**147. ( क्र. 3122 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बालाघाट जिले की नगर पालिका वारासिवनी में कलेक्टर बालाघाट द्वारा उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 382 दिनाँक 12 अगस्त 2014 को स्वच्छता निरीक्षक सुशील कुमार पाण्डे द्वारा

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत जलावर्धन योजना की स्वीकृत राशि में से 17, 30, 135.00 लाख की राशि निकालकर कार्यादेश जारी किया गया था? उक्त पत्रानुसार शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार जो कार्यादेश जारी किया गया, उसके देयकों का भुगतान शासन के नियमानुसार ई-भुगतान से करना था? क्या विगत विभाग म.प्र. शासन वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के प्रमुख सचिव के परिपत्र क्र.एफ.1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनाँक 17 दिसंबर 2013 के अनुसार शासकीय देयकों को ई-भुगतान करने के निर्देश दिये थे? अगर दिये थे, तो नगर पालिका वारासिवनी द्वारा शासकीय देयकों को ई-भुगतान किया था? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या नगर पालिका वारासिवनी ने कार्यादेश की स्वीकृत मद की राशि में से सीधे आर्किटेक्ट को अवैधानिक रूप से राशि जारी कर दी गई? क्या तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति से स्वच्छता निरीक्षक सुशील कुमार पाण्डे को मुख्य नगरपालिका अधिकारी का प्रभार सौंप कर अनाधिकृत रूप से प्रभार दिलाकर अपने पद का दुरूपयोग किया गया? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी पर क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या जानबूझकर यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनांतर्गत जलावर्धन योजना कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच कर विभाग क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। जनवरी 2014 में स्वच्छता निरीक्षक श्री सुशील कुमार पाण्डे को कलेक्टर बालाघाट ने निलंबित किया। **(ख)** वर्तमान में ई-भुगतान की व्यवस्था नगरीय निकायों में लागू नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। श्री अखिलेश कुमार चौबे मुख्य नगर पालिका अधिकारी का स्थानांतरण होने के उपरांत शासन के स्थायी परिपत्र दिनाँक 28.08.1981 एवं दिनाँक 31.03.1995 के अनुपालन में श्री सुशील कुमार पाण्डे, स्वच्छता निरीक्षक को मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार सौंपा गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** श्री सुशील कुमार पाण्डे, तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कलेक्टर बालाघाट द्वारा निलंबित किया जा चुका है। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

## खेल मैदान एवं स्टेडियम निर्माण

**148. ( क्र. 3125 ) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी विकासखण्ड बाजना एवं सैलाना में खेल मैदान में स्टेडियम बनाने की शासन की क्या योजना है? **(ख)** क्या सैलाना एवं बाजना विकासखण्ड में खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण किया जावेगा? इसकी क्या प्रक्रिया है? **(ग)** क्या इस संबंध में आदिवासी क्षेत्रों के लिये कोई विशेष योजना है? **(घ)** सैलाना एवं बाजना विकासखण्ड में खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान होने के बावज़ूद भी स्टेडियम निर्माण कार्य क्यों स्वीकृत नहीं किया जा रहा है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## बंजर तथा पहाड़ी भूमि पर वृक्षारोपण

**149. ( क्र. 3128 ) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग के माध्यम से बंजर तथा पहाड़ी भूमि पर किये जा रहे वृक्षारोपण एवं उसके विकास

किये जाने संबंधी क्या योजना है? **(ख)** सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों में विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया? वर्ष 2013-14 से आज दिनाँक तक क्षेत्रवार/संख्यावार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** उपरोक्तानुसार प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में जहाँ वृक्षारोपण किया गया, उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? **(घ)** सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र घोषित है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** विभाग में इस हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं है, अपितु इस श्रेणी की वनभूमि का कार्य आयोजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रबंधन किया जाता है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** वन अमला, सुरक्षा श्रमिकों एवं संबंधित ग्राम वन समितियों द्वारा सुरक्षा की जा रही है, जो इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। **(घ)** प्रश्नांकित विधान सभा क्षेत्र में 32, 796.922 हेक्टेयर वन क्षेत्र अधिसूचित है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

## सेडमेप के कार्यकारी संचालक की सेवा अवधि

**150. ( क्र. 3136 ) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या सेडमैप के कार्यकारी संचालक का कार्यकाल बढ़ाया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब कितनी अवधि के लिये, आदेश की प्रति संलग्न करें? **(ख)** सेडमैप के कार्यकारी संचालक के नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को अधिकृत आदेशित किया गया था, यदि हाँ, तो आदेश का क्रमांक दिनाँक बताएं?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## काले हिरणों (वन्य प्राणी) से फसलों को नुकसान

**151. ( क्र. 3141 ) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शुजालपुर अनुभाग अंतर्गत फसलों को काले हिरणों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बचाने हेतु क्या काले हिरणों के लिए कोई सुरक्षित स्थान बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो क्या? **(ख)** क्या हिरण अभ्यारण हेतु भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी? **(ग)** क्या प्रस्तावित आरक्षित भूमि पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? यदि हाँ, तो प्रथम चरण में क्या-क्या कार्य किए जाऐंगे, जिससे काले हिरण आरक्षित भूमि की ओर आसानी से आकर्षित होंगे? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में प्रस्तावित योजना में कुल संभावित व्यय कितना होगा?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## नव गठित नगर परिषद को अधोसंरचना विकास हेतु राशि का आवंटन

**152. ( क्र. 3142 ) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में किस-किस नगर पालिका, नगर परिषद को बस स्टेण्ड के विकास के लिए सिंहस्थ मद से कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? **(ख)** क्या नवगठित नगर परिषदों को अधोसंरचना विकास हेतु राशि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग में कितनी नवगठित नगर परिषद को राशि आवंटित की गई? **(ग)** क्या नवगठित नगर परिषद पानखेड़ी (कालापीपल) को

सिंहस्थ मद से बस-स्टेण्ड तथा अधोसंरचना विकास हेतु राशि आवंटित की गई? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

## टी. एण्ड सी.पी. के मास्टर प्लान में उल्लेखित सड़कें

**153. ( क्र. 3151 ) श्री रामेश्वर शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1995 के टी. एण्ड सी.पी. मास्टर प्लान में भोपाल की किन-किन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था, क्या वे सभी बन चुकी हैं, जो नहीं बनी उसका कारण क्या है? जो बन चुकी हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** प्रस्तावित होने के बाद जो सड़कें नहीं बनी या जो बनकर खराब हो गई, क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** टी. एण्ड सी.पी. ने कॉलोनाईजरों द्वारा कौन सी सड़कें बनाना प्रस्तावित किया है, क्या वे सड़कें बनी हैं, यदि नहीं, तो इसमें क्या कार्यवाही की जाएगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** 1995 के भोपाल विकास योजना के प्रस्तावित सड़कों का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। जी नहीं। विकास क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मार्गों का विकास किया जाता है। राजधानी परियोजना प्रशासन एवं भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गों की वर्तमान स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' तथा ''स'' अनुसार** है। जो मार्ग बन चुके है, उनका संधारण एंव रख-रखाव एक सत्त प्रक्रिया है। **(ख)** उत्तराशं ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा **शर्तें**) नियम, 1998 के नियम 13 के अंतर्गत आंतरिक विकास किये जाने का प्रावधान है, जिसमें अभिन्यास के प्रस्तावित मार्ग सम्मिलित होते है। कालोनाईजर से विकास योजना की सड़क बनाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

## निकायों में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी व संविदा कर्मचारी

**154. ( क्र. 3154 ) श्रीमती ललिता यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर नगर पालिक निगम सहित संभाग की सभी नगर पालिका परिषदों व नगर परिषदों में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितने दैनिक वेतन भोगी और संविदा पर कर्मचारी किस-किस कार्य के लिये रखे गये? पृथक-पृथक निकायों की सूची बतायें? **(ख)** दैनिक वेतन भोगी व संविदा पर रखे गये कर्मचारियों को किसके आदेश पर कब-कब रखा गया? **(ग)** संभाग की सभी निकायों द्वारा उक्त अवधि में कुल कितना-कितना भुगतान दैनिक वेतन भोगी व संविदा कर्मचारियों पर किया गया निकायवार बतायें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 6, 7** एवं **8, 9** में जानकारी दी गई है।

## वाहनों में डीजल व मरम्मत पर खर्च राशि

**155. ( क्र. 3155 ) श्रीमती ललिता यादव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर नगर पालिक निगम सहित संभाग की सभी नगर पालिका व नगर परिषदों में कौन-कौन से वाहन हैं? पृथक-पृथक निकायों के बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में वाहन का प्रकार, उनका रजिस्ट्रेशन नम्बर ओर चालक का नाम पृथक-पृथक निकायों के साथ बतायें? **(ग)** वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में निकायों में इन वाहनों में कितना डीजल, कितना मरम्मत पर खर्च किया गया? माहवार वाहन की जानकारी पृथक-पृथक बतायें? **(घ)** उक्त समयावधि में निकायों के द्वारा वाहनों में डाले गये डीजल का भुगतान और मरम्मत कार्य का भुगतान किस-किस को किया? फर्म का नाम, प्रोपराइटर का नाम, स्थान, दिनाँक भुगतान नगद या चैक से किया गया?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

## <u>कटनी नगर में भवन अनुज्ञा</u>

**156. ( क्र. 3165 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगरपालिक निगम, कटनी द्वारा वैध घोषित कॉलोनियों के सीमान्तर्गत वैध खसरा नम्बरों की सूची अनुमोदित एवं जारी की गई है? यदि हाँ, तो इनकी सूची प्रदान करें? **(ख)** क्या नगर पालिक निगम कटनी में किसी कॉलोनी को सीमांकित करते हुए वैध घोषित किया जाता है या उस कॉलोनी की सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त खसरा नम्बरों को वैध घोषित किया जाता है? **(ग)** क्या वैध घोषित खसरा नम्बरों के किसी हिस्से के विक्रय होने की स्थिति में उसे मिले नये खसरा नंबर को वैध खसरा नंबर की सूची में न होने के कारण अवैध खसरा नंबर माना जाता है? यदि हाँ, तो किस आधार पर एवं किन नियमों के तहत? **(घ)** क्या नगरपालिक निगम, कटनी द्वारा अवैध खसरा नम्बरों की कोई सूची अनुमोदित एवं जारी की गई है? यदि हाँ, तो इनकी सूची प्रदान करें? यदि नहीं, तो बताये कि भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में अवैध खसरा नंबरों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा वर्ष 2005 में 44 अवैध कालोनियों को तत्समय वैध किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** म.प्र. कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण तथा निर्बंधन नियम 1988 के अनुसार अवैध कालोनी को वैध किये जाने की प्रक्रिया नियम 15 **(क)** अनुसार की जाती है। घोषित अवैध कालोनी की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी खसरा नंबर के हिस्से को वैध घोषित किया जाता है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ, नगर पालिक निगम कटनी द्वारा 39 अवैध कालोनियों की सूची कार्यालयीन पत्र दिनाँक 27-10-2010 द्वारा जारी की गई है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## <u>सुलभ शौचालयों का निर्माण</u>

**157. ( क्र. 3166 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. के समस्त स्थानीय निकायों में सुलभ शौचालय निर्माण सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा कराए जाते थे, यदि हाँ, तो शासन के किन आदेश के तहत? आदेश की प्रति भी उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत जबलपुर संभाग में 2005 से 2013 तक किस-किस नगर पालिक

निगम एवं नगर पालिका परिषद द्वारा किस वर्ष में कितने-कितने सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है? निकायवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत निर्मित सुलभ शौचालयों में सुलभ इंटरनेशनल को मुफ्त बिजली एवं पानी की सुविधा किस-किस नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई है, सूची प्रदान करें? **(घ)** क्या सुलभ इंटरनेशनल एवं संबंधित नगर पालिक निगम/नगर पालिका के बीच अनुबंध का प्रारूप शासन द्वारा निर्धारित था तथा उस अनुबंध की किस कण्डिका में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय में बिजली पानी नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान था? संबंधित शासन आदेश/निर्देश तथा निर्धारित अनुबंध की प्रति भी प्रदान करें? **(ड.)** क्या प्रश्नांश **(घ)** के अंतर्गत शासन द्वारा जारी आदेश को निरस्त किया गया है यदि हाँ, तो कब? संबंधित आदेश की प्रति प्रदान करें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं, अपितु स्थानीय निकायों द्वारा सुलभ शौचालय निर्माण हेतु संस्था चयन के संबंध में निर्णय लिया जाता था। सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन से कार्य कराने की स्थिति में शासन आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर** है। **(ग)** संभागवार नगर निगमों/नगर पालिकाओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" पर** है। **(घ)** जी हाँ। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में संलग्न अनुबंध की कण्डिका 14** में उक्त आशय का उल्लेख है। **(ड.)** जी हाँ। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल के पत्र दिनाँक 20.03.2013 के द्वारा निरस्त किया गया। निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" पर** है।

## रीवा जिलान्तर्गत कर्मचारी पदस्थ

**158. ( क्र. 3174 ) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में संयुक्त संचालक एवं अन्य कितने कर्मचारी पदस्थ है, नामवार कब से पदस्थ है सूची उपलब्ध कराएं तथा कुल कितने पद स्वीकृत है एवं कितने रिक्त है पदवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में संयुक्त संचालक के पास कितने जिलों का प्रभार है? अन्य जिलों में क्या उप संचालक का पद नहीं स्वीकृत है यदि है तो किन जिले में पद रिक्त है और कब तक भरे जावेंगे? **(ग)** रीवा जिले में वर्ष 2011 से 2015 तक कितनी निजी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं एवं इनकी अनुमति एवं नक्शा कब-कब पास किए गये? **(घ)** प्रश्नांश **(क) (ख)** एवं **(ग)** के गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय, रीवा के पास 2 जिला कार्यालयों का अतिरिक्त प्रभार है। जिला कार्यालय सतना एवं शहडोल में उप संचालक के पद स्वीकृत है। सतना में पदस्थ श्री के.सी. पालिया का स्थानांतरण दिनाँक 13.07.2012 को होने से तथा शहडोल में पदस्थ श्री शैलेष विनायक कोहद का स्थानांतरण दिनाँक 10.07.2014 को होने से उप संचालक का पद रिक्त है। उप संचालक का पद पदोन्नति से भरा जाता है। फीडर केडर में पात्र अधिकारी उपलब्ध होने पर ही पदोन्नति हो सकेगी। **(ग)** जिला कार्यालय रीवा द्वारा रीवा जिले में अप्रैल, 2011 से 02, मार्च 2015 तक कालोनी विकास हेतु 22 विकास अनुज्ञा प्रदान की गई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश

**(क)**, **(ख)**, **(ग)** के संबंध में कोई त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**परिशिष्ट - ''पैंतीस''**

## वन भूमि पर किये गये कब्जे

**159. ( क्र. 3180 ) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले के माण्डव में आपराधिक प्रवृति वाले परिवार के सदस्य इन्द्रिया, विशम्भर, नानक्या, धीरज सिंह, रमेश, विक्रम पिता जमासिंह व उनके पुत्रों मिथुन, विष्णु, नाना, गुंगा पिता इन्द्रिया एवं रवि, पवन पिता विशम्भर द्वारा वन विभाग की माण्डव में एक थम्बा महल व तालाब के पास स्थित 30-35 बिघा वन भूमि पर विगत चार-पांच वर्षों से अवैध रूप से बैजा कब्जा जमा कर खेती की जा रही है तथा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष किये जा रहे है वृक्षारोपण को उखाडकर फेक दिया जाता है एवं विभागीय कर्मचारियों को मारपीट कर भगा दिया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो विभाग द्वारा संबंधित आरोपियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या इस वर्ष भी बैजा कब्जेवाली उक्त वन भूमि पर विभाग द्वारा मात्र वृक्षारोपण की ओपचारिकता पूर्ण की जावेगी अथवा भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही सख्ती से की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित आरोपियों में से धिरजसिंह पिता जामसिंह द्वारा वन कक्ष क्रमांक 276 में इस वर्ष किये गए अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया तथा वन अपराध दर्ज किया गया। विभाग द्वारा वन भूमि की सुरक्षा दृढ़ता से की जा रही है। वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि अतिक्रमण से मुक्त होने के कारण अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

## नगर परिषद की भूमि पर अतिक्रमण

**160. ( क्र. 3181 ) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले के माण्डव में आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार के सदस्य इन्द्रिया, विशम्भर, नानक्या, धिरजसिंह, रमेश, विक्रम पिता जामसिंह व उनके पुत्रों मिथुन, विष्णु, नाना, गुंगा पिता इन्द्रिया एवं रवि, पवन पिता विशम्भर द्वारा नगर परिषद माण्डव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निलकण्ठेश्वर रोड के पास वर्षों से अवैध रूप से जबरन कब्जा जमा कर मकान बना लिये गये है एवं कब्जा हटाने जाने पर विभागीय कर्मचारियों को मारपीट कर भगा दिया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो विभाग द्वारा संबंधित आरोपियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या शासन दादागीरी से कब्जा की गई नगर परिषद की भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही सख्ती से करेगा, यदि हाँ, तो, कब तक समयावधि बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जीं नहीं। **(ख)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## इंदौर जिलान्तर्गत किए गए निर्माण कार्य

**161. ( क्र. 3184 ) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिले में सन् 2013 से 2015 तक विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य, कहाँ-कहा किये

गये हैं समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी वर्षवार अलग-अलग देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार किये गये निर्माण कार्य कौन-कौन सी एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा पूर्ण किये गये है एवं इस हेतु संबंधित को कितनी राशि भुगतान की गई है? **(ग)** प्रश्न **(क)** के अनुसार कितने निर्माण कार्यों हेतु टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई है एवं कितने निर्माण कार्य सीधे ठेकेदारों को दिये गये हैं? **(घ)** जिन निर्माण कार्यों में टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है उनके कार्य किस आधार पर एवं किस प्रक्रिया से सीधे ठेकेदारों को दिये गये हैं? क्या इन निर्माण कार्यों के टेण्डर बुलाये जाना आवश्यक नहीं था?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1 'एवं 'अ-2' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1 ' एवं 'अ-2' अनुसार** है। **(ग)** सभी कार्यों हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई भी निर्माण कार्य सीधे ठेकेदार को नहीं दिये गये है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(घ)** कोई भी निर्माण कार्य बिना टेण्डर प्रक्रिया के नहीं किये गये। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## <u>वन भूमि लीज पर दी जाना</u>

**162. ( क्र. 3185 ) श्री जितू पटवारी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 5 वर्षों में इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर एवं होशंगाबाद संभाग में कितनी वन भूमि होटल्स, मॉटेल्स, विण्ड कम्पनियों एवं उद्योगों को किस दर से एवं किन शर्तों पर लीज पर दी गई है? इनके नाम एवं प्रोपरायटरों के नाम सहित जानकारी देवे? **(ख)** वन भूमि लीज पर देने सम्बंधी क्या नियम है? प्रश्न **(क)** अनुसार होटल्स, मॉटेल्स, विण्ड कम्पनियों एवं उद्योगों को प्रदत्त भूमि के अनुबंध का विवरण देवें? **(ग)** यह बतावे कि इस अनुबंध के तहत वन क्षेत्र के निवासियों, जीवजन्तुओं, वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों के लिये इनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** इस अनुबंध का पालन नहीं करने वाले एवं इस ओर ध्यान नहीं देने वाले अधिकारियों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही की जावेगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार** है। **(ख)** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन (संरक्षण) नियम, 2003 एवं वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 में वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रावधान है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। **(ग)** स्वीकृति की शर्तों एवं अनुबंध अनुसार आवदेकों से राशि जमा कराई जाकर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के विपरीत प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु वृक्षारोपण, वन्यप्राणी संरक्षण, बिगड़े वनों के सुधार आदि कार्य किये जाते हैं। **(घ)** सभी स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों एवं अनुबंध का पालन किया जा रहा है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>रिक्त पदों की भर्ती में अनियमितता</u>

**163. ( क्र. 3211 ) श्री हर्ष यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या संचालनालय खेल और युवक कल्याण द्वारा अप्रैल 2011 में शीघ्र लेखक ग्रेड-3 के 02 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? इस विज्ञापन के बाद इन पदों हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? **(ख)** कितने पदों पर किन-किन का चयन किस-किस आधार पर किया गया? क्या विज्ञापित पदों से ज्यादा पदों/संख्या में नियुक्तियां की गई? क्यों? **(ग)** जनवरी 2011 से प्रश्न दिनाँक तक खेल

अकादमी तथा खेल परिषद में किन-किन की नियुक्तियां किस-किस आधार पर की गई? आधार सहित प्रत्येक का विवरण दें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** एवं **(ग)** की नियुक्तियों में गड़बड़ी और अनियमितताएं को लेकर किन-किन के द्वारा कब-कब क्या-क्या शिकायतें विभाग शासन, प्रशासन को अब तक प्राप्त हुई हैं? शिकायतवार की गई कार्यवाही का विवरण दें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ)** से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## सी.एस.आर. के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना

**164. ( क्र. 3212 ) श्री हर्ष यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** कंपनी एक्ट में वर्णित सी.एस.आर. (उद्योगों के सामाजिक दायित्व) का क्रियान्वयन/पालन प्रदेश में किस प्रकार किया जा रहा है? उद्योग समूहों द्वारा संपादित कार्यों की निगरानी के लिए क्या इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ख)** क्या प्रदेश के उद्योग समूहों द्वारा कंपनी एक्ट में सी.एस.आर. हेतु प्रावधानित निश्चित राशि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत व्यय की जा रही है? नहीं, तो क्यों? इसकी निगरानी की क्या व्यवस्था है? **(ग)** सतना, रीवा, सागर तथा रायसेन जिलों में स्थित ऐसे कौन-कौन से उद्योग समूह/इकाईयां हैं, जो कंपनी एक्ट के तहत सी.एस.आर. का पालन करने हेतु बाध्य है? इनके द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय कर कहाँ-कहाँ क्या-क्या कार्य किये हैं?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** भारत शासन कंपनी अधिनियम में वर्णित सी.एस.आर. (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) का पालन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कंपनियों के द्वारा ही किया जाना होता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की भूमिका के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** कंपनी अधिनियम के अनुसार उद्योग समूहों के द्वारा सी.एस.आर. हेतु प्रावधानित निश्चित राशि के व्यय की निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण

**165. ( क्र. 3219 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का शुभारंभ करते हुये मुख्यमंत्री जी ने रतलाम नगर की 23 कॉलोनियों को प्रथम चरण में समायोजित किया था? इनके विकास कार्यों की क्या स्थिति है? **(ख)** इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं कितनी आवंटित की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा 23 में से 17 अवैध कॉलोनियों में शेष मूलभूत सुविधा के लिए राशि रू. 805.08 लाख का डी.पी.आर. तैयार कर राशि की मांग का प्रस्ताव संचालनालय को प्रस्तुत किया गया है। **(ख)** राशि की स्वीकृति एवं आवंटन का प्रकरण संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल में विचाराधीन है।

## युवा उद्यमी योजना के तहत स्वीकृत प्रकरण

**166. ( क्र. 3220 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2014-15 में प्रदेश में युवा उद्यमी योजना के तहत कितने प्रकरण स्वीकृत हुये हैं? **(ख)** युवा उद्यमियों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है? जिलेवार जानकारी दें? **(ग)** इनमें से रियायती दर पर कितने उद्यमियों को भूमि आवंटित की गई है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** वर्ष 2014-15 में प्रदेश में मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत 1135 प्रकरण स्वीकृत हुये हैं। **(ख)** एवं **(ग)** मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत युवा उद्यमियों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## आदिवासी उपयोजना मद के संबंध में

**167. ( क्र. 3224 ) श्री संजय उइके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आदिवासी उपयोजना मद में राशि आवंटित की जाती है? **(ख)** यदि हाँ, तो बालाघाट जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

## अधिकारियों पर प्रचलित लोकायुक्त जाँच

**168. ( क्र. 3225 ) श्री संजय उइके :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग के किन-किन अधिकारियों पर लोकायुक्त की जाँच चल रही है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में लोकायुक्त द्वारा किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोग चलाने की अनुमति हेतु कब-कब शासन को प्रस्ताव भेजे गए? **(ग)** शासन द्वारा किन-किन अधिकारियों पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान की गई एवं किन/किन पर अभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी है? यह अनुमति कब तक दी जाएगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## देवी तालाब बालाघाट की सफाई

**169. ( क्र. 3231 ) श्री मधु भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट नगर पालिका सीमा अन्तर्गत देवी तालाब का रकवा तथा स्वामित्व और जल भराव लेवल कितना है? इस तालाब के स्वामित्व का विवाद है? यदि हाँ, तो क्यों? यह सम्पत्ति किसकी है? **(ख)** देवी तालाब में हो रही गंदगी के लिये उसकी सफाई हो सके इस संबंध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? क्या इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुए थे? **(ग)** क्या नगर पालिका अपने उत्तरदायित्व की प्रति संवेदनशील है ताकि नगर में, सफाई, सौंदर्यीकरण बना रहे, यदि हाँ, तो उक्त तालाब की सफाई, संतोषप्रद है और अवैध कब्जे से मुक्त है इसका क्या प्रमाण है? **(घ)** क्या

नगर पालिका में नगर की सड़कों से, रिलाइन्स कम्पनी की पाइप लाइन डालने की अनुमति किस शर्तों, नियमों के अनुसार दी है? इस खुदाई से तालाबों को क्या नुकसान पहुंचेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** वस्तुत: बालाघाट नगर पालिका सीमा क्षेत्रांतर्गत देवी तालाब का रकबा मिशल बन्दोबस्त 1914-15 के अनुसार खसरा नं. 319 रकबा 16.14 एकड मद पानी नीचे एवं स्वामित्व म.प्र. शासन अंकित है। वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नं. 319 रकबा 16.14 एकड में 123 बटांकन दर्ज है। तालाब का जल भराव लगभग 13 एकड क्षेत्र में है। स्वामित्व संबंधी विवाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालीन प्रकरण के निराकरण उपरांत ही स्वामित्व का निर्धारण किया जाना संभव नहीं होता है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ। **(ग)** जी हाँ, सफाई संतोषप्रद है। स्वामित्व संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। **(घ)** जी नहीं, अपित नगर परिषद बालाघाट द्वारा रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमि. भोपाल को केबल विस्तार की अनुज्ञा जारी की गई। जी नहीं।

**<u>परिशिष्ट - ''छ्त्तीस''</u>**

## चालान पेश होने के बाद निलंबन

**170. ( क्र. 3232 ) श्री मधु भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट नगर पालिका सी.एम.ओ. श्री डी.एस. परिहार के विरूद्ध कौन-कौन से कितने प्रकरण पुलिस में कब से किन धाराओं में दर्ज है और किस-किस मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया है, इसकी जानकारी अद्यतन विभाग के पास क्या-क्या है? **(ख)** विभाग को चालान पेश होने की जानकारी किस तिथि को प्राप्त हुई? उस तिथि से निलंबन की कार्यवाही हेतु अनुमति देने बाबत् किस प्राधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही किस-किस तिथि की थी? **(ग)** जिन मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा अन्य जो मामले हैं, उसमें किस-किस में आरोप पत्र जारी किये गये? यदि नहीं, तो क्यों प्रत्येक का कारण बतायें? **(घ)** निलंबन न करने का क्या कारण है, नियम प्रक्रिया तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है? **(ङ.)** क्या नस्ती पर निर्णय तथा कार्यवाही सचिवालय संहिता के अनुसार निश्चित समय-सीमा में की जा रही है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ङ.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया/मानदेय

**171. ( क्र. 3239 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वाटर स्पोटर्स अकादमी, भोपाल में वाटर स्पोटर्स से संबंधित कौन-कौनसी गतिविधियां कब-कब से संचालित की जा रही है? **(ख)** अकादमी अंतर्गत क्याकिंग-कैनौइंग, रोइंग एव सैलिंग विधाओं हेतु कौन-कौन प्रशिक्षक कब-कब से कार्यरत हैं, उनको कितना-कितना मानदेय प्रदान किया जा रहा है? **(ग)** उक्त प्रशिक्षकों के नेतृत्व में कितने खिलाड़ियों ने वर्ष 2015 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत किस-किस विधा के कितने-कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं कितने-कितने पदक प्राप्त किए, प्रत्येक विधावार जानकारी दें? **(घ)** अकादमी अंतर्गत उक्त तीनों विधाओं के प्रशिक्षक हेतु भर्ती प्रक्रिया क्या निर्धारित है एवं क्या वर्तमान में प्रश्नांश **(ख)** में वर्णित तीनों विधाओं हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति उक्त भर्ती प्रक्रिया का पालन करके ही की गई है? **(ङ.)** यदि नहीं,

तो किस-किस प्रशिक्षक की नियुक्ति/पदस्थी किस-किस प्रकिया के तहत किन-किन कारणों से की गई है, प्रत्येक विधा की पृथक-पृथक जानकारी दें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) :** **(क)** से **(ड़)** से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**उत्कृष्ट खिलाडी के रूप में भर्ती अधिकारी के प्रमाण पत्रों की जाँच**

**172. ( क्र. 3240 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी के तौर पर शासकीय सेवा में भर्ती होकर जिला खेल अधिकारी के रूप में कौन अधिकारी कब से कार्यरत है? **(ख)** उक्त अधिकारी को किस-किस प्रमाण पत्र के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया था? **(ग)** उक्त प्रमाण पत्रों की जाँच किस के द्वारा की गई थी? **(घ)** उक्त अधिकारी के विरूद्ध विगत चार वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है, शिकायतवार जानकारी दें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) :** **(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के निर्माणाधीन मार्ग**

**173. ( क्र. 3252 ) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग द्वारा घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने मार्ग प्रगतिरत हैं? **(ख)** क्या शाहपुर-भयावाड़ी-सालीढाना मार्ग को पूर्ण घोषित किया गया है यदि हाँ, तो गड्ढे/घटिया कार्य क्या विभाग पूर्ण करेगा यदि नहीं, तो ठेकेदार से उक्त कार्य कराया जाएगा? **(ग)** विभाग द्वारा घटिया निर्माणकर्ता ठेकेदार को बार-बार टेंडर क्यों दिया जा रहा है? **(घ)** क्या घोड़ाडोंगरी-बरेठा मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ होगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) :** **(क)** घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में तीन मार्ग प्रगतिरत है। **(ख)** जी हाँ, उक्त मार्ग 25.03.2015 को पूर्ण हो गया है वर्तमान में मार्ग पर कोई गड्ढे नहीं है एवं मार्ग अच्छी हालत है। अनुबंधानुसार 3 वर्ष तक मार्ग के रख रखाव का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। **(ग)** विभाग द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसमें न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार को ही निर्माण कार्य अवार्ड किया जाता है। **(घ)** जी हाँ, घोड़ाडोंगरी बरेठ मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ होकर वर्तमान में प्रगतिरत है।

**उत्तर वन मंडल (सामान्य) बैतूल में अवैध कटाई की रोकथाम**

**174. ( क्र. 3253 ) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उत्तर वन मंडल (सामान्य) बैतूल में कितने परिक्षेत्र है? कितने वन अनुभाग है, कितने अनुभाग अधिकारी कार्यरत है? **(ख)** भौरा परिक्षेत्र में कितने सहायक परिक्षेत्र है जिनमें निर्माण कार्य वर्ष 2009 से 2014 तक हुये है? **(ग)** कुप्पा (सहा. परि. क्षेत्र) में सागौन कटाई के लिये कौन जिम्मेदार है

प्रश्नांश **(ख)** अवधि में वनमंडल द्वारा कितने अवैध कटाई के प्रकरण बनाए गए? जब्त लकड़ी की मात्रा बताईये?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** प्रश्नांकित वनमंडल में 05 वन परिक्षेत्र तथा 03 अनुभाग हैं एवं 03 अनुभाग अधिकारी कार्यरत हैं। **(ख)** भौरा परिक्षेत्र में 07 सहायक परिक्षेत्र हैं जिनमें प्रश्नांकित अवधि में निर्माण कार्य किये गये हैं। **(ग)** प्रश्नांकित क्षेत्र में निस्तारी कटाई के अलावा व्यावसायिक कटाई नहीं पायी गयी। अतः कटाई के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष **जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''सैंतीस''</u>

## नगर पालिका महिदपुर निर्माण कार्यों पर व्यय

**175. ( क्र. 3259 ) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका परिषद महिदपुर द्वारा दि. 01.01.14 से 30.06.15 तक विभिन्न कार्यों में शासन से प्राप्त राशि से वार्डों में कराये गये कार्यों की जानकारी बतावें? **(ख) (क)** अवधि में किन-किन मदों में शासन से कितना बजट आवंटित हुआ? **(ग)** इसका व्यय किन कार्यों में किया गया? **(घ)** निर्धारित मद/योजना पर व्यय न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार** है। **(द)** नगर पालिका परिषद महिदपुर द्वारा व्यय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया गया है।

## वन विभाग के कार्यों हेतु आवंटित बजट

**176. ( क्र. 3266 ) श्री बाला बच्चन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ जिलों में 10 वर्ष पूर्व कितना वन क्षेत्र रकबा था? दिनाँक 01.04.2015 को कितना है? जिलेवार जानकारी प्रमाणित प्रति के रूप में देवें? **(ख)** दिनाँक 01.04.2012 से 30.06.2015 तक इन जिलों में किस कार्य के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? **(ग)** कावेरी वन मंडल क्षेत्र में दिनाँक 01.04.2012 से 31.05.2015 तक स्वीकृत कार्य लागत, स्वीकृति दिनाँक, कार्य पूर्ण, अपूर्ण की स्थिति बतावें? **(घ)** अपूर्ण कार्यों में कितनी राशि आहरित की जा चुकी है, कितना कार्य शेष है, कब तक पूर्ण होना है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** दिनाँक 01.04.2015 से 31.05.2015 तक स्वीकृत कार्यों की अवधि वित्तीय वर्ष 2015-16 है जिनका निर्धारित कार्यावधि में होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## धावड़ा गोंद की बैतूल जिले में जब्ती

**177. ( क्र. 3278 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले के ग्राम प्रभात पट्टन में जून 2014 किसके द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर किसके मकान पर छापा मारकर, किससे कितना धावड़ा गोंद जब्त किया गया? किस धारा का वन

अपराध, किसके विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया? इस कार्यवाही में शामिल वन विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें? **(ख)** मुख्य वन संरक्षक बैतूल को लोकेश निकाजू ने 16-09-2015 को किन 8 बिंदुओं पर किन प्रमाणों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया था? इसमें से किन बिंदुओं की जाँच किस अधिकारी से किस दिनाँक को करवाई गई एवं किस दिनाँक को जाँच प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक बैतूल को दिया गया? **(ग)** मुख्य वन संरक्षक बैतूल ने 8 बिंदुओं में से किस-किस बिंदु पर किस दिनाँक को क्या आदेश दिया, किस बिंदु पर आदेश नहीं दिया? सभी बिंदुओं पर जाँच करवाई जाकर आदेश न दिए जाने का क्या कारण रहा है? **(घ)** धावड़ा गोंद को विनिर्दिष्ट वनोपज मानकर किस दिनाँक को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया? धावड़ा गोंद की किस अधिसूचना के अनुसार शासन ने विनिर्दिष्ट वनोपज अधिसूचित किया है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** प्रश्नांकित ग्राम में जून, 2014 को उप मण्डलाधिकारी, मुलताई द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर किराये पर निवासरत श्री लोकेश निकाजू एवं श्री संजय शिवहरे साकिन प्रभात पट्टन के मकान पर छापा मार कर 892.050 कि.ग्रा. धावड़ा गोंद जब्त किया गया। श्री लोकेश निकाजू एवं श्री संजय शिवहरे के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 (च), 33 (ए), 66 **(क)**, 69 एवं वन उपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 2 **(घ)** /5 के उल्लंघन का वन अपराध पंजीबद्ध किये गये। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नांकित तिथि आना शेष हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** अधिसूचना दिनाँक 02.02.1974 से धावड़ा गोंद को मध्यप्रदेश वन उपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वनोपज अधिसूचित किया गया था, जो 01 जुलाई, 2003 से विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं है। वनक्षेत्र में धावड़ा वृक्षों की छाल छील कर एवं घाव बनाकर अप्राकृतिक रूप से धावड़ा गोंद संग्रहण करने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई के समक्ष दिनाँक 01.08.2014 को परिवाद प्रस्तुत किया गया।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस"</u>

## <u>खेल सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता</u>

**178. ( क्र. 3284 ) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खेल एवं युवक कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन सी खेल सामग्री किस-किस संस्था/फर्म से क्रय किए जाने हेतु किस अधिकारी के द्वारा कब स्वीकृत प्रदान की गई? **(ख)** क्या खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु क्रय समिति का गठन किया गया था? क्रय समिति की किस-किस बैठक में कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी सामग्री क्रय करने की अनुशंसा की थी? **(ग)** संचालक खेल एवं युवक कल्याण को कितनी राशि की सामग्री क्रय करने के अधिकार हैं? क्या संचालक खेल द्वारा निर्धारित राशि एवं बजट से अधिक की खेल सामग्री क्रय की गई है? यदि हाँ, तो क्या इसके लिये शासन से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब अनुमति प्राप्त की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या संचालक खेल ने क्रय समिति की अनुशंसा एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बजट से अधिक नियम विरूद्ध शासन की अनुमति के बिना ही खेल सामग्री क्रय की गई? यदि हाँ, तो दोषी संचालक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में खेल सामग्री खरीदी के संबंध में प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 11, दिनाँक 11 दिसंबर 2014 एवं अतारांकित प्रश्न

क्रमांक 726, दिनाँक 24 फरवरी 2015 के उत्तरों में जानकारी एकत्रित की जा रही है, की जानकारी दी गई थी? क्या उक्त जानकरी एकत्रित कर ली गई है? यदि हाँ, तो उक्त दोनों प्रश्नों की कंडिकावार जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## पाटन विधान-सभा अन्तर्गत निर्मित पुल एवं मार्ग

**179. ( क्र. 3287 ) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग द्वारा पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कितने मार्ग हैं जिन पर पुल का निर्माण न होने अथवा छोटे रपटों का निर्माण होने से वर्षा रितु में मार्ग बाधित हो जाता है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पुल पुलियों का निर्माण कब किस योजना अन्तर्गत कराया जावेगा? **(ग)** पाटन विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में किन-किन मार्गों का किन योजना मद से किस एजेंसी द्वारा निर्माण कराया गया? इन निर्मित मार्गों के गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिये कौन-कौन से शासकीय अधि./कर्म. उत्तरदायी थे? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित किन-किन मार्गों का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं किन मार्गों का निर्माण किन कारणों से शेष हैं? एवं किन-किन मार्गों में आबादी क्षेत्र में नालियों का निर्माण योजना अन्तर्गत किया गया है? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों नहीं? एवं प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित मार्गों के निर्माण की अनियमितताओं के संबंध में कब क्या शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। **(ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार** है। **(घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार** है।

## सिहोरा तहसील अन्तर्गत गोसलपुर-खिन्नी मार्ग का पुर्ननिर्माण

**180. ( क्र. 3288 ) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गोसलपुर खिन्नी मार्ग पर एक प्रायवेट लिमिटेड फैक्ट्री संचालित है जो आसपास की खदानों से कच्चा माल इस मार्ग से परिवहन करती है? **(ख)** यदि हाँ, तो संचालित फैक्ट्री एवं आसपास की खदानों का नाम, संचालकों के नाम सहित बतलावें एवं गोंसलपुर खिन्नी मार्ग का निर्माण किस सन् में कितनी भार क्षमता के परिवहन हेतु किया गया? **(ग)** प्रश्नांकित मार्ग वर्तमान समय में किस स्थिति में है? क्या स्थापित फैक्ट्री में हो रहे ओवर लोडेड वाहनों के परिहवन के कारण उक्त मार्ग जर्जर हो चुका है एवं उक्त मार्ग पर ओवर लोड वाहनों का भरा हुआ ओवर लोडेड खनिज रास्ते में बिखरा पड़ा रहता है? जिससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें की उक्त मार्ग की दुर्दशा हेतु कौन-कौन सी फैक्ट्री एवं खदानें जिम्मेदार हैं? उक्त मार्ग पर ओवर लोड परिवहन की पूर्व में ग्राम खिन्नी, कुकराई, चन्नोटा, मल्हना, आमी, धोराकोनी के निवासियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा से की गई शिकायत पर हुई कार्यवाही से अवगत करावे एवं क्या शासन उक्त ग्रामीण पहुंच मार्ग पर हो रहे ओवर लोडेड मार्गों के परिहवन पर रोक लगाकर संबंधित कम्पनियों/खदान मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो

कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं एवं यह भी बतलावें कि शासन कब किस मद से कब तक इस मार्ग का पुनर्निर्माण कर इसे आवागमन के लायक बनावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** प्रश्नाधीन मार्ग लो.नि.वि. के कार्य क्षेत्रान्तर्गत नहीं है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

## नगर पंचायत परिषद में निर्माणाधीन सड़कें

**181. ( क्र. 3298 ) श्री गिरीश भंडारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पंचायत परिषद बोर्ड ने परिषद की बैठक दिनाँक 02/05/2015 के प्रस्ताव क्र. 41, 42, 43, 44 से डब्लू.बी.एम सड़क निर्माण का प्रस्ताव किया है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त सड़कों का निर्माण किस मौहल्ले/किस वार्ड, किस खाते खसरे में/किस पटवारी हल्के में किया जा रहा है तथा उक्त सड़कों का टेण्डर किस दिनाँक को हुआ? **(ग)** प्रश्न की कंडिका **(ख)** अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रश्न की कंडिका **(क)** अनुसार पारित प्रस्ताव निर्माणाधीन सड़कें क्या नगर पंचायत सीमा में है? अथवा ग्रामीण क्षेत्र में है अथवा निजी क्षेत्र में है? **(घ)** क्या किसी नगर पंचायत को अपनी शहरी सीमा क्षेत्र से हटकर ग्रामीण क्षेत्र/निजी क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें? **(ड.)** प्रश्न की कंडिका **(घ)** की उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रश्न की कंडिका **(ख)** निर्माणाधीन सड़कों में क्या कोई अनियमितता हुई है? यदि हाँ, तो शासन इस पर किस अधिकारी/व्यक्ति पर क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। सड़कों का निर्माण कार्य के निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। **(ग)** जी हाँ। सड़कों का निर्माण कार्य निकाय सीमा क्षेत्रांतर्गत किया जाना है। **(घ)** नगर परिषद को अपनी शहरी सीमा क्षेत्र से हटकर ग्रामीण/निजी क्षेत्र में कार्य कराने का अधिकार नहीं है। **(ड.)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

## बॉयलर सचांलनालय इंदौर को भोपाल स्थानांतरित करना

**182. ( क्र. 3299 ) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या इंदौर स्थित बॉयलर संचालनालय का मुख्य कार्यालय इंदौर को भोपाल स्थानांतरण न करने संबंधी घोषणा विधानसभा में दिनाँक 01 मार्च 2006 को की गई थी? **(ख)** क्या सचिवालय स्तर पर बॉयलर संचालनालय का मुख्य कार्यालय इंदौर से भोपाल स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव पुनः विचाराधीन है? **(ग)** यदि हाँ, तो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिनके कारण औद्योगिक इकाईयों की कठिनाईयों को नजर अंदाज कर विधानसभा में की गई घोषणा को बदलना आवश्यक है? क्या विधानसभा में की गई घोषणा को सचिवालय स्तर पर बदला जा सकता है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के अनुक्रम में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## सड़क विहीन ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना

**1. ( क्र. 122 ) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने ऐसे ग्राम है जहाँ पर आज भी कोई सड़क नहीं है और जिनको एक ग्राम से दूसरे ग्राम व मुख्य मार्ग से अभी तक नहीं जोड़ा गया है? ग्राम व मजरा का नाम बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या ग्रामों की जनता रास्ता न होने के कारण परेशान एवं कठिनाइ्र का सामना कर रही है? इस जनहित की समस्या का निदान करने की क्या कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो बतायें नहीं तो कब तक बनाई जायेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** 0 से 500 आबादी वाले ग्रामों को एक ग्राम से दूसरे ग्राम व मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को शासन ने अधिकृत किया है। इसी तरह 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने की कार्यवाही हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उक्त दोनों विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई पहुंच विहिन ग्रामों की सूची **संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख)** जी हाँ। प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित योजना विभाग में प्रचलन में नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''इकतालीस''

## राजौदा से भौरसा रोड निर्माण की स्वीकृति

**2. ( क्र. 143 ) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम राजोदा तहसील सोनकच्छ जिला देवास से भौरासा तक का रोड स्वीकृत है? **(ख)** यदि स्वीकृत है तो कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? यदि स्वीकृत नहीं है, तो क्या विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? **(ग)** यदि कार्यवाही प्रचलित है, तो जानकारी देवें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के तारतम्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के तारतम्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं।

## वन विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण

**3. ( क्र. 280 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंदसौर नीमच जिले में वन विभाग की कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी भूमि किस-किस तहसील में है, जानकारी दें। **(ख)** क्या समस्त भूमि विभाग के कब्जे या इस अतिक्रमण कर खेती एवं मकान बनाये जा रहे है, यदि हाँ, तो उक्त जिलों में किन-किन स्थलों पर किस-किस व्यक्ति का अतिक्रमण है, जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** से संदर्भित अतिक्रमण को दूर करने के 01 जनवरी, 2013 के पश्चात् क्या-क्या प्रयास किये गये जानकारी दें। **(घ)** क्या वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया लोग भूमि पर खेती अन्य अतिक्रमण करवा रहे है, यदि नहीं, तो अतिक्रमण हटाने में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है, अवगत करावें?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क), (ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-1, 2 **एवं 3 अनुसार है। (घ)** जी नहीं। विद्यमान अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

**नगरीय निकाय अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़के**

**4. ( क्र. 281 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग की कौन-कौन सी सड़के किस-किस नगर पालिका में कहाँ-कहाँ तक है? किलोमीटर सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या शहरी क्षेत्र की समस्त सड़कों को लोक निर्माण विभाग नगरीय प्रशासन विभाग को देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है? यदि हाँ, तो इसके तहत किन-किन सड़कों को गत 1 जनवरी 2012 के पश्चात नगरीय प्रशासन विभाग को सौंप दिया गया है? **(ग)** 1 जनवरी 2012 के प्रश्चात प्रश्नांश **(क)** अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की देखरेख हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मार्ग पर खर्च की गई? क्या इन सड़कों में ऐसी भी कोई सड़कें हैं जिनमें ठेकेदार द्वारा कार्यभार लेने के पश्चात् गत दो वर्षों से उन सड़कों को दुरस्त नहीं किया गया? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। स्थानीय आवश्यकता अनुसार। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**पी.आई.यू. भिण्ड का भवन निर्माण**

**5. ( क्र. 423 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा कहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है? पी.आई.यू. का ऑफिस कहाँ पर खोला गया था? वर्तमान में किसके मकान में किराये पर चल रहा है? शासकीय भवन में ऑफिस संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है? पी.आई.यू. के भवन निर्माण के लिये कार्यवाही किस स्तर पर विचाराधीन है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत प्रश्न दिनाँक तक कोई किराया भुगतान किया गया है किस माह में कितना किराया भुगतान किया गया है? किराया भुगतान के लिए मकान किराये पर लेने के लिए किस सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की गई? छायाप्रति सहित जानकारी दें? **(ग)** लोक निर्माण विभाग भिण्ड पर कितनी जमीन अधिगृहित है? कहाँ पर क्या निर्माण किया गया है? पी.आई.यू. भवन के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं है? शासकीय जमीन उपलब्ध कराने के लिए किस स्तर के अधिकारी को पत्र व्यवहार किया गया? पी.आई.यू. भिण्ड भवन निर्माण के लिए बजट की मांग कब की गई? **(घ)** लोक निर्माण विभाग भिण्ड भवन पथ/पी.आई.यू. में किस पद पर कौन पदस्थ है? कितने पद रिक्त हैं? अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्य कर बड़े पैमाने पर अनियमितता की जा रही है? यदि हाँ, तो कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. भिण्ड के विरूद्ध प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भिण्ड द्वारा निर्माण कार्य गोहद, मेहगांव, अटेर, लहार एवं भिण्ड तहसील के अंतर्गत किये जा रहे है। पी.आई.यू कार्यालय तात्कालिक परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग कार्यालय भिण्ड कैम्पस में एक छोटे से कमरे में खोला गया था। वर्तमान में कार्यालय श्री पवन कुमार जैन शिक्षक कालोनी भिण्ड के भवन में संचालित किया जा रहा है। पी.आई.यू., संभागीय कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/प) संभाग से भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय शासकीय

भवन में संचालित नहीं किया जा रहा है। पी.आई.यू. कार्यालय भवन निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन (डीपीआर) मंगाये जा रहे हैं। **(ख)** जी नहीं, प्रश्न दिनाँक तक कोई किराया भुगतान नहीं किया गया है। भवन किराये की स्वीकृति हेतु परीक्षण किया जा रहा है, तद्नुसार स्वीकृति प्रदायगी की कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** पीआईयू कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भूमि आवंटन एवं बजट आवंटन की मांग की जा सकेगी। **(घ)** लो.नि.वि. (भ/प) पी.आई.यू. भिण्ड में पदस्थ कर्मचारियों-अधिकारी की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' के अनुसार है**, कोई भी अधिकारी एंव कर्मचारी अनाधिकृत रुप से पदस्थ नहीं है अतः अनियमितता करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/प)/संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. संभाग भिण्ड के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

## विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य

**6. ( क्र. 641 ) श्री राजेश सोनकर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा व विभागों द्वारा विकास कार्यों के संबंध में कब-कब व कितने-कितने प्रस्ताव भेजे गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में उक्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को विभाग द्वारा आज दिनाँक तक स्वीकृति प्रदान की गई है, व कितने प्रस्तावों में क्या-क्या कार्यवाही की गई व कितनी राशि के प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं, उनमें से कितने स्वीकृत हैं अथवा कितने कहाँ-कहाँ पर लंबित हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भेजे गये प्रस्तावों में से लंबित प्रकरणों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाकर क्या वित्तीय वर्ष में प्रारंभ कराया जा सकेगा? यदि हाँ, तो स्वीकृति एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने की समय-सीमा बतायें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।**

## कालोनियों द्वारा अवैध रूप से विद्युत का कनेक्शन

**7. ( क्र. 645 ) श्री राजेश सोनकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र व उसके आस-पास स्थित एवं पूर्व में पंचायत क्षेत्र में शामिल 29 गांवों में व सांवेर विधान सभा क्षेत्र में निर्मित हो रही कॉलोनियां करूणा सागर, सैटेलाई, इण्डेक्स, ओशियन पार्क, सफायर हाईट्स व बायपास क्षेत्र में निर्मित टाउनशिपों में कॉलोनीनाईजर द्वारा रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान किये हैं? **(ख)** यदि नहीं, तो रहवासियों से कॉलोनीनाईजर द्वार विद्युत कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली व कनेक्शन न देने वाले कॉलोनीनाईजर पर दण्डात्मक कार्यवाही विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है अथवा की जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** इन्दौर नगर निगम क्षेत्र एंव उसके आस-पास स्थित एंव पूर्व में पंचायत क्षेत्र में शामिल 29 ग्रामों में व विधानसभा क्षेत्र में निर्मित हो रही कॉलोनियों में करूणा सागर तथा सैटेलाईट में कॉलोनाईजर द्वारा बाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विद्युत कम्पनी द्वारा स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किये गये है। प्रश्न में उल्लेखित इण्डेक्स नामक कोई कॉलोनी वजूद में नहीं है। इण्डस सैटेलाईट फेस-1 तथा ओशियन पार्क

कॉलोनिया नियमानुसार विद्युतीकृत कॉलोनिया होने से रहवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये है। इण्डस सैटेलाईट फेस-2 में कॉलोनाईजर द्वारा बाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण रहवासियों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये है। सफायर हाईट्स नामक कॉलोनी हेतु बाह्य विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव विद्युत वितरण कम्पनी को प्राप्त नहीं होने से कॉलोनी के रहवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया। **(ख)** विद्युत कम्पनी को कॉलोनाईजर के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

**वन विभाग द्वारा पौधारोपण**

**8. ( क्र. 648 ) श्री राजेश सोनकर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिले में वन विभाग के स्वामित्व में कितनी-कितनी वन भूमि कहाँ-कहाँ पर स्थित है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में वन विभाग ने विगत दो वर्षों में कितने-कितने वन मण्डल/रकबे में वनरोपण, तार फेंसिंग व मुनारे रखने का कार्य कहाँ-कहाँ पर किया है? कितने पेड़ लगाये गये है? कितने स्क्वेयर फीट जालिया कहाँ-कहाँ पर लगाई है? व इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? पृथक-पृथक सूची व स्थान अनुसार जानकारी प्रदान करे? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में किये गये वृक्षारोपण में प्रश्न दिनाँक तक कितने पेड़ पौधे जीवित है व कहाँ-कहाँ पर स्थित है, स्थान सहित सूची प्रदान करें? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में क्या वन विभाग की वर्तमान में भी इन्दौर जिले में पौधारोपण करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर व कब तक एवं कितने हजार पौधे रोपे जायेगे? विभाग द्वारा इस पर कितना व्यय किया जायेगा? इनकी सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध करेंगे?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है।**

**उद्यानों में अतिक्रमण**

**9. ( क्र. 649 ) श्री राजेश सोनकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिका निगम इंदौर के जनकार्य विभाग द्वारा इंदौर शहर के उद्यानों के सौन्दर्यीकरण के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी? **(ख)** यदि हाँ, तो निविदा विज्ञप्ति क्र. 112 सी.ई. बिल सेक्शन 07-08 में कितने उद्यानों के सौन्दर्यीकरण की योजना थी? उनमें से कितने उद्यानों के सौन्दर्यीकरण पूर्ण हो गये है, व कितने बाकी है? क्या शेष उद्यानों पर अतिक्रमण हो चुका है? यदि हाँ, तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में उद्यानों की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर उद्यानों के सौन्दर्यीकरण की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की थी तथा उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में क्या अतिक्रमित उद्यानों के अतिक्रमण हटाकर सौन्दर्यीकरण किय जावेगा तथा कब तक?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** 44 उद्यानों के सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्यों में से 42 उद्यानों के सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्य हो गये है। 02 उद्यानों के निर्माण कार्य कराया जाना शेष है। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**टोल - टैक्स वसूली व टोल संधारण**

**10. ( क्र. 681 ) श्री राजेश सोनकर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर उज्जैन फोर लेन मार्ग को बी.ओ.टी. के माध्यम से निर्माण संचालन संधारण एवं टोल टैक्स वसूलने के लिए किसी संस्था/कम्पनी के साथ अनुबंध हुआ है? **(ख)** यदि हाँ, तो संस्था/कम्पनी का नाम क्या है? अनुबंध की शर्तें क्या-क्या हैं? क्या कम्पनी द्वारा टोल संधारण का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में क्या अनुबंध में मार्ग के बीच स्थित मार्ग विभाजक पर पौधारोपण की भी शर्तें हैं? यदि हाँ, तो आज तक कितने पौधे लगाये गये हैं, तथा किस प्रजाति के पौधे लगाये गये हैं? पौधों के बीच में कितनी दूरी रखा जाना आवश्यक था तथा कितनी दूरी रखी गई? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में क्या फोर लेन मार्ग के दोनों ओर भी पौधे लगाये जाना प्रस्तावित था? यदि हाँ, तो किस-किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये गये?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** कम्पनी का नाम मेसर्स महाकालेश्वर टोलवेज प्रा.लि. इन्दौर है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** अनुबंध की शर्तें कन्सेशन अनुबंध में उल्लेखित हैं। जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। मार्ग विभाजक (मिडियन) पर झाडी वाले पौधे लगाये जाते हैं। निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा मिडियन में मुख्यत: कनेर एवं बोगन बेलिया के आज दिनाँक तक कुल 41240 पौंधे लगाये गये है। पौंधों के बीच की दूरी औसतन 3 मीटर रखी गई है, जो सामान्यत: उचित है। **(घ)** जी हाँ। निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा फोरलेन मार्ग के दोनों ओर गुलमोहर, केसिया, सीसम एवं करेज आदि के कुल 88640 पौंधे लगाये गये है।

<u>**परिशिष्ट - "तैंतालीस"**</u>

## <u>नरसिंहगढ़ नगर पालिका में नियमित पदों की स्वीकृति के संबंध में</u>

**11. ( क्र. 704 ) श्री गिरीश भंडारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगरीय विकास विभाग द्वारा नगर पालिका नरसिंहगढ़ में नियमित विभिन्न पदों की स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो पद का नाम/संख्या/वेतनमान सहित पूर्ण जानकारी दें? पदों की स्वीकृति शासन द्वारा किस पत्र क्र./दिनाँक से दी गई? शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्न की कंडिका **(क)** की उपलब्ध कराई जानकारी अनुसार उक्त पदों पर कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत है? नाम सहित बतावें? उक्त पद किस वर्ग के लिए आरक्षित हैं? कार्यरत कर्मचारी किस वर्ग का है? जानकारी दें एवं उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार एवं किसके द्वारा की गई जानकारी दें? **(ग)** वर्तमान में नगर पालिका नरसिंहगढ़ में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्या तैयार किया गया है? कौन सा पद किस वर्ग के अंतर्गत आता है? **(घ)** रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से की जावेगी या विभागीय पदोन्नति से कब तक की जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-51/2012/18-1 दिनाँक 28-02-2014 से नगर पालिका परिषद/नगर परिषदों की आदर्श कार्मिक संरचना स्वीकृत की जाकर नगर पालिका परिषद् नरसिंहगढ़ में नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है। पद नाम, संख्या, वेतनमान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर दी गई है। (ख)** विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर है। (घ)** रिक्त पदों की पूर्ति एवं पदोन्नति की कार्यवाही म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत निर्मित म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें)

नियम, 1968 के उपनियम 11 एवं 12 और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये प्रावधानों के तहत की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना

**12. ( क्र. 706 ) श्री गिरीश भंडारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या म.प्र. में किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई नियम है? **(ख)** प्रश्न की कंडिका **(क)** अनुसार उपलब्ध शासकीय नियम की जानकारी के आधार पर नरसिंहगढ़ तहसील के औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में किस-किस औद्योगिक इकाईयों में कितने-कितने स्थानीय निवासी किस-किस पर पद कार्यरत हैं? औद्योगिक इकाईयों का नाम दर्शाते हुये जानकारी दें? **(ग)** प्रश्न की कंडिका **(ख)** अनुसार औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत स्थानीय निवासियों की सूची नाम/गांव का नाम सहित औद्योगिक इकाईयों का नाम दर्शाते हुए उपलब्ध करावें।

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में नियम नहीं है। उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (यथा संशोधित 2012) की कंडिका क्रमांक 16.6 में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रावधान है:- प्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके कुल रोजगार का 50 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने की शर्त आवश्यक होगी, इसके लिए योजनान्तर्गत अनुबंध में उक्त शर्त सम्मिलित होगी। **(ख)** एवं **(ग)** औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

## सुमावली विधानसभा मुरैना केनाल रोड से ग्राम सिहोरी के सड़क निर्माण में विलंब

**13. ( क्र. 768 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुमावली विधानसभा मुरैना की नहर रोड से ग्राम सिहोरी को सड़क का ठेका कब, कितने समय अवधि के लिये हुआ था? ठेकेदार का नाम, कार्य की राशि, कार्य की दूरी सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? **(ख)** उक्त मार्ग का कितना भुगतान किया जा चुका है? कितना शेष है? क्या शेष राशि में मार्ग पूर्ण हो सकेगा? समय अवधि समाप्त के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण क्या रहें? इसे कब तक पूर्ण किया जा सकेगा? **(ग)** उक्त मार्ग के निर्माण में हुए विलंब पर विभाग द्वारा ठेकेदार के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ'** के स्तम्भ 18 में दर्शायेनुसार है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

## प्रदेश में मारे गये बाघों की संख्या व कारण

**14. ( क्र. 769 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के वन अभ्यारणों, क्षेत्रों में वर्ष 2013, 2014, जून 2015 तक कितने बाघों की मृत्यु हुई है इनमें कितने प्राकृतिक मृत्यु, कितनों की कब शिकार, शस्त्रों के घावों से हुई संख्या सहित क्षेत्रवार जानकारी दी जावें? **(ख)** उक्त अवधि में कितने लोगों के खिलाफ वन्य जीव प्राणी अपराध अधिनियम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की गई व उनमें शस्त्र जमा कराये गये संख्या

सहित जानकारी दी जावे? **(ग)** प्रदेश के वन अभ्यारणों, क्षेत्रों में उक्त अवधि में वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है।**

<u>अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना</u>

**15. ( क्र. 801 ) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अतारांकित प्रश्न क्रं. 1378 दिनाँक 3 मार्च 2015 द्वारा सतना जिले की नगर पालिका निगम सतना में 138 अवैध कालोनियां निगम के रिकार्ड में दर्ज होना बताया गया था? **(ख)** उक्त कॉलोनियों को प्रश्न दिनाँक तक वैध कॉलोनियों में दर्ज किया गया या नहीं बताएं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ **(ख)** जी नहीं।

<u>विधानसभा रैगांव के आठ मार्गों का निर्माण</u>

**16. ( क्र. 802 ) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनाँक 22.05.2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी को सतना जिले की रैगांव विधानसभा क्षेत्र के आठ मार्गों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था? तो उल्लेखित मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई या नहीं बताएं? **(ख)** क्या उक्त मार्गों को स्वीकृत करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनाँक 23.05.2015 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन को भेजा गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग स्वीकृत किये गये या नहीं, कब तक स्वीकृत किये जायेंगे बताएं?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

<u>तहसील आरेछा अंतर्गत सड़कों का निर्माण</u>

**17. ( क्र. 976 ) श्री अनिल जैन :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के अंतर्गत ओरछा तहसील में दिसंबर 2013 से अब तक कितनी सड़कों के निर्माण, मरम्मत व डामरीकरण कराने का प्राक्कलन तैयार किये गये है? सड़कों के नाम, प्रस्तावित दूरी, अनुमानित लागत, प्राक्कलन भेजने की तिथि तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति सहित अद्यतन स्थिति के विवरण बतायें? **(ख)** उक्त में जिन कार्यों की स्वीकृति अप्राप्त है, उनके नाम, स्वीकृति लंबित रहने के कारण तथा उस कार्यालय का नाम बताया जाये जहाँ पर स्वीकृति हेतु लंबित है? **(ग)** क्या ओरछा से चकरपुर बाया मड़ोर मार्ग की मरम्मत के लिये की कोई योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कार्य योजना तैयार नहीं की गई है तो उसके कारण बताया जावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**परिशिष्ट - ''पैंतालीस''**</u>

## ओरछा से पृथ्वीपुर मार्ग पर पुल का निर्माण

**18. ( क्र. 977 ) श्री अनिल जैन :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ओरछा से पृथ्वीपुर मार्ग पर पड़ने वाली बेतवा नदी व जामनी नदी पर जर्जर पड़े पुलों के स्थान पर नये पुलों का निर्माण किया जाना है? **(ख)** यदि हाँ, तो इन पुलों के निर्माण के लिये क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि कोई कार्य योजना प्रस्तावित है तो यह कहाँ लंबित है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित पुलों के निर्माण के लिये कार्यवाही कब तक की जावेगी, जिससे इन मार्गों पर आवगमन सुचारू रूप से संचालित हो सके?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** पुलों का निर्माण बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। बैंकर निवेशकर्ता एवं निगम के मध्य कार्य प्रारंभ करने हेतु सहमति नहीं बन सकी है। नवीन स्वीकृति एवं निविदा उपरांत नवीन एजेन्सी चयन की कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** पुलों के निर्माण एवं आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ होने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

## उज्जैन में गेस्ट हाऊस का निर्माण

**19. ( क्र. 1015 ) डॉ. मोहन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर शहर में मा. हाईकोर्ट एवं मान. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूकने के लिए सर्वसुविधा युक्त गेस्ट हाऊस की व्यवस्था है? **(ख)** क्या पवित्र धार्मिक पर्यटन महत्व की नगरी उज्जैन ने भी महाकालेश्वर दर्शन एवं अन्य कार्यों के लिए मान. उच्च न्यायालय और मान. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आना होता है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इन्दौर की तर्ज पर उज्जैन में भी इस प्रकार के गेस्ट हाऊस बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कब तक?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## दमोह-कटनी मार्ग निर्माण में अनियमितता

**20. ( क्र. 1061 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बी.ओ.टी. स्कीम के तहत निर्मित की जा रही, दमोह कटनी सड़क मार्ग के निर्माण में अनियमितता के संबंध में जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रबंध निर्देशक महोदय सड़क विकास निगम, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी एवं श्रम पदाधिकारी कटनी को शिकायतें की गई है, यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर की गई जाँच के प्रतिवेदन उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत बताये कि निर्माण कार्य के दौरान अब तक कितनी सड़क दुर्घटनायें निर्माण स्थल पर घटित हुई एवं निर्माण कार्य के दौरान वायु प्रदूषण के माप में कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी हुई, इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा इनकी रोकथाम के लिये ठेकेदार कंपनी एवं विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में सड़क निर्माण कार्य में, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं म.प्र. लोक निर्माण विभाग के नियमों/निर्देशों का पालन नहीं किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** से **(ग)** के संदर्भ में बताये कि सड़क निर्माण में अनियमिततापूर्ण कार्य करने, वायु प्रदूषण उत्पन्न होने एवं श्रम अधिनियमों का

उल्लंघन होने की किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब, क्या जाँच की गई? की गई जाँच में क्या पाया गया? विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। दमोह-कटनी मार्ग निर्माण में अनियमितता के संबंध में प्रबंध निदेशक, म.प्र. सड़क विकास निगम एवं क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की गयी है। शिकायतों की जाँच स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर द्वारा की गयी है। जाँच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख)** मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ दिनाँक 15.05.2014 से दिनाँक 15.07.2015 तक कुल 19 दुर्घटनाएं हुई हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।** वायु प्रदूषण के माप में बढ़ोत्तरी हेतु मॉनिटरिंग नहीं की गयी है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य के दौरान जल छिड़काव क्रशिंग के दौरान बोल्डर को गीला करके क्रश करने एवं वाहनों का उचित संधारण किया जाता है। **(ग)** भारतीय सड़क कांग्रेस के मापदंडो एवं स्पेशिफिकेशन का पालन किया गया है। **(घ)** सड़क निर्माण में अनियमितता पूर्ण कार्य करने एवं वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायत की जाँच स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर द्वारा की गयी है। जाँच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है**, जिसके अनुसार कार्य ठीक पाया गया है अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## आई.सी.यू. वार्ड निर्माण की निविदाओं की जाँच एवं दोषियों पर कार्यवाही

**21. ( क्र. 1095 ) श्री तरूण भनोत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शा. नेता जी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय जबलपुर में प्रीफेब पद्धति से सर्जिकल आई.सी.यू. वार्ड निर्माण की निविदायें आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो कितनी कंपनियों ने निविदायें प्रस्तुत की है? जानकारी कंपनी के नामवार, पतेवार निविदा में दी गई राशिवार दर सहित दी जावे? **(ख)** क्या उक्त सर्जिकल ICU वार्ड निर्माण हेतु केवल एक ही कंपनी की निविदा पास की गई एवं अन्य दो कंपनी की निविदा किन कारणों से निरस्त कर दी गई? **(ग)** जिन दो कंपनियों के निविदा निरस्त की गई उन कंपनियों के म.प्र. के किन-किन स्थानों पर कार्य चल रहे है? यदि कंपनियों के अन्य स्थानों पर कार्य चल रहे है तो किन तकनीकी आधारों पर उन्हें वर्णित **(क)** के निर्माण के अयोग्य पाया गया? **(घ)** क्या उक्त वर्णित **(क)** के निर्माण हेतु विभाग द्वारा उच्चस्थ अधिकारियों से सलाह की गई थी? जानकारी दी जावें। क्या निविदाओं की जाँच करवाते हुये संबंधित दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–एक अनुसार है।** मेसर्स एलीमिनेट डिजाईनर्स होम्स जबलपुर की बिड केपिसिटी आवश्यक रूपये 97.00 लाख (कार्य की अनुमानित लागत) के विरूद्ध रूपये 26.67 लाख होने तथा पूर्ण अपूर्ण कार्यों की गलत सूची देने के कारण तथा मेसर्स एम.के.एस. इंजी. कंपनी प्रा.लिमि. जबलपुर द्वारा विगत 5 वर्षों के टर्न ओव्हर के पेपर जमा न करने की वजह से तकनीकी रूप से अयोग्य पाये गये। **(घ)** जी हाँ। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## गृह निर्माण मण्डल की भूमि को खुर्दबुर्द किये जाने की उच्च स्तरीय जाँच

**22. ( क्र. 1096 ) श्री तरूण भनोत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल जबलपुर के अंतर्गत धनवंतरी नगर चौराहे के समीप मण्डल की 5000-6000 हजार वर्ग फुट जमीन स्थित है, जिसका की पटवारी ह.नं. 28/33 ग्राम पुरवा खसरा नं. 100/1, 101/2, 101/3, 98, 99 कुल रकवा 44.99 हेक्टेयर भूमि है, जो मण्डल के स्वामित्व की जमीन है? **(ख)** यदि वर्णित **(क)** हाँ, तो क्या मण्डल के अधिकारियों द्वारा बिल्डरों से साठ-गांठ कर मान. न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी उक्त भूमि पर बिल्डरों के माध्यम से 3 पक्के ड्युप्लेक्स का निर्माण करवा लिया है एवं चौथा ड्युपलेक्स भी स्लेब की ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया है? **(ग)** यदि वर्णित **(ख)** हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण की बार-बार शिकायतों के बाद भी मंडल के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? न ही कार्य को रूकवाया गया? **(घ)** क्या मण्डल की उक्त भूमि प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाकर संबंधित दोषी अधिकारियों एवं बिल्डरों पर कार्यवाही की जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हां। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार अतिक्रमित भूमि के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, जबलपुर से श्री विजय नामदेव एवं अन्य के विरूद्ध मण्डल के अधिकारियों द्वारा ही स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशों के विपरीत गतिविधियों के लिए मण्डल द्वारा अवमानना का आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मण्डल के अधिकारियों की बिल्डरों से सांठ-गांठ नहीं है। **(ग)** प्रश्नाधीन भू-भाग के संबंध में राजस्व विभाग से सीमांकन की कार्यवाही की गई जो नियमानुसार नहीं होने से मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं की गई। श्री विजय नामदेव एवं अन्य की गतिविधियों को देखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अवमानना आवेदन भी प्रस्तुत किया है। यह कहना कि अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई सत्य से परे है। **(घ)** विवादित भूमि का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा दो बार हो चुका है, जो मण्डल को मान्य नहीं था। मण्डल द्वारा पुनः सीमांकन हेतु निवेदन किया है। अतः शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## नालों पर अतिक्रमण

**23. ( क्र. 1299 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल नगर निगम के वार्ड 49 में 12 नं. मार्केट से 11 नं. मार्केट होते हुये आशा निकेतन के पास से जो नाला जाता हैं क्या उस पर अतिक्रमण कर मकान बना लिये गये है? यदि हाँ, तो अतिक्रमिकों के नाम तथा इस प्रकार नालों पर अतिक्रमण की विधानसभा क्षेत्र मध्य भोपाल की क्षेत्रवार अतिक्रमण की जानकारी देवें? **(ख)** क्या वर्षाकाल को देखते हुए उक्त नाले के बाढ़ के पानी से ई-6 एवं ई-7 सेक्टर के रहवासियों के घरों में पानी भर जाता है? यदि हाँ, तो इस हेतु नगर निगम द्वारा स्थाई निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की है और पानी अवरूद्ध न हो इस हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में नालों पर से विगत दो वर्ष में निगम द्वारा कितने अतिक्रमण हटाये गये या कब तक हटाये जावेंगे और अतिक्रमणधारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** अतिक्रमण न रोक पाने पर निगम द्वारा इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।** मध्य विधानसभा क्षेत्र के समस्त नालों के अतिक्रमण चिन्हित करने के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 930 दिनाँक 20.07.15 को तहसीलदारों को लिखा गया है। नालों के सीमांकन की कार्यवाही प्रचलित है। **(ख)** जी नहीं। पानी अवरूद्ध न होने के लिय नगर निगम द्वारा वार्ड 49 में 12 नं. मार्केट से 11 नं. मार्केट होते हुए आशा निकेतन के पास का नाला स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम में सम्मिलित है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। नगर निगम द्वारा शिकायते प्राप्त होने पर समय समय पर नालों पर किये जा रहे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>सिहोरा से खितौला बरझा रोड़ की स्वीकृति</u>

**24. ( क्र. 1325 ) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका सिहोरा अंतर्गत सिहोरा से खितौला बरझा रोड बाई पास की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? स्वीकृति आदेश का दिनाँक, स्वीकृति राशि सहित आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** कंडिका **(क)** मार्ग निर्माण का कार्य अभी तक क्यों नहीं कराया गया कारण बतावें? वर्तमान लागत मूल्यों के आधार पर इसकी लागत राशि बढ़ाई जाकर कब तक कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा? समय-सीमा बतायें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सिहोरा से खितौला को मिलाने वाली बरझा बायपास मार्ग की आई.डी. एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत परिवर्तित कम्यूनेटेड अपग्रेडेशन ऑफ सिहोरा के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के द्वारा बैठक दिनाँक 10.01.2002 को कार्य दर की स्वीकृत प्रदान की गई एवं उक्त कार्य का निकाय की परिषद बैठक दिनाँक 24.12.2002 के संकल्प क्रमांक 156 से सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** एवं **"ब" पर है। (ख)** प्रस्तावित बाईपास निर्माण हेतु कार्यादेश दिया जाकर कार्य प्रारंभ किया गया, किन्तु प्रस्तावित मार्ग के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा वर्ष 1976 में डाले गये मेन राईजिंग पाईप आने के कारण पाईप लाईन की सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य निरस्त किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उपरांत योजना तैयार की जायेगी। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>विशेष भत्ता के संबंध में</u>

**25. ( क्र. 1326 ) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनाँक 30 मई 2013 के अनुसार कुशल, अर्द्धकुशल, आकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिनकी सेवायें 10 से 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी होती हैं, उन्हें 1500 रू. एवं जिनकी सेवायें 20 वर्ष से अधिक होती हैं? उन्हें 2500 रू विशेष भत्ता प्रतिमाह दिये जाने के साथ-साथ साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य अवकाश की पात्रता होती हैं तथा अर्द्धवार्षिकीय आयु पूर्ण होने पर 1.00 लाख रूपये दिये जाने का भी प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अधिसूचना दिनाँक से प्रश्नांश दिनाँक तक नगर पालिका सिहोरा अंतर्गत प्रश्नांश **(क)** श्रेणी के कौन-कौन कर्मचारी कब-कब सेवा निवृत्त किये गये वर्षवार सूची उपलब्ध करायें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** कर्मचारियों को प्रश्नांश **(क)** अनुसार सुविधायें दी गई या नहीं? यदि नहीं, तो कारण बतायें? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? यह भी बतायें कि कार्यरत कर्मचारियों को प्रश्नांश **(क)** विशेष भत्ता एवं

अन्य सुविधायें प्राप्त हो रही या नहीं अगर नहीं तो क्यों? शासन निर्देशानुसार कर्मचारियों को लाभ न दिये जाने के लिये कौन दोषी है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूनचा क्र.सी.5-1-2013-3-1 दिनाँक 30 मई 2013 के अनुसार निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अधिसूचना अनुसार वर्णित भत्ता दिये जाने हेतु विभाग से आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही सुविधाएं दी जायेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

## सिहोरा में पानी की टंकी का निर्माण

**26. ( क्र. 1327 ) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका सिहोरा अंतर्गत पानी की टंकियों का निर्माण कब कराया गया था? निर्माण अवधि में सिहोरा की जनसंख्या क्या थी? वर्तमान में कितनी जनसंख्या हैं, एवं कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? टंकी की उम्र कितनी है? क्या टंकी की स्थिति जर्जर है कभी भी टंकी गिर सकती है, जिससे जनहानि की संभावना है? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार नवीन टंकी निर्माण की क्या कार्य योजना है? टंकी निर्माण कहाँ पर कराया जाना प्रस्तावित है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** जनगणना 2011 के अनुसार नगर परिषद सिहोरा की जनसंख्या 44048 है। जनसंख्या के मान से 59.46 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** जी नहीं, अपितु वार्ड क्रमांक 11 ज्वालामुखी सिहोरा में स्थित टंकी की छत क्षतिग्रस्त है, जिसे आधी क्षमता में भरकर जलप्रदाय किया जा रहा है। टंकी की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। **(ख)** वर्तमान में नवीन टंकी के लिए कार्ययोजना नहीं तैयार की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**परिशिष्ट - "छियालीस"**

## मुख्य सचिव को लिखे गये पत्र

**27. ( क्र. 1413 ) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के द्वारा गत एक वर्ष में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को किस क्रमांक से किस दिनाँक को लिखा गया पत्र प्रमुख सचिव वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल या वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल को किस दिनाँक को किस आदेश/निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है? **(ख)** प्रश्नकर्ता एवं माननीय विधायक श्री उमंग सिंघार के द्वारा गत एक वर्ष में किस दिनाँक को किस पत्र क्रमांक से किस विषय पर प्रमुख सचिव वन मध्य प्रदेश शासन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है? **(ग)** प्रश्नकर्ता एवं माननीय विधायक द्वारा लिखे गए किस दिनाँक के पत्र की जाँच करवाई जाकर किस दिनाँक को प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता एवं मा. विधायक को प्रेषित किया, किस दिनाँक के पत्र द्वारा चाही गई कौन सी जानकारी किस दिनाँक को प्रश्नकर्ता एवं मा. विधायक को प्रेषित की गई? **(घ)** कब तक जाँच करवाई जाकर प्रतिवेदन उपलब्ध करवा दिए जावेंगे, कब तक चाही गई जानकारी उपलब्ध करवा दी जावेगी, समय-सीमा सहित पृथक-पृथक बतावें?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## अस्पताल चौराहे से बायपास तक रोड़ निर्माण

**28. ( क्र. 1433 ) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सोनकच्छ नगर में अस्पताल चौराहे से बायपास तक रोड़ निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है? यदि है तो क्या कार्यवाही चल रही है? **(ख)** क्या उक्त रोड़ की तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ग)** नगरवासियों को उक्त रोड़ की सुविधा कब तक प्राप्त हो सकेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। मार्ग का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नांश ''क'' के उत्तर अनुसार। **(ग)** स्वीकृति अप्राप्त होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## उपयंत्री लो.नि.वि. गुना द्वारा शपथ पत्र में गलत जानकारी दिए जाने पर कार्यवाही

**29. ( क्र. 1485 ) श्रीमती ममता मीना :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लोक निर्माण विभाग गुना अंतर्गत कार्यरत उपयंत्री श्री गिरधारी लाल शर्मा ने अपने पुत्र मंयक शर्मा एवं हितेश शर्मा द्वारा ठेकेदारी लाईसेंस नहीं होने का शपथ पत्र दिया है तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2012) दिनाँक 10 जुलाई, 2014 के उत्तर में संलग्न पुस्तकालय परिशिष्ट - (द) में श्री गिरधारी लाल शर्मा उपयंत्री के पुत्र मंयक शर्मा, हितेश शर्मा का ठेकेदारी पंजीयन बताया गया? यदि हाँ, तो संबंधित उपयंत्री द्वारा गलत जानकारी दी गई या संदर्भित प्रश्न में मुख्य अभियंता द्वारा दी गई गलत जानकारी देने पर संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** क्या मंयक शर्मा ठेकेदार जो श्री गिरधारी लाल शर्मा उपयंत्री उपखण्ड गुना का पुत्र है उसने उसी उपखण्ड गुना में वर्ष 2013-14 में वाचनालय निर्माण कार्य कोर्ट परिसर गुना जिसकी लागत 13.00 लाख रूपये एवं इसी उपखण्ड में ए.आर.ए.के. मेन्टीनेन्स के निर्माण कार्य एवं वर्ष 2014-15 में तथा इसी उपखण्ड लोक निर्माण विभाग गुना के अंतर्गत ए.आर. की पुताई का कार्य किये? फिर गलत जानकारी क्यों दी गई? **(ग)** क्या श्री गिरधारीलाल शर्मा उपयंत्री लोक निर्माण विभाग उपखण्ड गुना द्वारा जिस उपखण्ड में पदस्थ थे व हैं उसी उपखण्ड में उसी लोक निर्माण विभाग संभाग गुना में अपने पुत्र मंयक शर्मा के नाम से ठेकेदारी करते रहे ऐसे ही वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में अपने पुत्र मंयक शर्मा के नाम से मण्डी गुना के सचिव ने पत्र क्र. /मण्डी/निर्माण/13-14/1013 गुना दिनाँक 16.07.2013 को निविदा स्वीकृत होने और अनुबंध करने का कार्यादेश जारी किया गया था? **(घ)** उपयंत्री गिरधारी लाल शर्मा द्वारा विधानसभा में झूठे शपथ पत्र पर व मुख्य अभियंता द्वारा विधानसभा में गलत जानकारी देने पर क्या कार्यवाही की गई अथवा कब तक की जाएगी, यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03 निर्माण कार्य

**30. ( क्र. 1497 ) श्रीमती ममता मीना :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना से ब्यावरा के बीच 100 किमी की लम्बाई में वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के बीच पेंच रिपेयर मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की गई है एवं ठेकेदार को कितना भुगतान किया गया? **(ख)** क्या 03 माह पूर्ण जो मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया था, वह वर्तमान में पूरी तरह उखड़ गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कितनी राशि गारंटी के रूप में काटी गई है? क्या पेंच उखड़ने की स्थिति में शासन द्वारा ठेकेदार की रिस्क पर कार्य कराया जायेगा? क्या

ठेकेदार पर कार्यवाही करते हुए उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है? **(ग)** क्या पेंच मरम्मत कार्य का ठेका पुनः उसी एजेन्सी को दिया गया है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/ठेकेदार पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, क्यों नहीं की गई? **(घ)** क्या आर.टी.ई. कार्यकर्ता द्वारा दिनाँक 17.11.2014 को इस मार्ग पर कोई जानकारी मांगी गई थी? यदि हाँ, तो क्या मांगी गई जानकारी संबंधित को उपलब्ध कराई गई थी? यदि हाँ, तो कब?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** से **(घ)** जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

**परिशिष्ट - ''सैंतालीस''**

## गुना वन विभाग में वनपालों एवं वनरक्षकों का स्थानांतरण

**31. ( क्र. 1499 ) श्रीमती ममता मीना :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल क्रं./एफ/6-1/2015/1/9 दिनाँक 15.04.2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु जारी स्थानांतरण नीति के तहत वनपालों के स्थानांतरण आदेश क्रं. 281 गुना दिनाँक 20.05.2015 को वनमण्डल अधिकारी गुना द्वारा किये गये स्थानांतरण में आज दिनाँक तक कितने वनपाल नवीन पदस्थगी पर उपस्थित हुये? **(ख)** वनमण्डल अधिकारी गुना के आदेश क्रं. 282/गुना दिनाँक 30.05.2015 से वनरक्षकों के स्थानांतरण किये गये थे कितने वनरक्षकों द्वारा आज दिनाँक तक नवीन पदस्थगी पर उपस्थित हुये? **(ग)** यदि वनमण्डल अधिकारी गुना के आदेशों का पालन किसी वनपाल या वनरक्षक द्वारा नहीं किया गया तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** प्रश्नांकित आदेश में शामिल समस्त 8 वनपाल नवीन पदस्थिति पर उपस्थित हो गये हैं। **(ख)** स्थानांतरित 28 वन रक्षकों में से 27 वन रक्षक उपस्थित हो गये हैं। **(ग)** एक वन रक्षक दिनाँक 08.07.2015 को भारमुक्त होने के बाद नवीन पदस्थिति पर उपस्थित नहीं हुए हैं। अल्पावधि के कारण प्रकरण में अभी इनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की स्थिति नहीं है।

## गुना जिले में वन विभाग द्वारा गत 5 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण में अनियमितता

**32. ( क्र. 1502 ) श्रीमती ममता मीना :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले में वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनाँक तक वन विभाग द्वारा कितनी भूमि पर कितना वृक्षारोपण किया गया? उनमें से कितने जीवित है ब्लॉकवार विवरण दें? यदि जीवित है तो उनकी क्या आयु है? **(ख)** क्या गत पांच वर्षों में किये गये वृक्षारोपण में विभागीय या अन्य विभागों की राशि व्यय हुई है यदि हाँ, तो कितना व्यय हुआ वार्षिक ब्लॉकवार विवरण दें? **(ग)** चांचौड़ा वि.सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नांश **(क)** अवधि में कितनी लकड़ी पकड़ी गई कौन से पकड़ी गई मक्सूदनगढ़ में पुलिस चौकी और रेंज ऑफिस के बीच जो लकड़ी पकड़ी गई किन-किन पर प्रकरण दर्ज किया गया कार्यवाही की गई? **(घ)** यदि गुना जिले में गत पांच वर्षों में किये गये वृक्षारोपरण में वृक्ष जीवित नहीं बचे या वृक्षारोपण में वित्तीय अनियमितता की गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या विभाग उन पर कार्यवाही करेगा? क्या लकड़ी चोरी कराने वालों पर कोई कार्यवाही की जावेगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।** परिक्षेत्र मक्सूदनगढ़ में पुलिस चौकी और रेंज ऑफिस बीच कोई वनोपज जप्त नहीं की गई है। **(घ)** गुना जिले में गत पाँच वर्षों में किये गये वृक्षारोपण निर्धारित मापदण्ड अनुसार सफल हैं। वृक्षारोपण में वित्तीय अनियमितता संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। लकड़ी चोरी करने वालों पर विधिवत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है।

## मुख्यमंत्री के अमेरिकी दौरे में पूंजी निवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव

**33. ( क्र. 1532 ) श्री मुकेश नायक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मा. मुख्यमंत्री जी के जनवरी-फरवरी 2015 में अमेरिकी दौरे के समय फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश सम्मेलन में राज्य में पूंजी निवेश आकर्षित करने के जो प्रयास हुये, उनकी वास्तव में उपलब्धि क्या रही? **(ख)** कितने उद्योगों, व्यवसायों के लिये कितनी पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर आगे क्या कार्यवाही हुई? **(ग)** मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और औषधि रसायन उद्योग के संबंध में क्या कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और यदि हाँ, तो उसकी जानकारी दीजिए? **(घ)** मुख्यमंत्री जी और उनके साथ इस दौरे पर गये सरकारी दल के सदस्यों की इस यात्रा पर कुल कितना धन खर्च हुआ और इस धनराशि का भुगतान सरकार ने किस मद से किया है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** फ्रैंडस ऑफ मध्यप्रदेश सम्मेलन के कारण मध्यप्रदेश मूल के विदेशों में बसे व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश के निवेश के वातावरण के दृष्टिगत प्रदेश में परियोजनायें स्थापित करने हेतु अभिरूचि दिखाई है। 10 कंपनियों ने मान.मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष भोपाल में वन टू वन मीटिंग कर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। **(ख)** प्राप्त 10 प्रस्तावों में लगभग राशि रूपये 10000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इनमें से 3 प्रस्तावों पर भूमि चिन्हित/आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। **(ग)** 7 प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। औषधी रसायन का कोई प्रस्ताव नहीं है। **(घ)** कुल व्यय रूपये 246 लाख (प्रावधिक) है। यह व्यय डेस्टीनेशन मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राइव के मद से हुआ है।

## उज्जैन सिंहस्थ मेले के निर्माण कार्य में व्यय राशि

**34. ( क्र. 1535 ) श्री मुकेश नायक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन सिंहस्थ मेला 2016 की तैयारी के लिये जून 2015 तक मध्यप्रदेश सरकार ने किन-किन निर्माण कार्यों के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की है? **(ख)** उज्जैन सिंहस्थ मेला 2016 के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से कुल कितनी सहायता की माँग की है और जून 2015 तक भारत सरकार से इसके लिये कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? **(ग)** क्या उज्जैन सिंहस्थ मेला की तैयारी के लिये राज्य सरकार को केन्द्र से समय पर सहायता नहीं मिली और शासन ने अन्य विभागों के बजट में कटौती कर मेले से संबंधित निर्माण कार्यों के लिये धन उपलब्ध कराया है, यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण दीजिए?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** उज्जैन सिंहस्थ मेला 2016 के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से राशि रू.3500.00 करोड़ की मांग की

गयी है। जून 2015 तक भारत सरकार से राशि रू.100.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। **(ग)** सिंहस्थ मेले हेतु केन्द्र से समय पर सहायता प्राप्त हुई है। राज्य शासन ने अन्य विभागों के बजट में कटौती नहीं की है।

<u>परिशिष्ट - "अड़तालीस"</u>

## अनूपपुर जिला मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण

**35. ( क्र. 1572 ) श्री रामलाल रौतेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** अनूपपुर जिला मुख्यालय में नवीन स्टेडियम हेतु खेल विभाग द्वारा कोई पहल किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो आदिवासी जिले में कब तक स्टेडियम निर्माण की स्वीकृत प्रदान करेंगे? **(ख)** जिले में कुल कितने खेल मैदान हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का कब तक निपटारा हो जाएगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## मुख्यमंत्री अद्योसंरक्षण योजना के अंतर्गत जानकारी

**36. ( क्र. 1616 ) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री अद्योसंरक्षण योजना के अंतर्गत सागर विधानसभा में प्रश्नांक दिनाँक विगत 5 वर्ष में कितने कार्य स्वीकृत किये गये है? कितने कार्यों की शुरूआत की जा चुकी है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के परिप्रेक्ष्य में कितने कार्यों की शुरूआत न होने का कारण क्या है? कार्यवार बताएं? **(ग)** विलंब का कारण क्या है? क्या शासन ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी तथा कब तक?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** 9 कार्य स्वीकृत। 8 कार्य प्रारंभ। विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** मात्र एक कार्य ऑडीटोरियम निर्माण का कार्य अप्रारंभ। विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। कार्य योजना तैयार किया जाकर, निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी। **(ग)** विलम्ब नहीं हुआ है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "उन्चास"</u>

## धर्मश्री सागर भोपाल बायपास रोड निर्माण

**37. ( क्र. 1617 ) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतारांकित प्रश्न क्र. 1894 दिनाँक 11 मार्च 2013 **(ख)** के उत्तरांश में बताया गया था कि धर्मश्री सागर भोपाल बायपास रोड निर्माण में भू-अर्जन किया जाना है? क्या उक्त कार्य कर लिया गया है? यदि हाँ, तो प्रगति बताएं? **(ख)** क्या बायपास रोड निर्माण के साथ मार्ग में स्थित पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो क्या रोड निर्माण में प्रस्तावित व्यय राशि में पुल पर व्यय होने वाली राशि को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस स्वीकृति पर विचार करेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ, जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## उद्योग हेतु बैंकों से ऋण की प्राप्ति

**38. ( क्र. 1625 ) श्री मोती कश्यप :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शासन ने बेरोजगार युवकों को उद्योग व रोजगार के अवसर प्रदान करने की जो योजनायें लागू की हैं उसमें क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के वि.खं. बड़वारा, कटनी एवं ढीमरखेड़ा में विगत 2 वर्षों में किन उद्यमों हेतु जिला उद्योग केंद्र, कटनी में कितने अभ्यावेदन दिये हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के कितने प्रकरणों को बैंकों को ऋण प्रदायन हेतु अग्रेषित किया गया है और उनमें से कितने बैंकों ने कितना ऋण प्रदान किया है? **(ग)** विभागीय महाप्रबंधक द्वारा बैंकों में लम्बित प्रकरणों पर ऋण प्रदाय कराने हेतु किन तिथियों में बैठकें की हैं और कितने प्रकरणों का निराकरण कराया गया है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** उद्योग/सेवा/व्यवसाय उद्यमों की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

| क्र. | योजना का नाम | प्राप्त आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 109 |
| 2 | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | निरंक |
| 3 | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना | 05 |

**(ख)** से **(ग)** **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब अनुसार है।** टास्क फोर्स समिति द्वारा 34 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

<u>परिशिष्ट - "पचास"</u>

## कटनी नगर में सर्कुलर रोड का निर्माण

**39. ( क्र. 1626 ) श्री मोती कश्यप :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी नगर में रेल्वे जंक्शन है और कई दिशाओं की ओर से कोई रेलमार्ग जाते व आते हैं, जिस कारण नगर का विस्तार अवरूद्ध है? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र दिनाँक 14.01.20145 को मा. मुख्यमंत्री को लेख कर प्रतिलिपि महापौर सहित जनप्रतिनिधियों को अग्रेषित करते हुये कटनी नगर की बायीं और दायीं दिशा की किन्हीं बस्तियों एवं ग्रामों से किसी सर्कुलर रोड के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया है? **(ग)** क्या वर्ष 2013 से 2015 की अवधि में पुलिस कन्ट्रोल रूम कटनी में आयोजित मासिक जनप्रतिनिधियों की बैठक में प्रश्नांश **(ख)** मार्ग का प्रस्ताव पारित हो पुलिस अधीक्षक ने सर्वेक्षण कराकर प्रतिवेदन कलेक्टर कटनी को प्रस्तुत किया है? **(घ)** क्या नगर निगम कटनी द्वारा प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश **(ख)**, **(ग)** एवं **(घ)** के सर्कुलर रोड की योजना बनायी गई है? **(ड.)** यदि नहीं, तो कब तक बना ली जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(ड.)** जानकारी संकलित की जा रही है।

## सड़क विहीन मार्गों का निर्माण

**40. ( क्र. 1627 ) श्री मोती कश्यप :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वि.स.क्षे. बड़वारा के कौन से ग्राम 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या के हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के ग्रामों को जोड़ते हुये किन्हीं ग्रामों तक जाने वाले प्रचलित मार्ग कौन से हैं? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र क्र. 1160 दिनाँक 14.01.2015 द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी को किन्हीं

मार्गों के निर्माण हेतु लेख किया गया है? **(घ)** क्या विभागीय कार्यपालन यंत्री के द्वारा किन्हीं अवधियों में मार्गों का सर्वेक्षण कर उनकी डी.पी.आर. तैयार की गई है? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** से **(घ)** के किन मार्गों को किन्हीं तिथियों में प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान की गई है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग)** जी हाँ। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।**

## खाद्य सामग्री वितरण हेतु अनुमति

**41. ( क्र. 1665 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर शहर की रहवासी क्षेत्रों की कॉलोनियों के अन्दर खाद्य सामग्री (कचोरी, समौसे, पोहे, जलेबी, चाईनीज फूड आदि) को विक्रय करने हेतु दुकानों/ठेलो को नियमानुसार नगर पालिक निगम से अनुमति प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो नियम व शर्तो की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या नगर पालिका निगम द्वारा जारी अनुमति में संबंधित दुकान/ठेला संचालकों को सामग्री बनाने व विक्रय के स्थान पर साफ-सफाई व कचरे को निर्धारित स्थान पर आस-पास स्वच्छता रखने संबंधी भी निर्देश भी प्रदान किये जाते है? यदि हाँ, तो यदि किसी संचालक द्वारा साफ-सफाई व स्वच्छता का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही निर्धारित की गई है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। नियम व शर्तें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 418 क (1) के तहत शासन आदेश के क्रम में नगर पालिक निगम, इंदौर के खाद्य एवं अखाद्य संस्थाओं के आस-पास कचरा फेकने या गंदगी करने पर रूपये 250/- अर्थदण्ड वसूलने का प्रावधान है।

## इंदौर शहरी सीमा अन्तर्गत होस्टलों का संचालन

**42. (क्र. 1666) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंदौर शहरी सीमा क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के निवास हेतु होस्टल संचालित हो रहे है? यदि हाँ, तो क्या संचालित होस्टलों के संचालकों द्वारा नियमानुसार पंजीयन किया गया है? यदि हाँ, तो जिन होस्टलों के संचालकों द्वारा बिना अनुमति के संचालन किया जा रहा है, उनके विरूद्ध संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :** जी हाँ। जी हाँ। निरंक।

## गाडरवारा नगर में स्टेडियम निर्माण

**43. ( क्र. 1678 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा नगर में पांच एकड़ खेल मैदान है क्या उसको खेल एवं युवक कल्याण विभाग को स्टेडियम निर्माण हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया है? **(ख)** क्या विभाग खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र स्टेडियम निर्माण कराये जाने हेतु विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब कि नहीं तो क्यों?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** जी हाँ। जी नहीं, अभी भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है। **(ख)** भूमि हस्तांतरण कार्यवाही नहीं होने से समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

**गाडरवारा तहसील में मां नर्मदा नदी किनारे घाट की जानकारी**

**44. ( क्र. 1679 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में मां नर्मदा नदी किनारे कितने पौराणिक महत्व के मां नर्मदा घाट हैं? **(ख)** विभाग इनके विकास के लिए कोई योजना पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**अनूपपुर जिले में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान**

**45. ( क्र. 1702 ) श्री रामलाल रौतेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** अनूपपुर जिले में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पायका के तहत किस जनपद पंचायत को चिन्हांकित किया गया है? चिन्हांकित जनपद एवं पंचायतों को आर्थिक सहायता कितना प्रदान किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित योजना के तहत अनूपपुर आदिवासी जिला को सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त योजना का लाभ जिले को मिलेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या विभाग ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान बनाने की स्वीकृत प्रदान की है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य में प्रत्येक पंचायत को कितनी-कितनी राशि प्रावधानित की है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** अनूपपुर जिले में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पायका के तहत पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत को चिन्हित किया गया है। जनपद एवं पंचायतों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ। इस वर्ष 2015-16 तक। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**विधानसभा क्षेत्र पानगर में वन विभाग द्वारा किये गये विकास कार्य**

**46. ( क्र. 1717 ) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र नेपानगर अंतर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 अवधि में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत कर संपादित किये गऐ? वर्षवार कार्यों की जानकारी मय लागत एवं कार्य की भौतिक स्थिति सहित बताएं? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र नेपानगर में कितने वन मार्ग है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? कितने वन मार्गों का केवल वन विभाग के द्वारा उपयोग होता है? कितने वन मार्गों का ग्रामीणजनों द्वारा उपयोग होता है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में से कितने वन मार्गों का निर्माण किया जाने हेतु कार्यवाही किस-किस स्तर पर लंबित है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** प्रश्नांकित विधान सभा क्षेत्र में 64 वन मार्ग हैं जिनकी वर्तमान स्थिति सामान्य है। समस्त वन मार्गों का उपयोग वन विभाग एवं स्थानीय निवासियों के द्वारा किया जा रहा है। **(ग)** वन मार्गों का निर्माण किये जाने हेतु कार्यवाही लंबित नहीं है।

**परिशिष्ट – ''इक्यावन''**

<u>खसरा नं. 153-154 बंधुवा गोदाम आवंटन में अनियिमितता</u>

**47. ( क्र. 1733 ) श्री अंचल सोनकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 1972 में नगर पालिका निगम जबलपुर के अंतर्गत खसरा नंबर 153 एवं 154 में बंधुआ गोदाम के लिये प्लाटिंग की गई थी यदि हाँ, तो खसरा नं. 153-154 में कुल कितने प्लाट किस साईज के तैयार किये गये एवं इन्हें किन-किन हितग्राहियों को कितने वर्षों के पट्टे/लीज पर आवंटित किये गये आवंटियों के नाम सहित पूर्व विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में आवंटित बंधुवा गोदाम के पट्टों/लीज की अवधि समाप्त होने के उपरांत क्या इनके पट्टे/लीज निरस्त की गई अथवा उनकी अवधि बढ़ाई गई तो कब तक वर्ष बतावें क्या वर्तमान में बंधुआ गोदाम के नाम से आवंटित मूल पट्टेधारी काबिज है? अथवा अन्य कोई? अन्य काबिजों की सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या 1989 में खसरा नम्बर 153-154 के अंतर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर बसाया गया है यदि हाँ, तो क्या बंधुआ गोदाम को निरस्त कर ट्रान्सपोर्ट नगर बसाया गया है अथवा ट्रान्सपोर्ट नगर अन्य किसी खसरा नंबर में बसाया गया है तो खसरा नंबर देवें? यदि नहीं, तो वर्तमान में बंधुआ गोदाम एवं ट्रान्सपोर्ट नगर किस खसरा नंबर में स्थित है दोनों की अलग-अलग पूर्ण जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। 30 वर्षों के लिये **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। ली अवधि समाप्त होने के बाद लीज निरस्त नहीं की गई है। 30 वर्ष के लिये नवीनीकरण प्रस्तावित है। वर्तमान में पटटेधारियों का ही कब्जा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। खं. नं. 153-154 का रकबा 9.947 हे. एवं 154 का रकबा 5.188 हे. कुल रकबा 15.135 हे. है। जिसमें से 1972 में बंधुआ गोदाम लगभग 0.880 हे. निर्मित है। शेष भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर बसाया गया है।

<u>परिशिष्ट – "बावन"</u>

<u>अशोकनगर से व्हाया थूबोन होते हुये चंदेरी मार्ग को टू लेन में परिवर्तित किया जाना</u>

**48. ( क्र. 1762 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा)** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग द्वारा अशोक नगर जिले में विगत 3 वर्षों से विभागीय मद से रोड मेंटनेंस पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की गई उसकी वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें? कार्य का नाम, प्रकार बताएं? **(ख)** क्या अशोकनगर वहाया थूबोन होकर चंदेरी रोड बहुत ही जर्जर हालत में है? **(ग)** क्या उक्त मार्ग को टू लाइन मार्ग में परिवर्तित करने की स्वीकृति शासन द्वारा मिल चुकी है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब से शुरू होगा व पूर्ण होने की समय-सीमा निर्माण एजेंसी के नाम सहित बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं, थूबोन से पिपरोद मार्ग पर विभागीय संधारण कार्य करा दिया गया है। **(ग)** उक्त मार्ग को इंटरमीडिएट लेन बनाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, कार्य निविदा प्रक्रिया में है, कार्य शुरू होने, पूर्ण होने एवं निर्माण एजेंसी के बारे में अभी बताया जाना संभव नहीं है।

<u>राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपभोक्ता शुल्क प्लाजा पर प्राप्त सुविधाएं</u>

**49. ( क्र. 1786 ) श्री कालुसिंह ठाकुर** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माता कंपनी द्वारा धरमपुरी विधानसभा

क्षेत्र के खलघाट में उपभोक्ता शुल्क प्लाजा स्थापित किया गया है? **(ख)** क्या कंपनी एवं विभाग के मध्य निष्पादित अनुबंध अनुसार कंपनी को धरमपुरी तहसील एवं 50 किलोमीटर क्षेत्र के वाहन मालिकों को शुल्क में छूट दिया जाना निर्धारित है? क्या कंपनी द्वारा स्थानीय वाहन मालिकों से लाखों रूपये प्रतिदिन की जबरन वसूली की जा रही है? इसी प्रकार प्लाजा के संचालन में 80 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना प्रावधानित है, लेकिन कंपनी द्वारा प्रदेश के बाहर के कर्मचारी नियुक्त किये गये है? **(ग)** क्या कंपनी का उक्त कार्य शर्तो के विपरित है? क्या शासन स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने एवं लोकल वाहन मालिकों को उपभोक्ता शुल्क में छूट दिलाने संबंधी कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। यह उपभोक्ता शुल्क प्लाजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। **(ख)** जी नहीं। परंतु कम्पनी द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के तहत 20 कि.मी. की परिधि के अंदर के स्थानीय वाहन मालिकों के पास उपलब्ध कराये जाते है। जी नहीं, जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** नहीं, प्रश्नांश **(ख)** के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

## <u>धार विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सड़कों की मरम्मत</u>

**50. ( क्र. 1795 ) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में निर्मित अधिकांश सड़कें पूर्णता खराब हो चुकी है, उनकी मरम्मत कब तक की जावेगी? **(ख)** क्या विभाग द्वारा विगत 03 वर्षो में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में धार-नागदा-गुजरी मार्ग राजमार्ग क्रं. 31 की सड़क मरम्मत पर राशि रू. 877.10 लाख रूपये व्यय किये गये है? क्या उक्त मार्ग पर मात्र वर्षाकाल उपरांत कुछ गड्ढे, मुरम, गिट्टी से भरे गये थे? क्या मार्ग पर आज भी बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे है? **(ग)** क्या शासन धार-नागदा-गुजरी मार्ग राजमार्ग क्रं. 31 की सड़क मरम्मत पर व्यय बताई गई राशि का अन्य एजेंसी से मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन करवाकर विभाग द्वारा मरम्मत के नाम पर की गयी अनियमितता को उजागर करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। अपितु दिनाँक 01.10.2014 तक रूपये 345.02 लाख व्यय हुआ। जी नहीं। जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। धार गुजरी मार्ग पर मरम्मत के नाम किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है, अत: उजागर करने का प्रश्न नहीं उठता। शेष प्रश्न का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>आवंटन राशि के विज्ञापन में व्यय</u>

**51. ( क्र. 1812 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट योजना के तहत किसी स्थानीय शासन के विभाग को, बोर्ड को, निगम को उपलब्ध कराये गये आवंटन में से अन्य किसी कार्य में या विज्ञापन आदि पर व्यय किये जाने का प्रावधान नियमों में है? **(ख)** यदि नहीं, है, तो बतावें कि सागर नगर पालिक निगम सागर को झील संरक्षण एवं सीवरेज पाइप लाइन के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से विगत 5 वर्षो में कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई अथवा आवंटन उपलब्ध कराया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आवंटन में से कितनी-कितनी राशि कब-कब,

किस-किस मद में, किस-किस विज्ञापन पर व्यय की गयी है? और क्या वे इस प्रकार का कृत्य करने हेतु सक्षम थे अथवा नहीं? **(घ)** यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** किसी विशिष्ट योजना के तहत निकाय को स्वीकृत आवंटन से निर्माण कार्य निविदाओं के विज्ञापन पर व्यय किया जाना नियमानुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**परिशिष्ट - ''तिरेपन''**</u>

## उद्योगों से फैलने वाले प्रदूषण संबंधी

**52. ( क्र. 1856 ) श्री सचिन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में मेघनगर जिला झाबुआ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? यदि हाँ, तो यहां पर कितने उद्योग किस-किस कार्य के लिए संचालित है और इनमें से ऐसे कितने उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं और प्रदूषित उद्योगों की जानकारी देते हुए उक्त संचालित उद्योगों के नाम व संचालकों के नाम सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित उद्योगों पूर्व में किस राज्य में संचालित थे और उन्हें वहां से क्यों हटाया गया क्या इनके खिलाफ किसी भी राज्य में कोई कार्यवाही की गई है हाँ, तो किस प्रकार की और वर्तमान में इन उद्योगों के खिलाफ कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही हुई है उसके प्रतिवेदन सहित जानकारी दें? **(ग)** उक्त उद्योगों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों में किस-किस प्रकार का प्रदूषण किन-किन चीजों व अन्य में फैल रहा है और उसकी रोकथाम के लिए संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** उक्त प्रश्नांशों पर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रश्न दिनाँक तक की क्या है और इनमें कौन-कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** जी हाँ, मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** उद्योग पूर्व में किस राज्य में संचालित थे और उन्हे वहां से क्यों हटाया गया इत्यादि प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धार द्वारा दी गई जानकारी अनुसार वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर के उद्योगों के खिलाफ दो शिकायतें प्राप्त हुई है, उन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** एवं **(घ)** क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उद्योगों के संचालन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है। उद्योगों द्वारा प्रदूषणकारी बिन्दुओं पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण यथा न्यूट्रीलायजेशन टैंक, सोलर इवोपोरेशन पोण्ड स्प्रिंकलर, पल्स जेट फिल्टर, थ्री स्टेज वेन्चुरी स्कब्रर डस्ट कलेक्टर तथा बैग फिल्टर इत्यादि आवश्यकतानुसार स्थापित किये गये है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## नगर पंचायत भीकनगांव में स्वीकृत कार्य

**53. ( क्र. 1872 ) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगर पंचायत भीकनगांव में वर्ष 2014-15 में कार्य स्वीकृति

हेतु किन-किन कार्यों की निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में जारी की गई है? कृपया प्रकाशन विज्ञप्ति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगर पंचायत भीकनगांव में वर्ष 2014-15 में जारी विज्ञप्ति अनुसार कितने पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कार्य करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? **(ग)** नगर पंचायत भीकनगांव वर्ष 2014-15 में कौन-कौन से कार्य हेतु कौन ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गई है? **(घ)** नगर पंचायत भीकनगांव अन्तर्गत क्या कुछ ऐसे कार्य भी हुए हैं जिनका समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन न करते हुए टेन्डर आमंत्रित कर परिषद द्वारा स्वीकृत किये गये हैं? हाँ, तो कार्यवार ठेकेदार के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें।

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कॉलम क्रं. 2 के अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ख)** 55 पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गये। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कॉलम क्रं. 3 के अनुसार है। (घ)** जी नहीं।

### नगर पंचायत भीकनगांव में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त राशि

**54. ( क्र. 1873 ) श्रीमती झूमा सोलंकी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत भीकनगांव में वर्ष 2014-15 अंतर्गत विभिन्न मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई है? कार्यवार, योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** नगर पंचायत भीकनगांव में 01 अप्रैल 2014 को कितनी राशि कौन-कौन से मद में शेष थी? मदवार राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** नगर पंचायत भीकनगांव अंतर्गत प्राप्त राशि से वर्ष 2014-15 में कौन-कौन से कार्य कौन-कौन से मद से स्वीकृत किये गये हैं? कृपया मदवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** नगर पंचायत भीकनगांव अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को कुल कितनी राशि शेष थी? मदवार शेष राशि की जानकारी उपलब्ध करावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।**

**परिशिष्ट - "चउवन"**

### वन समितियों को प्राथमिकता

**55. ( क्र. 1878 ) श्रीमती झूमा सोलंकी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वन क्षेत्रान्तर्गत वन ग्रामों में सार्वजनिक वितरण खाद्यान्न/कैरोसिन का वितरण क्या वन समितियों के माध्यम से कराने की प्राथमिकता है? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने वन ग्राम है तथा वहां पर किस माध्यम से सार्वजनिक वितरण का कार्य संचालित हो रहा है? ग्राम का नाम व किस एजेन्सी द्वारा संचालित किया जा रहा है? **(ग)** जिन ग्रामों में वन समिति के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा संचालन किया जा रहा है क्या उन्हें निरस्त कर वन समितियों के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ग)** का उत्तर नहीं है तो वन ग्रामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालन हेतु शासन के नियमों की जानकारी उपलब्ध करावें।

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी नहीं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग)** वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।**

## अधिकारियों की पदस्थापना

**56. ( क्र. 1879 ) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यपालन यंत्री (वि./या.) / संभागीय परियोजना यंत्री (वि./या.) के कुल कितने पद स्वीकृत है? वर्तमान में कितने नियमित कार्यरत है तथा कितने पद रिक्त है? **(ख)** सहायक यंत्री (वि./या.) से कार्यपालन यंत्री (वि./या.) पद पर पदोन्नति हेतु विगत तीन वर्ष में कब-कब पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई? यदि नहीं, हुई तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? **(ग)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी. 3-12/2013/3/1 भोपाल दिनाँक 24.04.2013 द्वारा वर्ष में दो बार पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन करने का प्रावधान है? क्या लोक निर्माण विभाग को उक्त आदेश से क्या छूट दी गई है? यदि छूट नहीं है तो कब तक पदोन्नति समिति कि बैठक आयोजित की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** लोक निर्माण विभाग में कार्यपालन यंत्री (वि/यां)/ संभागीय परियोजना यंत्री (वि/यां) के कुल 14 पद स्वीकृत 7 कार्यरत एवं 7 पद रिक्त है। **(ख)** वर्ष 2012 में दिनाँक 16/01/2012 को समिति की बैठक आयोजित की गई थी। पदोन्नति प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## बालाघाट जिले के लांजी अनुविभाग में लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में

**57. ( क्र. 1906 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के लोक निर्माण अनुविभाग लांजी में 50 हजार से अधिक के एवं मुख्य अभियंता द्वारा वार्षिक मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिये 1.1.2012 से 15.06.2015 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितने कार्य कराये गये? **(ख)** कुल्पा-आमगांव बायपास में दिनाँक 1.1.2012 से 15.06.2015 तक कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों में व्यय की गई तथा कितने कार्य ठेकेदारी प्रथा से कराये गये? **(ग)** कुल्पा-आमगांव बायपास से 20 लाख रूपये की राशि बिना कार्य कराये ठेकेदार आरिफ बेग के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिल बनाकर आहरण कर ली गई, प्रमुख अभियंता एवं प्रमुख सचिव द्वारा इस मामले की जाँच कब तक करायी जायेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'ग' में कार्य के विरूद्ध **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## औद्योगिक क्षेत्र हातोद में किये गये कार्यों के संबंध में

**58. ( क्र. 1913 ) श्री वेलसिंह भूरिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सरदारपुर के हातोद में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए शासन द्वारा ए.के.व्ही.एन. करे कितना बजट स्वीकृत किया गया? **(ख)** उक्त क्षेत्र के विस्तार के लिए सड़क, बिजली, पानी के लिए अलग-

अलग कितनी राशि स्वीकृत की गई है? **(ग)** हातोद आद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल कितनी भूमि शासन द्वारा आवंटित की गई है? **(घ)** उस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** शासन द्वारा कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। **(ख)** विकास कार्य में निम्नानुसार व्यय होना संभावित है:- (राशि रूपये करोड़ में)

| | | |
|---|---|---|
| **1** | विद्युत कार्य | 10.45 |
| **2** | सड़क निर्माण कार्य | 29.24 |
| **3** | जल प्रदाय | 6.84 |
| | **योग** | **46.53** |

**(ग)** 152.415 हेक्टेयर शासकीय भूमि हस्तांतरित की गई है। **(घ)** दिसम्बर, 2016 तक।

<u>**श्योपुर में गोरस-आवदा-अजापुरा मार्ग निर्माण के की गई अनियमितता**</u>

**59. ( क्र. 1970 ) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा गोरस-आवदा-अजापुरा मार्ग के कि.मी. 01 से 03 एवं 07 से 12 वर्ष 2013-14 में अनुबंध अनुसार कार्य न होने की शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर किस अधिकारी से जाँच कराई गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार की गई जाँच में मार्ग पर किए गए डामर की मोटाई माप पुस्तिका में अंकित मापों से कम पाई तथा डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य पूर्व में वर्ष 2011-12 में कराने के उपरांत भी पुन: क्यों कराया गया? उक्त कार्य में 9 कि.मी. के स्थान पर 3 कि.मी. डामर क्यों कराया गया? क्या डब्ल्यू.बी.एम. कार्य एक ही ठेकेदार से दो बार कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त अनियमितताओं के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? कृपया बतावें? दोषियों के विरूद्ध अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? बतावें? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कार्य का भुगतान शिकायत प्राप्त होने के बावजूद शिकायत की जाँच किए बिना कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन**</u>

**60. ( क्र. 2003 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 13 अगस्त 2013 को माननीय मुख्यमंत्री जी के जावरा नगर आगमन पर जावरा शहर मध्य स्थित रेलवे फ्लाई/अंडर ब्रिज निर्माण किये जाने की घोषणा की गई थी? **(ख)** क्या उक्त घोषणा पश्चात् इसे केन्द्र सरकार के रेलवे बजट में भी सम्मिलित कर लिया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या केन्द्र/राज्य की विभागीय व्यवस्थाओं के माध्यम से ड्राईग, डिजाईन एवं प्रोजेक्ट प्लान को तैयार किये जाने हेतु कार्यवाहियां की जा रही है? **(घ)** यदि हाँ, तो प्रोजेक्ट प्लान कब तैयार होकर उक्त कार्य को कब प्रारंभ कर जनसुविधा शीघ्र प्राप्त हो सके, इस हेतु क्या किया जा रहा है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं, अपितु दिनाँक 07.04.2013 को अण्डर ब्रिज निर्माण की घोषणा की गई। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** प्रोजेक्ट प्लान प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नगरीय पार्किंग व्यवस्था एवं सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय के संबंध में

61. ( क्र. 2008 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर की जनसंख्या लगातार बढ़ते हुए नगर की आवासीय क्षेत्रफल की प्रसार काफी बढ़ता जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या आवासीय क्षेत्रफल की बढ़ती हुई स्थिति एवं साथ ही नगर में बढते जा रहे फोर व्हीलर, टू व्हीलर वाहनों की संख्या भी वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ते-बढ़ते काफी होती जा रही है? **(ग)** यदि हाँ, तो नगरीय क्षेत्र की समस्त आवासीय स्थिति के मान से समुचित पर्याप्त घर एवं पार्किंग स्थल की व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है? **(घ)** यदि ना तो क्या शासन/विभाग द्वारा पर्याप्त सुविधा घरों हेतु एवं पार्किंग व्यवस्था हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है? साथ ही क्या नगरीय घंटाघर को ध्वस्त कर मल्टीलेवल पार्किंग कम शांपिग काम्पलेक्स योजना पर विचार करते हुए उपरोक्त संपूर्ण नगरीय समस्त कार्य किये जाने हेतु स्वीकृति दी जा रही है? कृपया अवगत कराए?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी हाँ। जी नहीं, नगर पालिका परिषद जावरा द्वारा काई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खरगोन जिले में निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी

**62. ( क्र. 2024 ) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में खरगोन जिले में विभाग द्वारा कुल कितने निर्माणाधीन कार्य है, स्थान सहित सूची देवें? उक्त कार्य कब से प्रारंभ हुए तथा इनके पूर्ण होने की संभावित दिनाँक क्या थी? बरूड़ थाने के पास निर्मित पुल की सी.सी. जारी हो गई है? यदि नहीं, तो कारण बतायें? **(ख)** बिस्टान से धूलकोट तक सड़क मार्ग को डबल लेन कार्य को विभाग द्वारा करने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी देवें? भगवानपुरा विधानसभा में विभाग के कितने मार्ग मेंटेनेंस अवधि में है तथा मेंटेनेंस कार्य वर्ष 2015 में किन मार्गों पर हुआ? **(ग)** खरगोन जिले में विभाग द्वारा नये/रिपेयरिंग/चौड़ीकरण मार्ग के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? **(घ)** खरगोन के विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदारों की सूची देवें? **(ड.)** बरूड़ एवं धुलकोट पुलिया की सी.सी. जारी हो चुकी है? इनकी MB हेतु विधायक ने खरगोन विभागीय कार्यालय में कोई पत्र/स्मरण पत्र दिये, सूची देवें। उन पदों पर क्या कार्यवाही की गई, जानकारी देवें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** वर्तमान में खरगोन जिले में कुल 81 निर्माणाधीन कार्य है। (1) राउ-महू-मण्डलेश्वर बी.ओ.टी. मार्ग प्रारंभ दिनाँक 15.01.2013 एवं पूर्णता की संभावित दिनाँक 31.12.2016। (2) बडवाह-धामनोद ओ.एम.टी. मार्ग प्रारंभ दिनाँक 28.07.2011 एवं पूर्णता संभावित दिनाँक 31.03.2016। शेष कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है।** जी हाँ। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** बिस्टान से धूलकोट होकर कावरी-गाई तक मुख्य जिला मार्ग, कुल

लंबाई 79.00 कि.मी. की डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर यातायात घनत्व के अनुसार मार्ग की लेन पर निर्णय लिया जावेगा। बाह्य वित्त प्रबंधन होने के बाद प्रदेश के अन्य मार्गों की प्राथमिकता को देखते हुये इस मार्ग के निर्माण संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा। भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन मार्ग आते है (1) खरगोन-बन्हेर (2) बम्हेर-चिरिया-पाल महाराष्ट्र सीमा, दोनों मार्गों पर वर्ष 2014-15 में वार्षिक मरम्मत कार्य हुआ है। (3) बिस्टान सिरवेल तेन सेमली मार्ग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ-1" एवं "स" अनुसार है।** **(घ)** खरगोन के विभाग द्वारा कोई भी ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है। **(ड.)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है।**

<u>निंबोली खरीदना एवं खाद उत्पादन की जानकारी</u>

**63. ( क्र. 2027 ) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में वन विभाग द्वारा निंबोली खरीदना कब से प्रारंभ किया गया? वर्तमान सत्र तक कितनी मात्रा में निंबोली खरीदी, किसके माध्यम से किस मद में किस दर से खरीदी गई वर्षवार सूची देवें? उक्त निंबोली कहाँ पर स्टोर कर रखी गई? निंबोली परिवहन में खर्च राशि की जानकारी वर्षवार देवें? **(ख)** उक्त खरीदी गई निंबोली को किस मशीन के द्वारा खाद एवं तेल बनाया जाता है? इस मशीन को विभाग द्वारा कब, किससे, किस माध्यम से, कितनी राशि में खरीदा गया? इस मशीन की औसत खपत दर क्या है तथा औसत उत्पाद दर क्या है? यह मशीन की बिजली/ईंधन की खपत औसतन माह क्या है? **(ग)** वर्तमान सत्र तक कितनी मात्रा में निंबोली खाद एवं निंबोली तेल बेचा गया, किसके माध्यम से, किस दर से, किसे बेचा गया वर्षवार सूची देवें? उक्त निंबोली खाद एवं तेल कहाँ पर स्टोर की जाती है? निंबोली तेल एवं खाद किसे बेचा जाता है? विभाग कितनी निंबोली खाद एवं तेल खरीदता है तथा उसका उपयोग कहाँ एवं किस प्रकार किया जाता है? **(घ)** मध्य प्रदेश में किन जिलों में निंबोली खरीदी जाती है तथा निंबोली खाद, तेल बेचा जाता है? वर्ष 2014-15 की जिलेवार निंबोली खरीदी मात्रा तथा खरीदी राशि बतायें?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** क्रय की गई निंबोली नीमखली प्लांट केन्द्रीय जलाऊ डिपो खरगौन स्थित गोदाम में भण्डारित की गई है। निंबोली परिवहन पर कोई व्यय नहीं हुआ है। **(ख)** नीम तेल घानी संयंत्र (मिनी आईल एक्सपेलर मशीन) के माध्यम से खाद एवं तेल बनाया जाता है। उक्त संयंत्र माह जुलाई, 2012 में फोर्स बर्ग एग्रीटेक (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड मकरपुरा, बड़ोदरा (गुजरात) से कोटेशन के माध्यम से क्रय की जाकर रुपये. 2,45,250/- का भुगतान किया गया। संयंत्र की औसत खपत दर 70 से 100 किलोग्राम प्रति घंटा है तथा नीमखली की औसत उत्पाद दर 84.66 किलोग्राम प्रति क्विंटल एवं नीम तेल की औसत उत्पाद दर 2.05 लीटर प्रति क्विंटल प्रतिवेदित है। उक्त मशीन की बिजली की खपत औसतन रुपये 7549/- प्रतिमाह है। **(ग)** जून, 2015 तक निंबोली खाद 1700/- प्रति क्विंटल की दर से एवं निंबोली तेल रुपये 180/- प्रति लीटर की दर से नीम खली प्लांट केन्द्रीय जलाऊ डिपो खरगौन से बेचा गया है। वर्षवार जानकारी एवं मात्रा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। उत्पादित नीम खली एवं नीम तेल नीम खली प्लांट पर निर्मित गोदाम में स्टोर किया जाता है। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार निंबोली खाद एवं तेल खरीदा जाता है एवं इसका उपयोग विभागीय वृक्षारोपण क्षेत्रों

में खाद एवं कीटनाशक के रूप में किया जाता है। **(घ)** मध्यप्रदेश के छतरपुर, खण्डवा, खरगौन, इन्दौर, बड़वाह, सेंधवा, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, सतना, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी जिला वनोपज यूनियनों में सूखी निंबोली खरीदी जाती है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।**

**विभाग द्वारा की गई जाँच में प्राप्त निष्कर्षों पर कार्यवाही**

**64. ( क्र. 2066 ) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4849 दिनाँक 16 मार्च 2015 के उत्तर की कंडिका **(ख)** में मा. विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया था कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिनाँक 19.02.2015 का वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये क्रय की जाँच के आदेश दिये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिये गये जाँच के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतावें कि कौन-कौन सी योजनाओं में किन-किन बिंदुओं पर जाँच हेतु क्या आदेश किसको प्रदान किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में जाँच आदेश दिनाँक से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन बिंदुओं पर क्या-क्या जाँच की गई? बतावें तथा प्रश्न दिनाँक जाँच अपूर्ण रहने के क्या कारण है? स्पष्ट करें? **(घ)** उपरोक्तानुसार यदि जाँच पूर्ण कर ली गई है, तो उसमें क्या-क्या निष्कर्ष प्राप्त हुये तथा प्राप्त निष्कर्षों में प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? बतावें।

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** प्रश्नांकित अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री की जाँच पूर्ण ही गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जाँच में सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन/अनियमितता परिलक्षित हुई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।

**परिशिष्ट - ''पचपन''**

**नियम विरूद्ध लकड़ी की चिराई**

**65. ( क्र. 2067 ) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1192 दिनाँक 24 फरवरी 2015 के उत्तर में मा. विभागीय मंत्री जी द्वारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 32 आरा मशीन संचालित होने की जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो उक्त आरा मशीनों को काष्ठ चिरान नियमानुसार कौन-कौन सी लकड़ी चिराई की अनुमति प्रदान की गई है? **(ख)** क्या उक्त आरा मशीनों पर जिन लकड़ियों की चिराई की अनुमति प्रदान की गई है, उसके विपरीत सभी अनुज्ञप्तिधारी मशीनों पर सागौन, अन्य इमारती एवं फलदार वृक्षों की अवैध कटाई व चिराई निरंतर जारी है तथा क्या प्रश्न दिनाँक तक सार्वजनिक रूप से आरा मशीनों के परिसर व तल घरों का निरीक्षण कर कोई प्रकरण बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस आरा मशीन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या वन मंत्री महोदय प्रश्नकर्ता के समक्ष जाँच कराने का आदेश प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। उक्त 32 आरा मशीनों में से 31 आरा मशीनों को किसानों की निजी स्वामित्व की काष्ठ प्रजाति बबूल, खाकरा, खेजड़ा आदि की अनुमति प्रदान की गई है तथा 1 आरा मशीन को उक्त प्रजातियों के अलावा सागौन काष्ठ के चिरान की भी अनुमति

दी गई है। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं। सभी आरामिल परिसरों का प्रति माह रोस्टर अनुसार निरीक्षण किया जाता है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - ''छप्पन''</u>

## <u>मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का क्रियान्वयन</u>

**66. ( क्र. 2076 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के क्रियान्वयन के क्या नियम है, योजना के आवेदन प्राप्त करने/जमा करने एवं आवेदकों के चयन की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? **(ख)** कटनी अनुविभाग में योजना के आवेदन किस शासकीय कार्यालय में किस शासकीय सेवक द्वारा प्राप्त/जमा किये जाते हैं, इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति देवें? **(ग)** क्या कटनी तहसील परिसर में योजना के प्रचार-प्रसार एवं योजना के आवेदन जमा करने का स्थान/कार्यालय का पता तथा आवेदन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक की जानकारी संबंधी सूचना का फलक/बोर्ड लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ, यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के संदर्भ में नागरिकों द्वारा शिकायतें की गई है एवं प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो शिकायत की जाँच किसके द्वारा कब की गई? जाँच में क्या पाया गया? क्या कार्यवाही की गई? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में क्या कटनी तहसील परिसर में योजना की जानकारी, आवेदन जमा करने का स्थान/कार्यालय एवं अधिकृत शासकीय सेवक की जानकारी युक्त, समुचित सूचना फलक/बोर्ड दृश्यमान स्थल पर लगाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? बतायें।

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## <u>इन्दौर अहमदाबाद हाइवे की कुल लंबाई</u>

**67. ( क्र. 2096 ) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर अहमदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे की कुल लम्बाई कितनी है तथा इस हाईवे का कितना हिस्सा मध्यप्रदेश के अंतर्गत आता है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में उल्लेखित हाईवे के निर्माण का ठेका किस कम्पनी को कितने समय में पूर्ण करने के लिए कब दिया गया था तथा इसकी लागत राशि कितनी है? **(ग)** उल्लेखित हाईवे के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितना कार्य और शेष है? निर्धारित समयावधि पूर्ण होने में कितना समय और शेष है? **(घ)** यदि उल्लेखित हाईवे का कार्य निर्धारित दिनाँक में पूर्ण नहीं हो पाया तो इसका जिम्मेदार कौन है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** इन्दौर-अहमदाबाद को जोड़ने वाली हाईवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** से **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - ''सत्तावन''</u>

## <u>क्रय आदेश की सूची के संबंध में</u>

**68. ( क्र. 2100 ) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014 में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषदों सीतामऊ, शामगढ़ एवं सुवासरा द्वारा लघु उद्योग निगम को दिये गए क्रय आदेश दिनाँक, सामग्री का नाम, मात्रा एवं कुल क्रय राशि सहित नगर

परिषद वाइज जानकारी उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** उत्तर में उल्लेखित सामग्री का भुगतान किस दिनाँक को कितना-कितना किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में उल्लेखित सामग्री का क्रय आदेश किस की अनुशंसा पर लघु उद्योग को दिया गया? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में उल्लेखित सामग्री के क्रय आदेश के पूर्व बाजार भाव का तुलनात्मक पत्रक बनाया गया या नहीं यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद सीतामऊ, शामगढ़ एवं सुवासरा द्वारा वर्ष 2014 में लघु उद्योग निगम को कोई क्रय आदेश नहीं दिया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**लघु उद्योग निगम द्वारा नगर निगम एवं नगर पालिकाओं हेतु सामग्री क्रय**</u>

**69. ( क्र. 2101 ) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2013 तथा 2014 में लघु उद्योग निगम द्वारा उज्जैन संभाग की किस-किस नगर निगम तथा नगर पालिकाओं को कितनी-कितनी राशि की सामग्री का विक्रय किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सामग्री की पिछले वर्ष 2013- 2014 में लघु उघोग निगम द्वारा स्वीकृत दर बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सामग्री के विक्रय की कुल राशि कितनी है तथा ल.उ.नि. को उसमें से कमीशन के तौर पर कितनी राशि प्राप्त हुई?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब अनुसार है।**

<u>**दमोह जिले के अंतर्गत पुल का निर्माण**</u>

**70. ( क्र. 2116 ) श्री प्रताप सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह जिले में जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 नवीन पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रमुख अभियंता लोक निर्माण भोपाल ने पत्र दिनाँक 20.07.2012 से सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल को स्वीकृति तथा वर्तमान में प्रचलित दर अनुसार बजट में शामिल करने के लिए प्रेषित किये गये थे? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** में दर्शाये नवीन पुल के प्रस्ताव अब तक स्वीकृति हेतु विभागीय बजट में शामिल न किये जाने का क्या कारण रहा है? विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है? **(ग)** क्या नवीन पुल निर्माण के प्रस्तावों को इस सत्र के विभागीय बजट में शामिल कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ, प्राथमिक प्रस्ताव भेजे गए थे। **(ख)** पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण। कोई दोषी नहीं है। **(ग)** वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

<u>**रानी दुर्गावती योजना, दीनदयाल रोजगार योजना का लक्ष्य**</u>

**71. ( क्र. 2121 ) श्री प्रताप सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दमोह जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में रानी दुर्गावती योजना, दीनदयाल रोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कितना भौतिक एवं वित्तीय

लक्ष्य प्राप्त हुआ था? इसके विरूद्ध कितने प्रकरण तैयार कर बैंक में भेजे तथा कितने स्वीकृत हुय? स्वीकृत प्रकरणों में अनुदान राशि जारी हुई है अथवा नहीं, अनुदान की राशि कब तक जारी हो जावेगी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शाये प्रकरणों में से कितने प्रकरण स्थानीय जिलास्तर समिति से अनुमोदित कर प्राविधिक स्वीकृति हेतु कलेक्टर दमोह को प्रेषित किये गये हैं? कितने प्रकरण बैंको में भेजे गये हैं? **(ग)** ऐसे कितने प्रकरण है जिनकी जिलास्तरीय समिति में प्राविधिक स्वीकृति हो जाने के पश्चात कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये तथा स्वीकृति हेतु लंबित हैं? **(घ)** वर्ष 2014-15 में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शासन की कौन-कौन सी योजनाएं हैं? इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दमोह जिले के लिए वर्ष 2015-16 में कितना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? लक्ष्य के अनुरूप अभी तक कुल कितने प्रकरण तैयार कर बैंक भेजे गये हैं? बैंको द्वारा सभी स्वीकृत प्रकरणों में देय राशि जारी कर दी गई है अथवा प्रकरण लंबित रखे गये हैं? यदि लंबित रखे गये हैं, लंबित प्रकरणों की संख्या तथा इनके निराकरण की अवधि बताएं?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के स्वीकृत प्रकरणों में अनुदान की राशि शासन द्वारा एडवांस में नोडल शाखाओं को जारी कर दी गई है। जहाँ से संबंधित बैंक राशि क्लेम कर लेते हैं। **(ख)** एवं **(ग)** स्वरोजगार योजनाओं के समस्त प्रकरण जिला स्तरीय समिति से अनुशंसित कर बैंकों को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं कलेक्टर दमोह को प्रावधिक स्वीकृति हेतु नहीं भेजे जाते हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ)** वर्ष 2014-15 में बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न योजनायें हैं :- 1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, 2. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।** लंबित प्रकरणों में बैंक की औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् बैंको द्वारा देय राशि जारी की जाती है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

## विभाग द्वारा पिछले छः माह में किये गये भुगतान

**72. ( क्र. 2135 ) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01 द्वारा विगत छः माह में किन-किन मदों एवं सड़क मार्ग में कितना भुगतान किया गया है? **(ख)** नरायावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांश **(क)** अवधि में सड़क में क्या-क्या कार्य किया गया था एवं उनके भुगतान का विवरण देवें? **(ग)** क्या विभाग द्वारा नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क मरम्मतीकरण कार्य का भुगतान किया गया है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-अ **अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत छः माह में कोई कार्य नहीं किया गया एवं कोई भुगतान भी नहीं किया गया है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत छः माह में कोई कार्य नहीं किये जाने के कारण कोई भुगतान भी नहीं किया गया है।

## सिरोंजा फोर लाईन पामाखेड़ी सड़क निर्माण

**73. ( क्र. 2137 ) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिरोंजा फोर लाईन पामाखेड़ी मार्ग का निर्माण कार्य कब हुआ था? क्य उक्त मार्ग आज वर्तमान में आवागमन के लिये उपयुक्त है कि नहीं? **(ख)** यदि नहीं, तो उक्त मार्ग के निर्माण के लिये विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार किया गया है? **(ग)** यदि प्रस्ताव/प्राक्कलन विभाग में विचाराधीन है तो उक्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक किया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** वर्ष 2007-08 में। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## वनोपज सहकारी यूनियन कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

**74. ( क्र. 2169 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले में राज्य शासन द्वारा किस-किस जिला वनोपज सहकारी यूनियन कार्यालय में मूल विभाग से कितने कर्मचारी, कब से कितनी अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रखे गये है? नाम पदनाम तथा प्रतिनियुक्ति का वर्ष बताये? **(ख)** जिला वनोपज सहकारी यूनियन पश्चिम सामान्य वनमण्डल मण्डला में कितने कर्मचारी किस-किस विभाग के प्रतिनियुक्ति पर रखे गये है? इनकी अवधि नियमानुसार कब समाप्त हो गयी इन्हें कब तक मूल विभाग वापस कर दिया जायेगा?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार है।**

**परिशिष्ट - "उनसठ"**

## विधानसभा क्षेत्र बीना अंतर्गत उत्खनन

**75. ( क्र. 2178 ) श्री महेश राय :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत उत्तर वन मंडल सागर द्वारा कराये गये विकास कार्य जैस तालाब, स्टॉपडेम, वृक्षारोपण एवं भवन निर्माण सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कहाँ-कहाँ कितनी लागत के कार्य स्वीकृत किये गये है? **(ख)** स्वीकृत कार्य की निर्माण की ऐजेन्सी किसे और किस माध्यम से बनाया गया है, यदि हाँ, तो टेण्डर या कोटेशन आमंत्रित किये गये है। स्वीकृत कार्य में कितनी राशि व्यय की गयी है निर्माण कार्य के स्थान अंकित किये जावें? **(ग)** क्या ग्राम देवल की वनभूमि में पत्थर फर्शी का उत्खनन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उत्खनन हेतु लीज स्वीकृत की गई है? अगर नहीं तो यह अवैध उत्खनन किस की स्वीकृति से किया जा रहा है एवं उसको वनविभाग द्वारा रोका क्यों नहीं जा रहा है? **(घ)** यदि लीज स्वीकृत है, तो क्या उसी जगह की है जहाँ उत्खनन किया जा रहा है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ख)** उक्त अवधि में स्टॉपडेम एवं सड़क निर्माण के कार्य नहीं कराये गये। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** स्वीकृत कार्य विभागीय रूप से कराये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट - "साठ"**

## विकास कार्य योजना 2011-2012 का प्रकाशन

**76. ( क्र. 2179 ) श्री महेश राय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बीना नगर की विकास कार्य योजना 2011-2012 का प्रकाशन प्रश्न दिनाँक तक क्यों नहीं किया गया? **(ख)** यदि योजना लंबित है तो किस स्तर पर कब तक निराकृत कर ली जावेगी समय-सीमा निर्धारित करें? **(ग)** योजना लंबित होने से बीना शहर के विकास कार्य बाधित हो रहे है दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार विकास कार्य योजना का प्रकाशन कब तक होगा समय-सीमा निर्धारित करें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बीना निवेश क्षेत्र की विकास योजना 2021 (प्रारूप) का प्रकाशन दिनाँक 02.12.2011 को किया गया। **(ख)** विकास योजना को अंतिम रूप देने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** बीना विकास योजना 2011 वर्तमान मे प्रभावशील होने से विकास अनुमति दिये जाने में कोई बाधा नहीं होने के कारण कार्य बाधित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तराशं 'क' एंव 'ख' अनुसार समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

<u>**खंडवा-डुल्हार मार्ग का निर्माण**</u>

**77. ( क्र. 2200 ) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाए जा रहे खंडवा-डुल्हार मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसके निर्माण के लिये किस दिनाँक को किनती राशि का कार्यादेश किस ठेकेदार/कंपनी को दिया गया है? **(ख)** क्या संबंधित ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने से ग्रामीणों/यांत्रियों एवं बस मालिकों को आंदोलन करना पड़ रहा है एवं यात्रियों को 15-20 कि.मी. का अतिरिक्त मार्ग तय कर छैगांवमाखन की ओर से जाना पड़ रहा है? **(ग)** ठेकेदार द्वारा नियत समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर कितनी पेनाल्टी राशि वसूल की गई? करोड़ों रूपयों की लागत से निर्माणाधीन सड़क मार्ग की गुणवत्ता की जाँच कितनी बार अधिकारियों द्वारा की गई? **(घ)** जनहित में खंडवा-डुल्हार मार्ग कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** मार्ग की लम्बाई 14.80 कि.मी. है। उक्त मार्ग का दिनाँक 20.09.2013 को निविदा दर सहित राशि रू 802.03 लाख का कार्यादेश मेसर्स बी.आर.गोयल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., इंदौर को दिया गया एवं शेष भाग का दिनाँक 12.08.2013 को निविदा दर सहित राशि रू 1920.75 लाख का कार्यादेश मेसर्स के.जी. गुप्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि, इंदौर को दिया गया है। **(ख)** जी हाँ, संबंधित ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने से खण्डवा जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पत्र दिनाँक 26.03.2015 द्वारा लेख किया गया था कि, उक्त मार्ग का निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ नहीं किया जाता है तो, ऐसी स्थिति में वाहन का संचालन बंद कर चक्काजाम करेंगें। कार्य प्रगतिरत है। अतः बस मालिको द्वारा कोई चक्काजाम एवं आंदोलन नहीं किया गया। जी नहीं, सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण वाहनों के आवागमन में असुविधा है, परंतु यातायात बाधित नहीं है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। **(ग)** प्रथम निर्माण एजेंसी से राशि रूपये 5.27लाख रोकी गई है एवं द्वितीय निर्माण एजेंसी से राशि रूपये 8.70 लाख रोकी गई है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात गुण दोषो के आधार पर पेनल्टी की राशि की वसूली ठेकेदारों से की

जावेगी। निर्माणाधीन मार्ग की गुणवत्ता की जाँच हेतु दोनों अनुबंधों में क्रमशः फिल्ड प्रयोगशाला में 398 एवं 1089 एवं एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से 34 व 131 परीक्षण कराए गए है। **(घ)** दिनाँक 31.12.15 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

## खंडवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

**78. ( क्र. 2204 ) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खंडवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदन में से कुल कितने प्रकरण स्वीकृत एवं निरस्त हुए? वर्षवार जानकारी बतायें? **(ख)** क्या जिले में पात्र एवं आवश्यकताधारकों को इस ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? इसके क्या कारण हैं? क्या बैंकों द्वारा हितग्राहियों को परेशान किया जा रहा है? **(ग)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** अवधि में विभाग द्वारा बैंक अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों के साथ-साथ कब-कब एवं विचार विमर्श/बैठक आयोजित कर इसके निराकरण के प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पाने की क्या कार्ययोजना है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना म.प्र. शासन द्वारा दिनाँक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (जून 2015 तक ) की जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | वर्ष | प्राप्त आवेदन | लक्ष्य | स्वीकृत | निरस्त/बैंक द्वारा वापस |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-15 | 953 | 360 | 371 | 154 |
| 2 | 2015-16 (जून 2015 तक) | 946 | 500 | 62 | 73 |
| योग | | 1899 | 860 | 433 | 227 |

**(ख)** एवं **(ग)** जिले के लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## खंडवा जिले में वृक्षारोपण में अनियमितता

**79. ( क्र. 2210 ) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा जिले में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में विगत तीन वर्षों में कितने एकड़ में वृक्षारोपण एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया है? वर्षवार जानकारी दीजिए? **(ख)** वन विभाग द्वारा रोपे गए पौधारोपण एवं क्षतिपूर्तिवनीकरण में कितने प्रतिशत पौधे जीवित अवस्था में हैं? कितने क्षेत्र में पौधारोपण पूरी तरह से नष्ट हो गया है? **(ग)** खंडवा जिले की नर्सरीयों में पौधे तैयार करने पर विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय हुई तथा कितने पौधे तैयार कर विक्रय किये गये? उनसे विगत तीन वर्षों में शासन को कितनी आय हुई? जानकारी दी जाए? **(घ)** पौधारोपण एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण में हुई गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इससे शासन का हुए लाखों रूपयों की हानि की वसूली इन अधिकारियों से कब तक कर ली जावेगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।** शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ)** पौधारोपण एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण में किसी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता नहीं पाई गई। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट - "इकसठ"**

### बालाघाट जिले के उत्तर वन मण्डल कि कार्य योजना की जानकारी

**80. ( क्र. 2225 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विषयांकित वन मण्डल की कार्य योजना क्या पूर्ण कर ली गयी है? यदि हाँ, तो क्या इस कार्य योजना पर शीघ्र ही बांस तथा काष्ठ की कटाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा? **(ख)** क्या उक्त कार्य योजना का समय भारत सरकार द्वारा दो बार बढ़ाने की अनुमति दी गयी किंतु तीसरी बार यह अनुमति नहीं दी गयी? **(ग)** क्या उक्त कार्य योजना म.प्र. शासन के पास भेज दी गयी है किंतु शासन द्वारा अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया है? **(घ)** अनुमोदन न होने की स्थिति में बालाघाट सहित प्रदेश के अन्य जिलों में निस्तार हेतु जो समस्या पैदा होगी उसके लिए शासन क्या कदम उठाएगा?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ग)** प्रश्नांकित क्षेत्र की पुनरीक्षित कार्य आयोजना दिनाँक 16.07.2015 को शासन के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त वृक्ष कटाई की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी। **(ख)** जी नहीं। विषयांकित वनमंडल की प्रचलित कार्य आयोजना की समयावधि में 02 वर्ष की वृद्धि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी। तीसरी बार, वर्ष 2015-16 हेतु समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि का प्रस्ताव दिनाँक 27.06.2015 को भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। **(घ)** वर्ष 2015-16 हेतु अनुमति प्राप्त कर कटाई की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

### बालाघाट जिले के लांजी अनुविभाग में डडवा-घाट टेमनी रोड़ का निर्माण

**81. ( क्र. 2230 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विषयांकित मार्ग में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी? कितनी राशि खर्च हुई है तथा कितनी राशि शेष है तथा इस कार्य को करने की समय-सीमा कितनी है? **(ख)** क्या गुणवत्ताहीन काम होने के कारण ठेकेदार को नोटिस जारी कर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है यदि हाँ, तो इस मार्ग पर पुनः काम कब तक शुरू हो जाएगा? **(ग)** उक्त मार्ग में गुणवत्ताहीन काम होने पर क्या कार्यवाही की गयी है संबंधित सब इंजीनियर, एस.डी.ओ. तथा कार्यपालन यंत्री पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेका निरस्त किया गया। पुनः एजेन्सी का निर्धारण होने पर पुनः काम शुरू हो जावेगा। **(ग)** गुणवत्ताहीन काम नहीं हुआ है। अतः संबंधितों पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**परिशिष्ट - "बासठ"**

## वन विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति

**82. ( क्र. 2244 ) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वन वृत्त शिवपुरी में वनरक्षक से वनपाल और वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल के पद पर विभागीय पदोन्नति देने के लिये गठित समिति द्वारा किस-किस वनरक्षक एवं वनपाल को पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई है? इनमें से किस-किस वनरक्षक एवं वनपाल के पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये? इसके लिये कौन अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं? **(ख)** पदोन्नति किये गये वनरक्षकों और वनपालों को कब-कब कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये थे? इन कारण बताओ सूचना पत्रों का किस-किस दिनाँक को जवाब प्राप्त हुआ और उस पर डी.एफ.ओ. शिवपुरी द्वारा किस दिनाँक को आदेश पारित किया गया? यदि कारण बताओ सूचना पत्र का निराकरण नहीं किया गया था, तो सही जानकारी नहीं देने के लिये कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** अनुसार किस-किस वनरक्षक एवं वनपाल को दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र का निराकरण किये बिना पदोन्नति दी गई है? यदि हाँ, तो उनकी सूची उपलब्ध करावें? इन आदेशों को कब तक निरस्त किया जावेगा? निश्चित समय-सीमा बतावें? **(घ)** नियम विरूद्ध तरीके से पदोन्नति देने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? नाम बतावें। शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, करेगा, तो क्यों?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (1), (2) एवं (3) एवं (4) अनुसार है।** विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कैलेंडर वर्ष की संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु अनुशंसा की जाती है। 2 वनरक्षकों के विरूद्ध कारण बताओ सूचना प्रचलित होने के फलस्वरूप पदोन्नति आदेश निरस्त होने एवं शेष 70 वनरक्षकों हेतु रिक्त पद के अभाव के कारण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** के 72 वनरक्षकों को पदोन्नति नहीं दी गई। अतः इसके लिये कोई अधिकारी और कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## वनमंडल शिवपुरी द्वारा वृक्षारोपण कार्य

**83. ( क्र. 2245 ) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले के वनमण्डल शिवपुरी की रेंज कोलारस में वर्ष 2011-12 में कक्ष क्रमांक 246 में जलाऊ आपूर्ति के अंतर्गत खासखेड़ा वृक्षारोपण लगाया गया था? यदि हाँ, तो इस पर किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? **(ख)** क्या तत्कालीन एस.डी.ओ. करैरा द्वारा उपरोक्त कार्यों के प्रमाणकों का निर्धारित सील लगाकर सत्यापन किया गया था? यदि हाँ, तो डी.एफ.ओ. शिवपुरी मौका सत्यापन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि स्थल पर व्हाउचरों के अनुरूप कार्य पूर्ण होकर पौधे जीवित हैं? यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के वृक्षारोपण की रूटीन जाँच दिनाँक 03.03.2014 और 04.03.2014 को करायी गई थी? यदि हाँ, तो पंचनामा रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें? श्री राधे श्याम वैश्य वीटगार्ड द्वारा लिये गये प्रभार की सूची में उपरोक्त वृक्षारोपण की कौन-कौन सी जानकारी दी गई है? भौतिक सत्यापन और व्हाउचरों में तुलनात्मक रूप से कमी के लिये कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** के कार्यों एवं प्रश्नांश **(ग)** की रिपोर्टों में भिन्नता के लिये दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई थी? उपरोक्त भ्रष्टाचार/गबन की राशि की विस्तृत जानकारी दी जावे? शासन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, करेगा, तो क्यों?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख)** जी हाँ। जीवित पौधों की गणना हेतु प्रक्रिया है। अतः वन मण्डल अधिकारी द्वारा पृथक से सत्यापन कर प्रमाण - पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। पंचनामा की सत्यापित प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।** प्रश्नांकित बीटगार्ड की प्रभार सूची में वर्ष 2010-11 का जलाऊ वृक्षारोपण 40 हे. का उल्लेख है। भौतिक सत्यापन में पशु अवरोधक दीवाल के आकार में कमी पाये जाने के लिए श्री हमीर रघुवंशी, वनपाल, श्री किशन सिंह राठौर, वनरक्षक, श्री दिनेश कुमार भार्गव, वनरक्षक दोषी पाये गये हैं। **(घ)** जी नहीं। राशि रूपये 74443 के कार्यों की कमी पायी गयी जो संबंधित कर्मचारियों से वसूल की जा चुकी है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>इंदिरा नगर-भैरोघाट प्रधान मंत्री सड़क में आने वाली वन भूमि का हस्तांतरण</u>

**84. ( क्र. 2260 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाली इंदिरा नगर-भौरोघाट प्रधानमंत्री सड़क के निर्माण में आने वाली वन भूमि की मांग/हस्तांतरण/अनुमति पत्र प्रधानमंत्री सड़क के विभागीय अधि. से वन विकास को कब प्राप्त हुआ? **(ख)** उक्त सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त सड़क निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि की अनुमति/ हस्तांतरण कब तक कर दिया जावेगा?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ख)** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर द्वारा दिनाँक 21.09.2012 के पत्र से प्रेषित प्रस्ताव में सड़क निर्माण हेतु केवल वन भूमि पर कार्य करने की अनुमति चाही गयी। वन भूमि के हस्तांतरण की मांग नहीं थी। दिनाँक 07.12.2012 को सड़क उन्नयन हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

<u>हटा-दरगुंआ-फतेहपुर मार्ग का कार्य पूर्ण किया जाना</u>

**85. ( क्र. 2274 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एमपीआरडीसी द्वारा दमोह जिले में हटा-फतेहपुर-दरगंवा मार्ग की स्वीकृति कब व कितनी राशि से प्राप्त हुई थी एवं किस एजेन्सी को यह कार्य सौंपा गया था? **(ख)** हटा दरगुवां मार्ग पर कितनी पुल पुलियां स्वीकृत हुई थी, क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कार्य ऐजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई व उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? समय-सीमा बतावें? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत जनता द्वारा प्रदत्त शिकायतों के आधार पर यह कार्य गुणवत्ताहीन/अपूर्ण हैं व कोई कार्य इस मार्ग पर नहीं हो रहा है, क्या कार्य पूर्ण कराने हेतु क्या नई ऐजेंसी बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उक्त ऐजेंसी कब तक कार्य पूर्ण करेंगी? समय-सीमा बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** हटा-फतेहपुर-दरगुवां मार्ग का निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजना के अन्तर्गत करने हेतु दिनाँक 25/02/2011 को स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। कंशेसन अनुबंध के अनुसार टोटल प्रोजेक्ट कास्ट रू.100.25 करोड़ है। यह कार्य निवेशकर्ता मे. सौभाग्य हटा दरगुवां प्रा.लि. हैदराबाद को सौंपा गया था। **(ख)** 89 नग, जी नहीं। कार्य एजेंसी का अनुबंध दिनाँक 19/02/2013 को निरस्त किया गया। कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्य की पुनः निविदा

बुलाई गई एवं मेसर्स दिलीप बिल्डकान को निविदा स्वीकृति पत्र जारी किया गया। कार्य दिसम्बर 2017 में पूर्ण करने की संभावना है। **(ग)** जी नहीं, कार्य गुणवत्तायुक्त एवं अपूर्ण है। अनुबंध निरस्त होने के कारण निर्माण कार्य बंद है। शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु इस कार्य की पुनः निविदा बुलाई गई। मेसर्स दिलीप बिल्डकान को दिनाँक 06/06/2015 को निविदा स्वीकृति पत्र जारी किया गया। उक्त कार्य को माह दिसम्बर 2017तक पूर्ण करने की संभावना है।

## बरैया नाले का पुल पूर्ण कराया जाना

**86. ( क्र. 2275 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मा. मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणानुसार हटा विकासखण्ड के वरैया नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, हां तो कब? **(ख)** उक्त पुल कितनी राशि से स्वीकृत किया गया था एवं उक्त कार्य की कार्य एजेंसी क्या थी व कितनी समय-सीमा में कार्य कराने हेतु आदेशित किया गया था? **(ग)** क्या उक्त एजेंसी द्वारा कार्य किया गया है यदि हाँ, तो कितनी राशि का कार्य किया गया है? 4-5 वर्ष बीत जाने के बाद जनता द्वारा न के बराबर कार्य होना बताया गया है? उक्त एजेंसी पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ, दिनाँक 06.01.2012। **(ख)** राशि रूपये 155.57 लाख। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जी नहीं, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - ''तिरेसठ''

## मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं की पूर्ति

**87. ( क्र. 2277 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हटा प्रवास उपरांत गंदे-नाले के प्रदूषण मुक्त करने एवं शमशानघाट के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? उसका कार्य किस कार्य एजेंसी द्वारा कब कराय गया? **(ख)** क्या उक्त दोनों कार्यों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ एवं गुणवत्ताहीन हुआ है? जाँच समिति बनाकर जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** कार्य पूर्णता की स्थिति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता अनुसार पूर्ण पाये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चौंसठ''

## स्वीकृत नक्शे के अनुरूप कार्य

**88. ( क्र. 2322 ) श्री विश्वास सारंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विष्णु हाइटेक सिटीजन वेलफेयर सोसायटी, विष्णु हाइटेक सिटी अहमदपुर कलां, भोपाल के लिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ने किस आदेश से किस दिनाँक को किस खसरा क्र. के कितने रकबे पर अभिन्यास अनुमोदन किया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत अभिन्यास के अनुसार भू-खण्ड में किस-किस स्थान पर कितना-कितना मुक्त क्षेत्र (ओपन स्पेस) /पार्क/खेल मैदान/मंदिर/ क्लब हाऊस/स्वीमिंग पूल आदि के लिए स्थान निर्धारित किया गया था? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत जो अनुमति प्रदान की गई है और जो नक्शा स्वीकृत किया गया है

उसी के अनुरूप निर्माण व विकास कार्य हुए हैं? यदि भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो क्यों? कारण दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** विष्णु हाईटेक सिटीजन वेलफेयर सोसायटी, विष्णु हाइटेक सिटी अहमदपुर कलां, भोपाल के पक्ष में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा अभिन्यास अनुमोदन नहीं किया गया। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तारांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## ए आर / एस आर/ अनुरक्षण वर्क की जानकारी

**89. ( क्र. 2323 ) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग के भोपाल जिले में स्थित संभागों/उपसंभागों में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान एनुअल रिपेयरिंग/एस आर/अनुरक्षण वर्क/ 2 लाख रूपये या उससे कम की लागत के कितने कार्य कराये गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत संभागों एवं उपसंभागों द्वारा किस-किस एजेन्सी/फर्म/ठेकेदारों से कार्य करवाये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अन्तर्गत कितनी राशि का भुगतान किया गया?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

## निर्माणाधीन पुल का कार्य पूर्ण किया जाना

**90. ( क्र. 2336 ) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम ननावद के पास खाड़ी नदी पर निर्माणाधीन पुल की प्रथम बार पुल निर्माण की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इसकी लागत व कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? **(ख)** वर्तमान तक उक्त पुल का कितना व क्या-क्या कार्य पूर्ण/शेष रह गया है, निर्धारित अवधि के पश्चात् भी इसे पूर्ण न करने का कारण व इस हेतु कौन उत्तरदायी है, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या प्रेमसर-मूंडला व प्रेमसर-उतनवाड़ा मार्ग सीधे श्योपुर-कोटा अंतर्राज्यीय मार्ग से जुडते हैं लेकिन वर्षाकाल में खाड़ी नदी पर जलस्तर बढ़ जाने के कारण आवागमन कई-कई दिनों तक बंद हो जाता है? **(घ)** क्या उक्त कारण से उक्त मार्ग पर विद्यमान दर्जनों ग्रामों के नागरिकों/यातायात को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है? इस समस्या के हल हेतु उक्त पुल का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है? **(ड.)** यदि हाँ, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य क्या अब एक निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** दिनाँक 04.04.2008, राशि रू. 346.98 लाख व दिनाँक 21.12.2015। **(ख)** 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण। कुल पांच बाक्स यूनिट में से 2 बाक्स पूर्ण एवं शेष तीन स्लेब की दिवाल औसत 1.00 मीटर छोड़कर पूर्ण हो चुकी है। धीमी गति से कार्य करने के कारण विलंब हुआ ठेकेदार उत्तरदायी है। विलंब हेतु दण्ड राशि का कटौत्रा किया जा रहा है। ठेकेदार को अनुबंधानुसार नोटिस भी दिनाँक 28.05.2015 को जारी किया गया है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** जी हाँ। **(ड.)** निश्चित समय-सीमा में कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## पाण्डोला-राड़ेप मार्ग का उन्नतिकरण

**91. ( क्र. 2337 ) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पाण्डोला-राड़ेप मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में है, मार्ग पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं, क्या यह महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्ग है, इस पर नागरिकों व ग्रामीण परिवहन का आवागमन हर समय बना रहता है? **(ख)** क्या उक्त कारण से क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में विशेषकर वर्षाकाल में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, क्षेत्रीय नागरिक उक्त मार्ग के उन्नतीकरण की मांग निरंतर करते चले आ रहे है? **(ग)** क्या शासन जनहित में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग के उन्नतीकरण कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक/वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में शामिल कर उक्त मार्ग निर्माण का प्रस्ताव तैयार करवाकर शीघ्र इसकी स्वीकृति जारी करेगा?यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी हाँ। **(ख)** जी नहीं, जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। उक्त मार्ग पर उन्नतिकरण कार्य वर्ष 2012-13 में ही पूर्ण कराया गया है।

## सिवनी जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन

**92. ( क्र. 2358 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिवनी जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 01.04.2013 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने आवेदन पत्र किस-किस रोजगार के लिये प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों को रोजगार हेतु ऋण दिखाया जाना मान्य किया गया? **(ख)** मान्य आवेदन पत्रों में से कितने ऋण प्रकरण बनाकर बैंकों को भेजे गये, बैंक भेजे गये ऋण प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में किस-किस बैंक द्वारा हितग्राही को रोजगार हेतु ऋण दिया गया और कितने प्रकरण बैंकों के द्वारा हितग्राही को ऋण न देते हुए संबंधित कार्यालय को वापिस कर दिये गये, क्यों? **(ग)** क्या उक्तावधि में बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण प्रकरण यह कहकर कि आवेदक का प्रकरण बैंक के सेवा क्षेत्र से बाहर का है, वापिस कर दिये जाते हैं? **(घ)** यदि हाँ, तो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिवनी के द्वारा हितग्राहियों के ऋण प्रकरण संबंधित सेवा क्षेत्र वाले बैंकों को न भेजे जाकर किसी अन्य बैंक को क्यों भेज दिये जाते हैं?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनाँक 1.8.2014 से प्रारंभ है। वर्ष 2014-15 में 375 के लक्ष्य के विरूद्ध 1675 प्रकरण तैयार कर बैंक को प्रेषित किये गये थे, लक्ष्य के विरूद्ध 398 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2015-16 में लक्ष्य 375 के विरूद्ध 771 प्रकरण बैंको को प्रेषित कर 212 प्रकरणों में स्वीकृति प्राप्त कर 107 प्रकरणों में ऋण वितरण किया जा चुका है। **(ख)** शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 375 के विरूद्ध .1675 प्रकरण अनुशांसित कर बैंको भेजे गये थे, शेष प्रकरण बैक द्वारा लक्ष्य पूर्ति के कारण वापिस किये गये है उन्हें पुनः वर्ष 2015-16 में बैंक में स्वीकृति हेतु भेजे गये है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्ष 2015-16 में लक्ष्य 375 के विरूद्ध 771 प्रकरण बैको को प्रेषित किये गये है। वर्तमान में 212 प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त कर 107 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। **(ग)** हितग्राही के द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित बैंक में ऋण प्रकरण भेजे जाते है। कतिपय प्रकरणों में बैंकों द्वारा सेवा क्षेत्र के बाहर का प्रकरण होने के कारण उन्हें वापिस किया जाता है जिसे संबंधित सेवा क्षेत्र के बैंक को

प्रकरण स्वीकृति एवं वितरण हेतु भेजा जाता है। **(घ)** हितग्राहियों की मांग पर ही प्रकरण उनके इच्छित बैंक में भेजा जाता है।

**परिशिष्ट - ''पैंसठ''**

## जिला सिवनी में वृक्षारोपण

**93. ( क्र. 2359 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में वन विभाग द्वारा सन् 2012 से 2015 तक किन-किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में पौधे लगाये गये हैं, उन की संख्या एवं स्थान बताएं? **(ख)** वर्तमान में उन स्थानों में लगे हुये पौधे जो सुरक्षित है उन की संख्या एवं स्थान बताएं? **(ग)** यदि लगाये गये पौधों की तुलना में वर्तमान में बचे पौधे कम है तो संबंधित अधिकारियों के उपर क्या कार्यवाही की गई या नहीं? **(घ)** वन के क्षेत्रों में कितने पौधे लगाये गये उन पर कितनी राशि खर्च की गई पौधे सुरक्षित एवं जीवित न रहने की दशा में संबंधित अधिकारियों से राशि वसूली जायेगी या नहीं?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** रोपित पौधों के विरूद्ध जीवित पाये गये पौधों की संख्या सफल वृक्षारोपण की श्रेणी में है, इसलिये संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## खरगापुर विधानसभा के पलेरा से खरगापुर बल्देवगढ तक की सडक का निर्माण

**94. ( क्र. 2367 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पलेरा से खरगापुर बल्देवगढ़ मार्ग काफी लंबे समय से जर्जर हालत में है तथा उक्त सड़क की चौड़ाई भी कम है उक्त मार्ग जिला मुख्य मार्ग है और आवागमन में वाहनों की संख्या बहुत है, जो गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसके संबंध में कई बार शासन के उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, परंतु कोई कार्यवाही निर्माण संबंधी नहीं की गई? **(ख)** क्या सड़क पलेरा से खरगापुर बल्देवगढ़ तक नाबार्ड योजना के तहत या C.R.S. योजना के तहत उक्त सड़क का निर्माण करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? जनहित में उक्त सड़क निर्माण कराये जाने की स्वीकृति करें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी नहीं, जी नहीं, जी हाँ, जी हाँ, जी नहीं, जी नहीं, समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण का कार्य किया गया है। **(ख)** जी नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, मुख्य जिला मार्ग योजनांतर्गत में स्वीकृत हेतु सर्वे कर डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।

## खरगापुर विधानसभा की सडकों को नवीनीकरण में गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाना

**95. ( क्र. 2368 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र 47 के तहत बन्ने से आलमपुरा एवं छिदारी से पचेर, पचेर से कुड़ीला चन्द्रपुरा खरगापुर तक एवं गर्रोली से मलगुंवा रोड़ एवं छिदारी तिगैला से छिदारी तक की सड़कों का नवीनीकरण का कार्य किस ठेकेदार के द्वारा किया गया एवं उक्त सभी सड़कों के नवीनीकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? **(ख)** क्या जिस कंपनी ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण रोड का कार्य किया गया क्या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सड़कों की मॉनीटरिंग कर जाँच की गई कि निर्माण कार्य किस प्रकार का किया जा रहा है तथा ठेकेदार को क्या निर्देश दिये? दिये गये

निर्देशों का विवरण देवें? **(ग)** क्या उक्त सड़कों के निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री लगाई जाकर कार्य किया गया है तथा उक्त सड़कों उखड़ना भी शुरू हो गया है इस संबंध में ग्रामीणजनों ने कई वार अधिकारियों से शिकायत भी की है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे क्या उच्च स्तर की जाँच करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या ठेकेदार द्वारा जमा निधि की राशि से वसूली करेंगे यदि जाँच के दौरान ठेकेदार दोषी पाया जायेगा तो पुनः सड़कों के नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रसारित करेंगे जिससे शासन का राशि का दुरूपयोग जो किया गया है वह पुनः जनहित में काम आ सके?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** बन्ने से आलमपुरा एवं पचेर से कुडीला मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। छिदारी से पचेर, चन्द्रपुरा से खरगापुर गरौली से मलगुवां मार्ग म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है।** छिदारी तिगौला से छिदारी तक मार्ग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)** जी हाँ, गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. द्वारा निर्देश दिये गये थे। **(ग)** जी नहीं, जी नहीं, जी हाँ, सी.एम. हेल्प लाईन में शिकायत की गई थी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः कार्यवाही एवं जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

## पानी सप्लाई हेतु डाले गए पाइपों से रोड खराब

**96. ( क्र. 2420 ) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के नगर निगम कटनी द्वारा नगर में पानी सप्लाई हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य किस ठेकेदार को कब दिया गया था और कितनी लागत थी और कब तक कार्य पूर्ण किया जाना था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के ठेकेदार द्वारा कहाँ-कहाँ पाईप लाईन डाली गई क्या पाईप लाईन डालने का कार्य पूर्ण हो गया यदि नहीं, तो समय-सीमा में कार्य पूर्ण ना करने के लिये ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या ठेकेदार को पाईप लाईन डालने हेतु रोड खोद कर उसी तरह उस रोड को पक्का किया जाने का प्रावधान स्टीमेट में रखा गया था, उसके लिये ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? ठेकेदार द्वारा पाईप लाईन डालने हेतु खोदी गई रोड को यथावत नहीं किया गया जगह-जगह गड्ढे हैं, यदि हाँ, तो ठेकेदार को इस कार्य हेतु जितनी राशि भुगतान की गई है या संबंधित से वसूल कर नगर निगम अपनी ओर से रोडो को यथावत करने का कार्य करेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** एन.के.जे. पश्चिम मध्य रेल्वे की भूमि पर पर रेल्वे विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त न होने के कारण उक्त क्षेत्र की पाईप लाईन विस्तार का कार्य छोडकर शेष पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। रेल्वे की भूमि के क्षेत्र के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य समय-सीमा में पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार पर पेनाल्टी अधिरोपित की गई थी, जिसके अनुसार ठेकेदार/फर्मो के देयकों से कत्रोती की गई है। **(ग)** जी हाँ। पाईप लाईन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपेयरिंग हेतु तापी प्रेस्टीज्ड प्रोडक्ट लिमिटेड, महाराष्ट्र को रू. 51, 142.00 एवं एच.एम. पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर को रू. 1, 20, 055.00 का भुगतान किया गया

है। ठेकेदार फर्म द्वारा पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों की रिपेयरिंग का कार्य किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "छियासठ"</u>

<u>**ट्रांसपोर्ट नगर का स्थानांतरण**</u>

**97. ( क्र. 2421 ) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले की यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण करने हेतु नगर निगम कटनी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किस वर्ष में कितनी लागत से क्या-क्या कार्य कराये गये कार्यवार राशिवार विवरण दें? **(ख)** ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टों को विस्थापित करने में नगर निगम कटनी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही प्रश्न दिनाँक तक की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** नगर निगम द्वारा क्या ट्रांसपोर्टरों को प्लाट आवंटन कर दिये गये है? यदि हाँ, तो किस-किस को और कब-कब बताएं? जो ट्रांसपोर्ट नगर में नहीं जाना चाहते तो उनके आवंटन को निरस्त करते हुये प्रतीक्षारत नये ट्रांसपोर्टरों को प्लाट आवंटित कर शहर से विस्थापित किया जावेगा? यदि हाँ, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर है। (ख)** ट्रांसपोटरों को आवंटित भू-खण्डों का अनुबंध/पंजीयन कराये जाने हेतु क्रमश: 1246 दिनाँक 07-06-2012, पत्र क्रमांक 1455 दिनाँक 22-06-2012 एवं पत्र क्रमांक 3314 दिनाँक 09-09-2013 सूचना दी गई, परन्तु आज पर्यन्त तक किसी भी ट्रांसपोटरों द्वारा अनुबंध पंजीयन नहीं कराया गया। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट ऐसोसियेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर में याचिका क्रमांक 1686/2013 दायर की गई है, जो विचाराधीन है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है।** किसी भी ट्रांसपोटर द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में भू-खण्ड न लेने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**अतिक्रमण संबंधी**</u>

**98. ( क्र. 2432 ) श्री शंकर लाल तिवारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना शहर में विगत माह जून में 2015 में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो नजूल और नालों की जमीन पर किन-किन लोगों द्वारा कितनी-कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के प्रकाश में जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया है उन पर कमिश्नर, नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, क्या उनसे अतिक्रमित जमीन को मुक्त करा लिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमित की गई भूमि को अभी तक मुक्त नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ, तो इसमें नगर निगम के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं, अपितु सतना शहर के मध्य से होकर गुजरने वाले शासकीय खेरमाई नाले को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से माह जून-2015 में नाले के सीमांकन के साथ-साथ अतिक्रमणों को चिन्हित करने की संयुक्त मुहिम नजूल विभाग एवं नगर निगम द्वारा चलाई गई थी। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 318 के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये है।

जी नहीं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधनी है। **(घ)** जी हाँ। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**परिशिष्ट - "सड़सठ"**

**वन भूमि के पट्टे वितरित किए जाना**

**99. ( क्र. 2468 ) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वन विभाग द्वारा वर्ष 31.12.1976 तक के अतिक्रमणकारियों को वन भूमि के पट्टे वितरित किये गये थे? यदि हाँ, तो इनमें चंदला विधानसभा क्षेत्र के कितने कृषकों को पट्टे वितरित किये गये हैं? संख्यात्मक जानकारी बताएं? **(ख)** कुल वितरित किये गये पट्टा धारियों को कितने को वन भूमि पर कब्जा दिलाया गया है? **(ग)** क्या 1 जनवरी 1977 से 24.04.1980 तक के अतिक्रमण धारियों के सर्वे कराए गये है उन्हें पट्टा वितरण की कार्यवाही कब तक पूरी की जावेगी?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी हाँ। प्रश्नाधीन क्षेत्र के 238 अतिक्रमणकारियों को पट्टे वितरित किये गये है। **(ख)** उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित पट्टेधारी पूर्व से ही वन भूमि पर काबिज थे। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमण व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**चन्दला विधानसभा के अंतर्गत उद्योग की स्थापना**

**100. ( क्र. 2469 ) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छतरपुर जिले के चन्दला विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं लघु उद्योग के संबंध में विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये है? कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? कितने लघु उद्योग लगाये गये? वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है? **(ख)** छतरपुर जिले में उद्योग विभाग की भूमि कहाँ-कहाँ पर स्थित है व कितनी-कितनी है? खसरा नं., रकवा, लोकेशन सहित विवरण देते हुये बताये कि वर्तमान में उक्त भूमियों पर क्या कोई उद्योग लगे है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ व कौन-कौन से? नहीं तो वर्तमान में उक्त भूमियों पर किसका कब्जा कब से है? **(ग)** यदि भूमि पर अन्य किसी का कब्जा है उसकी कार्यवाही कब तक की जावेगी?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं लघु उद्योग स्थापना के संबंध में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 136 हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाकर रोजगार उपलब्ध कराया गया। 05 लघु उद्योग स्थापित हुए जो कार्यरत है, जिनमें 112 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। **(ख)** से **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब अनुसार है।** औद्योगिक क्षेत्र के बैलगाड़ी प्रोजेक्ट एरिया की लगभग 12.00 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के आधिपत्य में है। शेष भूमि पर विभाग का आधिपत्य है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट - "अड़सठ"**

**निरीक्षण के समय कमियों की पूर्ति**

**101. ( क्र. 2480 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव से लेकर अधीक्षण यंत्री स्तर तक के अधिकारियों के

द्वारा कार्यों के निरीक्षण करने के क्या प्रावधान है? प्रावधान सहित जानकारी दें? **(ख)** भिण्ड जिले में विगत तीन वर्षों में किस स्तर के अधिकारी द्वारा किन मार्गों/भवनों का निरीक्षण किया गया? **(ग)** प्रश्नावधि में किये गये निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन कब जारी किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन में क्या कमियां दर्शाई गई? क्या प्रश्नांश दिनाँक तक निराकरण कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो किन अधिकारियों ने कमियों के पूर्ण होने के उपरांत निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिया है यदि हाँ, तो विवरण देवें? **(घ)** प्रश्न **(ख)** के अंतर्गत कमियों के लिये कौन ठेकेदार एवं अधिकारी उत्तरदायी है? प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** म.प्र. कार्य विभाग में मेनुअल 1983 की धारा-19 का पैरा 1.129 के **परिशिष्ट** 1.22 से 1.32 के अनुसार अधीक्षण यंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों को निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का प्रावधान है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनियमितताओं पर हुई कार्यवाही की जानकारी</u>

**102. ( क्र. 2542 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल नगर निगम में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2013 तक किन-किन अनियमितताओं की जाँच हेतु समितियों का गठन किया गया? समितियों में कौन-कौन अध्यक्ष और सदस्य थे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत म.प्र. विधानसभा/शासन की घोषणा अनुसार किन-किन मामलों को लेकर जाँच समितियों का गठन किया गया? समितियों में कौन-कौन अध्यक्ष और सदस्य थे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत गठित समितियों ने जाँच कर प्रश्न दिनाँक तक अपना प्रतिवेदन दे दिया है? यदि हाँ, तो समितियों ने क्या-क्या सिफारिश की है? यदि नहीं, दिया है तो कारण क्या है? कब तक जाँच हो जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>उपयंत्री की योग्यता प्रमाण पत्रों की जाँच</u>

**103. ( क्र. 2563 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका परिषद, शहडोल में कार्यरत उपयंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा की योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत नगर पालिका शहडोल एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास प्रशासन को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत का क्रमांक/दिनाँक बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उपयंत्री के प्रमाण-पत्रों की जाँच विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान करते समय, नियमित करते समय, पदोन्नति सूची तैयार करते समय कराई थी? यदि हाँ, तो विवरण दीजिए? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के उपयंत्री के योग्यता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय को AICTE से मान्यता प्राप्त है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सच यह है कि श्री कैलाश तिवारी, एडवोकेट, शहडोल के पत्र क्रं. निल दिनाँक 09-02-2015 द्वारा की गई शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नांक -क के उत्तर में उल्लेखित शिकायती पत्र के संबंध में संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा को शिकायती पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत

सहित भेजने के निर्देश दिये गये है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

**ईको विकास समिति एवं वन विकास समितियों के द्वारा कराये गये कार्य**

**104. ( क्र. 2622 ) पं. रमेश दुबे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ईकों विकास समिति और वन समितियों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों समितियां अलग-अलग है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र चौरई जिला छिन्दवाड़ा के विकासखण्ड विछुवा एवं चौरई में कुल कितनी वन समितियां एवं ईको समितियां गठित है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में इन समितियों का क्या कार्य होता है? इन्हें धनराशि कहाँ-कहाँ से प्राप्त होती है और प्राप्त धनराशि किसके हस्ताक्षर से किस प्रकार से खर्च होती है? **(ग)** क्या पेंच नेशनल पार्क के अधीन विकासखण्ड चौरई एवं विछुवा में पदस्थ अधिकारियों के भी प्रभार में उक्त समितियां संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो उन अधिकारियों का नाम पदनाम सहित यह बतावें कि समितियों एवं उनके माध्यम से समितियों के अधीन निवासरत नागरिकों के हित में उनके आर्थिक, मानसिक व सामाजिक सुदृढ़ता के लिए क्या-क्या प्रयास किया गया है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाता है। बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहाँ बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु ईको विकास समितियां गठित की जाती हैं इन क्षेत्रों में पहले से गठित संयुक्त वन प्रबंध समितियां भी ईको विकास समिति कही जाती हैं। प्रश्नांकित विकास खण्डों में 71 वन समितियां एवं 53 ईको समितियां गठित हैं। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। समितियों को मुख्यतः सुरक्षा कार्यों तथा आस्था मूलक कार्यों हेतु धनराशि विभाग से प्राप्त होती है। समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का आहरण कर समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यों पर व्यय किया जाता है। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट - "उनहत्तर"**

**छिन्दवाड़ा जिले में सड़कों के मरम्मत व पेंच वर्क एवं भवन की मरम्मत**

**105. ( क्र. 2623 ) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले में विगत 3 वर्षों में सड़कों के मरम्मत व पेंच वर्क, भवनों के रख रखाव व उसके मरम्मत, रंगायी-पुतायी आदि हेतु कितनी-कितनी राशि लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुई? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले में विगत 3 वर्षों में सड़कों के मरम्मत व पेंच वर्क, भवनों के रख रखाव व उसके मरम्मत, रंगायी-पुतायी आदि पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है? सड़कों व भवनों की जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में चौरई विधान सभा में उक्त कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गयी? **(घ)** क्या विधान सभा क्षेत्र चौरई में निर्मित सड़कों के दोनों किनारों पर हार्ड मुरम न डालते हुए मिट्टी डलवायी गयी है जिसके चलते वर्षाऋतु में सड़कों के दोनों किनारों पर गड्ढे बन गये हैं?

यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन ठेकेदारों के मेंटनेंस के अधीन विकास खण्ड चौरई एवं विछुआ की सड़कों की प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं हार्ड मुरम डालने का आदेश संबंधितों को देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** प्रश्नानुसार छिन्दवाडा जिले में प्राप्त राशि में से अन्य विकास खण्डों की तुलना में चैरई विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड चैरई एवं बिछुआ में 15.52 प्रतिशत राशि खर्च की गई। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

## मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

**106. ( क्र. 2628 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** देवास जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण देने हेतु कितने हितग्राहियों का वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लक्ष्य प्राप्त हुआ था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में लक्ष्य के आधार पर जिले में किन-किन धन्धों के लिये ऋण दिया गया एवं कितने व्यक्तियों को विधानसभावार संख्या देवें? **(ग)** वर्ष 2015-16 के लिए देवास जिले को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है? **(घ)** देवास जिले की कन्नौद खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिये वर्ष 2015-16 के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु कितने व्यक्तियों एवं किस व्यापार के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** वर्ष 2014-15 में दिनाँक 01/08/2014 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी जिसका भौतिक लक्ष्य 430 था। **(ख)** उद्योग/सेवा/व्यवसाय गतिविधियों हेतु ऋण स्वीकृत/वितरित किया गया। जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | विधान सभा क्षेत्र | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सोनकच्छ | 92 |
| 2 | देवास | 104 |
| 3 | हाट पिपल्या | 62 |
| 4 | खातेगांव, कन्नौद | 106 |
| 5 | बागली | 72 |
| **योग** | | **436** |

**(ग)** भौतिक लक्ष्य 550 एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रू 2750 लाख का हैं। **(घ)** विधान सभावार लक्ष्य प्रदान नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन

**107. ( क्र. 2653 ) डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या जुलाई 2014 सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या-19 (क्र. 3935) दिनाँक 17.07.2014 के उत्तर में

मंत्रीजी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किया जाने एवं मंदिर प्रबंधन समिति में सांसद एवं विधायक को सम्मिलित किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना बताया था? **(ख)** क्या इस संबंध में शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन को पत्र क्र. 5682 दिनाँक 21.08.2014 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया था? **(ग)** यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त विषय पर महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में कब तक संशोधन कर दिया जावेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य

**108. ( क्र. 2654 ) डॉ. मोहन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन नगर में सिंहस्थ 2016 के लिए किये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये हैं, जानकारी उपलब्ध करायें? **(ग)** गुणवत्ताहीन तथा समय-सीमा से बाहर होने के बावजूद भी क्या उन्हीं निर्माण एजेन्सियों को आगे वही कार्य करने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो ऐसे निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध करायें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिये प्रयोगशाला स्थापित की गई है एवं फील्ड पर आवश्यक टेस्ट किये जाते है। कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिये क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सलटेंट भी नियुक्त किये गये है। **(ग)** सिंहस्थ-2016 के सभी कार्य गुणवत्ता से किये जा रहे है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''सत्तर''

## उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा शासन निर्देशों का पालन

**109. ( क्र. 2660 ) डॉ. मोहन यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में उ.वि.प्रा. को मुक्त रखा गया है? यदि नहीं, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-5-2/2012/1/8 भोपाल दिनाँक 22/08/2012 एवं एफ-5-5/2012/1/8 दिनाँक 18.05.2010 एवं अन्य आदेशों (जनवरी 2010 के पश्चात जारी) निर्देशों का पालन उ.वि.प्रा. कार्यालय द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त आदेशों/निर्देशों के पालन में उ.वि.प्रा. द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई विस्तृत विवरण दें? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित आदेशों/निर्देशों एवं या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारी/उपभोक्तागण/प्रभावित कृषक/गृह समितियों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नहीं करते हुए प्रकरणों को लंबित रखने के लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? लंबित प्रकरणों की सकारण सूची उपलब्ध करावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। जी हाँ। नगर तथा ग्राम विकास अधिकारी एक निगमित निकाय है तथा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह अपने निगमित नाम से वाद चला

सकता है। शासन के आदेशों के पालन में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** **(ख)** उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के आदेशों एवं न्यायालयीन प्रकरणों के आदेशों का पालन किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता हैं।

## शिकायत पर कार्यवाही

**110. ( क्र. 2670 ) श्री सुन्दर लाल तिवारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अध्यक्ष भास्कर जन विकास स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास समिति पन्ना द्वारा मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं कलेक्टर जिला पन्ना को श्री प्रमोद कुमार पाठक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के विरूद्ध दिनाँक 31.12.2014 एवं 20.04.2015 को दस बिन्दुओं की शिकायत प्रस्तुत की है? **(ख)** यदि हाँ, तो उसकी जाँच के क्या परिणाम रहे? जाँच के परिणामों के आधार पर संबंधी जन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जाएगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सच यह है कि श्री श्रीकांत दीक्षित, अध्यक्ष, भास्कर जन विकास स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास समिति पन्ना (म.प्र.) के पत्र दिनाँक 31-12-2014 द्वारा आठ बिन्दुओं पर एवं पत्र दिनाँक 20-04-2015 द्वारा 10 बिन्दुओं की शिकायत कलेक्टर जिला पन्ना को प्राप्त हुई है। **(ख)** कलेक्टर पन्ना के स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा जाँच कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

## रानी घाटी रामजानकी मंदिर के ट्रस्ट का गठन

**111. ( क्र. 2684 ) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** ग्वालियर जिले के घाटीगॉव तहसील के अंतर्गत स्थित रानीघाटी रामजानकी मंदिर के ट्रस्ट का गठन कब किया गया था? उस समय कितने सदस्य थे? वर्तमान में उनमें से कितने सदस्य मृतक हो चुके है व कितने जीवित है? रानीघाटी ट्रस्ट के मृतक सदस्यों के स्थान पर नवीन सदस्य क्यों नियुक्त नहीं किये गये हैं? कब तक नवीन सदस्य नियुक्त करके ट्रस्ट का पुर्नगठन किया जावेगा? नवीन सदस्य नियुक्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** वर्तमान में रानीघाटी रामजानकी मंदिर पर कौन संत व पुजारी कार्य कर रहे है? **(ग)** रानीघाटी ट्रस्ट की भूमि का किन-किन गांवों में कितना-कितना रकवा है? कितनी भूमि से आय हो रही है? कितनी से नहीं कितनी भूमि व मकानों पर अतिक्रमण है? उसे हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## बड़े तालाब की मुख्य स्त्रोत नदियों के संदर्भ में

**112. ( क्र. 2704 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछले 3 वर्षों में बड़े तालाब भोपाल की सहायक (मुख्य स्त्रोत) नदी कुलांसी एवं उलझावन नदी की सफाई योजना पर कितना पैसा किस मद में खर्च किया गया? वर्षवार, कार्यवार ब्यौरा देवें एवं क्या-क्या कार्य किए गए? **(ख)** इन नदियों की वर्तमान स्थिति क्या हैं? **(ग)** इस योजना से इन नदियों की

स्थिति पर क्या अंतर आया? **(घ)** बड़े तालाब का कितना पानी भोपाल एवं आसपास के क्षेत्रों में पीने के उपयोग में आ रहा हैं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## शासन द्वारा संधारित मंदिर

**113. ( क्र. 2750 ) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** शासन द्वारा संधारित मंदिरों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें सहायता उपलब्ध कराई जाती है? रायसेन जिले में कौन-कौन से मंदिर शासन संधारित है? **(ख)** वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक उक्त मंदिरों में क्या-क्या कार्य कराये गये तथा कितनी सहायता राशि दी गई? **(ग)** किसी भी मंदिर को शासन संधारित करने की क्या प्रक्रिया है? इस हेतु मंदिर के व्यवस्थापक तथा पुजारी को क्या-क्या करना पड़ता है? **(घ)** रायसेन जिले में किस-किस मंदिर के पास कितनी भूमि है तथा उक्त भूमि के देखभाल कौन-कौन कर रहे हैं? तीन वर्षो का आय-व्यय की जानकारी दें?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का संचालन

**114. ( क्र. 2765 ) श्री संजय शाह मकड़ाई :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कान्हा व बांघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वनकर्मी पैदल व सायकल से गस्ती के दौरान विगत 5 वर्षों में कोई मानव क्षति हुई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? **(ख)** क्या कान्हा व बांघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के वनकर्मी एवं अधिकारियों को पर्यटकों के साथ व्यवहार व सत्कार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हाँ, तो विगत दो वर्ष में उक्त कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** कान्हा व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2013-14, 2014-15 में आंतरिक एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या व प्राप्त राजस्व का विवरण देवें?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जी नहीं। तथापि गश्ती में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक गश्ती दल को वायरलेस हैंडहेल्ड सेट दिया जाता है। आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु वायरलेस युक्त गश्ती वाहन उपलब्ध रहते हैं। पेट्रोलिंग कैम्पों में चिकित्सा हेतु प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध हैं। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नांकित राष्ट्रीय उद्यानों में अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी जाती है एवं पंजीकृत गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।**

**परिशिष्ट - ''इकहत्तर''**

## रतलाम जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण/ मरम्मत

**115. ( क्र. 2767 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में लोक निर्माण विभाग की कौन सी कहाँ से कहाँ तक कितनी सड़के हैं व उनकी मरम्मत पर कितना खर्च पिछले 3 साल में किया है? **(ख)** कितनी और कौन-कौन सी सड़कें लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने अंतर्गत लेने के प्रस्ताव विभाग के पास हैं? उनका विवरण दें। **(ग)** लोक निर्माण विभाग जिला रतलाम की कितनी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है? उनका नाम दूरी व विवरण देते हुए बतायें कि सेंट्रल रोड फंड हेतु कितनी व कौन-कौन सी सड़क का प्रस्ताव प्रदेश स्तर पर भोपाल व भोपाल से केन्द्र स्तर पर भेजा है व कब से लंबित है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।**

<u>मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के तहत नगर निगम जबलपुर द्वारा पक्के शौचालयों का निर्माण</u>

**116. ( क्र. 2777 ) श्री अशोक रोहाणी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अक्टूबर 2014-15 तक नगर निगम जबलपुर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के तहत शहर के किन-किन वार्डों में कितने-कितने शौचालय बनाये जाने का लक्ष्य है? इसके लिए कब कितनी राशि आवंटित की गई है एवं कितनी राशि व्यय हुई है? इसमें हितग्राहियों के चयन का मापदण्ड क्या है? इसमें शासन व हितग्राही का योगदान कितना-कितना है? **(ख)** योजनांतर्गत शौचालयों का निर्माण कराने हेतु किन-किन संस्थाओं/फर्मों को किन-किन शर्तों पर अनुबंधित किया गया है? किनके द्वारा किन-किन वार्डों में कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया है एवं उन्हें अभी तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है? **(ग)** प्रश्नांकित निर्मित कराये जा रहे शौचालयों के निर्माण कार्य की देखरेख व गुणवत्ता की जाँच हेतु किस अधिकारी/एजेन्सी को नियुक्त किया गया है? किस अधिकारी/एजेन्सी में निर्मित कितने शौचालयों की गुणवत्ता की जाँच कर प्रमाण पत्र दिया है? **(घ)** क्या प्रश्नांकित योजना के तहत ऐसे बी.पी.एल. परिवारों जिनके निवासों पर कच्चे शौचालय निर्मित हैं, उनके लिये पक्के/जल वाहित शौचालयों का निर्माण कराया जावेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** कुल रूपये 571.00 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रूपये 520.38 लाख व्यय की राशि व्यय की गई है। शेषांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख)** शौचालय निर्माण हेतु वनस्थलीय ग्रामीण संस्थान, सूर्या विकास संस्थान, पंचायत विकास संस्थान एजेन्सियों का चयन किया गया, शर्तों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** एजेन्सियों को किया गया भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। (ग)** जी हाँ। कार्य की तकनीकी जाँच हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नियुक्त संस्थाओं से गुणवत्त नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण (CSQA) तथा स्वतंत्र पुनरीक्षण निरीक्षण एवं अनुश्रवण (IRMA) कराया जा रहा है। कार्य में प्रयुक्त होने वाले निर्माण सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में कराया जाता है। **(घ)** जी हाँ। समस्त शौचालय विहीन परिवारों में पक्के/जलवाहित शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।

<u>जबलपुर को (वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक) राशि का आवंटन एवं व्यय</u>

**117. ( क्र. 2778 ) श्री अशोक रोहाणी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खेल एवं युवा कल्याण विभाग जबलपुर को किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? किस-किस योजना मद की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई एवं कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में किन-किन राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कान्स्य पदक विजेताओं को किस मान से कितने माह की खेलवृत्ति प्रदान की गई एवं किन-किन विजेता खिलाड़ियों को खेलवृत्ति की कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में खेल सुविधाएं खेल उपकरण खिलाड़ियों की खेलों में भागीदारी व खेलों के आयोजन पर कितनी-

कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि की कितनी मात्रा में कौन-कौन से खेल उपकरण कब, कहाँ-कहाँ से क्रय किये गये एवं कितने खेल उपकरणों का वितरण किया गया है? इसकी जाँच कब किसने की है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## नर्मदा नदी का प्रदूषण रोकने हेतु खंदारी नालो, जबलपुर पर फिल्टर प्लाण्ट की गुणवत्ता की जाँच

**118. ( क्र. 2779 ) श्री अशोक रोहाणी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से रोकने हेतु खंदारी नाले (जबलपुर) पर फिल्टर प्लांट कब कितनी राशि से किस एजेन्सी से बनवाया गया था? इसकी बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड प्रति लीटर कितनी है तथा इसमें कितने फिल्टर लगे हुए हैं? वर्तमान में इन फिल्टरों व प्लांट की क्या स्थिति है? **(ख)** क्या प्रश्नांकित फिल्टर प्लांट, गतवर्ष बरसात में पूरा बह गया है और खंदारी नाले का गंदा पानी सीधे नर्मदा नदी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर रहा है? यदि हाँ, तो उक्त प्लांट की गुणवत्ता की जाँच किसने की थी? जाँच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गई? दोषी एजेन्सी पर कब क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? **(ग)** क्या यह सत्य है कि प्रश्नांकित फिल्टर प्लांट को पुन: बनवाया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो इस पर कितनी राशि व्यय होना संभावित है और इस प्लांट को कब तक बनवाया जावेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** कारपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल लि. देवरी, जबलपुर नामक उद्योग द्वारा स्वयं के व्यय से वर्ष 2014 में खंदारी नाले पर इनसीटू बायो रेमेडियेशन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिमोस्ट्रेशन रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में एक फिल्टर स्थापित किया गया है। इनसीटू बॉयो रेमेडियेशन प्लांट प्राकृतिक ऑक्सीजन सप्लाई के आधार पर कार्यरत है। इसकी अपनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होती तथापि इसके माध्यम से वर्ष 2014-15 में उपचारित सीवेज की बोओडी-4 से 5 मिलीग्राम/लीटर मापी गई। वर्तमान में इस बायो रेमेडियेशन प्लांट की स्थिति संतोषजनक है। **(ख)** एवं **(ग)** वर्ष 2014 में मानसून में बाढ़ के समय फिल्टर मीडिया (ग्रेडेड बोल्डर/ग्रिट) आंशिक रूप में बह गया था, जिसका संधारण कार्य निर्माता एजेंसी द्वारा मानसून के पश्चात् स्वयं के व्यय से कराया गया है। इसके बाद से बायो रेमेडियेशन प्लांट सतत कार्यरत है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं शासन स्तर से न तो कोई राशि व्यय नहीं की गई और न ही किसी तरह की अनियमितता की गई, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## ओदारी नदी पर पुल निर्माण

**119. ( क्र. 2815 ) श्री रामपाल सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शहडोल जिले के सीधी ब्यौहारी मार्ग ग्राम पहडिया के पास ओदारी नदी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त नदी में बना रपटा अत्याधिक पुराना है व पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे वर्षा के मौसम में क्षतिग्रस्त रपटे के कारण आवागमन बाधित होता है? **(ख)** क्या उपरोक्त खण्ड **(क)** में दर्शित नदी में नवीन पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो उसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं, तो जन सुविधा की दृष्टि से उक्त पुलिया का निर्माण कब तक कराया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। जी हाँ, आंशिक क्षतिग्रस्त है, जी हाँ। **(ख)** जी नहीं स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>प्रापर्टी टैक्स की फर्जी रसीदें देकर राशि हड़पी जाना</u>

**120. ( क्र. 2848 ) श्री सतीश मालवीय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिक निगम भोपाल के पुराने वार्ड क्रमांक 41 वर्तमान वार्ड क्रमांक 42 में वर्ष 2011-14 के दौरान रसीद क्रमांक 328/74, 388/69, 2880/55, 3111/13, 3111/14, 3111/15, 3111/19, 3111/20, 3111/22, 3111/21, 3111/33, 3111/69, 3111/68, 3111/10, 2235/82, 2880/55, 2235/26, 2762/25, 1872/26, 2762/64, 2632/86, 1310/78, 1310/24 में जो प्रापर्टी टैक्स की रकम बालचंद यादव एवं अन्य ने जमा की वह नगर पालिका निगम भोपाल के खातों में जमा नहीं हुई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित रसीद क्रमांकों से जमा रकम को खुर्द-बुर्द करने वाले श्याम सिंह, दीपक भालेराव एवं अवध नारायण मकौरिया पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में प्रश्नतिथि तक क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? **(ग)** कब तक इन दोषियों को निलंबित कर आपराधिक प्रकरण संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज काया जायेगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** श्री श्याम सिंह, भृत्य पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया जा कर, उक्त कर्मचारी को निलंबित कर थाना प्रभारी, जहाँगीराबाद थाना, भोपाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध कायम कर कार्यवाही करने हेतु दिनाँक 02.12.2014 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, शेष पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होना नहीं पाया गया। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 1373 दिनाँक 21.11.2013 से श्री श्याम सिंह, भृत्य को निलंबित किया गया तथा थाना प्रभारी, जहाँगीराबाद थाना, भोपाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध कायम कर कार्यवाही करने हेतु दिनाँक 02.12.2014 को पत्र प्रेषित किया गया।

<u>भारत टाकीज द्वारा अवैध निर्माण पार्किंग की भूमि पर निर्माण</u>

**121. ( क्र. 2849 ) श्री सतीश मालवीय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल जिले के हमीदिया रोड के पास स्थित भारत टाकीज ने पार्किंग की जगह पर क्या कर्मशियल कांप्लेक्स का निर्माण नगर पालिका निगम भोपाल से नक्शा पास करा कर किया है? पार्किंग की कितनी जगह (वर्गफुट) खाली है? **(ख)** क्या उक्त भारत टाकीज में 1052 सीटे हैं? 1052 सीटों के हिसाब से कितनी जगह पार्किंग की होना अनिवार्य है? व्यवसायिक कांप्लेक्स नियम विरूद्ध बनाये जाने पर कार्यवाही क्या की जावेगी? **(ग)** क्या राज्य शासन भारत टाकीज के द्वारा पार्किंग की भूमि पर बनाये अवैध व्यवसायिक कांप्लेक्स को बनाने में मदद करने वाले नगर पालिका निगम भोपाल के अधिकारी को चिंहित कर उन्हें निलंबित कर विभागीय जाँच शुरू करेगा? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित भारत टाकीज ने जो व्यसायिक कांप्लेक्स बनाया है, उसकी परमीशन (नक्शा पास) की टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग की एन.ओ.सी. नगर पालिक निगम भोपाल में जमा की है? अगर नहीं, तो कैसे अनुमति दी गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। अपितु भारत टाकीज के समीप बगल की अन्य भूमि पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स की निर्माण किया गया है। टाकीज के सामने का खुला क्षेत्र लगभग 10 हजार वर्गफुट रिक्त है, जिसका उपयोग पार्किंग के लिये किया जाता है। **(ख)** जी हाँ।

भारत टाकीज वर्ष 1950 में प्रारंभ किया गया था, उस समय पार्किंग टाकीज के सामने खुले क्षेत्र में की जाती रही है। वर्तमान प्रावधान भोपाल विकास योजना अनुसार 1052 सीट हेतु 2810 वर्गफुट पार्किंग क्षेत्र होना चाहिये। **(ग)** व्यावसायिक काम्पलेक्स को नियमानुसार भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नाधीन भूमि विकसित क्ष्ोत्र में स्थित होने के कारण भोपाल विकास योजना 2005 के पैरा क्रं. 4.2 एवं 4.21 अनुसार नियोजन मापदंड अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई है।

## <u>लोक निर्माण विभाग मुरैना में कार्यरत अधिकारी</u>

**122. ( क्र. 2915 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग, मुरैना में कितने-कितने अनुविभागीय अधिकारी/उपयंत्री/सहायक यंत्री एवं अन्य मैदानी अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? विकासखण्डवार उनके नाम, पदनाम सहित जानकारी दी जावे? **(ख)** क्या लोक निर्माण विभाग, मुरैना ने शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय भवनों में मरम्मत एवं विद्युत कार्य कराया है? यदि हाँ, तो किस-किस शासकीय कार्यालय/आवासों में कितनी-कितनी राशि का कार्य करवाया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में लोक निर्माण विभाग, मुरैना द्वारा शासकीय कार्यालय/आवासों में मरम्मत एवं विद्युत कार्य कराये जाने हेतु किन-किन फर्मों/एजेन्सियों से कार्य करवाया गया है? क्या समस्त फर्मों/एजेन्सियों को कार्य का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी फर्मों/एजेन्सियों का भुगतान शेष है और किस कारण से भुगतान नहीं हुआ है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार (ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार।**

## <u>नगर निगम मुरैना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी</u>

**123. ( क्र. 2916 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका परिषद मुरैना को नगर निगम घोषित किये जाने के दिनाँक से नगर निगम मुरैना में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं? उनके नामवार सूची एवं नियुक्ति दिनाँक की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को किस मद से कितने माह का वेतन भुगतान किया गया है? **(ग)** क्या नगर पालिक निगम मुरैना द्वारा अन्य जिले के निवासियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश, आदेश अधिसूचना एवं परिपत्र आदि जारी किये गये हैं? **(घ)** नगर पालिका परिषद मुरैना द्वारा कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है? नाम/पदनामवार जानकारी दी जावे?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार। (ग)** जी हाँ। शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश/आदेश/अधिसूचना/परिपत्र जारी नहीं किये गये है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।**

## <u>डिण्डौरी जिलान्तर्गत निर्माण कार्य</u>

**124. ( क्र. 2922 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** डिण्डौरी जिले में विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से काम की स्वीकृति विभिन्न मदों से प्राप्त हुई? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, मद का नाम, कार्य प्रारम्भ दिनाँक, कार्य विभागीय या ठेकेदारी से, अगर ठेकेदारी से तो ठेकेदार का नाम, व्यय राशि, वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या सभी कार्य सही समय में पूर्ण हुए? अगर नहीं हुए, तो कौन-कौन से कार्य सही समय में पूर्ण नहीं हुए? किसके कारण सही समय में कार्य पूर्ण नहीं हुए? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार सभी कार्य क्या प्रथम प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार पूर्ण हुए या बाद में पुनः अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ी? अगर अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ी, तो पूर्व स्वीकृति एवं कार्य पूर्णता के समय की राशि की जानकारी बतावें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग)** जी नहीं, जी नहीं, पुनः अतिरिक्त राशि की आवश्यकता भी रही। लोक निर्माण विभाग से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाई लोक निर्माण विभाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।**

<u>शिवपुरी जिले में वन परिक्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु जारी की गई अनुमति</u>

**125. ( क्र. 2969 ) श्री रामसिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जून 2015 की स्थिति में वनभूमि में से निकलने वाले कौन-कौन से नवीन डामरीकृत मार्गों के निर्माण हेतु अनुमति/एन.ओ.सी. वन संरक्षक/डी.एफ.ओ. वन मण्डल शिवपुरी द्वारा जारी की गई? **(ख)** क्या उक्त अनुमति/एन.ओ.सी. हेतु संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी से अभिमत/अनुशंसा ली गई थी? यदि हाँ, तो वन परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा/अभिमत का दिनाँक देवें? **(ग)** उक्त अनुमति/एन.ओ.सी. जारी करने हेतु महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 एवं 2 शिवपुरी द्वारा कब-कब पत्र प्रेषित किया? **(घ)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र में वन परिक्षेत्र कोलारस एवं बदरवास के अंतर्गत वनभूमि में से निकलने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन धुआ-किरौला-नैनागिर नवीन डामरीकृत सड़क हेतु अनुमति/एन.ओ.सी. हेतु महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स. प्राधिकरण परियोजना इकाई शिवपुरी से पत्र कब प्राप्त हुआ? प्राप्त पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।**
<u>परिशिष्ट - "बहत्तर"</u>

<u>वनभूमि पर फसल उगाई जाना</u>

**126. ( क्र. 2970 ) श्री रामसिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले के वन परिक्षेत्र कोलारस एवं बदरवास के अंतर्गत कौन-कौन से वन कम्पार्टमेंट नम्बरों में कितने-कितने रकवा में वर्ष 2014-15 में कौन-कौन सी फसलें कब से उगाई जा रही हैं? **(ख)** उक्त कृषि योग्य वृक्ष/पेड़-पौधों रहित वन भूमि पर वन विभाग कृषि हेतु पट्टे कब तक जारी

करेगा? **(ग)** उक्त वन भूमि में कम्पार्टमेंटवार किन-किन के द्वारा वर्ष 2014-15 में कौन-कौन सी फसल का अनुमानित कितना-कितना कौन-कौन सा अनाज उत्पादित हुआ? उत्पादित अनाज का बाजार मूल्य कितना था? **(घ)** वन परिक्षेत्र कोलारस एवं बदरवास के अंतर्गत मार्च 2015 की स्थिति में कौन-कौन सी वनभूमि पर गैर कृषि कार्य एवं गैर वानिकी कार्य के लिए किन-किन के द्वारा किन-किन वन कम्पार्टमेंट नम्बरों में किस-किस उद्देश्य के लिए कब से उपयोग किया जा रहा है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ग)** वन भूमि पर फसल संबंधी जानकारी वन विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधान अनुसार आवेदन करने पर निर्धारित प्रक्रिया उपरांत वन भूमि पर पात्र आवेदकों को वन अधिकार पत्र आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिये जाते हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**
<u>परिशिष्ट – "तिहत्तर"</u>

## <u>एल.ई.डी. लाईट क्रय में भारी अनियमित्ता</u>

**127. ( क्र. 2994 ) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा विगत 3 वर्षों की स्थिति में एल.ई.डी. लाईट निविदाएं आमंत्रित कर क्रय की है? **(ख)** यदि हाँ, तो कितनी-कितनी व किस-किस कम्पनी की एल.ई.डी. लाईट क्रय करने हेतु कब-कब निविदाएं किस-किस समाचार पत्रों प्रकाशित की गई तथा किस-किस निविदा में किन-किन ठेकेदारों/फर्मों ने भाग लिया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** - **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किस-किस कम्पनी को किस-किस दर पर लाईटें प्रदाय करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया और अभी तक कार्यादेश प्राप्त ऐजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया व कितना शेष है? कम्पनी के नाम सहित वर्षवार बतावें? **(घ)** क्या कार्यादेश प्राप्त एजेंसी को अन्य निविदा के माध्यम से भी कोई कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का किस ठेकेदार/कम्पनी को कार्य किस आधार पर आवंटित किया गया? यदि नहीं, तो क्या जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) जानकारी परिशिष्ट अनुसार है।** मैसर्स सर्वोटेक प्रा.लि. दिल्ली का वर्ष 2014-15 में राशि रू.13.50 लाख का भुगतान शेष है। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
<u>परिशिष्ट - "चौहत्तर"</u>

## <u>विद्युत लाइनों की मरम्मत</u>

**128. ( क्र. 2995 ) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल शहर में विद्युत खम्बों पर लाईट लगाना, ट्रांसफार्मर व तार इत्यादि की मरम्मत करने हेतु नगर निगम व मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी विभाग के संयुक्त दल द्वारा मरम्मत कार्य किया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता के कार्यालय में दिनाँक 15 जून 2015 को बैरागढ़ वृत्त के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उत्तर विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक में निगम व विद्युत विभाग के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाये? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या निगम व विद्युत विभाग द्वारा निर्देशों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा

उनके विरूद्ध प्रश्न दिनाँक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** भोपाल शहर में केवल विद्युत खम्बों पर लगी स्ट्रीट लाईट से संबंधित कार्य नगर निगम, भोपाल एवं म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल के संयुक्त दल द्वारा किया जाता है। **(ख)** जी हाँ। बैठक में निर्देश दिए गए कि काजीकेम्प मेन रोड़, गनगौर की बाबड़ी एवं सलीम चौक क्षेत्र की समस्त स्ट्रीट लाईट का संधारण कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये। **(ग)** जी हाँ। निर्देशानुसार काजीकेम्प मेन रोड़, गनगौर की बाबड़ी एवं सलीम चौक क्षेत्र की समस्त स्ट्रीट लाईट का संधारण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## युवा बेरोजगारों हेतु संचालित योजनाएं

**129. ( क्र. 2998 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मुरैना जिले में वर्तमान में युवा बेराजगारों को रोजगार देने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उन योजनाओं में कितने युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है? विधानसभावार बताया जावेगा? **(ख)** जिले में उद्योग विभाग को उक्त अवधि में कितने-कितने आवेदन विभिन्न योजनाओं में प्राप्त हुये और उन आवेदनों को विभागीय स्तर पर स्वीकृत उपरांत कितने आवेदन किन-किन बैंकों में ऋण वितरण हेतु भेजे गये उनमें से संबंधित बैंकों द्वारा कितने हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है? **(ग)** क्या विभाग द्वारा आवेदकों को स्वरोजगार हेतु प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को ही आवेदनों को संबंधित बैंक में ऋण उपलब्ध करने हेतु भेजा जाता है? यदि हाँ, तो संबंधित बैंक द्वारा कुछ हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराकर अन्य सैकड़ों युवा बेरोजगारों के आवेदन लंबित पड़े रहते हैं? यदि हाँ, तो विभाग इस स्थिति में बैंकों के प्रति क्या-क्या कार्यवाही, पत्राचार करता है? **(घ)** क्या उदासीनता अवैध लाभ कमाने की वजह से युवा बेरोजगारों के स्वीकृत आवेदन बैंकों में लंबित पड़े रहते हैं? क्या उन्हें शासन अपने स्तर पर लंबित पड़े आवेदनों के निराकरण कर युवा बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये कोई विशेष प्रयास करेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** विभाग द्वारा वर्तमान में युवा बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित है। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार परीक्षण कर, टास्क फोर्स कमेटी द्वारा अनुमोदन उपरांत बैंकों को आवंटित लक्ष्य से 150 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों के प्रकरण भेजे जाते है। विभाग द्वारा बैकों से पत्राचार एवं सम्पर्क कर लंबित रहे प्रकरणों को आगामी वर्ष के लक्ष्य से निराकरण हेतु प्रयास किये जाते है। **(घ)** जी नहीं। हितग्राहियों द्वारा बैंक औ ेपचारिकितायें पूर्ण न करने से कुछ स्वीकृत आवेदन बैंको में ऋण वितरण हेतु लंबित रह जाते है, लंबित पडे आवेदनों (ऋण स्वीकृत आवेदन) में ऋण वितरण हेतु विभाग द्वारा बैंकों से पत्राचार एवं हितग्राही से शीघ्र औपचारिकतायें पूर्ण कर ऋण वितरण के प्रयास किये जाते है। बैंकर्स की जिला स्तरीय समिति की बैठक में (जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जाती है) कलेक्टर एवं लीड बैंक प्रबंधक द्वारा निर्देश तथा ऋण वितरण हेतु बैकर्स से सतत् प्रयास किये जाते है।

## सौनचिरैया अभ्यारण करैरा में अवैध रेत उत्खनन

**130. ( क्र. 3054 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सौनचिरैया अभ्यारण करैरा जिला शिवपुरी में अभ्यारण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लमकना, भांषड़ाखुर्द, अन्दौरा, कल्याणपुर, समुहा, आदि स्थानों पर भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिस हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक रूप से एवं आवेदनों के माध्यम से भी कई बार अवगत कराया जा चुका है? परन्तु कार्यवाही न के बराबर हुई है? **(ख)** यदि हाँ, तो इस प्रकार की रोकथाम हेतु संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही हुई? क्या अवैध रेत उत्खनन को पूर्णरूपेण रोकने हेतु कार्यवाही कर दी जायेगी? **(ग)** उपरोक्त **(क)** में वर्णित अवैध उत्खनित क्षेत्र की किसी निष्पक्ष एवं ईमानदार वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता के समक्ष जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** से **(ग)** प्रश्नांकित स्थानों पर अवैध रेत उत्खनन के संबंध में माननीय विधायक द्वारा माह मई 2014 में की गई लिखित शिकायत की जाँच सहायक संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान से कराई गई एवं संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी द्वारा माननीय विधायक को की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। स्थानीय वन अधिकारियों द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 29 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। अतः शेष की आवश्यकता नहीं।

<u>शासन आदेश के विरूद्ध उच्च पदों का चालू प्रभार दिया जाना</u>

**131. ( क्र. 3069 ) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 06 मार्च 2003 को लोकसेवकों द्वारा वरिष्ठ पदों के चालू प्रभार के कार्य के संबंध में आदेश प्रसारित कर उच्च पद का चालू प्रभार सौंपने संबंधी सभी आदेशों को निरस्त कर रिक्त पदों पर नियमित पदस्थापना किए जाने के आदेश प्रसारित किए हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग भ/स परिक्षेत्रों एवं सेतु परिक्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियम विरूद्ध कितने सहायक यंत्रियों को कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिया गया है? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कितने सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री विभिन्न कार्यालयों में संलग्न अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन की नीति के अनुसार चालू प्रभार वापस लिया जाकर नियमित कार्यपालन यंत्रियों की पदस्थापना की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** लोक निर्माण भ/स परिक्षेत्रों एवं सेतु परिक्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारियों के रिक्त पदों पर किसी सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री का प्रभार नहीं दिया गया है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(घ)** वर्तमान में मान. न्यायालय द्वारा सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के संबंध में स्थगन दिया गया है। स्थगन समाप्त होने के पश्चात् पदोन्नति की कार्यवाही कर नियमित कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना किया जाना संभव हो सकेगा। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>वन परिक्षेत्र (रेंज) कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी</u>

**132. ( क्र. 3075 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने वन-परिक्षेत्र (रेंज) कार्यालय है? इनमें कितने कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं? **(ख)** उगली वन परिक्षेत्र (रेंज) को किस कारण दो भागों में विभक्त

किया गया है, जबकि क्षेत्रवासियों एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा उसे यथावत रखने की मांग की जा रही है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण सिवनी (सामान्य) वनमंडल के 02 वन परिक्षेत्र केवलारी एवं कान्हीवाडा के कार्यालय हैं इनमें 44 कर्मचारी एवं 02 वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनाँक 05 अक्टूबर 2010 से पेंच राष्ट्रीय उद्यानों का बफर जोन अधिसूचित होने पर दक्षिण सिवनी वनमंडल का पुनर्गठन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक दृष्टि से उगली वन परिक्षेत्र को दो भागों में विभक्त कर केवलारी एवं कान्हीवाडा परिक्षेत्र में समाहित किया गया है।

## सिलौड़ी एवं सिहोरा विलायतकला (वाया ढीमरखेड़ा) मार्ग पर ओवर ब्रिज का निर्माण

**133. ( क्र. 3088 ) श्री अजय सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले अंतर्गत सिहोर सिलौड़ी एवं सिहोरा विलायतकला (वाया ढ़ीमरखेड़ा) मार्ग पर प्रति मिनिट निकलने वाले भारी वाहनों का औसत क्या है? **(ख)** क्या रेल्वे फाटक के पास एक-एक घण्टे तक जाम लगे रहने से स्थानीय बस्ती के लोगों को जीवन निर्वाह एवं दैन्य दिन के कार्यों को निपटाने में असुविधा हो रही है? **(ग)** इन सड़कों में कितने वजन तक के वाहन निकाले जाने की अनुमति है? क्या विभाग द्वारा कभी इन मार्गों से निकलने वाले भारी वाहनों और डम्फरों का वजन लिया जाता है? **(घ)** खितौला नगरवासियों की असुविधा को देखते हुए क्या रेल्वे फाटक पर ओवर ब्रिज और फ्लाई-ओवर बनाए जाने के संबंध में कोई योजना है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा वर्ष 2010 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, जिसके अनुसार प्रश्नाधिन मार्ग का यातायात प्रतिदिन 4266 पीसीयू आंकलित किया गया था। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** भारत सरकार के भूतल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानको अनुसार। जी नहीं। **(घ)** जी नहीं।

## खनिज परिवहन से प्रदूषण

**134. ( क्र. 3089 ) श्री अजय सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिला अंतर्गत सिहोरा तहसील के सिलौड़ी मार्ग सिहोरा हरगढ़ मार्ग एवं गोसलपुर तथा डुंडी रेल्वे स्टेशन की साइडिंग तक ब्लू डस्ट, आयरन और मैंगनीज लैट्राइट एवं अन्य खनिज परिवहन से सड़क के आसपास के निवासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के क्या-क्या उपाय किये गये हैं? **(ख)** खनिज परिवहन करने वाले वाहनों से उड़ने वाली डस्ट की रोकथाम के लिये क्या योजना है? क्या डस्ट से होने वाले प्रदूषण की माप विभाग द्वारा होती है? सड़कों में फैली हुई डस्ट, उड़ती और गिरती हुई डस्ट की रोकथाम के लिये क्या किया जा रहा है? **(ग)** क्या पर्यावरणविदों के द्वारा इस संबंध में विगत 5 वर्षों में कोई जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो कब-कब और उस जाँच की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई है? **(घ)** क्या वाहन मार्ग के निवासियों को खांसी और दमे जैसी बीमारियां हो रही हैं? क्या इस संबंध में कोई जाँच, स्वास्थ्य परीक्षण विगत 5 वर्षों में कराया गया है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** एवं **(ख)** प्रश्न में उल्लेखित जिले की संबंधित खदानों/इकाईयों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैः- (1) खनिज एवं उत्पाद का परिवहन करने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढक कर रखा जायें (2) कच्चे मार्गों व हॉल रोड पर पानी का छिड़काव

नियमित रूप से किया जाये (3) पहुंच मार्गों व हॉल रोड के किनारे वृक्षारोपण किया जायें। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जाँच प्रश्नागत सड़क पर नहीं की जाती है अपितु खदान/इकाई परिसर में की जाती है। **(ग) जानकारी परिशिष्ट अनुसार है।** **(घ)** जी नहीं। विगत पांच वर्षों में उक्त मार्गों के पास रहने वाले निवासियों को विशेष परीक्षण जैसी स्थिति नहीं पाई गई है।

परिशिष्ट - "पचहत्तर"

## अवैध कालोनी निर्माण पर अंकुश

**135. ( क्र. 3114 ) श्री वीरसिंह पंवार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कुरवाई नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध कालोनियां जो धड़ल्ले से काटी जा रही है जैसे रायल सिटी, माया सिटी, सर्वधर्म कालोनी, ड्रीम सिटी और पुलिस ग्राउन्ड के पीछे जो कालोनी काटी जा रही है क्या इनके द्वारा शासन के नियमों और सेवा शर्तो की पूर्ति की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या इन कालोनाइजर्स द्वारा डायवर्सन, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग की परमीशन से की गई है या नहीं? क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये भी प्लाटिंग की व्यवस्था की गई है या नहीं? **(ग)** क्या कालोनाइजर्स द्वारा कालोनी में सड़के नाली विद्युत और पेयजल व्यवस्था है? धार्मिक स्थल, पार्क, खेलकूद मैदान, कार कम्यूनिटी हाल की व्यवस्था की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** इन कालोनाइजर्स द्वारा शासन को जो राजस्व की क्षति हो रही है, क्या इन्होंने नियम अनुसार स्वीकृति ली है? यदि नहीं, तो इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्या आगे इनके विरूद्ध कार्यवाही और दण्डित करके राजस्व की वसूली की जायेगी या नहीं?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** वैष्णों प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वधर्म कॉलोनी के लिए कस्बा कुरवाई स्थित भूमि का डायवर्शन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के आदेश क्रमांक 20/अ-2/2012-13 दिनाँक 13-08-2013 से किया गया है एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला विदिशा द्वारा पत्र क्रमांक 57-58 दिनाँक 07-01-2013 से उक्त भूमियों भू-खण्डीय विकास अभिन्यास अभिमत जारी किया गया है एवं कॉलोनी विकास के प्रस्तावित मानचित्र को अनुमोदित किया गया है। मनोकामना इन्फ्राटेक प्रा.लि. भोपाल द्वारा प्रस्तावित माया सिटी के लिए कस्बा कुरवाई स्थित भूमि का डायवर्शन अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के आदेश क्रमांक 07/अ-2/2013-14/कुरवाई दिनाँक 30-12-2013 से किया गया है एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला विदिशा द्वारा पत्र क्रमांक 2520 दिनाँक 25-10-2013 से उक्त भूमियों भूखण्डीय विकास अभिन्यास अभिमत जारी किया गया है एवं कॉलोनी विकास के प्रस्तावित मानचित्र को अनुमोदित किया गया है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित उक्त कॉलोनियों के मानचित्रों में कॉलोनी विकास की शर्तों के अनुसार निम्न आय वर्ग के परिवारों को भूखण्डों का प्रावधान किया गया है। शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** नगरीय सीमा क्षेत्र में कॉलोनी विकास की अनुमति हेतु नगर परिषद कुरवाई को प्राप्त आवेदन के साथ कॉलोनाईजर्स द्वारा कॉलोनी में सड़क, नाली, विद्युत, पेयजल एवं पार्क निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जाना प्रस्तावित की गई है। विकास कार्य हेतु आवासीय कॉलोनी में प्रस्तावित कॉलोनी के 25 प्रतिशत भू-खण्डों का भोगबंधक पत्र निकाय के पक्ष में संपादित कराया गया है। विकास कार्य हेतु आवासीय कॉलोनी में प्रस्तावित भूखण्डों के 25 प्रतिशत के मान से भू-खण्ड बंधक रखे गये हैं, जो कॉलोनाईजर्स द्वारा विकास कार्य संतोषप्रद पूर्ण कर लेने के उपरांत विमुक्त कर लिये जावेगे। **(घ)** नगर परिषद में मेसर्स वैष्णों प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स द्वारा सर्वधर्म कॉलोनी एवं मनोकामना इन्फ्राटेक प्रा. लि. भोपाल द्वारा माया

सिटी के विकास की अनुमति हेतु शासन नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किये गये हैं जिनके नगर परिषद द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क श्रमिक उपकर की राशि वसूल की गई है एवं प्रकरण अनुमति हेतु कलेक्टर विदिशा की ओर अग्रेषित किये गये हैं तथा नगरीय क्षेत्र में कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना किये जा रहें अवैध भूमि प्लाटों के संबंध में कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा की जा रही है।

## विधान सभा क्षेत्र कुरवाई में कैलाश टेकरी पहुंचने हेतु पुल निर्माण

**136. ( क्र. 3115 ) श्री वीरसिंह पंवार** : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शासन को ज्ञात है कि कुरवाई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गिरवासा के पास बेतवा नदी के बीच में स्थित कैलाश टेकरी पर बहुत ही प्राचीन ग्वालियर स्टेट के समय का और धार्मिक जन आस्था का केन्द्र प्रसिद्ध श्री हनुमान जी का मंदिर है? यहां काफी दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं? **(ख)** क्या शासन को ज्ञात है कि इस क्षेत्र से लगा हुआ बीना तहसील में भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा आयल रिफायनरी बनाई गई है जिसमें बेतवा नदी से पानी की पूर्ति हेतु इस मंदिर के आगे बेंतवा नदी पर बांध बनाकर पानी रोका गया है? **(ग)** क्या यह बांध शासन की मंजूरी लेकर बनाया गया है? क्या इसके बनने से धार्मिक स्थल और जनश्रद्धा का केन्द्र कैलाश टेकरी और श्री हनुमान जी का मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर गया है तथा मंदिर पहुंचने का मार्ग बंद हो गया है और आम जनता का मंदिर पहुंचना बहुत कठिन हो गया है? **(घ)** क्या आम जनता और श्रद्धालु भक्तों को इस जन आस्था का केन्द्र कैलाश टेकरी और श्री हनुमान जी के मंदिर तक दर्शन पूजा और पर्वों पर जाने आने सुविधा के लिये विभाग के पास पुल बनाने या दूसरी कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्या इस पर योजना बनाई जावेगी? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक शुरू हो सकेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया )** : **(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## सेवानिवृत्त स्थल सहायक को क्रमोन्नति का भुगतान

**137. ( क्र. 3123 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के लोक निर्माण विभाग संभाग बालाघाट के अंतर्गत उप संभाग वारासिवनी में पदस्थ अबरार अहमद कब से कब तक किस वेतनमान पर स्थल सहायक के पद पर कार्यरत थे? **(ख)** क्या उक्त कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 16479/2012 (एस) में पारित आदेश दिनाँक 05.12.2012 में देयकों के भुगतान करने का आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनाँक तक विभाग ने क्या कार्यवाही की? **(ग)** क्या संबंधित को देयकों के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा भी अनेकों पत्र प्रेषित किये गये? यदि हाँ, तो उक्त कर्मचारी को क्रमोन्नति के देयकों राशि का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कब तक प्रदान किया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह )** : **(क) संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** जी हाँ। अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 5 अनुसार**। **(ग)** जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

**परिशिष्ट - ''छिहत्तर''**

<u>वारासिवनी नगर पालिका परिषद में कार्यों की अनियमितता</u>

**138. ( क्र. 3124 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बालाघाट जिले की नगर पालिका वारासिवनी में प्रश्न दिनाँक तक प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यों की अनियमितता के संबंध में अनेकों पत्र प्रेषित किये गये? यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस को? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार क्या शासन द्वारा प्राप्त राशि का उक्त नगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कहाँ-कहाँ, किस-किस कार्य के लिये व्यय किया गया? यदि सामग्री क्रय की गयी है, तो आयटमवार मूल्य सहित प्रदायकर्ता फर्म का नाम, पता सहित बतायें एवं भौतिक सत्यापन की जानकारी भी देवें? **(ग)** क्या उक्त नगरपालिका वारासिवनी ने कार्य की निविदा किन-किन अखबारों में लगाई गई थी? क्या वे अखबार मध्यप्रदेश स्तर के हैं? **(घ)** क्या तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्षों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने नियम विपरीत कार्य कर भ्रष्टाचार किया है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्ण जाँच करने की मांग पर भी नगर पालिका के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** सच यह है कि शिकायतकर्ता का केवल एक पत्र दिनाँक 28.08.2014 कलेक्टर जिला बालाघाट को दिनाँक 01.09.2014 को प्राप्त हुआ। **(ख)** एवं **(ग)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" (पृष्ठ क्रं. 1 से 5) एवं परिशिष्ट "स" (पृष्ठ क्रं. 1 से 5) अनुसार है। (घ)** कलेक्टर जिला बालाघाट को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गय है।

<u>सड़क निर्माण उपरांत टोल वसूली</u>

**139. ( क्र. 3130 ) श्रीमती संगीता चारेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टू-लेन सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत टोल वसूली के क्या नियम हैं, क्या यह शासन तथा निर्माण कंपनी के साथ हुए अनुबंध अनुसार वसूल किया जाता है? **(ख)** रतलाम-बांसवाड़ा टू-लेन सड़क निर्माण उपरांत यात्रियों तथा वाहन चालकों को क्या-क्या सुविधाएं देने का प्रावधान है? क्या इसका पालन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? **(ग)** रतलाम-बांसवाड़ा टू-लेन पर टोल वसूली प्लाज़ा स्थापित किये जाने का क्या नियम है? टोल वसूली हेतु क्या आसपास के स्थानीय वाहनों को टोल वसूली से मुक्त रखने का कोई नियम है? **(घ)** रतलाम-बांसवाड़ा टू-लेन निर्माण में लापरवाही तथा तकनीकी कमी की वजह से हो रही वाहन दुर्घटना के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी जाँच कर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** टू-लेन सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत टोल वसूली म.प्र. सड़क विकास निगम तथा निवेशकर्ता कम्पनी के साथ हुए कन्सेशन अनुबंध एवं फी-नोटिफिकेशन अनुसार की जाती है। जी हाँ। **(ख)** कन्सेशन **अनुबंध पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। जी हाँ। **(ग)** कन्सेशन **अनुबंध पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। जी हाँ। **(घ)** रतलाम-बांसवाडा टू-लेन निर्माण आई.आर.सी. मानकों अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>आंतरिक मार्ग का निर्माण</u>

**140. ( क्र. 3131 ) श्रीमती संगीता चारेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टू-लेन एवं फोर लेन सड़क निर्माण के उपरांत शहर/गांव से बाहर बायपास मार्ग निर्माण के पश्चात शहर/गांव के मुख्य आंतरिक मार्ग निर्माण की क्या प्रक्रिया है? **(ख)** सैलाना-बांसवाड़ा टू-लेन

निर्माण से सैलाना नगर के मुख्य आंतरिक मार्ग निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की गई थी, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? **(ग)** आंतरिक मार्ग निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्या इसकी कोई निर्धारित समय-सीमा है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** लोक निर्माण विभाग के मुख्य आंतरिक मार्गों के संबंध में, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप को वार्षिक योजना मे सम्मिलित होने के उपरांत स्वीकृति प्रदान कर मार्ग निर्माण किया जाता है। **(ख)** जी नहीं। स्वीकृति प्रक्रियाधीन हैं। **(ग)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा निर्धारण संभव नहीं है। जी नहीं।

<u>लोक निर्माण विभाग जिला पन्ना के निर्माण कार्यों की स्वीकृति</u>

**141. ( क्र. 3135 ) श्री महेन्द्र सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला पन्ना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2013 से वर्ष जून 2015 तक कितने भवन बनाने की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है? विभागवार भवनों की स्थिति पृथक-पृथक बतावें? प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भवनों के कार्य प्रारंभ करने का दिनाँक, लागत, सामान्य तौर से कार्य में लगने वाली समय-सीमा भवनों के लिये पृथक-पृथक बतावें? **(ख)** क्या भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय-सीमा में कार्य पूर्ण न हो पाने से सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने के कारण पुनर्आवंटन की आवश्यकता होती है? **(ग)** प्रश्न **(ख)** के संबंध में क्या समय पर कार्यपूर्ण न होने से पुनर्आवंटित राशि जारी किया जाना शासकीय राशि का दुरूपयोग नहीं है? क्या संबंधित उपयंत्री/सहायक यंत्री पर उत्तरदायित्व तय कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? इस व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख)** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है। नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।

<u>सेडमैप संचालक मण्डल का निर्णय</u>

**142. ( क्र. 3140 ) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या संचालक मण्डल की बैठक 26.5.15 को हुई थी? यदि हाँ, तो उसमें पारित सभी निर्णयों की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या सेडमैप में कोई पद एवं वेतन अनुसार वरिष्ठता सूची है? **(ग)** क्या सेडमैप के सचिव पद पर नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो उनकी योग्यता, अनुभव, वेतनमान एवं जारी विज्ञापन एवं संचालक मण्डल द्वारा नियुक्ति से पूर्व ली गई स्वीकृति का विवरण उपलब्ध करावें।

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के स्वीकृत प्रकरण</u>

**143. ( क्र. 3152 ) श्री रामेश्वर शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** हुजूर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं प्रस्तावित योजना की लागत, स्वीकृति की दिनाँक, स्वीकृत योजना की वर्तमान स्थिति सहित जानकारी दें? **(ख)** हुजूर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बैंकों को उक्त योजनाओं सहित जिला रोजगार केंद्र से संचालित अन्य योजनाओं की स्वीकृति का क्या लक्ष्य दिया

गया है? योजना का नाम, बैंक को निर्देशित लक्ष्य संख्या सहित बताएं? क्या इन सभी बैंकों ने अपने लक्ष्य पूर्ण कर लिए हैं? **(ग)** क्या बैंकों द्वारा उक्त योजनाओं के हितग्राहियों को लोन देने में हीला-हवाली की कोई शिकायत प्रश्नांश **(क)** अवधि में मिली है? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई है?
**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** लक्ष्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** सभी बैंकों को मिलाकर लक्ष्य पूर्ति की गई है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>शासकीय मकानों का अपात्र लोगों को आवंटन</u>

**144. ( क्र. 3158 ) श्रीमती ललिता यादव** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग के पास छतरपुर में कितने मकान रहवासी है और कितने खण्डहर में तब्दील हो गये हैं, स्थानवार बतायें? **(ख)** विभाग द्वारा इन मकानों को वर्तमान में किस-किस को आवंटन किया गया है, आवंटन दिनाँक व आवंटित का नाम, पता, पद, मकान की मरम्मत पर आवंटन दिनाँक से अब तक खर्च की गई राशि सहित बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में ऐसे कितने मकान हैं, जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तथा खण्डहर पड़े मकानों पर विभाग द्वारा क्या कोई रख-रखाव की कार्यवाही की गई बतायें? **(घ)** विभाग द्वारा आवंटित मकानों में वर्तमान में कौन रहा रहा है। पृथक-पृथक बतायें? भवन आवंटन की पात्रता किस-किस को है? आवंटित मकानों में अगर आवंटित न रह रहा हो तो विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** लोक निर्माण विभाग के पास छतरपुर शहर में 10 नग विभागीय रहवासी मकान है इनमें से कोई खण्डहर नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग)** किसी भी मकान में अवैध कब्जा नहीं है, प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है।** भवन आवंटन की पात्रता **संलग्न परिशिष्ट-ब के अनुसार है।** मध्य प्रदेश लोक परिसर बेदखली नियम 1974 के तहत कार्यवाही की जाती है।

**<u>परिशिष्ट - "सतहत्तर"</u>**

## <u>नगर निगम कटनी में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति</u>

**145. ( क्र. 3169 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगरपालिक निगम, कटनी स्वास्थ्य विभाग के कितने दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी, वर्तमान में नगर के किन-किन वार्डो एवं स्थानों पर कार्यरत है एवं वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक सफाई कार्य हेतु कितने व्यक्तियों को कब-कब एवं कब से कब तक की समयावधि हेतु नियोजन किया गया? **(ख)** जनवरी 2010 से 30 जून 2015 तक में नगरपालिक निगम, कटनी से कौन-कौन शासकीय सेवक किन-किन पदों से सेवा निवृत्त हुये एवं क्या इन रिक्त पदों पर स्थायी/अस्थायी तौर पर किन्हीं व्यक्तियों का नियोजन किया गया हैं, यदि हाँ, तो नियोजित शासकीय सेवक का नाम, उपनाम, पिता/पति का नाम का ब्यौरा, प्रत्येक पदवार देवे? **(ग)** क्या यह सही है कि नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार सफाई कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, परिवार के सदस्य को भर्ती में वरीयता देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में बताये कि कितने एवं कौन-कौन व्यक्तियों को किस-किस सेवा निवृत्त सफाई कर्मी के स्थान पर भर्ती/नियोजित किया

गया है? **(घ)** क्या यह सही है कि सेवानिवृत्ति से उत्पन्न पद रिक्तता के चलते सफाई कर्मियों के तौर पर दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियोजन कर कार्यालयीन एवं अन्य कार्य कराये जा रहे है, यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन दैनिक वेतन कर्मी सफाई कार्य के बजाय अन्य कार्य कर रहे है, क्या ऐसा करना नियमानुसार सही है, इस नियम विपरीत नियोजन पर क्या कार्यवाही की जायेगी, बताये? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** से **(घ)** तक के संदर्भ में बताये कि क्या सफाई कर्मियों के तौर पर नियोजित/भर्ती कर्मचारियों से अन्य कार्य कराने से नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो इस अनियमितता पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2000 के नियम 8-क में सेवा निवृत्त सफाई कर्मचारी के परिवार के किसी एक सदस्य को वरीयता देने का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। (घ)** सेवा निवृत्ति से उत्पन्न पद रिक्तता के चलते सफाई कर्मियों के तौर पर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** 11 सफाई श्रमिकों का नियोजन कर उनसे सफाई कार्य ही कराया जा रहा है। नगर पालिक निगम, कटनी में कर्मचारियों की कमी होने के कारण आवश्यकतानुसार अस्थाई श्रमिकों से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य कार्य लिये जाते है, परंतु इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। यह अस्थाई विभागीय कार्य व्यवस्था है। **(ड.)** सफाई कर्मियों के तौर पर रखे गये कर्मचारियों से अन्य कार्य अस्थाई तौर पर आवश्यकता होने पर कराये जाते है। ऐसा करने से सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है। यह पूर्णत: अस्थाई कार्य व्यवस्था है।

## जिला न्यायालय भवन का निर्माण

**146. ( क्र. 3170 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता सदस्य के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4609 दिनाँक 16 मार्च 2015 के उत्तर में न्याय विभाग के निर्देशानुसार 23 कोर्ट भवन निर्माण की लागत में वृद्धि, संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने, ठेकेदार को त्रुटिवश की गयी मूल्य वृद्धि राशि वसूलने एवं घटिया निर्माण ना होने की जानकारी दी गयी थी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बताये कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना निविदाकार से निविदा की राशि से नियम विरूद्ध अधिक कार्य लगभग 8 करोड़ का कराया गया है, जिन अधिकारियों द्वारा कार्य कराया गया है, इनकी जानकारी मुख्य अभियंता लो.नि.वि. (मध्य क्षेत्र) जबलपुर के निर्देशों के परिपालन में कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) कटनी संभाग कटनी द्वारा दी गई है, तो बताये किन-किन पर क्या-क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही अब तक की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** न्यायालय भवन की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक, किन-किन व्यक्तियों एवं संस्था द्वारा विभाग एवं शासन को शिकायतें की गई है तथा उस पर विभाग के किस अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, साथ ही क्या यह सही है कि न्यायालय भवन की छत पर लीकेज एवं सीपेज के कारण विभाग/ठेकेदार द्वारा टारफेल्ट (डामर का लेप) लगाया गया है, यदि ऐसा है तो दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** से **(ग)** के संदर्भ में बतायें कि कार्य की स्वीकृति में नियमों का उल्लंघन करने, भुगतान में गंभीर अनियमितता करने एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य

करने का कौन-कौन दोषी है, क्या इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। कार्य की निविदा रूपये 808.79 लाख की जारी की गई थी। न्याय विभाग की आवश्यकतानुसार एवं निर्देशानुसार 5 कोर्ट के स्थान पर 23 कोर्ट रूम हेतु न्यायालय भवन बनाये जाने के कारण कार्य के लागत में वृद्धि हुई जिसे समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु पूर्व में आमंत्रित निविदा दर पर ही ठेकेदार से सहमति लेते हुये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कार्य कराया गया। **(ख)** अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

## रीवा शहर अंतर्गत रोड़ की जाँच

**147. ( क्र. 3175 ) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा शहर अंतर्गत चोरहटा बायपास से रतहरा तक में वर्ष 11-12 से प्रश्न दिनाँक तक में कुल कितने बार निर्माण की निविदा बुलाई गई तथा कौन-कौन संविदाकरों को कितनी-कितनी राशि पर कार्य दिया गया है तथा उक्त कार्य की समय-सीमा क्या थी? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** हाँ, तो उक्त रोडो की वैद्यता की समय-सीमा क्या थी यदि निश्चित समय-सीमा के पहले रोड़ उखड़ गई है तो उसमें कौन जिम्मेदार क्या है? उक्त पूर्व निविदा राशि से ही कार्य कराया जावेगा? यदि पृथक से राशि जारी कर कार्य कराया गया है तो किसके आदेश से और किस नियम से करेंगे? **(ग)** क्या क्योंरी कट्टा लालगांव, मनगवां विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मार्ग वाहनों के आने जाने के कारण अत्याधिक खराब हो गया है? क्या उक्त मार्ग के पेंच का कार्य कब और कौन सा विभाग करेगा समय से पेंच का कार्य न कराने में कौन दोषी है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** एवं **(ग)** के निर्माण कार्यों में कौन-कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन मार्ग निर्माणाधीन होने से रोड की वैद्यता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, ऐसी स्थिति में कोई जिम्मेदार नहीं। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। **(ग)** जी नहीं सामान्य स्थिति है। आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों से विभाग द्वारा पेंच मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कोई दोषी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परिशिष्ट – "अठहत्तर"**

## नगरी सीमा में स्थित भूमि लीज की स्थिति

**148. ( क्र. 3188 ) श्री जितू पटवारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर नगर निगम सीमा में स्थित शॉपिंग माल्स, स्कूल, होटल्स एवं अस्पतालों जो कि लीज की भूमि पर स्थित है के द्वारा विगत 03 वर्षों में कितना सम्पत्ति कर जमा किया गया है? वर्षवार नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** इसी प्रकार इंदौर नगर सीमा में स्थित शराब, बियरबारों एवं अहातों द्वारा विगत 3 वर्षों में कितना सम्पत्ति कर जमा किया गया है? ये कहाँ-कहाँ किसके स्वामित्व में हैं? **(ग)** ऐसी कितनी शराब दुकानें, बियरबार एवं अहाते हैं, जो दिनाँक 1.1.2012 से स्थापित होकर वर्तमान तक शासकीय भूमि या भवन पर संचालित है? ऐसे स्थान एवं शराब दुकान संचालकों के नाम एवं पते

सहित जानकारी दीजिये? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के अनुसार यदि उपरोक्तानुसार संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई हो तो इन से सम्पत्तिकर की वसूली कब तक कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें? **(ड.)** प्रश्नांश **(ग)** के अनुसार शराब दुकाने, बियरबार एवं अहाते किस आधार पर शासकीय भूमि पर संचालित हो रहे है एवं इनकी स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :** (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।** (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।** **(घ)** प्रश्नांश क एवं ख के उत्तर में वर्णित सम्पत्तियाँ जिनके द्वारा सम्पत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई है। निगम को देय राशि वसूली हेतु 3 वर्ष की समयावधि में जमा कराने हेतु संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया है। **(ड.)** आबकारी विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है।**

## <u>उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया</u>

**149. ( क्र. 3189 ) श्री जितू पटवारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दिनाँक 01.01.2010 से 31.03.2015 तक इंदौर, उज्जैन संभाग में जिन उद्योगों को भूमि लीज़ पर आवंटित की गई है उन उद्योगों के नाम एवं प्रोपराटरों के नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार इन उद्योगों को कितनी भूमि लीज़ पर एवं किन शर्तों पर दी गई है, रकबा एवं लीज़ राशि सहित जानकारी देवें? **(ग)** इन उद्योगों के लगने से कितने स्थानीय निवासियों को रोज़गार प्राप्त हुआ है, प्रत्येक उद्योग के संबंध में बतावें? **(घ)** उद्योगों के लगने से कितने लोगों का विस्थापन एवं पुर्नवास हुआ है एवं कितने पुर्नवास शेष है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों तथा एकेव्हीएन से संबंधित जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब तथा स अनुसार है।** **(ग)** जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(घ)** उक्त प्रश्नांश क में उल्लेखित अवधि में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई विस्थापित नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>विभाग द्वारा युवा समंवयकों की भर्ती</u>

**150. ( क्र. 3197 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में संविदा युवा समंवयकों की भर्ती की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब एवं किन-किन समंवयकों की कहाँ-कहाँ नियुक्ति की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** को कितना मानदेय नियुक्ति के समय देने का प्रावधान है? क्या नियुक्ति उपरांत समन्वयकों का मानदेय में वृद्धि की गई है? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं, तो वृद्धि के लिये क्या प्रावधान विभाग ने बनाए है? **(ग)** क्या विभाग खेल गतिविधियों के संचालन हेतु भवन समन्वयकों को बजट राशि प्रदान करता था? यदि हाँ, तो कितनी? क्या यह बजट राशि अब बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब से एवं क्यों? **(घ)** क्या संविदा युवा समंवयकों के संविलियन की विभाग की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या विभाग की कोई योजना इन समंवयकों के संविलियन एवं वेतन वृद्धि के लिये प्रस्तावित है?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## <u>प्रदेश सरकार के हरियाली महोत्सव पर व्यय राशि</u>

**151. ( क्र. 3198 ) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत वर्ष 2014-15 में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कितने-कितने पौधे किन-किन जिलों में लगाए गए? जिलेवार ब्यौरा देवें एवं इस योजना में सरकार ने कितनी राशि का व्यय किया है? **(ख)** क्या 1 दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान प्रदेश बना पाया? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** विगत वर्ष लगाए गए पौधों में प्रश्न दिनाँक तक कितने पौधे सुरक्षित हैं? इनके संरक्षण के लिए कितनी राशि व्यय की गई एवं सरकार की क्या योजना है?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** एवं **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** पौधों का रख रखाव योजना अनुसार किया जा रहा है। **(ख)** जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**<u>परिशिष्ट - "उन्यासी"</u>**

**उद्योगों से विस्थापितों को नौकरी, मुआवजा, निर्वाह भत्ता दिया जाना**

**152. ( क्र. 3205 ) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सतना जिले में संचालित किस-किस उद्योग के कारण कितने लोग विगत पांच वर्षों में विस्थापित हुए? अनुबंध और प्रावधानों के अनुसार प्रश्न दिनाँक तक इनमें से कितने परिवार के सदस्य को औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्थाई नौकरी दी गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार कितने प्रभावितों को बेरोजगारी भत्ता, निर्वाह भत्ता मासिक रूप से दिया जा रहा है? नहीं तो क्यों? **(ग)** भू-स्वामियों से भूमि क्रय करने के पूर्व औद्योगिक इकाईयों द्वारा रोजगार दिये जाने संबंधी क्या-क्या अनुबंध किये गये थे? क्या सतना जिले में इनका पालन किया जा रहा है? नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या विभाग इनकी विस्तृत समीक्षा कर कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** सतना जिले में विगत पांच वर्षों में उद्योग स्थापना हेतु किसी भी निजी भूमि का अर्जन नहीं किया गया है, अतएव विस्थापन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतः प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर अनुसार कोई परिवार प्रभावित नहीं हुआ। अतः बेरोजगारी भत्ता, निर्वाह भत्ता दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विभाग द्वारा कोई भूमि क्रय नहीं की गई है। अतः अनुबंध किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**निगम के बकाया करों की वसूली**

**153. ( क्र. 3207 ) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल नगर पालिक निगम की सीमा में ऐसे कितने शॉपिंग माल, स्कूल, होटल, अस्पताल, संस्थान, व्यवसायिक भवन आदि हैं जो लीज की भूमि पर स्थित हैं? क्या इनके द्वारा नियमित रूप से निगम द्वारा आरोपित संपति कर व अन्य कर जमा किये गये है? विगत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं द्वारा जमा करों का विवरण व बकाया राशि की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित सीमा में स्थित शराब दुकानों, अहातों, बीयरवार आदि द्वारा कितना-कितना कर निगम में विगत तीन वर्षों में जमा किया गया है? ये कहाँ-कहाँ, किस-किस के स्वामित्व के भवनों में संचालित है? कौन-कौन शासकीय भूमि/लीज पर प्राप्त भूमि भवन में संचालित है? क्या यह नियमानुसार है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** में वर्णित संस्थाओं/इकाईयों द्वारा बकाया कर कब तक जमा करा दिया जावेगा?

शासकीय / लीज की भूमि पर संचालित शराब दुकानों, अहातों व बार के संबंध में क्या नियम है? नियमों की अवहेलना हेतु कौन उत्तरदायी है?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पायका योजनांतर्गत स्वीकृत राशि</u>

**154. ( क्र. 3213 ) श्री हर्ष यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सागर, उज्जैन, विदिशा, सतना व रायसेन जिलों में पायका योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक की अवधि में पुरस्कार हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई? किस मान से कितने खिलाड़ियों को कितनी राशि दी गई? विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित जिलों व अवधि में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? कहाँ-कहाँ कब किन-किन खेलों का आयोजन किया गया? इनमें प्रत्येक में कितनी राशि व्यय हुई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित जिलों में उक्त अवधि में खेल सामग्री क्रय हेतु कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से कब-कब क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? खरीदी गई सामग्री का वितरण कहाँ-कहाँ किया गया? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित जिलों व अवधि में किन-किन खेल संघों को कितनी-कितनी राशि किस आधार पर दी गई? उक्त राशि का क्या-क्या उपयोग किया गया?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>विकासखण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण</u>

**155. ( क्र. 3214 ) श्री हर्ष यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रदेश में विकासखंड स्तर पर खेल स्टेडियम निर्मित किये जाने की राज्य शासन की कोई योजना पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास व खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है? **(ख)** प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर कितनी लागत से किस प्रकार के स्टेडियम निर्मित किये जाने है? इनमें क्या-क्या सुविधायें सुनिश्चित की जावेगी व इसके निर्माण हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? **(ग)** अब तक इस योजना के क्रियान्वयन हेतु किन-किन विकाखण्डों का चयन कर लिया गया है? और किन-किन में भूमि उपलब्ध हो गई है? **(घ)** उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु किन-किन विधानसभा सदस्यों ने शासन/विभाग को पत्र लिखे और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>क्रिकेट कोच का अटैचमेंट</u>

**156. ( क्र. 3221 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** रतलाम में नियुक्त क्रिकेट कोच का अटेचमेंट इंदौर करने का क्या कारण है? **(ख)** रतलाम में रिक्त स्थाई क्रिकेट कोच की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नगरीय निकायों में राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित योजनाएँ</u>

**157. ( क्र. 3226 ) श्री संजय उइके :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की निविदा दरों की स्वीकृति विभाग/शासन द्वारा किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष

2010-11 से आज दिनाँक तक जिला बालाघाट अंतर्गत किन-किन निकायों की किन-किन योजना/कार्यों की किस-किस दर की निविदा कब-कब स्वीकृत की गई एवं सफल निविदाकार का नाम बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## बालाघाट जिले में कराए गए निर्माण कार्य

**158. ( क्र. 3228 ) श्री संजय उइके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कितने निर्माण कार्य किस-किस दर पर किन-किन ठेकेदारों से कराये गये? कार्यवार जानकारी दें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।**

## भण्डार क्रय नियमों का पालन

**159. ( क्र. 3235 ) श्री मधु भगत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग में निर्माण संहिता, वित्तीय संहिता, भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाता है? बालाघाट जिले के अंतर्गत कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा, केंद्र शासन द्वारा एवं अन्य एजेंसी द्वारा कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14, 15 और 30.03.2015 तक प्राप्त हुई? सड़क विकास निगम सहित जानकारी दें? **(ख)** उक्त कार्यालयों द्वारा भंडार क्रय नियम के प्रावधानुसार कितनी राशि खुली निविदा से सीमित लिफाफा पद्धति से हस्त पावती के माध्यम से कौन-कौन से कार्यों हेतु कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** सीमित लिफाफा पद्धति से किस-किस कार्य हेतु राशि का भुगतान किया गया? उक्त फर्म का नाम, मात्रा राशि, तिथि तथा वर्क ऑर्डर जारी करने की तिथि, कोटेशन प्राप्त करने की तिथि सहित बतायें? **(घ)** उक्त पावती के माध्यम से जो भुगतान किया गया? वह किस कार्य हेतु कितना किया गया तिथि, कार्य का नाम, प्रकार, राशि, भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म का नाम बतायें? **(ड.)** क्या उक्त व्यय नियमानुसार औचित्यपूर्ण है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। लोक निर्माण विभाग से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** तथा म.प्र. सड़क विकास निगम की जानकारी निरंक है। **(ख)** लोक निर्माण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा बालाघाट जिले में कोई राशि व्यय नहीं की गई अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.)** जी हाँ आवश्यकतानुसार है।

## नरसिंहपुर जिलान्तर्गत पुल का निर्माण

**160. ( क्र. 3243 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहपुर जिलान्तर्गत तिंदनी गौड़ी धुबघट के पास शेढ़ नदी पर पुल निर्माण करने संबंधी घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा 12.05.2012 को की गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो

उक्त घोषणा की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ग)** उक्त पुल हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** जी हाँ। पुल नहीं अपितु मार्ग निर्माण की घोषणा की थी। **(ख)** शेर नदी पर वर्तमान में 1085.34 लाख का प्राक्कलन परीक्षणाधीन है। कार्य न ही स्वीकृत है व न ही बजट में सम्मिलित है। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>नरसिंहपुर जिले हेतु स्वीकृत सडके/पुल</u>

**161. ( क्र. 3244 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 03 वर्षों में होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, सीहोर, विदिशा एवं बालाघाट जिलों में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि की कितनी सड़के स्वीकृत की गई? **(ख)** उक्त जिलों में किस-किस नदी पर कितनी-कितनी राशि के पुल पुलिया का स्वीकृति प्रदान की गई है? जिलेवार जानकारी दें?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं ब-1 अनुसार है।**

<u>उत्तर वन मंडल (सा.) बैतूल में वृक्षारोपण</u>

**162. ( क्र. 3256 ) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उत्तर वन मंडल (सा.) बैतूल में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक कितने हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य हुआ? खर्च राशि का विवरण देवें? **(ख)** क्या शाहपुर परिक्षेत्र के कारावाड़ी मार्ग/कूप पर तार/पोल फैंसिंग कार्य किया गया है?यदि हाँ, तो पोल घटिया क्यों है, खर्च की गई राशि की जानकारी देवें? **(ग)** वन भूमि में वृक्षारोपण से कितने मानव दिवस मजदूरी का सृजन हुआ है? **(घ)** उ.व.सा. बैतूल भौरा, शाहपुर, सारनी में रोपित पौधों की संख्या की प्रजातिवार सूची देवें?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 में है। (ख)** जी हाँ। पोल मानक गुणवत्ता के हैं। कुल व्यय रू. 9, 57, 528/- (रू. नौ लाख सत्तावन हजार पॉच सौ अट्ठाईस) है। **(ग)** वन भूमि में वृक्षारोपण से लगभग 2 लाख 72 हजार मानव दिवस का सृजन हुआ है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 में है।**

<u>परिशिष्ट - "अस्सी</u>"

<u>बांस/जलाऊ चट्ठे के वितरण में अनियमितता की जाँच</u>

**163. ( क्र. 3257 ) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भौरा परिक्षेत्र उ.व.मं. बैतूल (सामान्य) वर्ष 2013-14, 014-15 में कृषकों हेतु कितनी मात्रा में जलाऊ चटठे/बांस निस्तार पुस्तिका (वन, वृत, बैतूल) में दर्ज थे? **(ख)** कुप्पा निस्तार डिपो में कितने जलाऊ चटठे कर्मचारी ने वर्ष 014-15, 15-16 में वितरित किये? संख्या बताईये। **(ग)** क्या भौरा NH-69 (N.H.A.I.) मार्ग पर संचालित ढाबा मालिक को कुप्पा से जलाऊ चटठे दिये जाने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में? यदि नहीं, तो भौरा बेरियर से जलाऊ चटठे की चेकिंग क्यों नहीं की गई?

**वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क)** जानकारी निम्नानुसार है :-

| परिक्षेत्र का नाम | वर्ष | निस्तार पुस्तिका में दर्ज मात्रा | |
|---|---|---|---|
| | | बांस | जलाऊ चट्टे |
| भौंरा (सा.) | 2013-14 | 10, 500 | 117 |
| | 2014-15 | 11, 500 | 29 |

**(ख)** कुप्पा निस्तार डिपो नाम से बैतूल जिले में कोई डिपो नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। चेकिंग बैरियर में समस्त वनोपज की चैकिंग/ प्रविष्टि की जाती है, जो चैकिंग बैरियर से गुजरती है।

<u>रतलाम सैलाना बांसवाड़ा मार्ग का बंजली हवाई पट्टी तक विस्तार</u>

**164. ( क्र. 3258 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम - सैलाना बांसवाड़ा मार्ग पर शहरी भाग में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के आगे क्या 4 लेन मार्ग को बंजली हवाई पट्टी तक बनाया जाएगा? **(ख)** प्रबंधक संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम को इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए पत्र क्रं. 100 दिनाँक 18-01-2015 पर प्रश्नकर्ता को मौखिक आश्वासन किया गया था? इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** रतलाम सैलाना बांसवाड़ा मार्ग पर शहरी भाग में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के आगे 4 लेन मार्ग को बंजली हवाई पट्टी तक बनाये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। **(ख)** इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

<u>महिदपुर वि.स. क्षेत्र में नये उद्योग लगाने हेतु नीति निर्धारण</u>

**165. ( क्र. 3264 ) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिदपुर वि.स. क्षेत्र के महिदपुर रोड़ स्थित शुगर मिल के अतिक्रमण संबंधी अद्यतन स्थिति बतावें? **(ख)** इसमें नया उद्योग लगाने की क्या नीति निर्धारण की गयी है व कब तक? उद्योग स्थापित कर दिया जाएगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के महिदपुर रोड स्थित शुगर मिल के अतिक्रमण संबंधी अद्यतन स्थिति में संस्था के स्वामित्व की भूमि पर से कुल 62 अतिक्रमण हटा लिये गये हैं। 11अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2महिदपुर में प्रकरण लगाये गये हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है। **(ख)** उक्त में वर्तमान में उद्योग लगाने हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नवीन मार्गों की स्वीकृति</u>

**166. ( क्र. 3265 ) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर वि.स. क्षेत्र के खेड़ा खजूरिया से कुंडीखेड़ा मार्ग का संधारण कब तक कर लिया जायेगा? **(ख)** महिदपुर से कायरिया मार्ग 12 कि.मी. लंबाई की नवीन सड़क कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? **(ग)** कुंडीखेड़ा से लालगढ़ पुल तक 7 कि.मी. नवीन मार्ग कब तक स्वीकृत कर लिया जावेगा?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क)** 15.50 कि.मी. मार्ग का रिन्युवल प्रस्तावित किया जा रहा है तथा शेष 2.50 कि.मी. हेतु मजबूतीकरण मद में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। समय-सीमा

बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** वर्तमान में जिले में पर्याप्त योजना सीमा एवं वित्तीय आवंटन नहीं होने के कारण, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के अनुसार।

**<u>ग्रेसिम उद्योग नागदा द्वारा प्रदूषण फैलाय जाना</u>**

**167. ( क्र. 3270 ) श्री बाला बच्चन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा जंक्शन जिला उज्जैन के ग्रेसिम उद्योग के किन अधिकारियों पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण न्यूसेंस फैलाने का प्रकरण दर्ज किया गया है? **(ख)** उद्योग द्वारा फिल्टर प्लांट जिंक के उपयोग की क्या जानकारी प्राप्त की गई है? यदि नहीं, तो जानकारी कब तक प्राप्त की जावेगी कंपनी द्वारा कितना जिंक उपयोग किया गया? **(ग)** वायुमण्डल में विषैली एवं दुर्गंधपूर्ण गैसों के उत्सर्जन के लिए कंपनी के एवं इस ओर ध्यान न देने वाले विभाग के अधिकारियों पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? **(घ)** नागदा जं. में वायु में गैसों की स्थिति की प्रमाणित जानकारी दिनाँक 01-01-15 से 30-06-15 के संदर्भ में देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नागदा द्वारा ग्रेसिम उद्योग के श्री एस.के.श्रीवास्तव, यूनिट हेड एवं श्री वी.के.शर्मा, वाईस प्रेसिडेंट के विरूद्ध पर्यावरण प्रदूषण की शिकायत के आधार पर लोक न्यूसेंस हेतु सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 133 के तहत प्रकरण क्रमांक 25/15 दर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24, 25 व 26 के उल्लघंन के कारण दिनाँक 30/10/2014को प्रकरण क्रमांक 11088/14, स्थानीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायालय में मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम, नागदा के अधिकारियों जिसमें श्री सिद्वार्थ बनर्जी, प्रेसीडेंट एडं यूनिट हेड, श्री व्ही.के.शर्मा, वाईस प्रेसिडेंट, डॉ. कपिल चतुर्वेदी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, श्री शैलेन्द्र जैन, संचालक व आक्यूपायर, श्री के.के.महेश्वरी, मेनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. प्रकाश महेश्वरी, ग्रुप एक्जीक्यूटिव प्रेसीडेंट, श्री ठाकुरमल सुनार, वाईस प्रेसिडेंट (पर्यावरण) के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। **(ख)** फिल्टर प्लांट में जिंक का उपयोग नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता परंतु उद्योग द्वारा फरवरी, 2012 से उत्पादन प्रक्रिया में जिंक का उपयोग किया जा रहा है। दिनाँक 01/01/2012 से 30/06/2015 तक कुल 1053.2 मे. टन जिंक का उपयोग किया गया है। **(ग)** उत्तरांश ''क'' अनुसार कार्यवाही उपरांत शेष कार्यवाही करने की स्थिति नहीं है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

**<u>बड़वानी, जिले में उद्योगों को भूमि का आवंटन</u>**

**168. ( क्र. 3271 ) श्री बाला बच्चन :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** बड़वानी जिले में वर्ष 2010 से 2014 तक कितने उद्योगों के लिए कितनी भूमि लीज पर दी गई? उद्योग का नाम, पार्टनर/प्रोप्रायटर का नाम स्थान बतावें? **(ख)** वर्तमान में कितने उद्योग चालू हैं कितने बंद हैं की जानकारी नाम सहित देवें? ऐसे उद्योग जिन्हें भूमि का आवंटन हो चुका है लेकिन उद्योग प्रारंभ नहीं हुए उनकी सूची भी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार जो उद्योग प्रारंभ नहीं हुए एवं जो बंद हो गये है उनकी लीज आवंटन कब तक निरस्त होगा?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** से **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कोई भी उद्योग बंद नहीं है। छः उद्योग स्थापनाधीन है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**<u>परिशिष्ट - ''इक्यासी''</u>**

<u>निर्माण कार्यों की प्रगति</u>

**169. ( क्र. 3274 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुलताई विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत के माध्यम से विगत दो वर्षों में कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत हुए एवं उनके विरूद्ध प्रश्न के दिनाँक तक कितना व्यय किया गया? मदवार निर्माण कार्यवार, सूची उपलब्ध करावें। स्वीकृत निर्माण कार्यों में कितने निर्माण कार्य विधानसभा प्रश्न के दिनाँक तक अप्राप्त है एवं कितने प्रगतिरत है, तथा कितने पूर्ण कर लिये गये हैं? **(ख)** अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्य किन कारणों से आज दिनाँक तक पूर्ण नहीं किये जा सके? क्या निर्माण एजेंसी द्वारा समय-सीमा में कार्य को पूर्ण करने में रूची नहीं ली गई या उक्त कार्य हेतु शासकीय अमला ले-आऊट एवं भूमि उपलब्ध करवाने में विफल रहा? उक्त कार्यों की उपरोक्तानुसार दोषी व्यक्ति पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई या कब तक की जावेगी? **(ग)** पूर्ण किये गये कार्यों की गुणवत्ता हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला से क्या सामग्री परीक्षण करवाया गया है? कितने कार्यों की गुणवत्ता परिणाम कार्यों के अनुरूप पायी गयी और कितने निर्माण कार्यों के गुणवत्ता परिणाम विपरीत पाये गये? **(घ)** गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट किस तकनीकी व्यक्ति द्वारा जाँच कर उपयुक्त एवं अनुपयुक्त बनायी गयी एवं अनुपयुक्त कार्यों को करने वाल एजेन्सी एवं तकनीकी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** जाँच कराई गई है, जाँच में कोई दोषी नहीं पाया गया है।

<u>हरदौली पेयजल योजना की स्वीकृति</u>

**170. ( क्र. 3277 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत हरदौली पेयजल योजना कौन से मद से एवं कब स्वीकृत हुई? राशि एवं स्वीकृत वर्ष से अवगत करायें? क्या यह योजना पैकेजों में संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो कितने पैकेजों में? **(ख)** प्रथम पैकेज में क्या-क्या कार्य कितनी लागत के स्वीकृत हुये हैं? प्रथम पैकेज के कार्य की क्या प्रगति है? उक्त कार्य की पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी? यदि पूर्ण हो गया है, तो कितना व्यय हुआ है? यदि नहीं, हुआ, तो करणों से अवगत कराते हुए इसके लिये कौन जिम्मेदार है? **(ग)** द्वितीय पैकेज एवं तृतीय पैकेज में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है? उसकी लागत क्या है? कार्य की क्या प्रगति है, तथा उक्त कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है? उक्त सम्पूर्ण योजना कब तक पूर्ण होगी, जिससे जल प्रदाय योजना का लाभ जनता को मिल सके? दिनाँक, माह, वर्ष सहित अवगत करावें।

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** हरदौली पेयजल योजना भारत सरकार की यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत फरवरी 2012 में स्वीकृत हुई। योजना की स्वीकृत राशि रू. 1929.60 लाख है, स्वीकृत वर्ष 2012 है। जी हाँ। दो पैकेज में। **(ख)** प्रथम पैकेज में प्रस्तावित कार्य, उनकी लागत तथा कार्य की प्रगति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा दिनाँक 30.04.2015 थी। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बांध का निर्माण कार्य आरंभ न होने के कारण इन्टैक वेल तथा रॉ वाटर राईजिंग मेन का कार्य आरंभ नहीं हो पाया है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

**(ग)** योजना में तृतीय पैकेज नहीं है, द्वितीय पैकेज में राशि रू. 864.00 लाख की लागत से बांध का निर्माण किया जाना है, बांध का निर्माण किया जाना है, बांध की ड्राईग डिजाइन तैयार की जाकर उनका अनुमोदन बोधी से प्राप्त किया जा चुका है तथा भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, भू-अर्जन के पश्चात निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। परिशिष्ट - "बयासी"

**मोबाईल टॉवर के रेडिएशन से उत्पन्न स्थिति**

**171. ( क्र. 3281 ) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम सीमा क्षेत्र भोपाल में किन-किन टेलीकॉम कंपनियों को मोबाईल की हाईस्पीड 4-जी सुविधा देने के नाम पर नगर निगमों द्वारा कितने-कितने मोबाईल टॉवर डी.गी. सेट्स के साथ लगाने की अनुमति किन नियमों/शर्तों के साथ प्रदान की गई है एवं बिना अनुमति के कितने मोबाईल टॉवर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं? **(ख)** क्या भोपाल के शक्तिनगर में 428 सेक्टर-3, 198 सेक्टर-2 एवं 189 सेक्टर-2 में स्थित मोबाईल टावर हटाने बाबत् न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोविन्दपुरा भोपाल का प्रकरण क्रमांक 17/12 में पारित निर्णय उपरांत 41 मोबाईल टॉवर को 03 दिवस में हटाने के आदेश मुख्य नगर निवेशक नगरपालिक निगम भोपाल को दिनाँक 19.06.2015 को दिए थे? निर्धारित समयावधि में मोबाईल टॉवर नहीं हटाने पर नगरनिगम के अपर आयुक्त ने दिनाँक 1.07.2015 को उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया था? यदि हाँ, तो क्या मोबाईल टॉवर हटा दिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या मोबाईल टॉवरों से निकलने वाले रेडिएशन से मानव स्वास्थ्य एवं जीव-जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण भी दूषित हो रहा है? यदि हाँ, तो नियमानुसार आवासीय क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे मोबाईल टॉवरों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है।** मोबाईल टावर डी.जी. सेट्स के साथ लगाने की अनुमति म.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-1/2013/56 दिनाँक 18 सित्मबर, 2013 द्वारा दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ख)** जी हाँ। न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोविन्दपुरा भोपाल का प्रकरण क्रमांक 17/12 में पारित निर्णय उपरांत कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 191 दिनाँक 19.06.2015 एवं संशोधित पत्र क्रमांक 312 दिनाँक 29.06.2015 को मोबाईल टावर हटाने हेतु पत्र जारी किये गये थे। न्यायालय द्वारा दिनाँक 26.06.2015 को पारित आदेश के तारतम्य में पुनरीक्षण याचिका दिनाँक 29.07.2015 नियत है। भोपाल के शक्ति नगर में 428 सेक्टर -3 198 सेक्टर-2 एवं 189 सेक्टर -2 में स्थित मोबाईल टावर पर न्यायालय के निर्णय उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** मोबाईल टावरों से निकलने वाले रेडियेशन से मानव स्वास्थ्य एवं जीव-जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, कि जानकारी संज्ञान में नहीं आई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रीमंडल के सदस्यों के बंगलों पर साजसज्जा एवं रखरखाव पर व्यय**

**172. ( क्र. 3283 ) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के किन-किन सदस्यों को भोपाल में आवंटित शासकीय आवासगहों की साज-सज्जा, रखरखाव, अतिरिक्त निर्माण

कार्य एवं बिजली तथा जल पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? पृथक-पृथक वर्षवार बताएं? **(ख)** क्या मंत्री बंगलों पर शासन की अनुमति के बिना अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए गए हैं? यदि हाँ, तो किस-किस टाईप के किन-किन मंत्रीगणों के बंगलों पर अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए गए? **(ग)** क्या नियम विरूद्ध कराए गए इन कार्यों के लिए संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

<u>**न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना में पार्क की भूमि पर अतिक्रमण**</u>

**173. ( क्र. 3285 ) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2685) दिनाँक 17 जुलाई 2014 के प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश डब्ल्यू पी.नं. 3001/07 (पी.आई.एल.) के परिपालन में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना में मण्डल द्वारा अतिक्रमण हटाया जाकर अतिक्रमणकारियों पर 10, 000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाना बताया गया है? तो न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना में पार्क किस जगह स्थित है तथा पार्क की भूमि पर किन-किन के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? **(ख)** क्या वर्तमान में अतिक्रमणकारियों द्वारा पार्क की भूमि पर पक्की बाउण्ड्रीवॉल बनाकर एवं गेट लगाकर उसमें ताला डाल दिया है, जबकि विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाना बताया गया था। यदि हाँ, तो गलत जानकारी देने हेतु कौन दोषी है? **(ग)** उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या पार्क की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाकर असत्य जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। प्रश्नाधीन पार्क एल.आई.जी. भवन क्र. 365 से 374 एवं एम.आई.जी. भवन क्रमांक 384 से 388 के सामने स्थित है। उक्त पार्क के एक भाग पर श्री रामनरेश सिकरवार ने अतिक्रमण किया है। **(ख)** प्रश्नाधीन पार्क के कुछ भाग पर बाउण्ड्रीवाल मय गेट के विद्यमान है, जिस पर ताला लगा पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के डब्ल्यू.पी. नं. 3001/2007 के आदेशों के परिपालन में 18.03.2008 में अतिक्रमण हटाया गया था। मण्डल द्वारा गलत जानकारी नहीं दी गई है। **(ग)** मण्डल द्वारा सही जानकारी प्रस्तुत की गई थी। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**उद्योग विभाग की रोजगार योजनाएं**</u>

**174. ( क्र. 3293 ) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** म.प्र.शासन उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी योजना वर्तमान समय में प्रचलन में है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित योजनाओं के तहत वित्त वर्ष में 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में कितने हितग्राहियों के ऋण के आवेदन लिये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित प्राप्त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया गया एवं कितने प्रकरण निरस्त या लंबित हैं? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित योजनाओं का समुचित लाभ पाटन विधानसभा के बेरोजगारों को प्राप्त न होने के क्या कारण है? इन योजनाओं का समुचित लाभ

प्रदान करने हेतु शासन क्या-क्या कदम उठावेगी? क्या शासन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रश्नांकित योजनाओं में पशुपालन को भी सम्मिलित करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

**उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क)** विभाग द्वारा निम्न तीन स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं :- 1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 3) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** शेष प्रकरण पुनः नवीन प्रकरण मानते हुए वर्ष 2015-16 के लक्ष्य के विरूद्ध बैंको को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं। कोई भी प्रकरण निरस्त या लंबित नहीं है। **(घ)** समुचित लाभ उपलब्ध कराया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पशुपालन गतिविधियाँ कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः इन्हें योजनान्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।